राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] विधान सभा के द्वितीय सत्र का सातवां दिवस [संख्या 5

1] [2

सोमवार

दिनांक, 8 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री जगमाल सिंह यादव ।

कन्या सैण्कडरी स्कूल, तिजारा का भवन

121. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि तिजारा में कन्या सैकण्डरी स्कूल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, तथा गत वर्ष शिक्षा विभाग ने उसमें स्कूल चलाने को मना कर दिया था ?

(2) लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि में अध्यापन की किस स्थान पर व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस हेतु नया भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

शिक्षामंत्री (श्री रामपाल उपाध्याय) :
(1) जी हां ।

(2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) तिजारा के भवन में छात्राओं के भी अध्यापन की व्यवस्था की गई है ।

(3) जी नहीं । राजकीय विद्यालयों के भवन जन सहयोग से निर्माण कराये जाते होते हैं, अत: जितना शीघ्र जन सहयोग प्राप्त होगा उतना ही जल्दी भवन तैयार हो सकेगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत डेढ़ साल से यह छात्राओं का स्कूल बन्द पड़ा है । सरकार ने गत तीन साल से जन सहयोग के लिए जो कुछ कदम उठाये हों, वह बतायें । छात्राओं की पाठशाला जो बन्द पड़ी है उसमें सात सौ छात्रायें अध्ययन कर रही हैं । जिस लडकों के स्कूल में लड़कियों को बिठाने की व्यवस्था की गई है उसमें पहले से बारह सौ, तेरह सौ छात्रों की संख्या है । उस हाई स्कूल में लड़कियों के बैठने को जगह नहीं है । जिस स्कूल में छात्रों को पढ़ाया जाता है वह भवन भी गत चार वर्ष पहले गिर चुका है । जहां पहले चालीस कमरे थे वहां अब दस बारह कमरे हैं । जब सात सौ छात्रायें हैं और बारह सौ छात्र पहले से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये सब इन कमरों में कैसे बैठ कर पढ़ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आने दीजिए पहले।

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महानुभाव के कथन से सहमत हूं। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे छात्र और छात्रायें पढ़ रही हैं लेकिन वित्तीय साधनों के अभाव में और निरन्तर गिरते हुए जन सहयोग के कारण भवन निर्माण नहीं हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिये।

127 छात्रायें और सोलह अध्यापिकायें हैं, छात्र 727 हैं और तीस अध्यापक हैं, जिनके बैठने की व्यवस्था इस भवन में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुविधा की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई थी। जहां पर छात्रायें बैठती हैं वह भवन बेकार है और वास्तव में गिरने योग्य है। इस सारी परिस्थिति में यह सोचा गया कि दो शिफ्ट चलायें। छात्रों का अध्ययन एक शिफ्ट में हो और दूसरी शिफ्ट में छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की। हमने सारे जन प्रतिनिधियों से, नगरपालिका से और सभी गणमान्य दानी महानुभावों से निवेदन किया। इस बारे में थोड़ा प्रयत्न शुरू हुआ है। अब सम्माननीय सदस्य पधारें हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा जन सहयोग जुटायें। और सरकार से भी जो सम्भव होगा वह करेगी। प्राथमिकता के आधार पर छात्राओं के इस भवन की समस्या का निदान करेगी। इस बीच में यह सच है कि सरकार की अनुमति के बगैर वहां की प्रधानाध्यापिका ने बहुत ही जीर्ण शीर्ण छात्रशाला में छात्राओं की व्यवस्था कर दी। इस बारे में ज्योंहि यह प्रश्न आया तत्काल डायरेक्टर को निर्देश दे दिया है कि पूर्ववत व्यवस्था करें ताकि वर्षा ऋतु जो आ रही है उसमें किसी तरह की कोई दुखान्तिका का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी जन सहयोग जुटायें, सरकार भी प्रयत्न करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जन सहयोग के मामले में जहां तक मेरा अनुभव है, जनता सहयोग करने को तैयार है। कठिनाई यह होती है कि जब कोई व्यक्ति भवन बनाने को तैयार होता है, पहले तो परमिशन नहीं मिलती। अगर परमिशन मिल गई, परमिशन मिलने के बाद भवन बन कर तैयार हो गया तो उसको टेक ओवर करने में लगभग बीस से तीस साल तक का समय लगता है। मेरा अपना अनुभव है, कई इंस्टीट्यूशन से मेरा सम्बन्ध है, बीस बीस साल में शालाओं के भवनों पर लोगों का पैसा लगा हुआ है लेकिन कभी पी. डब्ल्यू. डी. और कभी शिक्षा विभाग की आपत्तियों के कारण भवन टेक ओवर नहीं होते। इसकी वजह से जन सहयोग अपने आप निरुत्साहित होता है। सरकार की ओर से कुछ को-आपरेशन मिलता नहीं है। सबसे बड़ी दयनीय

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

स्थिति यह है कि भवन बनाने वालों को सरकार की ओर से किंचित मात्र भी सहयोग नहीं मिलता, केवल प्रास्टिकल क्रियेट किये जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या यह सही है कि आप जिन्दगी भर जन सहयोग गांवों में ही लेंगे, शहरों में नहीं लेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। शहरों में बड़े बड़े विद्यालय भवन सरकार बनाती है और गांवों में जन सहयोग की मांग कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका जवाब दिलायें कि क्या जन सहयोग गांवों में ही लेते रहेंगे? यदि हां, तो पी. डब्ल्यू. डी. को बन्द कर दो।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, से यह जानकारी करना चाहूंगा…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र जाट : क्या यह सही है कि आपने आपने निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख रुपया रायपुर और गंगापुर के अन्दर भवन निर्माण के लिए दिया है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तिजारा का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र जाट : क्या यह सही है क निजी जन सहयोग के बिना सरकार आवश्यक सहयोग देने को तैयार नहीं है? माननीय मंत्री महोदय, अपने निर्वाचन क्षेत्र में आपने स्वयं इसी बजट में एक लाख रुपया भवन निर्माण के लिए दिया है। मैं भी आपके पड़ौसी निर्वाचन क्षेत्र का विधायक हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि क्या आपकी कृपा दृष्टि मेरे इस निर्वाचन क्षेत्र पर भी पड़ेगी या Charity begins at home.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1984-85 में बिना जन सहयोग के कोई शिक्षण संस्था का निर्माण हुआ या नहीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या शिक्षा मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह हायर सैकण्डरी स्कूल, जहां पर ये छात्र छात्रायें पढ़ रही हैं, में पहले चालीस कमरे थे और अब दस कमरे ही उपलब्ध हैं? क्या इनमें इतने छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था हो सकेगी?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, यह देखने में आता है कि शहरों में जहां भवन निर्माण किया जाता है एक नये पैसे का भी जन सहयोग इकट्ठा करके नहीं दिया जाता। यह जन सहयोग केवल ग्रामीणों के लिए ही होता है।

श्री अध्यक्ष : यह पहले आ गया है। मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री भाभड़ा साहब ने कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : स्वीकार करने से क्या होता है। भवन बने हुए पड़े हैं लेकिन सरकार ले नहीं रही है ....

श्री अध्यक्ष : सुनने की क्षमता रखें माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : पहले भी बच्चे मर गए, उसकी जिम्मेदारी किस की है ? हमारे बच्चे मर जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : इसमें कोई दो राय नहीं है कि दानदाताओं द्वारा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : ....यह सही है कि जन सहयोग से बने हुए स्कूलों के अधिग्रहण में वास्तव में कुछ रुकावट आती रही है। सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि इस प्रकार से नियमों में प्रावधान रखे कि रुकावट दूर हो जावे और जो भवन बना कर इस प्रकार के दानी मानी लोग दें उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, जवाब देने दीजिए।

श्री रामपाल उपाध्याय : नम्बर दो, दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि क्या जन्म जन्मान्तर तक इस तरह की बात चलती रहेगी। ज्यों-ज्यों विकास चलता रहेगा त्यों-त्यों विकास की परम्परा सब तरह के स्रोतों से चलती रहेगी।

नम्बर तीन, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, मैं उनकी सूचनार्थ विनम्र निवेदन करूं कि एक भी नया पैसा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस बात के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। मैं वहां मीटिंग में गया था, मैंने यह कहा था, मैं यह प्रयत्न करूंगा कि आप और हम सब जन सहयोग जुटायेंगे और जब कभी बजट में प्रावधान होगा तब हम राजस्थान के संदर्भ में इसको भी देखेंगे।

नम्बर चार, 1984 85 में आपने बताया कि इस प्रकार का आपने कोई भवन निर्माण कराया, यह काम जन सहयोग से हुआ। मैं आपकी सूचनार्थ निवेदन करूं, राजस्थान में चाहे कालेज हो, चाहे मिडल स्कूल हो, चाहे प्राथमिक शालायें हों, गांवों में शहरों में ऐसी बात नहीं है, कई जगह शालायें बन रही हैं, और बनाने के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये है। अभी कुछ वरिष्ट सदस्यों से दो-तीन दिन पहले मेरी बात हुई, लाखों रुपयों की इस प्रकार की बात हो रही है। यह परम्परा चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। इस समय मैं आपके सहयोग का आह्वान करता हूं।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अगली बात तिजारा में बैठने की व्यवस्था के बारे में आपने फरमाया ? सचमुच वहां की स्थिति ठीक नहीं है, मैं स्वयं इसको महसूस करता हूं । मैं आपसे भी आग्रह करता हूं और सरकार की तरफ से प्रयत्न करूंगा कि इस व्यवस्था का समाधान हर समय से करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : क्या मंत्री महोदय, यह आश्वासन देंगे कि जिस भवन को आपने जीर्ण-शीर्ण माना है और कभी भी गिर सकता है उस भवन में छात्र-छात्राएं आज के बाद नहीं पढ़ेंगी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं आपके मत से सहमत हूं । आज तो नहीं कहता लेकिन अगले तीन महीनों में ऐसी व्यवस्था कर दी जायेगी । जिन शालाओं के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं उनमें छात्र-छात्राए नहीं पढ़ेंगी और पूर्ववत, जो गत वर्ष व्यवस्था थी, अलग-अलग क्षेत्रों में उसको करने की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : स्पेशिफिक दो बातें आ गयी । एक तो छात्राओं का स्कूल गिर गया, दूसरे में शिफ्ट हो गया । छात्राओं के स्कूल में 40 कमरों में से 30 गिर गये और 10 जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं । क्या राज्य सरकार अगर जन सहयोग नहीं होगा····

श्री अध्यक्ष : तीन महीनों में व्यवस्था करने की बात कह दी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, नहीं वे तो आदेश देंगे उनके ।

(व्यवधान)

कुशलता से माननीय मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया । मैं तो स्पेसिफिक, सवाल पूछना चाहता हूं । तिजारा में आज जो स्थिति उत्पन्न हो गयी क्या राज्य सरकार जब तक जन सहयोग नहीं होगा तब तक उनके लिए कोई दूसरे भवन बनायेंगी या नहीं, मुहैया करेगी या नहीं ? यह स्थिति है क्या, स्पेसिफिक उत्तर चाहिए ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी बात को बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया है । मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, यह निवेदन कर रहा हूं कि यह सरकार का निरन्तर प्रयत्न है, होना चाहिए और माननीय जन प्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा करती है । सरकार प्रयत्न करना चाहती है नम्र शब्दों में कि आप और हम सब मिलकर इसको करेंगे ।····

श्री भवरलाल शर्मा (हवामहल) : What about this particular case ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं इसका स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं, कृपया शर्मा साहब बैठने का कष्ट करें ।

अगले वर्ष में स्थानीय निकाय, धनी मानी लोग, सरकार और जनप्रतिनिधियों सब के सहयोग से इनको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से जन सहयोग नहीं मिल रहा है, यह बात बार-बार मंत्री महोदय कहें, तो फिर सरकार की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता ने पूछा था व्यवस्था के बारे में, कहां होगा, कैसे होगी, जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक क्या व्यवस्था होगी। मंत्री महोदय ने तीन महीने में व्यवस्था करने का जवाब दिया है। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, आदेश प्रदान कर देंगे···

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने भवन बनायें····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जनता पार्टी का हवाला दे देंगे कि हमने क्या किया। हमारा हवाला दे देंगे कि हमने कितने भवन बनाये। इसका उदाहरण दे देंगे····

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : शिक्षा विभाग की ओर से जो स्कूल भवन किराये पर लिए उनके गिरने के डर से उसको बंदकर रखा है, पिछले 5-6 महिने से। क्या शिक्षा विभाग बिलाड़ा, जोधपुर के प्राइमरी स्कूल नम्बर–2, जो छः महीने पहले बंद कर दिया था, को वापस चालू कराने के लिए कहीं पर किराये पर भवन लेने के लिए निर्देश देंगे।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शालायें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भवन होने के कारण बंद हो गई थी राजस्थान के कई भागों में, जिसमें जोधपुर भी है वहां पर तेजी से प्रयत्न किया जा रहा है। किराये पर लेकर फिलहाल पूर्ववत ही शालायें प्रारम्भ करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट। श्रीमती उजला अरोड़ा। आर्डर प्लीज। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यने यह कहा, माननीय मंत्री महोदय ने एक लाख रुपया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। दूसरा प्रश्न मैंने पुकार लिया है। श्रीमती उजला अरोड़ा। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें माननीय सदस्य।

कारागृह से कैदी भागने की घटनायें

122. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के कारागृहों से कितने कैदी भागे हैं ? इसके लिए कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

श्री छोगाराम बकोलिया (राज्य मंत्री कारागृह) : राजस्थान के कारागृहों, उप-कारागृहों एवं बंदी खुले शिविरों से गत 5 वर्षों (1980-81 से 1984-85 तक) में 24 बंदी फरार हुए हैं।

(व्यवधान)

कारागार विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इन बंदियों के भागने के क्या कारण हैं ? इन बंदियों के जेलों से फरार होने के क्या कारण रहे ?

श्री अध्यक्ष : उनकी मानसिक स्थिति....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलायें। मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि क्या कारण हैं ? क्या यातना का कारण नहीं है, क्या भूख का कारण नहीं है, क्या सुपरविजन का कारण नहीं है ? आप बतायें क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : आप नाराज क्यों हो रही हो, गुस्सा मत होइये। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा नहीं, क्या कारण है यह पूछा है। कृपया बैठें।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने, माननीय सदस्या ने शेम-शेम की बात कही है उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई शेम की बात नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पंजाब की तरह सभी को छोड़ दीजिये ?

श्री छोगाराम बकोलिया : सन् 1980-81 में 53356 में से 3 एस्केप हुए, 1981-82 में 54361 में से 4 हुए, 1982-83 में 55433 में से 1 हुआ है, 1983-84 में 47362 में से 3 एस्केप हुए और इसी प्रकार 1984-85 में 13 हुए। कुल मिलाकर 24 हुए हैं, 24 हजार के आस पास हुए। एक हजार पर एक बंदी फरार हुआ है।

एक माननीय सदस्य : कारागृह से भागने में ये कारगर साबित हुए इसलिए भागे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मिनिमम भागने के माप दण्ड क्या तय कर रखे हैं ? राज्य सरकार ने मिनिमम संख्या, माप दण्ड क्या तय कर रखे हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : यह तो आप की इन्फार्मेशन के लिए है, पर्मिसिबल लिमिट में है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय भागने के क्या कारण रहे, इसकी जानकारी देनी हो तो बता दीजिये ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय भागने के कारण....

(व्यवधान)

मैं आपको मौका दूंगा । आप बैठें । आर्डर प्लीज ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : सभी के भागने के क्या कारण होते हैं ।....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : शर्म नहीं आती, आपने को शर्म नहीं आती, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं है, अपनी पोस्टें खाली पड़ी है, सात सात हजार रुपये लेकर भर्ती करते हैं प्रहरियों को, तो वे काम करेंगे किससे । यह सारा सुपरविजन आपकी देख रेख में है । आपका कोई सुपरविजन नहीं है । आपको त्याग-पत्र दे देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न सुन लें । श्री बिरदमल सिंघवी ।

श्री बिरदमल सिंघवी : (जोधपुर) अध्यक्ष महोदय, भागने वाले कैदियों की जो संख्या आपने दी है वह कारागृह से भागने वालों की है । पुलिस लॉक अप को भी अण्डर अरेस्ट मानते हैं । पुलिस लॉक-अप में जो लोग भागे, उनकी भी संख्या इसमें सम्मिलित है या वह संख्या अलग है ? एक प्रश्न तो यह ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही कारागृह का है पुलिस लॉक-अप का नहीं ।

श्री बिरदमल सिंघवी : उसको भी अण्डर अरेस्ट मानते हैं इसलिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न कारागृह का है । आप समझ लीजिए कि प्रश्न पुलिस के लॉक-अप का नहीं है ।

आर्डर प्लीज । श्री रामसिंह ।

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न और है । दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जेल की बिल्डिंग्स खराब थीं बिल्डिंग्स में तोड़-फोड़ थी उसके कारण भागे या सुरक्षा कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण या कमी होने के कारण भागे ? क्या आपने इसकी जांच की ? क्या सुरक्षा कर्मचारियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे है ताकि सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था ठीक में हो और उसमें कोई बढ़ोतरी की जाय ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज जवाब आने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : एक महत्वपूर्ण प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए, फिर पुछ लाजिए, कृपया बैठिये। जवाब सुन लीजिए।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, जेल के अन्दर स्टाफ की कमी के कारण बन्दी भाग गये यह बिलकुल निराधार है। जेल के अन्दर अभी तक जो पोस्टें वैकेंट हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिन्टेंण्डेण्ट की एक है। नो डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट श्राफ जेल हैं, चीफ हैड वार्डन तीन हैं। जेलर्स की चार हैं, असिसटैण्ट जेलर्स की नौ हैं. वार्डन की मृत्यु के कारण पांच खाली हुई हैं इसके कारण से तो कोई नहीं भागे जितने 16 एस्केप हुए हैं उनमें सब जगह सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल थे, कारागृह कुशलगज में जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट थे, इसी प्रकार से कारागृह माण्डलगढ़ से जो भागे वहां भी असिसटैण्ट जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट थे। हर जगह पोस्ट बिलकुल भरी हुई थी यही कारण है कि बंदी भागने के कारण उन पर एक्शन लिया। एक्शन में 36 आदमियों को दोषी पाया गया। इस कारण से एस्केप होते तो कोई दोषी नहीं माना जाता और कोई एक्शन भी नहीं होता। कर्मचारी इस पनिशमैण्ट को यस नहीं करते। उसके अगेन्स्ट कोर्ट केस कर सकते थे। इसलिए केवल मात्र यह कोई कारण नहीं। यह तो माननीय सदस्य का अपना खुद का प्रश्न है। जब यह 19 महीने तक खुद जेल में रहीं, हो सकता था, यह भी भाग जातीं अगर उन कारणों से अव्यवस्था होती तो।

श्री अध्यक्ष : भागी नहीं थीं।

श्री छोगाराम बकोलिया : इस प्रकार मैं नहीं मानता कि इस प्रकार ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। आपको मौका दे देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम लोग तो भागने वाले नहीं थे। खैर, अध्यक्ष महोदय, सदन को इस तरह से दूसरी तरफ ले जाने के लिए मेरे जेल में रहने के लिए हवाला दिया। हम तो बहुत लोग थे।

मैं कहना चाहूंगी आप से, आपके कारापाल दोषी पाये गये, उप कारापाल दोषी पाये गये। इतनी बडी पोस्ट कारापाल, उप कारापाल, के लोग अगर दोषी पाये जाते हैं तो आपका सुपरविजन है कहां? मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी आप से, सुपरविजन की कमी क्यों है? इनको और थोड़े बहुत वेतन की बात करके वापस रख लिया। क्या यह फिर नहीं भगायेंगे? यह पैसे के लोभी लोग आपके सारे प्रशासन को तोड़ रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : सुपरविज़न नहीं इनके तो टेलीविजन है।

श्री अध्यक्ष : श्री ओपत सिंह। आपको मौका देंगे।

श्री ओपत सिंह : सवाल एक है। ओपन जेल कैम्प से कितने कैदी भागे? जितने कैदी भाग गये उनमें से कितने वापस पकड़े गये?

श्री अध्यक्ष : श्री पंकज पंचोली।

श्री पंकज पंचोली : जनता राज में इस प्रकार कितने कैदी फरार हुए थे? यह बता दें, मन्त्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । प्रश्न 1980 से ही पूछा है · ऑर्डर प्लीज ।

श्री केदार नाथ : जितने व्यक्ति दोषी पाये गये उनमें से कितनों को आपने एक्जोनरेट कर दिया जांच के बाद ?

श्री अध्यक्ष : यह तो लिस्ट दे दी है।

श्री केदार नाथ : लिस्ट मेरे पास तो नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता के पास जायेगी लिस्ट ।

श्री केदारनाथ : जो दोषी पाये गये उनमें जेलर, डिप्टी सुपरिण्टैण्डैण्ट, और सुपरिण्टैण्डैण्ट, कितने हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओपन जेल से तीन कैदी भागे हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): मंत्री महोदय को बोलने की × × ×

श्री अध्यक्ष : शब्द एक्सपंज किया जाय । माननीय सदस्य, कृपया ध्यान रखें आप भी बोलने में ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्री महोदय भी ध्यान रखें अपने बोलने में।

श्री अध्यक्ष : आप पर कोई आक्षेप नहीं किया मन्त्री महोदय ने ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । कृपया बैठें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिस प्रकार उन्होंने वर्णित किया है माननीय सदस्या को कि आप 19 महीने जेल में रहीं और आप जेल से नहीं भागीं । अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने की····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इसमें कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है, माननीय सदस्य । कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : राजनीतिक बन्दी जेल से भागे नहीं थे, राजनीतिक बन्दियों के आगे सरकार जेल से भाग गयी थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । माननीय सदस्या, आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इमर्जेंसी के खिलाफ जो आन्दोलन कर रहे थे, जो स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन कर रहे थे, उनका अपमान किया है इन्होंने ।

श्री अध्यक्ष : अपमान की कोई बात नहीं की । मैं भी जेल में रहा हूं । अपमान की कोई बात नहीं कही गयी । कृपया बैठें, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाडी : जो लोग चोरी में जेल में गये हैं उनको राजनीतिक जेल का ज्ञान नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बीच में बाधा नहीं ।

श्री छोगाराम बकोलिया : ओपन जेल से तीन भागे हैं ।

दूसरे माननीय सदस्य का प्रश्न था कि पुलिस कस्टडी से कितने भागे । पुलिस कस्टडी से भागने की संख्या अलग है जो 24 बतायी उससे । बन्दी भागे उनमें से कितने गिरफ्तार किये गये । तो, अध्यक्ष महोदय, 24 भागे हैं उनमें से 13 दुबारा गिरफ्तार कर लिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बन्दी भागे इन कैदियों के अन्दर खतरनाक कैदी कितने थे और साधारण कैदी कितने थे ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : खतरनाक तो सरकार ने खुद ने छुड़वा दिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, कैदी तो करीब-करीब सभी सजायाफ्ता होते हैं, कोई 302 के केस मे रहा, कोई ट्रायल केस में रहा । अब उनमें से कौन खतरनाक ज्यादा हो सकता है, यह जानकारी इन्डिवीजुअल की नहीं है । फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं एक एक की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मन्त्री महोदय ।

श्री शिवराम शर्मा : एक आंकड़ा बता दीजिए समरी बनाकर ।

श्री छोगाराम बकोलिया : जोधपुर से जो भागा है वह 457 और 380 के अन्दर था और बन्दी जो....

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा है जवाब दे रहे हैं । मैंने ना नहीं कहा ।

एक माननीय सदस्य : बिना खतरनाक भी कोई कैदी होता है क्या ?

श्री छोगाराम बकोलिया : इसी प्रकार कारागृह, कोटा से जो बन्दी भागा है वह धारा 307 और 452 के अण्डर था, जब पूछा है तो जवाब ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय मन्त्री महोदय, कृपया बैठें ।

नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 123

श्री शिवनारायण ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें) ।

श्री मोहन छंगाणी ।

राज्य पर्यटन विकास निगम

124. **श्री मोहन छंगाणी** (फलोदी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना से अब तक निगम को प्रत्येक वर्षों में कितनी हानि हुई है ?

(2) निगम को हुई हानि उसे उसकी किस किस इकाई अथवा सेवा से हुई है, और कितनी कितनी ?

(श्री मोहन छंगाणी)

(3) इस निगम में राज्य सरकार की विनियोजित पूंजी कितनी है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस निगम की हानि के कारणों के बारे में कभी निगम से पूछताछ की है ? यदि हां, तो कब-कब ? नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) निगम के स्थापना वर्ष 1979-80 से तक निम्न प्रकार से निगम को शुद्ध हानि हुई है :–

1979-80 में 2.94 लाख,
1980-81 में 21.75 लाख,
1981-82 में 28.89 लाख,
1982-83 में 33.52 लाख,
1983-84 में 43.24 लाख,
1984-85 में 49.46 लाख ।

(2) निगम को जिन इकाइयों तथा सेवाओं से कार्यकारी हानि हुई उसका वर्ष-वार ब्योरा निम्न प्रकार है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले का पेश नहीं है । जवाब इसी में दिया हुआ है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : प्रश्नकर्ता चाहें तो मैं पेश कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, कृपया जारी रखें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी स्पीड तो धीमी गति के समाचार की है और नुकसान तीव्र गति का है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह सरकार हमारी मर्जी से चलेगी । प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे वैसा ही होगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इनकी सरकार भी मन्द गति से चलेगी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : घनश्याम जी, आपकी तो सुनने की आदत नहीं है । इम्पेशेंट बहुत हैं ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर जारी रखिये, मन्त्री महोदय ।

श्री यदुनाथ सिंह : मंदरणा साहब की याद आ रही है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : (2) निगम को जिन इकाइयों तथा सेवाओं से कार्यकारी हानि हुई उसका वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

(लाखों में)

	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
इकाई सेवा से कार्यकारी हानि	1.84	1.50	2.81	6.17	8.22	2.40
अन्य सेवाओं से कार्यकारी हानि	0.11	0.70	5.70	4.02	–	3.06
योग =	1.95	2.20	8.51	10.19	8.22	5.46

विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

(3) निगम में राज्य सरकार की विनियोजित पूंजी वर्ष 1984–85 के अन्त तक रुपये 520.58 लाख है जिसमें 336.50 लाख रुपये नकद एवं 184.08 लाख रुपये भूमि, भवन एवं वस्तुओं के रूप में विनियोजित की है।

(4) जी हां। दिनांक 23 फरवरी, 1984, 8 अक्टूबर, 1984, 20 दिसम्बर 1984, 22 दिसम्बर, 1984, 10 फरवरी, 1985, 28 फरवरी, 1985, 20 अप्रेल, 1985, 26 अप्रेल, 1985 एवं 2 मई, 1985 को समीक्षा की है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, समीक्षा के परिणामों के बारे में हमें अवगत करायें तो अच्छा रहेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह तो चौथे का पूछ रहे है, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, श्रोपीनियत के हिसाब से वास्तव में निगम को जिस ढंग से काम करना चाहिए, नहीं कर रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो बन्द करो इसको।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बन्द तो हम कर देते, लेकिन अगर कर देते शायद तो आप कहते, हमने शुरू किया था इसलिए आपने बन्द कर दिया। जिन कारणों से आपने शुरू किया, वह भी आपके नेता महोदय को पता है। किस व्यक्ति को आप राजी करना चाहते थे, उनको अध्यक्ष बना दिया आपने।

एक माननीय सदस्य : आप किसको राजी कर रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के अनाप-शनाप आरोप नहीं लगायें वरना तैयार रहें। आपने भी जो टूरिस्ट डिपार्टमैण्ट में बंगलिंग की है, एक बता देता हूं

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : खुशी से बताइये। We want to be informed.

(व्यवधान)

बताइये ना आप, We wnt to be educated Go ahead and say.

श्री अध्यक्ष : उत्तर जारी रखें, मन्त्री महोदय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फरमाया उसी का उत्तर दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। समीक्षा का परिणाम आपके पास है तो बता दीजिए। समीक्षा भी आपने की है…

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस वर्ष में, अध्यक्ष महोदय, जो जो डिफेक्टिव पॉइन्ट्स पाये गये है उनके सम्बन्ध में कुछ हमने महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये है और एक्शन भी हम लेने वाले हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो फर्मायें।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब से निगम बना तब से ही घाटे में चल रहा है। कोई भी ऐसी

(श्री मोहन छंगाणी)

इकाई नहीं है, बहरोड़ का भाग्य से नाम नहीं है इसमें जो आप चलाते हैं जो कॉम्पीटीटिवनैस से और इफैक्टिव फक्शन करती हो। जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि काफी मीटिंग 1984 में हो चुकी है। मैं तो खास तौर से पूछना चाहता था कि मीटिंगों में समीक्षा हुई, उसमें आपने कोई निर्णय लिये या सिर्फ जानकारी प्राप्त की ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जवाब दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 1984 की मीटिंगों से जो निर्णय लिये गये, उसकी तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। 1985 में मेरे सामने हुई मीटिंगों के आधार पर हमने जो कुछ डिफैक्टिव पॉइन्ट थे, मूल पॉइन्ट थे, जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनके सम्बन्ध में हमने निर्णय जरूर लिया।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, कौन कौनसे डिफैक्टिव पॉइन्ट है ? यह जो घाटा हुआ, और लगातार घाटा हो रहा है किस कारण से हुआ ? उन कारणों को समाप्त करने के लिए आपने कोई कदम उठाये, ठोस कदम ? किस आधार पर इस प्रकार के कन्क्लूजन पर अराइव किया गया है, किन किन कारणों से घाटा हुआ है, क्या कारण है ?

श्री मोहन प्रकाश : निगम के अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाय। जवाब आने दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक तो, मेरे ख्याल से, पॉलिसी डिसीजन से, या माननीय सदस्यों के सुझावों से या गवर्नमेंट के कुछ निर्णयों से निगम की एक्टिविटीज इतनी वाइडस्प्रेड कर दी गयी थीं कि बहुत ही पेपरफिन हो गयी थी। It is a policy matter. कुछ मैं मानता हूं कि इन यूनिट्स में मेंटिनेन्स और कन्सोलिडेशन जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। उस पर हमने अब की बार खास तौर से जोर दिया है, बनिस्पत इसके कि हम अपनी एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ायें इन्हीं यूनिट्स को इम्प्रूव करके और ज्यादा इकॉनॉमिकली कन्सोलिडेट करें। This is one of those.

श्री शोपत सिंह : इस से पहले क्यों नहीं की कार्यवाही ? आपने पांच साल के बाद आज यह सवाल उठाया है, इससे पहले क्यों नहीं सोचा गया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय मुझे मन्त्री महोदय से पूछना है, 1978 और 1979 दो साल में दो लाख किन्ने का घाटा हुआ। 1980-81 में जब आप सरकार में आये, आते ही 26 लाख का घाटा किया, 24 लाख का एक साथ हुआ। क्या यह सही है कि अनवान्टेड कार्यक्रम राग-रंग, संगीत, इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गये जिनका पर्यटन से कोई सम्बन्ध नहीं था ? बड़े-बड़े अफसर और मन्त्रियों का मन बहलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम रखे। वह कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं। इस कारण करोड़ों रुपयों का निगम को घाटा हुआ। आप जब से मन्त्री बने हैं तब से यह कार्यक्रम चल रहे हैं।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह घटा-बाटा किसलिए हुआ यह मैं नहीं जानता। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपके घाटे में खास तौर से कौन-कौन से कम्पोनेन्ट रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डिचर, मैनेजमेंण्ट एक्सपेण्डिचर या जो भी काम कराये, उनमें किसी प्रकार की प्रोफिटेबिलिटी नहीं थी? जो भी इनपुट्स कार्य करने में जाते थे उनका कम से कम ब्योरा दें ताकि हम भी समझ पायें, अध्यक्ष महोदय, इस घाटे का कारण क्या था। दो लाख से पांच-सात वर्ष में 48 लाख तक घाटा पहुंच जाय और सरकार रिव्यू नहीं करे इस बारे में कि घाटे का क्या कारण था, और घाटा रोकने के कोई कदम नहीं उठाये! 1984 और 1985 में जैसा मंत्री महोदय ने बताया मीटिंगें हुईं, रिव्यू किया गया। तो कम्पोनेण्ट बतायें कि घाटे के कौन-कौन से कारण थे जिनके कारण से घाटा बढ़ता गया और सरकार ने कब डिटैक्ट किया?

श्री अध्यक्ष : दोनों-तीनों बताये हैं। माननीय सदस्य, कम्पोनेण्ट भी बताये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, निगम निरन्तर घाटे में जा रहा है और एक सफेद हाथी मिस्टर काक को चेयरमैन बना रखा है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : चेयरमैन के ऐसे कार्य क्या हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : घाटे में जो स्थिति है उसे सही स्थिति में ला सकें। **एक सफेद हाथी** को लाकर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पृथक से प्रश्न है।

श्री देवीसिंह भाटी : हार्ट पेशेन्ट काक को लाकर बैठा दिया। इसका सही कारण यही है कि वह ऐशो-आराम करता है। निरन्तर निगम घाटे में जाता जा रहा है। भविष्य में भी जायेगा। इसलिए हमारा यह निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के अन्दर सरकार ऐसे जो निगम चलाती है इनमें से ऐसे जो सफेद हाथियों काक जैसे हार्ट पेशेन्ट आराम में विश्वास रखने वाले को तुरन्त हटाया जाय जिस से निगम को कुछ लाभ हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो रिव्यू किया उसमें क्या आपने यह महसूस किया कि पिछले वर्षों में ओवरस्टाफिंग के कारण घाटा निरन्तर बढ़ता रहा?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पूछा है। पूछ लिया, माननीय सदस्य। श्री मोहन प्रकाश

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : गत पांच वर्षों से निगम का अध्यक्ष कौन रहा है।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से

(श्री मोहन प्रकाश)

एक ही सवाल है। पांच वर्षों में यह घाटा निरन्तर बढ़ने की जिम्मेदारी निगम के अध्यक्ष पर है उनको सरकार बदलने का विचार रखती है कि नहीं? और उनका पदस्थापन....

श्री अध्यक्ष : इससे संबंधित सवाल पूछें।

श्री मोहन प्रकाश : संबंधित ही है जो जिम्मेदार हैं....

श्री अध्यक्ष : निगम होगा तो उसका अध्यक्ष भी होगा। माननीय सदस्य कृपया बैठ जाय।

श्री मोहन प्रकाश : घाटे को हटाने का विचार रखती है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। कृपया, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : वह अध्यक्ष कौन महानुभाव हैं? हमको बतायें तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है कि जनता पार्टी ने अपने शासन में किसी आदमी को खुश करने के लिए उनको अध्यक्ष नियुक्त किया। This is a very serious allegation.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : No, No. Don't put words in my mouth.

श्री शोपत सिंह : आपने कहा यह।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I told or Mr. Ghanshyam Tiwari?

श्री शोपत सिंह : जनता पार्टी के शासन में अध्यक्ष कौन था और अब कौन है?

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि निगम के घाटे का एक कारण यह भी है कि निगम से एक भी नक्शा और बुक लेट हिन्दी में नहीं निकलती है, निगम में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर कम करते चले जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दी का ही अपमान नहीं बल्कि हमारे लिए भी अपमान की बात है। मुझे आप निगम से एक भी बुकलेट हिन्दी में दिला दें। आपकी नीति है कि हिन्दी में काम करो तो आप क्यों नहीं करते?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि निगम का अध्यक्ष बराये नाम है और बोर्ड की अध्यक्षता के सिवाय उसके जिम्मे कोई काम नहीं है? क्या पर्यटन निगम के अध्यक्ष का काम केवल बोर्ड की अध्यक्षता करना मात्र है या उसको कार्यकारी अधिकार दिये गये हैं? क्या यह सही है कि पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एम डी. की है जो सर्वोच्च फैसला लेता है? बोर्ड जो निर्णय लेता है उसकी एम. डी. समय के अनुसार पाबन्दी से क्रियान्विति करता है या नहीं?

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि बोर्ड की गत वर्ष मीटिंग हुई थी तो क्या किसी मीटिंग में यह तय किया गया कि तदनुसार आपके क्षेत्र के जोधपुर डिवीजन में वर मिड-वे है उसका ठेका दिया गया है? एक तो पहले से ही ठेके का काम है, क्या उस पर भी ठेका दिया गया?

श्री सी पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि हमने निगम के कार्य की समय-समय पर समीक्षा की। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी

(श्री सी. पी. जोशी)

क्या फिल्म की ओर उस पर गवर्नमेंट ने क्या गारन्टी दी ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा जायगा कि पर्यटन निगम में घाटा हो जब कि राजस्थान में पर्यटन विकास की सारी परिस्थितियां मौजूद है-आर्कियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री, सब कुछ मौजूद होते हुए भी इसे इण्डस्ट्रीज न बनावें और आज घाटा 50 लाख पहुंच जाय, यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी मैम्बरशिप का क्या क्राइटेरिया है ? उन लोगों ने क्या बिजनेस दिलवाया और टूरिजम प्रमोशन में क्या सहायता की उनका बैक ग्राउण्ड टूरिज्म का था या नहीं ?

दूसरा, माननीय सदस्य ने एक बड़ा रिलेवेन्ट प्रश्न पूछा, क्या आप बता पाएंगे कि पिछले सालों में बोर्ड के चेयरमैन और एम. डी. पर कितना-कितना खर्च हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। सवाल तो नुकसान का है। यह तो वे बता नहीं पायेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि बोर्ड में जिनको कंपलीमेंट्री गेस्ट बना कर कार्पोरेशन ठहराती है उनको कपलीमेंट्री गेस्ट बनाने का आधार क्या है, क्या वे बिजनेस मैन हैं या अधिकारी हैं या बोर्ड के चेयरमैन की मर्जी से या गवर्नमेंट की मरजी से केवल ऐशो-आराम के लिए उन्हें ठहराया जाता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने तो पूछ लिया, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : पैलेस ऑन व्हील्स से 8 लाख का निगम को घाटा हुआ। वह आज कौन से कारखाने में ठीक हो रही है और कब तक आपके बैठने के लिए ठीक हो जाएगी ?

श्री सम्पत सिंह : मैं यह कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो पर्यटन निगम घाटे में चल रहा है बीयर बेच करके और दूसरी ओर प्रांत में पीने को पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री सम्पत सिंह : ठंडी बीयर बेचने की जरूरत कैसे हुई निगम को।

दूसरा सवाल यह है कि निगम में जो पर्यटक आते हैं उनमें देशी और विदेशी में फर्क कैसे किया जाता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने घाटे का आंकड़ा तो बता दिया। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे निगम की एक्टिविटी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कितना बेनिफिट होता है क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने असेसमेंट किया है ?

श्री अध्यक्ष : निगम का घाटा अलग बात है और स्टेट को क्या लाभ हुआ, यह अलग पाइन्ट है।

श्री यदुनाथ सिंह : फारिन एक्सचेंज का जितना भी पेमेंट होता है क्या फारिन एक्सचेंज इक्वल टू····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय को सुनने की कृपा करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी बिंदु उठाए हैं उनमें कुछ कॉमन हैं। चैयरमैन और बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स के बारे में बात हुई। तो नार्मली जो मापदण्ड है मैंबर्स चुनने का, वह है, उनको टूरिज्म की नालेज हो, होटल्स से थोड़ी फेमिलियरिटी हो, उसकी नोलेज हो। कुछ ऐसे ग्राफिशियल भी लिये जाते हैं जो कि निगम से सम्बन्ध रखते है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम्बन्ध रखते हैं। यह तो मापदण्ड हैं डायरेक्टर्स को चुनने के और उनसे परमिशन लेकर उनको नियुक्त करते हैं।

माननीय विद्याजी ने, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा था बर मिड वे का। मेरे खुद के भी ध्यान में करीब दो महीने पहले यह पाइन्ट आया था। निगम के डायरेक्टोरेट के थ्रु पालिसी डिसीजन वाइज हमने कोशिश की है कि ऐसे एक्शन नहीं लिए जायं। मैं भी मानता हूं कि जो फेसिलिटी हम प्रोवाइड करते है वह ठेके पर दी जाय तो पता नहीं ठेकेदार कैसा होगा। उन्होंने कुछ और यूनिट्स के लिए भी ऐसे डिसीजन लिए थे, वह मेरे ख्याल से कैंसिल हो गये लेकिन बर का 1–2 साल के लिए दिया गया था। इस अवधि के बाद वह भी कैंसिल हो जाएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह पहले भी निर्णय ले सकते थे। यह आपको दो महीने पहले नहीं, 15 दिन पहले ही मालूम पड़ा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय विपक्ष के नेता महोदय तो उस पाइन्ट पर मिसअण्डरस्टेण्ड कर गये। हमारी इन्फार्मेशन यह है कि पिछले 3–4 साल में टूरिज्म इनफ्लो होने के बाद 20% इनफ्लो बढ़ा है और उससे फारिन एक्सचेंज का फायदा हुआ है। इसका एग्जेक्ट ब्यौरा रखना तो डिफिकल्ट है क्योंकि टूरिस्ट तो पूरे सबकांटीनेंट में आते हैं। उनमें से कितने राजस्थान में आते हैं इसकी एग्जेक्ट कांउटेबिलिटी रख नहीं सकते। एन्ट्री पाइन्टस पर ही फारिन एक्सचेंज कन्वर्ट की जाती है तो नेशन को तो फायदा होता ही है। लेकिन इनकम हुई है फारिन एक्सचेंज की। मोस्ट ग्रॉफ दी कंपोनेंट्स फारिन एक्सचेंज से ही खरीदे गये थे except complimentoreis and domestic tourists.

श्री यदुनाथ सिंह : काम्प्लीमेंटरी का का क्या सवाल है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक उत्तर दें दूं।

पैलेस ग्रान व्हील्स से करीब लास्ट ईयर 30 लाख के ग्रास पास इनकम हुई थी और उसके पहले 28.30 लाख की इनकम हुई थी।

श्रीमती विद्या पाठक : रेलवे का डिस्प्यूट कितने लाख करोड़ का है, यह बतायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इनफार्मेशन है मेरे पास, मैं दे दूंगा।

शाही रेलगाड़ी में 8लाख के जो लासेज हुए हैं पिछले साल उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हुआ है। देवीसिंह जी ने पूछा कि उसकी रिपेयर कहां हो रही है ? हर साल एक ही जगह है, अजमेर, जहां ये

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कोचेज ओवर हॉल के लिये जाते हैं। चूंकि यह फैसिलिटी है और ओवर हाल प्रति वर्ष कराना आवश्यक है, रेलवे के स्टैंडर्ड से।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा कि कितने गेस्ट कांप्लीमेंटरी थे। तो मुझे पहले साल का तो याद है क्योंकि हमने शुरू किया था जनवरी के महीने में, 1981-82 में, उस साल थोडी कांप्लीमेंटरीज टूरिस्ट प्रमोशन के लिये ज्यादा थी, लेकिन रफली कांप्लीमेंटरी अगले सालों में 20 से 30% रही है। मैंने जब जांच की है तो पाया कि उनमें फाफी राइटर्स हैं, फारिन राइटर्स हैं उनको काम्प्लीमेंटरी माना गया है, और जो बाकी हैं उनकी सूचना मैं बाद में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मोहन छंगाणी : मैं यह पूछना चाहूंगा कि फारिन एक्सचेंज आर.टी.डी.सी. ने कितना कमाया? जो यात्री पैकेज टूर पर आते हैं उनमें से कितने यहां ठहरते हैं? ठहरते भी हैं या नहीं, यह बताने का कष्ट करेंगे? आप रेलगाड़ी को छोड़ दीजिये। इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं फारिन एक्सचेंज की गरज से, उसमें कितने आपके यहां टूरिस्ट हैं, कितना आपने अर्न किया इतने साल में?

श्री अध्यक्ष : आपका लिट्रेचर हिन्दी अंग्रेजी दोनों में है जबा दे रहे हैं?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दोनों में छपता है। आप खुद भी शायद जानते हैं कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनका लिट्रेचर ज्यादातर रीजनल लैंग्वेजेज में या हिन्दी में होता है। उसको दोनों एप्रिशियेट करते हैं।

श्री हरीश शर्मा : एक भी नक्शा हिन्दी में नहीं है, कहीं भी मिल जाय....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। शिक्षा मंत्रीजी।

चतुर्थ कक्षा तक विद्यार्थियों का मूल्यांकन

125. **श्री नारायणराम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) क्या शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि चतुर्थ कक्षा तक किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जावे?

(2) क्या उक्त आदेश से शिक्षा के स्तर में गिरावट आयेगी? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश को वापस लेने की सरकार इच्छा रखती है?

शिक्षा मंत्री (रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां।

(2) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे और माननीय सदस्यों से मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने लिखा है और भेजा है, जी नहीं। इसकी बजाय इसमें मैं यह निवेदन कर रहा हूं?

इस पर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर पुनर्विचार किया जायगा।

श्री नारायणराम बेड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जब से चतुर्थ कक्षा तक अनुत्तीर्ण न करने का नियम बना तब से बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम में गिरावट आयी है ?

श्री मोहन प्रकाश : जब कक्षा चार तक फैल करना ही नहीं है तो कक्षा पांच में ही दाखिला क्यों नहीं किया जाय ?

श्री लालचन्द डूडी : कक्षा चार तक पास करने के बारे में एक शंका पैदा होती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि इस पर पुनर्विचार किया जायगा। यह भी है।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : आपको मैं षड्-यन्त्र बता रहा हूं। इसके पीछे षडयन्त्र था कि गांवों के बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा न मिल सके....

श्री अध्यक्ष : यह तो शहरों की भी बात है....

श्री लालचन्द डूडी : शहर और गांवों में जो हो रहा है उसमें और इसमें बहुत फर्क है। इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को खतम करवायें। यह जो इनकी शिक्षा नीति है उसको बदलें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि विभाग ने निर्णय लिया था इसके पीछे आधार क्या था ? मन्त्री महोदय ने कहा कि समीक्षा करेंगे। मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि समीक्षा की स्टेज कैसे आयी ? क्या विभाग ने इससे सम्बन्धित कोई सूचना इनको दी है जिसके आधार पर ये समीक्षा करेंगे ?

श्री नारायणराम बेड़ा : प्राइवेट स्कूलों में मांटेसरी की पद्धति चलती है और सरकारी स्कूलों में रजिस्टर में नाम दर्ज होने से ही पास मान कर आगे बढ़ाया जाता है तो क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र प्रतियोगिता में आ सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरू लाल भारद्वाज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : आप 39 छात्रों पर एक अध्यापक और 40 छात्रों पर दो रखते थे। बाद में सरकार ने 49 छात्रों पर एक और 50 छात्रों पर दो की पद्धति अपनायी। इसके बावजूद 12 हजार अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में कम हैं। कमी के कारण परीक्षा लेना सम्भव नहीं है। जब पढ़ाने का ही सवाल नहीं है तो परीक्षा का सवाल कहां से आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं।

एक क्वेश्चन जो सामने आया है वह यह है कि इस व्यवस्था के पीछे कोई षड्यंत्र था। आपकी सूचनार्थ और सदन की सूचनार्थ निवेदन कर रहा हूं कि यह आदेश दिनांक 16-10-78 और 9-8-79 को प्रसारित हुए हैं। उसके पीछे क्या

(श्री रामपाल उपाध्याय)

षड्यंत्र हो सकता है, मैं समझता हूं यह आत्मलोचन की बात है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।

श्री लालचन्द डूडी : उस वक्त भी मैंने इसे षड्यंत्र ही कहा था।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड की परीक्षा में गिरावट आयी है यह....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन यह लागू 1982 में हुआ है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(12.00 मध्याह्न)

माननीय सदस्य कृपया बैठ जाय।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये मेरे पास यह आदेश की प्रतियां तैयार है, वह चाहें तो इनको देख लें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपने आपको करेक्ट कर लिया है....

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह कर रहा था, बोर्ड की परीक्षा के परिणाम में गिरावट आई है। मैंने इसी बात के लिये मेरे प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में संशोधन कर क्षमा मांगते हुये यह निवेदन किया है कि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, जो प्रयोग किया है, उस पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये। यह जो प्रयोग किया गया है इसको मैं कोई बुरा नहीं बताता, लेकिन जो प्रयोग किया है उसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

श्री सी पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय, से यह जानना चाहता हूं कि पुनर्मूल्यांकन का आधार क्या है, कोई साइन्टिफिक आधार है या आपके पास कोई स्टेटिस्टिकल सूचना है जिसके आधार पर यह पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : स्टैण्डर्ड गिर रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : हां, स्टैण्डर्ड गिर रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, । कोई स्टेटिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर आप पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन का आधार क्या है। जब से यह लागू किया गया है 1982-85 तक सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की परीक्षा, के रिजल्ट में गिरावट आई है, स्टैण्डर्ड गिरा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाय।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का मैं उत्तर दे ही नहीं पाया कि उन्होंने प्रत्युत्तर कर दिया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि जब इस व्यवस्था को चालू किया गया उस समय यह एक बात रही होगी, जो तात्कक अवरोध होता है उसके मस्तिष्क में, मन में किसी प्रकार का भय परीक्षा का व्याप्त न हो इस दृष्टिकोण से कोई मूल्य तैयार किये गये थे । अब हो सकता है उन मूल्यों के आधार पर स्तर में गिरावट आई हो अथवा उन मूल्यों के आधार पर कोई अच्छाई आई हो । इसलिये मैंने निवेदन किया है कि पुनर्मूल्यांकन की बात है । यह जो आपने प्रश्न किया कि किन आधारों पर कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसे कि माननीय सदस्यों ने अब प्रश्न पूछे है और स्वयं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के किस प्रकार से रिजल्ट्स रहे, 8 वीं कक्षा के रिजल्ट्स कैसे रहे, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से रहा। इन सारी बातों को देख कर....

श्री सी.पी. जोशी : आप इस नतीजे पर नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । कृपया बैठ जाय ।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : आप मुझे कभी बोलने ही नहीं देते....

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं । आप बैठ जाय । नियमों का ध्यान रखें ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज विज्ञान का युग है ।

(व्यवधान)

पहले आप मेरी बात सुन लें । It is not an objective answer कि आपने जो आधार बताये उनके आधार पर पुनर्मूल्यांकन करेंगे । 1978-79 में यह व्यवस्था चालू की गई, आज 1985 चल रहा है, 7 साल हो गये इस प्रयोग को किये हुये, आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स तैयार है ? स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं....

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा है, मन्त्री महोदय उसका जवाब दे रहे हैं ।

श्री सी. पी. जोशी : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे....

श्री हरीशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 10 वीं, 11 वीं के परीक्षा परिणाम पूछ रहे हैं, प्रश्न ही गलत है ।

श्री सी. पी. जोशी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं मंत्री महोदय के मुंह से जवाब नहीं दे सकता । जैसा वह चाहेंगे वैसा जवाब दे सकते हैं ।

श्री सी. पी. जोशी : क्या मन्त्री महोदय के पास आज दिन तक कोई ऐसी वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध है जिसके आधार पर पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है दुबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

कोई सप्लीमेन्टरी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज। मन्त्रीजी को कुछ और कहना है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा देंगे तो....

श्री अध्यक्ष : मेरी आज्ञा का सवाल नहीं है। प्रश्न का जवाब देना शेष रह गया हो तो वह कह दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरे तो दिमाग में जो बात थी वह मैंने कह दी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्नों का हाउस में एवरेज रोजाना कभी दो प्रश्न, कभी पांच प्रश्न है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे अफसोस इस बात का है कि आप सहयोग नहीं करते हैं। माननीय सदस्य सहयोग करें तो प्रश्न काल के समय में काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पार्वती आधुनिकीकरण योजना

123. **श्री शिव नारायण** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में हीकड और मजरावतादह पर पार्वती नदी मे पानी लिफ्ट करके पार्वती नहर द्वारा सिंचाई करने का प्रावधान पार्वती आधुनिकीकरण योजना में सम्मिलित है ? यदि हां, तो यह लिफ्ट योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(2) क्या पार्वती नदी पर गूगोर (छबडा) के पास पार्वती नहर पर पानी की कमी को दूर करने के लिये कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो यह योजना कब तक बनादी जावेगी, तथा कब तक लागू कर चालू करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। आधुनिकीकरण योजना के तखमीने की जांच की जा रही है। स्वीकृति होने और समुचित धनराशि उपलब्ध होने पर यह लिफ्ट योजना पूरी की जा सकेगी।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिविल सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति

142. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1) सिंचाई विभाग में सिविल सहायक अभियताओं के लिए अक्टूबर, 1982 में कितने आशार्थियों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग से हुआ था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उस सूची में से राज्य सरकार द्वारा कितने सहायक अभियंताओं को नियुक्ति दे दी गई है ? कृपया नाम एवं नियुक्ति तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चयनित शेष सहायक अभियन्ताओं को नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं एवं उनको नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (सि.) के सीधी भर्ती हेतु अक्टूबर, 1982 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 49 अभ्यार्थियों का चयन किया गया था सूची "अ" सदन के पलट पर रख दी गई है।

(2) आयोग द्वारा चयनित 49 अभ्यार्थियों की सूची में से 29 अभ्यार्थियों को सहायक अभियन्ताओं के पद पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए जा चुके है। सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) शेष अभ्यार्थियों के लिए पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण नियुक्ति देना संभव नहीं हुआ है। पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति दी जा सकेगी

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

बूंदी के बड़पू व डोरा बांध

143. **श्री हरिमोहन शर्मा** (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बूंदी में स्थित बड़पू बांध एवं डोरा बांध का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ?

(2) क्या उक्त बांधों के सर्वेक्षण के पश्चात् पूरे एस्टीमेट तैयार कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूरे एस्टीमेट बनकर तैयार होंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र बूंदी में में स्थित बड़पू बांध व डोरा बांध का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) दोनों ही बांधो के एस्टीमेट अभी तैयार नहीं हुये हैं एस्टीमेट बनाने का कार्य लगभग 3 मास में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

चौमू में निर्माणाधीन सड़कें

144. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील चौमू जिला जयपुर में कुल निर्माणाधीन सड़कें कौन कौन सी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुरिया मोड से हस्तेडा मोड, खेजड़ोली सड़क से नांगल कोजू सड़क, सामोद से चीथवाड़ी मोड वाया बांय बानरडा से भिनोई तक काल्वाडेरा से धोबलाई महा-मीण्डा से किशनमानपुरा सड़कों पर अब तक कुल कितना किस किस वर्ष में व्यय हुआ है ? इन सड़कों के शेष निर्माण कार्यों पर प्रत्येक पर कितना कितना व्यय होने की सम्भावना है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

(3) कालाडेरा मे गोविन्दगढ़ खेजडोली सडक व निवाल धानोता, अफतपुरा, जैतपुरा, गोविन्दगढ़ से खेजडोली वाया सीगोद सड़क के मरम्मत व डामर पर कुल कितना व्यय हो चुका है? शेष कार्य पर प्रत्येक पर कितना कितना व्यय होने की सम्भावना है? कृपया सड़क वार ब्यौरा सदन पटल पर रखें।

(4) गोविन्दगढ़ से धोबलाई सड़क 2 क़िलोमीटर कब व किस मद से तहत बनाई गई है, तथा धोबलाई तक सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होने की उम्मीद है?

उत्तर

(1) चौमू तहसील जिला जयपुर में निर्माणाधीन सड़कों की सूची "क" संलग्न है।

(2) इन सड़कों पर वर्ष वार किया गया व्यय व शेष कार्य हेतु अनुमानित व्यय परिशिष्ट "ख" जो संलग्न है में दर्शाया गया है।

(3) प्रश्न में उल्लेखित सड़कों की मरम्मत व डामर आदि पर व्यय की गई राशि का उल्लेख सलग्न सूची "ग" में प्रत्येक सड़क के सामने कॉलम 3 में अंकित है मरम्मत व डामर आदि के कार्य कराने हेतु वांछित अनुमानित राशि संलग्न सूची "ग" के कॉलम 4 में दर्शाई गई है।

(4) सड़क का वास्तविक नाम गोविन्दगढ़ से धोबलाई है जिसका निर्माण गत राहत कार्यों के अन्तर्गत कराया गया था। योजना में राशि स्वीकृत होने पर यह पूर्ण कराया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका रावतसर क्षेत्र में रोड लाईटें

145. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों की ओर अभियान में नगरपालिका रावतसर द्वारा रोड लाईट के लिए विद्युत मंडल के कनिष्ठ अभियन्ता को करीबन 27 हजार रुपये के तार दिये थे?

(2) यदि हां, तो रावतसर कस्बे के किस-किस वार्ड में कितना-कितना तार लगाया गया तथा नगरपालिका रावतसर के खर्चे से कितना तार विद्युत मडण्ल द्वारा क्रय करके दिये गये?

उत्तर

(1) रावतसर नगरपालिका द्वारा रोड लाईट के कार्य हेतु दिनांक 1-1-80 को रु. 19.240/–एवं दिनांक 24-12-81 को रुपये 7.250/–(कुल 26.490 रुपये) जमा कराये गये।

(2) रावतसर कस्बे में उक्त राशि के सापेक्ष वार्ड वार रोड लाईट हेतु कार्य किया गया जिसका विवरण निम्न है जिनमें कुल खर्च रुपये 27.658.13 पैसे हुआ है:–

वार्ड संख्या	कार्य का विवरण
वार्ड नम्बर 1	13 पोल पर तार खींचा गया

(श्री ऊर्जा मंत्री)

2	31 पोल पर तार खींचा गया
3	24 पोल पर तार खींचा गया एवम् लगाया गया
5	6 पोल पर तार खींचा गया
7	11 पोल पर तार खींचा गया
8	12 पोल पर तार खींचा गया
10	10 पोल पर तार खींचा गया

अजमेर के तालाबों की मरम्मत

146. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर जिले की अजमेर तहसील में सिंचाई विभाग के कितने तालाब हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त तालाबों में से ऐसे कितने हैं जो पूर्व वर्षों में बाढ़ या अतिवृष्टि से टूट गये हैं परन्तु अभी तक उनकी मरम्मत नहीं की गई ?

(3) राज्य सरकार कब तक इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की अजमेर तहसील में सिंचाई विभाग के 63 तालाब हैं।

(सूची संलग्न है)

(2) बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण अजमेर तहसील का कोई बान्ध पिछले 5 वर्षों में नहीं टूटा।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्राम पंचायत, भरपालसर के अकाल राहत कार्यों की मजदूरी

147. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.-

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भरपालसर में सन् 1979-80 में 50 अकाल राहत कार्यों में मजदूरों की मजदूरी करीब एक-एक लाख रुपया अभी तक बकाया है ?

(2) यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा एवं इतने लम्बे समय तक भुगतान नहीं करने के लिये कौन कौन अधिकारी दोषी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1). जी नहीं। सम्वत् 2036 की अभावस्थिति में ग्राम पंचायत भरपालसर के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पांच कार्य प्रारम्भ हुए थे। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर जारी स्वीकृति के अनुसार पांचों कार्यों पर 205099.51 रु. का भुगतान किया जाना था जिसके पेटे सरपंच को 179083.40 रु. का भुगतान किया जा चुका था एवं 26016.11 रु. पूर्व सरपच द्वारा स्वीकार नही करने के कारण भुगतान नहीं हो सका।

(2) पूर्व सरपंच द्वारा दो कार्यों पर अन्तिम स्वीकृति से अधिक राशि प्राप्त क

(श्री राहत मंत्री)

ली थी जिसकी कटौती अन्य कार्यों की देय राशि में से किये जाने पर बकाया राशि 26016.11 रु. पूर्व सरपंच द्वारा स्वीकार नहीं की जाने से भुगतान बकाया रहा। अब बकाया राशि के भुगतान के संबध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

छीपा बड़ोद में तालाबों का निर्माण

148. **श्री प्रताह सिंह** (छबड़ा) :

श्री प्रभुलाल (नैनवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील छीपा बड़ोद में सिंचाई विभाग द्वारा कितने सिंचाई तालाबों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ?

(2) क्या यह पूर्ण हो चुके हैं ? यदि अधूरे हैं तो उनको कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) तहसील छीपाबड़ोद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दो तालाबों फालिया एवं उतावली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं। पूरा करने का समय अभी बताना संभव नहीं है।

खारची क्षेत्र में निर्माण कार्य

149. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में खारची क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सन् 1980 से 15 जून, 1985 तक कौन कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुये ? कौन-कौन से वर्ष में किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गयी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूरे हो गये व कौन-कौन से अधूरे हैं और वे कब तक पूरे हो जायेंगे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से पुलिया व रपट के कार्य सम्मिलित हैं और उनमें कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कौन-कौन से कार्य अभी अधूरे हैं ? कृपया अधूरे कार्यों पर खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से लेकर 15 जून, 1985 तक के दौरान खारची क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये कार्यों की सूची उनकी स्वीकृत राशि तथा वर्षवार व्यय की राशि सहित परिशिष्ट "अ" में दर्शाई है जो संलग्न है।

(2) कार्य जो पूर्ण कर दिये हैं या अपूर्ण हैं उसकी जानकारी प्रत्येक कार्य के सामने परिशिष्ट "अ" में ही दर्शाई गई है। योजना राशि स्वीकृत होने पर कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में सड़कों के साथ सामान्यतः रपटों व पुलों की स्वीकृत सम्मिलित नहीं है किन्तु जिनके

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

साथ पुलिया व रपटों की स्वीकृति है उनकी सूची उसकी पूर्ण या अपूर्ण होने की स्थिती सहित परिशिष्ट "ब" जो सलग्न है में दर्शाई गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सवाई माधोपुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण

150. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई-माधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई माधोपुर में 1980 से अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

(2) अब तक उक्त जिले के गांवों में कुल कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं? कृपया गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में 1980 से माह मार्च, 85 तक 251 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) उक्त विद्युतीकृत ग्रामों में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल राहत कार्यों में मजदूरी दर

151. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अकाल राहत कार्यों पर कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम एव अधिकतम कितनी मजदूरी दी जाती है? इस हेतु सरकार के क्या माप दण्ड हैं?

(2) क्या ऐसी शिकायतें भी राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं कि मजदूरों को न्यूनतम से भी कम राशि दी जाती है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राहत कार्यों पर श्रम विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या एफ 5(9) श्रम/84 दिनांक 31-1-85 से टास्क निर्धारित की गई है। टास्क के अनुसार कार्य करने पर श्रमिक को एक दिन मे 11/-रु. देय है। अगर वह कार्य कम करता है तो उसी अनुपात से मजदूरी भी कम मिलेगी।

(2) कम मजदूरी देने की कोई शिकायत विभाग में अभी प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान मध्य प्रदेश में पानी और बिजली का बंटवारा

152. **श्री हरिश चन्द्र** (नावां)
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य पानी और बिजली के उचित बट-बारे पर निगाह रखने हेतु किसी समिति का गठन हुआ है ? यदि हां, तो उसमें राजस्थान के तथा मध्य प्रदेश के कौन कौन सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी और बिजली मिले इसके लिए समिति ने अब तक कोई प्रयास किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य पानी और बिजली के उचित बंट-वारे पर निगाह रखने हेतु स्थायी समिति क्रमांक 2 का गठन हुआ है। उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो सदस्य हैं उनकी सूची निम्नानुसार है :—

1. सचिव, सिचाई राजस्थान
2. सचिव, सिचाई मध्य प्रदेश
3. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल कोटा (राजस्थान)
4. आयुक्त चम्बल-खंड, ग्वालियर मध्य प्रदेश
5. मुख्य अभियंता, सिचाई राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सिचाई मध्यप्रदेश
7. मुख्य अभियंता, ओ एण्ड एम विद्युत मंडल, राजस्थान
8. एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ओ एण्ड एम) जनरेशन विद्युत मण्डल, मध्यप्रदेश
9. तकनीकी सदस्य विद्युत मण्डल राजस्थान
10. तकनीकी सदस्य, जनरेशन विद्युत मण्डल मध्य प्रदेश
11. सचिव, मध्यप्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय सिं. एवं विनियंत्रण मंडल, कोटा

(2) जी, हां राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी और बिजली मिले, इसके लिए आवश्यकतानुसार समय समय पर समिति की बैठकों में यथोचित निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

राजस्थान को गत खरीफ व रबी की फसल हेतु कुल 1.3506 मिलियन एकड़ फुट पानी मिला जबकि उक्त अवधि में मध्य-प्रदेश द्वारा 1.2554 मिलियन एकड़ फुट पानी लिया गया।

चम्बल व सतपुरा से विद्युत का राजस्थान का हिस्सा जनवरी, 84 से दिसम्बर, 84 तक 1161.15 मिलियन यूनिटस थी, उसके स्थान पर राजस्थान द्वारा चम्बल सतपुरा से 1346.46 मिलियन यूनिटस बिजली प्राप्त की गई है।

विद्युत मण्डल का लेखा जोखा

153. **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक प्रत्येक वर्ष मण्डल को बिजली के विक्रय

(श्री मोहन छंगाणी)

से सकल राजस्व कितना प्राप्त हुग्रा ग्रीर इन वर्षों में मण्डल का कुल व्यय प्रत्येक वर्ष कितना-कितना रहा ?

(2) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष मण्डल को प्रति कर्मचारी सकल राजस्व कितना प्राप्त हुग्रा ग्रीर प्रति कर्मचारी सकल व्यय कितना रहा ?

(3) उपरोक्त वर्षों मे प्रत्येक वर्ष प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या रही ग्रौर प्रति यूनिट विक्रय दर क्या रही ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 से 83-84 तक प्रत्येक वर्ष मण्डल बिजली के विक्रय से प्राप्त सकल राजस्व व इन वर्षों में मण्डल के कुल राजस्व व्यय के ग्रांकड़े निम्न प्रकार हैं :–

(रुपये लाखों मे)

वर्ष	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
(ग्र) विद्युत विक्रय से सकल राजस्व (सभी स्त्रोतों से)	9846	9349	11018	14403	19459
(ब) राजस्व व्यय	14378	14928	17311	20761	28475

(2) प्रति कर्मचारी मण्डल का इन वर्षों में सकल राजस्व व प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी पर ग्राने वाला संस्थापन व्यय निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
सकल राजस्व (रु)	21637	22559	204 7	26690	36141
सकल व्यय (प्रति कर्मचारी)	4142	5923	6999	6853	8995

(3) उपरोक्त वर्षों मे समस्त खर्चों सहित बिजली की प्रति यूनिट लागत व प्रति यूनिट ग्रौसत विक्रय दर निम्न प्रकार रही :—

	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
प्रति यूनिट लागत (पैसों में)	37.09	41.77	47 12	56 05	63.35
राज्य में विद्युत विक्रय की प्रति यूनिट ग्रौसत दर (पैं ों में)	26.03	25.95	31 13	40.92	44 66

सिगरोली से विद्युत उपलब्धि

154. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिगरोली विद्युत उत्पादन केन्द्र से उत्पादित विद्युत के अनुपात में राजस्थान के हिस्से के अनुसार किस किस वर्ष में कितनी कितनी बिजली कम प्राप्त हुई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) कितनी कितनी बिजली किस किस अवधि में कम प्राप्त हुई है ?

(3) इस कमी की क्या किसी रूप में पूर्ति की गई ? यदि हां, तो कब कब और किस किस रूप में ?

उत्तर

(1 व 2) सिगरौली विद्युत उत्पादन केन्द्र से माह फरवरी, 1982 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ है । माह अक्टूबर, 82 तक 132 के. वी. मथुरा-भरतपुर लाइन से सीमित मात्रा में विद्युत प्राप्त की जा सकी व तत्पश्चात अक्टूबर, 82 में 220 के. वी. आगरा-भरतपुर लाईन का कार्य पूर्ण होने पर उक्त लाईन से विद्युत प्राप्त की जाने लगी । वर्ष 1982-83 में कुल 1630.48 एल. यू बिजली प्राप्त की गई । वर्ष 1983-84 व 1984-85 में राजस्थान का हिस्सा व वास्तव में प्राप्त बिजली निम्न प्रकार रही ।

(3) भाग 1 व 2 में वर्णित स्थिति स स्पष्ट है कि वष 1983-84 में राजस्थान को सिगरोली से अपने हिस्से से बहुत अधिक बिजली प्राप्त हुई व 1984-85 में मामूली कमी रही एवम् उक्त अवधि में सिगरोली से बिजली कम प्राप्त होने पर चंम्बल में अच्छा जल स्तर होने के कारण अधिक ऊर्जा उत्पादित की गई एवं मध्यप्रदेश में जब जब अधिक विद्युत उत्पादित हुई तो वहां से भी कुछ अंश तक प्राप्त की गई ।
(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

पीसांगन-सेठन सड़क की ध्वस्त पुलिया

155. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पीसांगन से सेठन जाने वाली सड़क पर कोई पुलिया बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या वह पुलिया अतिवृष्टि के कारण कई वर्षों पूर्व टूट चुकी है ?

(2) क्या इस सड़क पर ग्रामीणों की बड़ी भारी तादात में आवागमन तथा वाहनों का चलना रहता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिया के टूट जाने के कारण आवागमन में बड़ी कठिनाई महसूस होती है और बरसात के

राजस्थान का हिस्सा

(लाख यूनिट में)

वर्ष	वास्तविक उत्पादन	10% लासेस के बाद	वास्तव में प्राप्त बिजली	अधिक या कम (+)/(—)
1983-84	2694.73	2425.26	3887.52	(+) 1462.26
1984-85	5769.17	5192 31	5014 69	(—) 177.62

वर्ष 1983-84 एव 1984-85 में प्रतिमाह बिजली में हिस्सा व उपलब्धि का विवरण संलग्न सूची 'अ" व "ब" में दर्शा दिया गया है ।

(श्री रमजान खां)

समय तो यह रास्ता इस टूटी हुई पुलिया के कारण बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है, जिससे ग्रामीणों का पचायत समिति मुख्यालय पीसांगन से बिल्कुल सम्पर्क टूटा हुआ रहता है ?

(4) क्या यह सही है कि इस टूटी हुई पुलिया का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी तथा उसका कुछ कार्य भी हुआ था और अगर स्वीकृति जारी की गई तो इस कार्य को पूर्ण क्यों नहीं करवाया और क्या अब सरकार जनहित की सुविधा को देखते हुए तत्काल इस टूटी हुई पुलिया का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। साधारण तथा मार्ग अवरुद्ध नहीं होता परन्तु असाधारण वर्षा या बाढ़ के समय रास्ता अवरुद्ध हो जाता है।

(4) जी हां। परन्तु धनाभाव के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस कार्य हेतु जिले के मास्टर प्लान में प्रावधान रखा गया है।

कुशल अपग कार्मिकों को पदोन्नति

156. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या मुख्य (कार्मिक विभाग) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या कुशल अपग कार्मिकों को पदोन्नति के समय रोस्टर पद्धति से पदोन्नति देने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। विकलांगों के लिये अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के पदों में सीधी भर्ती के लिये 3% आरक्षण का प्रावधान है। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भनोबर, खेडली के तेल डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

157. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या भनोबर ग्राम खेडली–अलवर के तेल के डीलरों के खिलाफ शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

भनोबर ग्राम के मिट्टी के तेल के डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई जा रही है। खेडली तेल के किसी डीलर के विरुद्ध तेल वितरण में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय निर्मित विदेशी शराब के ठेके

158. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत)
श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री माधवसिंह दीवान)

(1) भारतीय निर्मित विदेशी शराब के ठेके देने के क्या नोर्म्स बने हुये हैं ?

(2) पिछले तीन वर्षों में जिलेवार इनसे कितनी कितनी आय हुई तथा कितने अनधिकृत रूप से बेचने वालों के केसेज पकड़े गये ?

उत्तर

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दो श्रेणी में विभक्त हैं। प्रथम श्रेणी में वे दुकानें रखी जाती है, जहां की आबादी एक लाख या एक लाख से अधिक है। इन दुकानों को टेण्डर पद्धति से उठाई जाती हैं। जिन स्थानों की आबादी एक लाख से कम है उन स्थानों की दुकानों को नीलामी में उठाया जाता है। जिन दुकानों पर टेण्डर प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें नीलामी की दुकानों के साथ नीलाम में उठाई जाती हैं। यदि किन्हीं दुकानों पर अलग अलग बोली प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें ग्रुप में उठाने का प्रयास किया जाकर जिसका ऑफर अधिक बनता है, उसे स्वीकार किया जाता है।

(2) पिछले तीन वर्षों में जिलेवार भारत निर्मित विदेशी मदिरा से हुई आय का मानचित्र संलग्न हैं। तथा अनधिकृत रूप से वेचने वालों के विरुद्ध 85 केसेज पकड़ गये हैं। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

राजकीय छात्रावास, बाड़मेर भवन का निर्माण

159. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय छात्रावास, बाड़मेर के भवन निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार ने धनराशि स्वीकृत की है ?

(2) यदि हां, तो क्या भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

इटावा व इन्द्रगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय

160. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या भवन की उपलब्धता, क्षेत्र की आवश्यकता आदि को देखते हुए इटावा उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान तथा इन्द्रगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय खोलने की मांग वहां की जनता समय समय पर करती रही हैं ? यदि हां तो क्या सरकार जनहित में इन विद्यालयों में जीव विज्ञान व कृषि विषय खोलने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु वर्ष 1985–86 में विषय खोलने के लिये बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतः उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा में जीव विज्ञान एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ में कृषि विषय खोलने में असमर्थता है।

सैकण्ड्री शिक्षा प्राप्त छात्रों का कालेजों में प्रवेश

161. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गत पांच वर्षों में सैकेण्ड्री शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या कितनी थी तथा कालेजों में दाखला लेने का छात्र व छात्राओं का प्रतिशत क्या था ?

उत्तर

गत पांच वर्षों में सैकण्डरी उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या तथा कालेज में प्रवेश लेने वाले छात्र व छात्राओं का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

(अ)

सैकण्डरी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की संख्या

वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1979-80	61253	15564	76817
1980-81	65545	16231	81776
1981-82	87614	18663	107277
1982-83	73232	20559	93791
1983-84	71062	19032	90094
योग	358706	90049	448755

(ब)

कालेज में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का परस्पर प्रतिशत

वर्ष	छात्र	छात्रा
1979-80	80.94	19.06
1980-81	80.59	19.61
1981-82	81.38	18.62
1982-83	82 58	17.42
1983-84	81.97	18:83

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियान

162. **श्री दाऊदयाल जोशी**(दीगोद)
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में गत 2 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किस तारीख से किस तारीख तक उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सही दाम और सही नाप तोल पर दिलाने हेतु जिला प्रशासन ने अभियान चलाया ?

(2) क्या इस हेतु उड़न दस्तों का गठन किया गया था ? यदि हां, तो कितने दस्ते बनाए गए थे और उनमें किन किन व्यक्तियों को लगा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस किस अपराध में कौन-कौन व्यक्ति कहां कहां पकड़ा गया व उसके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही हुई ?

(3) कितने मामलों को न्यायालय में दिया उन पर क्या क्या सजाए हुई व कितने निर्दोष साबित हुए ? वर्तमान में उन मुकद्-दमों में किस किस कोर्ट में कहां कहां क्या क्या कार्यवाही चल रही है व उन मुकद्दमों में कौन कौन वकील पैरवी कर रहे हैं।

उत्तर

(1) कोटा जिले में प्रशासन ने गत 2 वर्षों में कोई विशेष अभियान नहीं चलाया। परन्तु सामान्य रूप से प्रवर्तन स्टाफ द्वारा कार्यवाही निरन्तर की जाती है है।

(2) गत 2 वर्षों में उड़न दस्ते का कोई गठन नहीं किया गया अतः उड़न दस्ते द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध

(खाद्य एव रसद मंत्री)

में पकड़ने एवं कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न के भाग एक व दो में दिये उत्तर के आधार पर अभियान में बने केसेज की सूचना शून्य है। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा निरन्तर की जाने वाली कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कोटा जिले में गत दो वर्षों में व्यापारियों की चैकिंग के फलस्वरूप 1117 मामलें बनाये गये। 1004 मामलें निर्णित हुये। 113 पैण्डिग रहे इनमें से 4 केस स्पेशल कोर्ट जयपुर में हैं। राजकीय अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं। निर्णित मामलों में 704 की जमानत राशि जप्त की गई। 300 मामलों मे चेतावनी दी गई।

कोटा मे छात्राओं हेतु छात्रावास

163. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंजमण्डी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा में छात्राओं के लिए कितने छात्रावास हैं ?

(2) यदि एक भी नहीं है तो, क्या छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा में जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा में एक छात्रावास छात्राओं के लिये है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों पर बिक्रिकर की बकाया

164. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) प्रदेश के किन किन उद्योगों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पचास हजार से अधिक बिक्री कर की राशि किस किस अवधि से बकाया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में उक्त राशि को वसूल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 1-4-85 को जिन उद्योगों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पचास हजार से अधिक बिक्री कर की जिस अवधि से बकाया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पिछले तीन वर्षों में विभाग द्वारा समय समय पर विशेष वसूली अभियान चलाये गये हैं। अधिकतर बकाया मामलों में अनेकों न्यायालयों व विभागीय अधिका- द्वारा स्थगन दिए हुए हैं। न्यायालयों के स्थगनों का निपटारा शीघ्र करने हेतु समय समय पर राजकीय अभिभाषकों द्वारा न्यायालयों से शीघ्र निर्णय हेतु निवेदन किया जाता रहा है। शेष मामलों में त्वरित वसूली हेतु प्रयास जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पाठ्य पुस्तकों एवं चेतक कापी का स्टाक

165. **श्री हीरा लाल इन्दौरा** (केमरीसिंहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या पाठ्य पुस्तक मण्डल के पास पाठ्य सामग्री का स्टाक पर्याप्त है ? यदि

(श्री हीरा लाल इन्दोरा)

हां, तो क्या विक्रेताओं को स्टाक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व दिया जाता है ?

(2) चेतक कापी बनाने के कितने अनुज्ञा पत्र दिये गये हैं और क्या वे पाठ्य पुस्तक मण्डल की मांग के अनुरूप सप्लाई कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के पास पुस्तकों एवं नियन्त्रित मूल्य की अभ्यास पुस्तकों का पर्याप्त भण्डार है। जिन्हें मण्डल पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं, विद्यालयों, उपभोक्ता भण्डारों एवं रिटेल सेल काउन्टरों के माध्यम से छात्र/छात्राओं को सत्र आरम्भ होने से पूर्व ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहा है।

(2) प्रान्त में चेतक कापी बनाने हेतु 82 कापी निर्माता पंजीकृत हैं तथा उनके द्वारा आवंटित कागज से निर्मित चेतक कापियां मण्डल के मांग अनुसार सप्लाई की जा रही है।

झुंझुनूं में वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत व्यापारी

166. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) झुन्झुनूं में वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कितने पंजीकृत व्यापारी हैं और उनके द्वारा कितना वाणिज्य कर प्रतिवर्ष सरकार को प्राप्त होता है ? कृपया विगत 5 वर्ष का आय विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) नवलगढ़ एवं उदयपुर वाटी तहसील में कुल कितने व्यापारी हैं। उनको अपने कर निर्धारण के लिए कहां जाना पड़ता है ?

(3) क्या नवलगढ़ एवं उदयपुर वाटी तहसील में होने वाले अत्यधिक पंजीयन को ध्यान में रखते हुए सरकार नवलगढ़ (उपखण्ड) में अलग से सहायक वाणिज्य कर अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं में वर्तमान में वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत 4,550 (चार हजार पांच सौ पचास) पंजीकृत व्यवहारी हैं। विगत पांच वर्ष 80-81 से 1984-85 तक वृत झुन्झुनूं की आय का विवरण निम्न प्रकार है:-

1980-81	2,18,00,998
1981-82	1,43,79,510
1982-83	1,87,67,109
1983-84	2,09,29,968
1984-85	2,42,24,717

(2) नवलगढ़ व उदयपुरवाटी तहसीलों में कुल पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या 728, है जिनमें से वाणिज्यिक कर अधिकारी के क्षेत्राधिकार में 58 व्यवहारी आते हैं, शेष सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के क्षेत्राधिकार में हैं। इन व्यवहारियों के कर निर्धारण सामान्यत: नवलगढ़, डूंडलोद, व उदयपुरवाटी में केम्प लगाकर किये जाते हैं। कभी-कभी इस हेतु इन व्यवहारियों को झुन्झुनूं भी आना पड़ता है।

(वित्त मन्त्री)

(3) जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि इन तहसीलों से आय निम्न प्रकार है:–

वाणिज्यिक कर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के व्यवहारियों से आय–	12,72,500
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के व्यवहारियों की आय	7,97,800
योग	20,70,300

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के व्यवहारियों की आय वृत्त की कुल आय के चार प्रतिशत से भी कम है तथा पंजियत व्यवहारियों की संख्या एक नवीन कार्यालय के लिए कम है।

हरिजनों को भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन

167. **श्री अइक अली** (फतेहपुर): क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार हरिजनों को भवन निर्माण हेतु मुफ्त में भूमि प्रदान करती है ?

(2) क्या इस हेतु उन्हें कोई आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अल्प आय वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता राशि 750/– रुपये प्रति परिवार के हिसाब से दी जाती है जिनमें लगभग 50% अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

पर्यटन विकास के कार्यक्रम

168. **श्री फूलचन्द** (नीम का थाना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में पर्यटन विकास के लिए चालू पचवर्षीय योजना में कौन से नये कार्यक्रम विचाराधीन हैं ? क्या सीकर जिले में भी पर्यटन विकास की दृष्टि से कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने माता शाकम्बरी क्षेत्र का इस हेतु सर्वेक्षण करवाया है ? यदि हां, तो उस पर आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि में नये पर्यटन स्थलों का विकास, नयी मिडवे सुविधायें, नवीन पर्यटन साहित्य का मुद्रण, पर्यटन विश्राम गृह एवं सस्ती आवास सुविधा का विस्तार, परिवहन व्यवस्थाओं में विस्तार तथा जयपुर में एक बड़े पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण आदि कार्य प्रस्तावित हैं। इस योजना में सीकर जिले में पर्यटन सूचना केन्द्र की स्थापना, गणेश्वर एवं बालेश्वर के विकास कार्य विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त हर्ष एवं जीणमाता के सड़क निर्माण एवं क्षेत्रीय विकास कार्य हेतु एक लाख रुपया व्यय किया जायेगा।

(2) जी नहीं। यह स्थान प्राथमिकता में नहीं है।

आर. एफ. सी. द्वारा ऋणों की वसूली

169. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आर. एफ. सी. ऋण लेने वाले से एक किश्त के भुगतान का समय चूक जाने के बाद शेष सारी रकम का ब्याज चार्ज करती है ? अगर ऐसा है, तो क्यों ?

(2) क्या इस कानून में संशोधन करना सरकार उचित नहीं समझती। क्या ब्याज सिर्फ चढ़ी हुई किश्त का लिया जाना उचित नहीं होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान वित्त निगम किसी भी इकाई द्वारा किश्त अथवा ब्याज की राशि की चूक करने पर दण्डनीय ब्याज सारी रकम पर चार्ज नहीं करता है अपितु राशि जो अधिदेय में है तथा जितने समय के लिए अधिदेय में रहती है। उसी पर दण्डनीय ब्याज चार्ज करती है तथा शेष राशि जो बकाया किंतु देय नहीं हुई है उस पर रियायती दर से ही ब्याज चार्ज करता है।

(2) निगम केवल चढ़ी हुई किश्त पर ही दण्डनीय ब्याज वसूल करता है तथा शेष बकाया राशि पर रियायती दर पर ब्याज वसूल करता है अतः कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

चारनवली ब्रांच की आर डी. 105 से आर. डी. 125 की सड़कें

170. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) **श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :** क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चारनवाली ब्रांच की आर. डी. 105 से आर डी. 125 तक सड़क निर्माण में ठेकेदार ने जो शिड्यूल में घटिया स्तर का सामान प्रयोग किया है ? यदि हां तो टेण्डर कार्य आदेश, जो शिड्यूल की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार को ज्ञात है कि चारणवाली ब्रांच की सड़क आर-डी 105 से 125 तक का लेवल कम रखा गया है तथा सोलिंग के साथ रेत मिला कर कार्य किया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस घटिया निर्माण के लिए शिकायत प्राप्त होने पर क्या कार्यवाही की ? कृपया शिकायत पत्रों की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) चारणवाली ब्रांच की सड़क आर. डी. 105 से 125 तक का लेवल कम नहीं रखा गया है, स्वीकृत एल सेक्शन के अनुसार ही रखा गया है। सोलिंग का कार्य निर्धारित माप दण्डों के अनुसार ही किया गया। निर्धारित माप दण्डों के अनुसार सोलिंग के पत्थरों के मध्य दर्जों को भरने हेतु रेत का प्रयोग पैकिंग हेतु किया जाता है ताकि सोलिंग की कुटाई करते समय पत्थर अपना स्थान न छोड़ सके।

चारणवाला ब्रांच की सड़क बुर्जी 105-125 पर किसी प्रकार की घटिया निर्माण

(इन्दिरा नहर मंत्री)

कार्य नहीं किया गया है एवं न ही इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई। प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा जारी राशन कार्ड

171. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर पंचायत समिति में पंचायतों ने 1982-83, 1983-84 एव 1984-85 में राशन कार्ड बनाये हैं? यदि हां, तो किस किस पंचायत ने राशन कार्ड की क्या-क्या फीस तथा चंदा लिया है? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई पंचायतों ने राशन कार्ड के साथ जनता से राशि वसूल की है? यदि हां, तो क्या यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के विपरित है? राशि किस किस तारीख को रोकड़ में जमा है? क्या सरकार ने इस गम्भीर अपराध के विरुद्ध कार्यवाही की है? यदि हां, तो कब? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राशन कार्ड के मूल्य 0.45 पैसा के अतिरिक्त कोई राशि वसूल नहीं की।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

डीग किले का जीर्णोद्धार

172. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या पुरातत्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डीग किले के सुधार, परिवर्तन परिवर्द्धन आदि के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई थी, जिसका क्या क्या उपयोग हुआ?

(2) खाई के रख रखाव पर कितनी धनराशि खर्च हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।

(2) स्मारकों के संरक्षण हेतु सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण प्राथमिकता के आधार पर विचाराधीन एवं निर्माणाधीन कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये खाई के रख-रखाव हेतु राशि आवंटित नहीं की जा सकी है।

विमुक्त एवं घुमक्कड जातियां

174. **सुश्री गिरजा व्यास** (उदयपुर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अभी तक विमुक्त एवं घुमक्कड़ जातियों को एक स्थान पर बसाने, इनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं से इन जातियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं?

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा इन जातियों को स्वेच्छा से बसने के लिए कितना

(सुश्री गिरजा व्यास)

अनुदान मिलता है और गत 5 वर्ष से अब तक कितनी जातियों को अनुदान की राशि मिली ?

(3) उक्त लोगों के कल्याणार्थ/उद्योग लगाने के लिए विभाग ने क्या-क्या प्रयास किये तथा उद्योग विभाग से सम्पर्क कर ऋण आदि उपलब्ध करवाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां, इसका मुख्य कारण इन जातियों का एक स्थान पर स्थायी रूप से न बसने की प्रवृति है ?

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा इन जातियों को स्वेच्छा से बसने के लिये प्रत्येक परिवार को 750/- रुपये तक अनुदान दिया जाता है। गत 5 वर्षों में निम्न जातियों को अनुदान की राशि मिली :—

बागरी, भाट, गाड़िया लुहार, बावरी, नायक, नट, सांसी, बनजारा, कंजर, बावरिया एवं मोगया।

(3) जब-जब इन जातियों के लोगों ने उद्योग लगाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये तब उन्हें उद्योग विभाग को अग्रेषित किया गया तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया गया।

सांचौर में मेघवाल अनुसूचित जाति की धर्म शाला में सामुदायिक केन्द्र

175 **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में मेघवाल अनुसूचित जाति की धर्मशाला में एक सामुदायिक केन्द्र हाल के निर्माण हेतु सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ? अगर हां, तो कब एवं उसके निर्माण हेतु अब तक विभाग द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) सामुदायिक केन्द्र हॉल का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा।

(3) अन्य अनुसूचित जाति के किन-किन वर्गों के लिए सामुदायिक केन्द्र के लिए हॉल का निर्माण सांचोर में कब तक करवा दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) इस प्रकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(3) विभाग में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

बीकानेर में सामज कल्याण के अन्तर्गत चलाए गए कार्यक्रम

176. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1980 से अप्रेल, 1985 तक कौन कौन से कार्यक्रम कहां-कहां पर पूर्ण किये गए व प्रगति पर हैं ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) जिला बीकानेर में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त कौन कौन सी

(श्री देवी सिंह भाटी)

संस्थाएं हैं व उनके द्वारा कौन कौन सी प्रवृत्तियां एवं कार्यक्रम कहां कहां चल रहे हैं? तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) जिला बीकानेर में वर्ष 1985-86 में कौन कौन से कार्यक्रम कहां कहां प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1980 से अप्रेल, 1985 तक जो कार्यक्रम पूर्ण किये गये अथवा प्रगति पर हैं उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला बीकानेर में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त केवल एक संस्था है उसका नाम हरिजन सेवा समिति है। इनके द्वारा एक अनुदानित छात्रावास नोखा में चलाया जा रहा है।

(3) वर्ष 1985-86 में पूर्व से चले आ रहे कार्यक्रमों को जारी रखा जायेगा। नये कार्यक्रमों के लिये अभी कोई निर्णय नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न
अधिकारी दीर्घा में हलचल

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर मुझे व्यवस्था देने दीजिये, मेरी व्यवस्था के बाद ...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आफिसर्स गैलेरी में, जब शासन पैरों पर हो इस प्रकार की एक्टीविटीज नहीं होनी चाहिये। यह बड़ा गंदा लगता है, ये पुरानी परम्पराओं को तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जायं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की सीमा पर महेन्द्रगढ़ जिले के ग्राम भसानी में भसानी बैराज के कारण राजस्थान के काफी गांवों की 4 हजार एकड़ जमीन डूब में आने के सम्बन्ध में,

(2) श्री जयनारायण पूनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले में अकाल की स्थिति और खास तौर से तारानगर क्षेत्र में अकाल राहत कार्य चालू न करने के सम्बन्ध में,

(3) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद, जयपुर में चार वर्ष से दैनिक मजदूरी पर कार्यरत 12 कनिष्ठ लिपिकों को नियमित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

(4) प्रोफेसर केदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से दैनिक गंगानगर ग्रीन के सम्पादक की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत खानपुर के सरपंच द्वारा गबन, अनियमितता और भूमि के बेचान में गड़बड़ी के सम्बन्ध में,

(6) श्री चुन्नीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ क्षेत्र में अकाल से पशुधन मरने के सम्बन्ध में,

(7) श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मऊ तहसील श्री माधोपुर की डूंगरी के चेजे पत्थर की खान की लीज देने में अनियमितता के संबंध में।

(8) श्री भगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आहोर तहसील के 25 गांवों में कपास की फसल को सिंचाई सुविधा न मिलने के सम्बन्ध में,

(9) श्री यदुनाथ सिंह और श्री मोहन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान बीज निगम द्वारा उत्पादकों से बीज सस्ता क्रय करके किसानों को महंगे मूल्य पर मुहैया करवाने के सम्बन्ध में,

(10) श्री नारायणराम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले में ओलावृष्टि से फसल का नुकसान होने पर भी राहत नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में,

(11) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले से भेड़ ऊन विभाग का कार्यक्रम स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में,

(12) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बालोतरा कस्बे में जल प्रदूषण से महामारी फैलने की आशंका के सम्बन्ध में,

(13) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री हरिशंकर भाभड़ा और श्री बिरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ कस्बे के पास के गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की वितरिकाओं में पक्के खालों के निर्माण के सम्बन्ध में,

(2) श्री शोपत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से हनुमानगढ़ नगर परिषद् के वार्ड नम्बर 24 के प्राथमिक विद्यालय के भवन की जर्जर अवस्था के सम्बन्ध में,

(3) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में कन्ट्रोल का गेंहू उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में।

ये स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री लक्ष्मीनारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से फुलेरा क्षेत्र में सरसों की खरीद सरकार द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

इस विषय पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा चुका है और चर्चा भी हो चुकी है। अतः इस पर अनुमति देने में

(श्री अध्यक्ष)

असमर्थ हूं। इसके साथ-साथ बोलने की की अनुमति देने में भी असमर्थ हूं।

(2) श्री नत्थी सिंह और श्री सम्पत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजा मानसिंह के हत्यारों का चालान पेश करने अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में।

इस विषय पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा चुका है और चर्चा भी हो चुकी है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(1) श्री भंवरलाल शर्मा एवं सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि उच्च न्यायालय ने स्टे हटा दिया है और आदेश दिया है कि नियुक्ति आदेश जारी किये जायं लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 40 अभ्यर्थियों की मूल सूची और 20 की आरक्षित सूची के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।

(2) श्री शोपत सिंह सदस्य विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के आदिवासियों से सहकारी ऋण की जबरन वसूली के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि डूंगरपुर जिले में अकाल घोषित नहीं है और जबरन वसूली नहीं की जा रही है। वसूली के लिए झोपड़े नहीं नीलाम किये गये।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा में 10.6.85 को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज।

सरकार का उत्तर प्राप्त हो गया है। इस पर वक्तव्य के लिए मैं शीघ्र तिथी निश्चित करूंगा।

जिन-जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार किया है उनको मैं क्रमशः अपनी बात कहने के लिए पुकारूंगा कृपया संक्षेप में दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

एक एक करके। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधन विधेयक पर संशोधन की भाषा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 तारीख को राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक है, उसी प्रकार राजस्थान अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों का सम्मन किया जाना और दस्तावेजों का पेश किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 1985 मिला है। पिछले तीन दिनों से, चार दिनों से मैं लगातार विचार कर रहा हूं कि इन अमेण्डमेन्ट बिल्स पर अपने अमेण्डमेन्ट्स, मेरी ओर से अमेण्डमेन्ट्स पेश करूं। किन्तु

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान में यह नहीं आ रहा है कि वह अमेण्डमेन्ट किस भाषा में प्रस्तुत करूं मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि ये दोनों अमेण्डमेन्ट बिल, जो यहां प्रस्तुत किये गये, राज्य सरकार अविलम्ब वापस ले, क्षमा मांगे सदन से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नोटिस में आ गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Let me complete, Sir, पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिये, फिर आप उस पर अपनी रूलिंग दे दीजिये। मुझे तो बात कहने का मौका दीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब मुझे मालूम है। यह मालूम है कि आप यह कह रहे हैं कि ओरिजनल बिल जिस लैंग्वेज में है उससे उल्टा हो गया। यही आप कह रहे हैं, हिन्दी वाला अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी वाला हिन्दी में आ गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इतनी ही बात नहीं है माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : यह चीज हुई है माननीय सदस्य, इसलिए आपको आपत्ति हुई है।

श्री ललिल किशोर चतुर्वेदी : आपत्ति इसलिए हुई है कि आखिर हमको विधान सभा में........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात।

इसी तरह से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो गलती की, उसके लिए इस से सदन माफी मांगे। दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को विथड्रा करें और विथड्रा करने के पश्चात् क्योंकि दोनों मूल बिल अंग्रेजी में है, इसलिए अमेण्डमेन्ट बिल इगलिश में पेश किया जाय और इसका आथोराइज्ड ट्रान्सलेशन हिन्दी में प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष : सही है आपका कहना। इसके ऊपर राज्य सरकार को पहले से ही कहा गया है। इसको लीगली एग्जामिन करना है कि इसको विथड्रा करने से काम चलेगा या इसका कोरिजेण्डम निकालने से काम चलेगा, इसको लीगली एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं लीगली एग्जामिन करने के लिए अपनी बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि कोरिजेण्डम निकालेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी रूलिंग में दो बातें कहीं राज्य सरकार इसका कोरिजेण्डम निकाले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार पिछले दरवाजे से घुसने का विचार कर रही है, इस पर कोरिजेण्डम निकाल दे, वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो लॉ डिपार्टमेन्ट एग्जामिन कर रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लॉ डिपार्टमेन्ट एग्जामिन कर रहा है तो आखिर इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि सदन से राज्य सरकार क्षमा मांगे, इसको

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वापस ले। कोरिजेण्डम निकालने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद पूरा अमेण्डमेन्ट बिल प्रस्तुत करे। इसलिए मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कह दीजिये, जो नोटिस में है, जिसके ऊपर कार्यवाही चल रही है उस बारे में यदि सदन में कहना चाहते हैं तो बहुत ही संक्षेप में कह दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं हाउस की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, तीन दिन वेस्ट हो गये। जबकि प्रोविजन यही है तो अब कितनी देर तक राजस्थान सरकार लगातार विचार करती रहेगी? इससे हमारा जो अधिकार है इस पर अमेण्डमेन्ट प्रस्तुत करने का उससे हम वंचित रहेंगे। इसीलिए मेरा आपसे कहना है, कोरिजेण्डम से इसलिए काम नहीं चलेगा, शायद पेटेन्ट एरर का सहारा लेकर राज्य सरकार आपके माध्यम से इसमें सुधार करना चाहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपना जो 87वां नियम है, करेक्शन ऑफ पेटेन्ट एरर, मुझे जानकारी मिली है और आपने भी जैसा कहा, राज्य सरकार इस रूल नं. 87 का सहारा लेकर इसका कोरिजेण्डम प्रस्तुत करना चाहती है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जैसे देर हो रही है वैसे-वैसे हमारा जो अधिकार है इस बिल पर अपने संशोधन प्रस्तुत करने का····

श्री अध्यक्ष : आपके प्रोसीजर से तो और देर होगी। लीगली एग्जामिन कर रहे हैं कि कौनसा प्रोसीजर सही है। अगर वास्तव में कानूनन बिल को विड्रा करना जरूरी होगा तो वह किया जायेगा। और कानून की दृष्टि से अगर कोरिजेण्डम से काम चल जायेगा तो माननीय सदस्यों का समय भी बचेगा और जल्दी से कोरिजेण्डम निकाल कर यही आपके वापस काम आ जायेगा। तो लीगली एग्जामिन हो रहा है, इसमें देर नहीं कर रहे हैं विच एवर, जो भी सही होगा वह किया जायेगा, आफ्टर ऑल यह एक्ट बनने वाला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार यह तो मान रही है कि दोनों बिल इस प्रकार पेश कर इसने बहुत बड़ी गलती की है।

श्री अध्यक्ष : वह तो जब मेरे सामने आयेगा तब मैं कहूंगा। मैं अवसर दूंगा, तब जो भी व्यवस्था मुझे देनी है····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये ना। राज्य सरकार को भी ध्यान देना होगा। यह बिल लाकर यदि थोड़ी भी खामी रहती है तो विधान सभा सेक्रेटेरिएट को भी ध्यान रखना होगा क्योंकि विधान सभा में एक्ट बनने के बाद हाई कोर्ट में चेलेन्ज होता है तो ध्यान रखना होगा। इस तरह से रखने से कोई तात्पर्य नहीं है। यह कानूनी मसला है, जो भी सही होगा और उपयुक्त होगा, आपसे भी हम सलाह कर लेंगे कि दरअसल में क्या चीज है। जिस वक्त राज्य सरकार से लिखा हुआ मेरे पास आ जाय तब इस

(46)

(श्री अध्यक्ष)

सदन में जो भी मुझे कहना है, आवश्यक समझूंगा तो कहूंगा राज्य सरकार से कुछ कहना होगा तो उस वक्त कहूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस समय आप मेरी बात....

श्री अध्यक्ष : अगर आवश्यक होगा तो मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का इतना बड़ा लवाजमा क्या करता है, इतना अनप्रजन्टेबल बिल....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बहुत छोटी सी बात है। माननीय सदस्या, कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

माननीय श्री देवीसिंह, मैंने देवीसिंह को पुकारा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मै इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में जो एडजोर्नमेण्ट मोशन हमने फेमिन के बारे में दिया था आपने राज्य सरकार से जानकारी के लिए भेजा। आपने इस सत्र में नई व्यवस्था की है कि जो एडजोर्नमेण्ट मोशन इम्पोर्टेन्ट नहीं है उसे रिजेक्ट भी कर देते हैं और बोलने का मौका भी नहीं देते। जब आपने उसकी महत्वता जान ली कि यह बहुत जरूरी है और व्यवस्था दी कि सरकार से जानकारी मांगी जा रही है तो अध्यक्ष महोदय, जैसे फेमिन का मसला है, कल ही मैं अपने क्षेत्र से वापस होकर आया हूं, जहां गत डेढ़ माह में 4 × 4 के टैंकर उन टीबों में जाते थे, वहां डेढ़ माह से पानी की सप्लाई बन्द है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; कई स्थगन प्रस्तावों का जवाब मेरे पास सवा दस बजे आया है उनमें आपके स्थगन प्रस्ताव का जवाब भी है। मैं इस पर कल व्यवस्था दे रहा हूं। आपके स्थगन प्रस्ताव पर निश्चित रूप से कल व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

आॅर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आज ही स्टेटमेण्ट देने के लिए कह दें।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आज मेरे पास आठ दस स्थगन प्रस्तावों के जवाब आये हैं, मैं नहीं कह सकता कि किस किस के आये, मैं देखूंगा उनको। उस पर कल निश्चित रूप से व्यवस्था दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : सारे आदमी मर रहे हैं। व्यवस्था कल आयेगी, लोगों की हालत खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष : कल मैं व्यवस्था दूंगा इस पर।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को दिया हुआ एडजोर्नमेन्ट मोशन है तीन को अकाल के सम्बन्ध में विशेष तौर से आपका ध्यान आकर्षित किया गया था विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से कि इस पर समय निर्धारित किया जाय, राज्य सरकार का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वक्तव्य दिलाया जाय इस पर राज्य सरकार का वक्तव्य दिलाये जाने का समय आपको निर्धारित करना है।

श्री अध्यक्ष : मैं निर्धारित कर दूंगा, माननीय सदस्य जो भी हो। मुझे जो निर्णय देना है, उसी के अनुसार समय निर्धारित करूंगा वैसे अकाल के ऊपर पूरी डिमाण्ड है पूरा दिन उस पर दिया हुआ है, उस पर भी आप लोग बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड की जगह डिमाण्ड है। आप स्थगन प्रस्ताव पर पहले व्यवस्था दीजिये कि समय निर्धारित करना है।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था नहीं दी, अभी व्यवस्था नहीं दी।

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी नहीं. उसी दिन तीन तारीख को आपने स्वयं ने कहा था कि मैं समय निर्धारित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा कि मैं व्यवस्था कर दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ऐसी बात नहीं हुई है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर मेरी और आपकी ऐसी बात....

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, आप दुबारा प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं देख लूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी प्रोसीडिंग्स से यही निष्कर्ष निकलेगा, आप राज्य सरकार को कहेंगे कि किसी भी निर्धारित दिन को वक्तव्य देना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा और आपको भी दिखा दूंगा। लेकिन आपके और मेरे बीच में चैम्स में कोई बात हुई है तो आप यहां पर रैफर नहीं करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : जी ?

श्री अध्यक्ष : मेरे और आपके बीच में मेरे कक्ष में कोई बात हुई है तो आप यहां रैफर नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस में कहा था।

(व्यवधान)

हाउस में आपने फरमाया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है कि मैं देख लूंगा, मैंने क्या व्यवस्था दी है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

(व्यवधान)

(श्री ग्रध्यक्ष)

माननीय सदस्य, ग्राप एक ग्रोर तो यह कहते हैं कि ग्रापकी बात पूरी सदन मे नहीं होती है ग्रोर दूसरी ग्रोर ग्राप ग्रपना समय इसमें लगाते है तो ग्रापकी बात कैसे पूरी होगी सदन में ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही सा सवाल है कि ग्रगर पेमेन्ट नहीं हो रहा है तो वह ग्रलग बात है । ग्रध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना सा ही निवेदन कर रहा था कि पिछले डेढ़ महीने से वहां पर पीने का पानी लोगों के लिए नहीं है ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप बैठिये । मैंने ग्रापको इतना कह दिया कि मैं कल व्यवस्था दे रहा हूं । मैं ग्रापको इतना निवेदन कर रहा हूं कि इस पर मैं कल हाउस में व्यवस्था दूंगा । ग्राप कृपया बैठें ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य नहीं चाहता हूं, मैं तो इतना सा ही चाहता हूं कि मन्त्री महोदय खड़े होकर सिर्फ इतना ही कह दें कि पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जायेगी । मैं यह नहीं कहता हूं कि लोगों के पेमेन्ट की व्यवस्था हो रही है या नहीं या वहां पर चारे की व्यवस्था हो रही है या नहीं । वह तो ग्रलग बात है पर पिछले डेढ़ महीने मे वहां पर गांव वालो को पीने के लिये एक घड़ा भी मीठे पानी का नहीं मिल रहा है । वहां पर 4×4 के टेन्कर बन्द हैं ग्रांधी चलने के कारण । इसलिये मैं चाहता हूं कि....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये । श्री नवरंग सिंह ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये यह चाहता हूं कि पानी के ग्रभाव में लोग प्यासे मर रहे हैं । वहां पर पानी की सप्लाई बिलकुल बन्द है, पिछले डेढ़ माह से 4×4 के टेन्कर बन्द हैं । 4×4 टेन्कर वहां जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर टीबे ग्रा गये हैं । सरकार चाहे जैसा भी वक्तव्य दे दे । इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । वहां पर तो केवल केमल कार्ट द्वारा ही पानी की सप्लाई हो सकती है । मैंने इसके लिये सरकार को कई बार निवेदन किया पर राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कल ही वहां सारा चक्कर लगा कर ग्राया हूं, वहां पर पिछले डेढ़ माह से लोगों को पीने के लिये एक भी बूंद मीठा पानी नहीं मिला है ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल फिर ग्राप ग्रोर बोलेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मसला है ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें, समय का ध्यान रखें ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इस क्षेत्र को रिप्रजेन्ट करता हूं

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापकी भावना सुन ली गयी है ग्रोर समझ रहे हैं । मैं कल निश्चित रूप से इस पर व्यवस्था दूंगा । माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा का सत्र चलता है तब हम थोड़ी बहुत बात आपके माध्यम से हल करा सकते हैं इस दौरान भी हल नहीं होगी तो फिर बाकी तो ये हमारे हाथ नहीं आयेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ही कुछ समस्या का समाधान हो सकता है । अब क्या करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । श्री नवरंगसिंह । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने नवरंगसिंह जी का नाम पुकारा है । वह बोल रहे हैं ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव शारीरिक शिक्षा के बारे में दिया है । वह लोग विधान सभा के सामने बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप रोजाना वही बात कहते हैं । माननीय सदस्य, आप प्रतिदिन उसी सवाल को दोहरा रहे हैं । कृपया बैठें ।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अहम सवाल है, सरकार से आप जवाब दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी व्यवस्था यही है कि आप संबंधित मंत्रीजी से मिलें । उनके डेपुटेशन को मंत्रीजी से मिलवायें, आप उनके साथ जायें ।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिलवायें । क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके लिये नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह मानवीय सवाल है, सरकार की गलती के कारण है । आज वह लोग बेरोजगार हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मन्त्री जी से मिलिये। उनका कोई डपुटेशन है तो आप उसको उनसे मिलवायें । माननीय सदस्य, नियमों में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्रीमती विद्या पाठक ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया बैठें । दूसरी कोई इसके लिये नियमों में व्यवस्था नहीं है ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कैंसर के मरीजों को मिलावटी दवाइयां देने के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष : उसका भी जवाब आ गया है उस पर भी मैं कल व्यवस्था दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है अकाल के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक एक करके पूछ रहे हैं, आप मेरे चैंबर में आकर मिलें।

श्री डूंगर राम पंवार।

श्री डूंगर राम पंवार (टीबी.): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ वृत्त और सूरतगढ़ वृत में कुछ दिनों पहले सी. ए. डी. के द्वारा पक्के खालों का निर्माण हुआ। शुरू में जब निर्माण कार्य शुरू किया गया तब हम लोगों ने सलाह दी थी कि पक्के खालों का निर्माण कार्य हो रहा है, आप यह गलत कर रहे हो। इसके लिये एक समिति भी कायम की गयी थी पर उनकी सलाह को नहीं माना गया। उन खालों में जो कमी थी उसको दूर करके सही ढग से खाले बनाये जाय। लेकिन इन्जीनियर लोगों ने अपनी मन मर्जी से सलाहकार समिति की सलाह को न मानकर पक्का वाटर कोर्स बनाया जिसमें न तो लेवलिंग का ही ध्यान रखा गया न ही अर्थवर्क का ध्यान रखा गया और ना ही कम्प्रेशर ही दिया गया। कम्प्रेशर तो उसमें बिल्कुल ही जीरो है। जो मिट्टी के बड़े-बड़े डले थे वह उसमें डाले गये और सरकन्डे सभी नीचे दबा दिये गये। अपना टार्गेट पूरा करने के लिये दवादब जल्दी से जल्दी ईंटें लगा दी और पक्के खालों का निर्माण कर दिया। यह बहुत ही घटिया किस्म का निर्माण कार्य किया गया। टाइल्स उसमें तीन नम्बर की लगायी गयी, सीमेंट और बजरी में भी कमी कर दी। इस प्रकार से घटिया निर्माण, लापरवाही, अनियमितता और टैक्नीकल मिस्टेक के कारण पक्के खाले आज लगभग 40 प्रतिशत टूटे पड़े हैं। यह सभी खाले, हनुमानगढ़ वृत और सूरतगढ़ वृत के हैं, खाले टूटे पड़े होने के कारण पानी नहीं जा रहा है। वहां पर जब इसके बारे में मीटिंग बुला कर कहा जाता है कि खाले टूटे पड़े हैं, उनमें पानी चल नहीं रहा है, किसानों से चक्रवृति ब्याज वसूल हो रहा है लेकिन उन की मैन्टीनेन्स नहीं हो रही है तो अध्यक्ष महोदय, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह से रिपोर्ट देते हैं कि वहां के इन्जीनियर्स ने वहां पर टूटे पड़े खालों की मरम्मत करा दी है लेकिन आज की तारीख में, अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ वृत और सूरतगढ़ वृत में खाले टूटे पड़े हैं। उनको मैं कान पकड़ कर बता सकता हूं कि यह खाले टूटे पड़े हैं कि नहीं। सभी जगह खालों के द्वारा सिंचाई नहीं हो रही है, लेवलिंग मिस्टेक के कारण पानी कई जगह पर ओवर फ्लो हो रहा है, कहीं-कहीं पर फ्री बोर्ड दो-दो फीट पर है, तो कहीं पर फ्री बोर्ड है ही नहीं।

इस प्रकार से किसानों के खेत में जो सिंचाई होनी चाहिये थी और खेती में जो सुधार लाने की बात थी वह सुधार नहीं होकर बिगाड़ हो गया है। उचित तो यही था कि पक्के खालों का निर्माण करा कर या जो कच्चे खाले बने हुए थे उनमें सही सुधार करा कर किसानों को खेती के लिये अधिक सिंचाई के लिये पानी मिलता, पर वह नहीं हुआ। वहां सारा बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अधिक खाले टूटे पड़े हैं पानी चल नहीं रहा है और इन्जीनियर्स अपनी जिद्द पर हैं। आज वहां पर खालों की कमी नहीं है। सरकार जांच करावे, एक आयोग और बैठावें और उस आयोग के द्वारा इस बात की जांच कराई जावे कि कितना मैटीरियल उसमें लगा, कितना मैटीरियल चोरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब

(श्री डूंगर राम पंवार)

करेंगे कि 160 थैला एक मुरब्बा में लैंथ 825 फीट के लिये है वहां टाइल्स टूट गयी हैं। मैं गारण्टी लेता हूं कि 160 थैले एक मुरब्बे को लैंथ में सिर्फ बजरी और सीमेंट का ही अगर आप प्लास्टर कर दें और अगर वह खाला टूट जाये तो मेरी जिम्मेदारी है। वहां पर 40 प्रतिशत मैटीरियल ही काम में लिया गया है और 60 प्रतिशत माल चोरी में गया। वहां पर एक्स्ट्रा थैलें थे ही नहीं सीमेंट के, पर आलीशान बिल्डिंग बन रही हैं, कोई रूकावट उनके निर्माण कार्य में नहीं रही किसानों के पास पानी के लिये कुण्ड बनाने को तो सीमेंट ही नहीं थी। तो मैंने पूछा कि भई यह बिल्डिंग कैसे बना रहे हो। तो लोगों ने कहा कि भाई राजस्थान कैनाल जिन्दाबाद। हमारे तो खूब आ रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री डूंगर राम पंवार : तो, अध्यक्ष महोदय, इस बात की शिकायत चीफ इन्जीनियर को की जाती है तो वह कह देते हैं कि यह बात गलत है, आपको तो वहम है। पर, अध्यक्ष महोदय, आज कितने ही केस सीमेण्ट चोरी के थानों में चल रहे हैं। यह केस इरिगेशन और पुलिस विभाग की सांठ-गांठ से खतम हो जाते हैं। अभी पिछली 30 जुलाई को रावतसर में एक केस पकड़ा गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक सिपाही ठेले के पास बैठा था, उस ठेले में 50 थैले सीमेंट थी, नीचे और ऊपर बजरी पड़ी हुई थी। सोजावाली क्षेत्र में सरकारी स्टोर, जो कि पीलीबंगा डिविजन में है, से राजेन्द्रसिंह, ओवरसियर के यहां, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, से पकड़ी गयी। मैंने जब देखा तो कहा कि यहां पर क्या नाटक हो रहा है। इसको पकड़ कर थाने क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो कहा कि अभी मंगाते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग और पुलिस में यह केस बाद में 25 हजार रुपये में तय कर दिया गया। इस तरह से चार-पांच बार पकड़ी गई····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री डूंगर राम पंवार : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। इन लोगों ने जिस प्रकार से खालों का और नहरों का निर्माण किया है, राष्ट्र की इतनी बड़ी धरोहर को नुकसान पहुंचाया है, राजस्थान कैनाल भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका इन्होंने इस प्रकार से सत्यानाश किया है। मसीतांवाली हैड से लेकर यहां तक नहर टूट रही है, पहले टूटी थी फिर मुश्किल से बनी थी, अब फिर टूट रही है, जर्जर होती जा रही है। पहले धीमी गति से निर्माण किया है, जिसमें आधे से ज्यादा पैसा यह खा गये। इसमें आधे से ज्यादा मिट्टी से भरी हुई है····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री डूंगर राम पवार : नरखल और सरकण्डा खाड़ा है, आपकी 16-16 फीट लम्बी लाइन में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री डूंगर राम पंवार : अध्यक्ष महोदय, खतम कर देता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। हमने पूछा 18 हजार 500 क्यूसेक पानी किसमें चलेगा····

श्री अध्यक्ष : आपने वितरिकाओं की बात कही है, आप तो राजस्थान कैनाल पर ही बोल रहे हैं, सीमित करें।

श्री डूंगर राम पवार : यह इसमें आता है।

मैं अर्ज कर रहा हूं आपके माध्यम से, जब 18 हजार 500 क्यूसेक चलेगा तो यहां तो मरेंगे पानी से, जगह–जगह ब्रीच होंगे और जो गांव के लोग इस इन्तजार में हैं कि राजस्थान कैनाल का पानी आयेगा वह बगैर पानी के मरेंगे। यह हालत होगी। आज काश्तकारों से इसका चक्रवती ब्याज लिया जा रहा है। आप ताज्जुब करेंगे, मैं कई बार कह चुका हूं कि तीन सौ रुपये मूल पर छः हजार रुपये ब्याज, चार सौ रुपये मूल पर सात हजार ब्याज और पांच सौ रुपये मूल पर आठ हजार रुपये ब्याज। इस प्रकार के करेक्शन मैंने सरकार को दिये हैं, मुख्य मन्त्री की मीटिंग में—

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री डूंगर राम पंवार : यह पैसा किसान नहीं दे सकता। इन्होंने कुकर्म किये हैं, यह भुगतेंगे। आप अपने इन्जीनियर्स से कहिए। रामसिंह आयोग ने 93 इन्जीनियर्स को दोषी ठहराया, सही ठहराया था, लेकिन सरकार ने····

श्री अध्यक्ष : जनरल डिबेट नहीं। आप विषयान्तर हो रहे हैं। अपने आप को सीमित रखिये, माननीय सदस्य।

श्री डूंगर राम पंवार : इतनी बड़ी मात्रा में इन्जीनियर्स दोषी नहीं हो सकते, सरकार ने कहा। एक आयोग बिठाया, इतना खर्चा आया और कह दिया कि रामसिंह आयोग को तकनीकी ज्ञान नहीं है। लेबोरेट्री में जाकर मसाला टैस्ट करवाया गया, उसका ज्ञान नहीं था····

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर न हों, आपने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री डूंगर राम पंवार : मैं कहता हूं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर को देशद्रोही करार देकर इनको देश निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री डूंगर राम पवार : इनको डी. आई. आर. के तहत बन्द किया जाए।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। समय का दुरुपयोग हो रहा है, आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री डूंगर राम पंवार : इस प्रकार का जो दोषपूर्ण निर्माण हुआ है, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाय किसानों से पक्के खालों की कोई वसूली नही की जाय, इतना ही मुझे कहना था।

श्री भवरलाल शर्मा (हवा महल) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हम स्थगन प्रस्ताव देते हैं, उनमें से आप कुछ पर निर्णय देते हैं कि राज्य सरकार से जानकारी मांगी जा रही है, राज्य सरकार की जानकारी के लिए जो प्रस्ताव जाते हैं उन पर निर्णय आप बाद में देते है। फिर उस समय माननीय सदस्यों से यह कहा जाता है कि आप इस पर बोलिये। पहले पूर्व में जानकारी नहीं होती कि उनका विषय कब आने वाला है अतः कभी कभी पूर्ण तैयारी नहीं रहती है।

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर आयगा तो कह देना।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं सभी के लिए निवेदन कर रहा हूं। आप ऐसी व्यवस्था करें, जो जानकारी के लिए आप देते हैं उन पर निर्णय करते हैं तो हम माननीय सदस्यों को यह जानकारी हो।

श्री अध्यक्ष : वह सदन पर निर्भर करेगा, आपका टर्न आये कह लेना। दूसरे सदस्यों को तत्काल बोलना चाहिए, उनके लिए क्यों बाधा डाले रहे हैं। इस पर व्यवस्था तो ठीक ही है। माननीय सदस्यों की जैसी स्थिति होगी मैं देख लूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे वाला कल रख लेना।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : आपका नम्बर आये तो कह लेना।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव एक स्कूल के बारे में है। वैसे तो यह मामला बहुत मामूली-सा है, मगर ऐसे स्कूल····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शोपत सिंह : संक्षेप में ही बोलूंगा।

राजस्थान में एक नहीं ऐसे हजारों स्कूल हैं इस वक्त अभी वर्षा आने वाली है, इस वर्षा के मौसम में यह जर्जर स्कूल खुदा न खवास्त: अगर गिर जायं और उन स्कूलों के बच्चे नीचे दबकर अगर मर जायेंगे तो क्या हालत होगी, क्या विचार होगा। मैं मेरे क्षेत्र के स्कूल का फोटो लाया हूं। आप देखें मैं बाद में आपको पेश करूंगा। आप विचार करिये, इस स्कूल में सैकड़ों बच्चे हैं, वहां पर पेड़ नहीं है, कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। स्कूल खोल दिये, न मास्टर हैं, न सरकार को परवाह है, न इंस्टीट्यूट को परवाह है, न उस म्यूनिसिपल बोर्ड के एरिया के चेयरमैन को इस बात की परवाह है। आखिरकार: इस बात के लिए कौन जिम्मेदार होगा? या तो सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले ले कि ऐसे भवन में हम अपने स्कूल नहीं चलायेंगे। एक पोलिटिकल डिसीजन होता हैं या यहां पर बैठ कर डिसीजन लिया जाता है। जहां पर भवन बने हैं वहां पर स्कूल नहीं खोले जाते हैं, जहां पर भवन बने है वहां पर होपिस्टल नहीं खोले जाते है, जहां पर भवन नहीं है वहां पर खोले स्कूल जाते हैं। इसलिए एक नीति तय होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि हम स्कूल ऐसी जगहों पर खोलेंगे जहां पर माकूल जगह बच्चों के बैठने को मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या करें, परिस्थिति बड़ी भयकर है। यह जिस स्कूल का फोटो मुझे भेजा है, यह उस स्कूल के अध्यापक ने भेजा है, बोलिये, हम कहां बच्चों को ले जायें। इस फोटो को देखने से जाहिर होगा कि यह मकान कभी भी गिर सकता है। वर्षा के समय में हमारे बच्चे उस स्कूल के भवन में हों तो आप अन्दाज कीजिए कि कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को बताना चाहता हूं कि जहां भी ऐसे स्कूल चल रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत का एरिया हो या म्यूनिसिपल बोर्ड

(श्री शोपत सिंह)

का एरिया हो, जब तक नया भवन नहीं बनेगा तब तक किराये पर या किसी दूसरे भवन की व्यवस्था की जाये। भविष्य में इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि चाहे माध्यमिक स्कूल हों, चाहे प्राथमिक हों, चाहे हायर सैकंडरी हो, कोई भी हो, स्कूल ऐसी जगह ही खोले जायेंगे। कम से कम भवन देखकर इसका फैसला किया जाय कि स्कूल या विद्यालय जहां खोलने जा रहे हैं वहां पर भवन है कि नहीं, है तो किस हालत में है। उसके बाद स्कूल खोला जाना चाहिए। तब तो हमारा कुछ बचाव हो सकता है, वरना स्कूल खोल देते हैं, लोगों में भूख है, शिक्षा की भूख है फिर भी कोई व्यवस्था नहीं होती। स्कूल में मास्टर बैठता है, उसने फोटो भेजकर कहा है, ऐसी अनहोनी हो इससे पहले मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं मेरे स्कूल के लिए और दूसरे स्कूलों के लिए भी, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में कहीं ऐसी कोई भी घटना नहीं हो, उसके लिए सचेत रहा जाय।

दूसरा मेरा····

श्री अध्यक्ष : डूंगरपुर वाले पर बोलिये।

श्री शोपत सिंह : जी हां।

बड़ी अजीब विडम्बना है मैंने एक सवाल डूंगरपुर के एरिया के बारे में पूछा। वहां पर आदिवासियों के झोंपड़े नीलाम किये जा रहे हैं। अभी जो जवाब आया आपकी मार्फत, मैं आपको यह नीलामी की सूचना दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने हमारे माननीय अकाल सहायता मंत्री को ओरिजनल कापी दी, इसे दुबारा पढ़कर मैं फिर बताऊंगा कि आखिरकार झोंपड़े की की परिभाषा क्या है। what do you mean by jhonpada। झोंपड़े के सारे आर्टिकल सरकार को दिये, सारे झोंपड़ों की छत नीलाम कर रहे हैं और हमारी सरकार बेशर्मी से जवाब दे रही है कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल और परसों उदयपुर के इलाके में जाकर आया हूं सवाल अकाल का नहीं है, आप भी उदयपुर से बिलोंग करते हैं, मान लें, उदयपुर के इलाके में भरपूर फसल हो तो एक किसान के घर पर कितना अनाज होगा? अजी उस डिवीजन में काश्त के लिए जमीन नहीं है, पथरीली धरती है, कहीं नालों में थोड़ी-बहुत जमीन है काश्त के लिए एक किसान के पास 1-2 बीघा जमीन है, अगर फसल हो जाये तो एक-दो क्विंटल से ज्यादा अनाज पैदा नहीं होता है भरतपुर में मैं देखकर आया हूं अभी भयंकर हालत है। वर्षा नहीं है उस इलाके में। सारे के सारे इलाके में जानवर भूखों मर रहे हैं। चारा मिल नहीं रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनाज की कोई व्यवस्था सरकार ने की नहीं। मैं वहां एक गांव में गया, गांव टिडूरी, पंचायत सरकाडैया, तहसील झाडोल, वहां लोगों को मुर्गा बनाया गया लोगों को पेड़ों पर बांधा गया। इसके साथ ही साथ ···

श्री अध्यक्ष : डूंगरपुर का प्रस्ताव है।

श्री शोपत सिंह : हां, डूंगरपुर का और सारा एडज्वोइनिंग इलाका है। मैं सारे डिवीजन की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, जनरल डिबेट पर नहीं।

श्री शोपत सिंह : डूंगरपुर पर ?

श्री अध्यक्ष : हां, डूंगरपुर पर,

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको तो सहयोग करना चाहिए।

श्री शोपत सिंह : मैं डूंगरपुर तो नहीं गया लेकिन डूंगरपुर के पड़ोसी गांवों में जाकर आया हूं। यह जो गांव है सारे के सारे झाडोल तहसील के....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बोल रहे हैं प्रस्ताव पर। कल के दौरे पर नहीं। आप बोल रहे हैं स्थगन प्रस्ताव आज दिया उस पर। दौरा तो आप रोज करेंगे। दौरे पर आप नहीं बोल रहे हैं। आपने भ्रमण किया, अच्छी बात है। दौरे पर नहीं बोलें, आप अपनी बात कहें।

श्री शोपत सिंह : मैं भ्रमण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आदिवासियों की चर्चा कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही फैसला कीजिए। सरकार ने जो जवाब दिया है, उस पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पास नीलामी के कागजात हैं एक तो है 25-4-85 का केन्द्रीय सहकारी समिति की नीलामी का है और दूसरा 9-6-85 एक महीना पहले नीलाम कर रहे हैं। नीलाम क्या कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोतेड़े 4. श्री पेमा पिता हलिया उसकी नीलामी के हैं यह आर्टिकल्स। नीलामी 9-6-85 से 10-6-85 तक और समय प्रात 10 बजे से शाम 5 बजे तक। यह आर्टिकल्स की लिस्ट पढ़ रहा हूं कि नीलाम क्या चीज करेंगे....

एक माननीय सदस्य : नीलाम हो गये क्या ?

श्री शोपत सिंह : यह नीलाम हो गये। यह नीलाम हो चुके हैं। यह नीलामी के आर्टिकल्स हैं वह पढ़कर सुना रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। नीलामी के आर्टिकल्स यह हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शोपत सिंह : जोतेड़े 4, पाट 3, डांडे 300, केलू 2 हजार, भैंस 1, गाय 1, पाड़ी 1, बकरी 1। इन्होंने छोड़ा क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 9-6-85 की लिस्ट मैंने पढ़ी। अभी जो 25-4-85 को नीलाम होने वाली चीजें हैं उसकी लिस्ट पढ़ रहा हूं जरा आप ध्यान से सुनें....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शोपत सिंह : संक्षेप में कह रहा हूं और तो क्या करूं।

10 आदमियों की लिस्ट दी हुई है। 10 किसानों की लिस्ट है उनके आर्टिकल्स नीलाम कर दिये गये और आर्टिकल्स क्या है ? सामान की लिस्ट क्या है ? डांडे 100 माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं डांडे क्या होते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ दीजिए।

श्री शोपत सिंह : बताऊं ? बताना पड़ेगा मैं पढ़ तो जाऊंगा लेकिन आपकी समझ में नहीं आये या सरकार के किसी अधिकारी की समझ में नहीं आये तो बताऊंगा मैं ? जोतेड़े 4, केलू 1 हजार....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह क्या होता है ?

श्री शोपत सिंह : जो झोपड़े के ऊपर खपरेल होती है उसको कहते हैं। मिट्टी का बना हुआ एक ढ़ांचा सा होता है उसको मकान के ऊपर लगाते हैं।

फिर दूसरे में प्रेमा पिता नागदी भाई डांडे 100, जोतेड़े 2, बल्लियां 2, मौज 1, केलू 2000 और केलड़ी 1। यह दुबारा की है। सारे को पढ़ने की जरूरत नहीं समझता। आज जो सरकार बशर्मी से जवाब देती है उसको मैं यहां कह कर सुनाऊं या पढ़कर सुनाऊं तो उस पर असर पढ़ने वाला है नहीं मेरे ख्याल से। यह तो गांव के लोगों को तय करना पड़ेगा कि जीपों पर चढ़कर जाता है काफिला, इसकी कुर्की से और नीलामी से कितना रुपया मिलना है ? डूंगरपुर से उस गांव में जायेंगे उस गांव में जाने में जितना पेट्रोल जलेगा, अधिकारियों का खर्चा और तनख्वाह यह सब उस से ज्यादा होगा जो कि नीलामी से मिलने वाला है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार अगर गरीब की बात करती है और अगर गरीबों के बारे में कुछ सोचती है तो इस ढंग नीलामी करने से, लोगों को मुर्गा बनाने से, लोगों को पेड़ों से, बांधने से पीटने से और बेइज्जत करने से कुछ नहीं मिलेगा। बहतर है कि यह सारा का सारा सहकारिता का कर्ज जिस तरह से बंगाल और महाराष्ट्र के अन्दर स्क्रेप किया गया, उसी तरह माफ कर दिया जाय, कोई रास्ता नहीं है आपके सामने ...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : वहां के इलाके के लोगों से कभी वसूली नहीं कराने वाले हैं बैंकों के सारे कर्ज की यह जो जवाब आया है सरकार की तरफ से सरकार के उस जवाब की मैं घोर निन्दा करता हुआ आपकी मार्फत दुबारा यही अपील करना चाहूंगा कि वहां के लोगों पर जुल्म, सामन्ती जुल्मों से भी आगे बढ़ गया, आप ने बरतन नहीं छोड़े, जानवर नहीं छोड़े, छत नहीं छोड़ी और फिर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यह गलत जवाब है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह बात सच है। टेक्निकली डूंगरपुर जिला उन्होंने लिख दिया है। उदयपुर जिले के झाडोल तहसील का जिक्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गम्भीर बात है। टेक्निकल बात के कारण कि केवल डूंगरपुर लिख दिया गया है सरकार ने यह लिखकर भेज दिया। अगर यह सचमुच उदयपुर जिले का है और गलती हो गयी है....

श्री अध्यक्ष : जवाब तो जो भेजा है उसी का आयेगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह टेक्निकल बात है। टेक्निकल्टी से दूर हटकर अगर गरीब किसान के साथ इस तरह की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बात की जायेगी तो क्या सरकार जवाब नहीं देगी ? इतना तो करवा दें कम से कम कि करेक्शन करवाकर दुबारा उदयपुर जिले का दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : सरकार × × × तो नहीं बोले। सरकार कहती है झोपड़े नीलाम नहीं किये। सरकार इस तरह के गलत स्टेटमेंट देती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन-पोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बड़ा जनहितकारी प्रश्न है जयपुर शहर में राशन की इस समय 530 दुकानें हैं। राज्य सरकार द्वारा राशन की दुकानों से चीनी, पाम आयल, मिट्टी का तेल और गेहूं वितरित किये जाने की व्यवस्था है। मान्यवर, आपको मालूम है कि जयपुर शहर में राशन की चीनी 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से राशन की दुकानों से मिलनी चाहिए ? पर आज महीने की 8 तारीख होने के बाद भी राशन की चीनी राशन की दुकानों से नहीं मिल रही है बल्कि सरकार ने एक व्यवस्था की कि आयातीत चीनी मिलेगी 6 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। उसके भी स्थान उन्होंने कम मुकर्रर किये हैं। विधान सभा के सामने केवल एक ट्रॉली खड़ी कर रखी है, माणक चौक की चौपड़ पर खड़ी कर रखी है वह केवल मात्र एक दिखावा है। जयपुर शहर इस समय 50 वार्डस हैं उन 50 वार्डों में कम से कम दो-दो स्थानों पर आयातित चीनी मिलनी चाहिए और कच्ची बस्तियों के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, यह मेरी आपसे मांग है। बाकी के लिए विधान सभा के सामने ट्रॉली खड़ी कर दी, वह केवल विधायकों को भ्रम में डालना मात्र है। मेरा निवेदन करना है कि जब 4 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी मिल रही है....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें, दूसरी बातें नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आ रहा हूं। मैं स्थगन प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। दूसरी बात नहीं बोल रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : अभी तो बोल गए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी बोल गये ना।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं, बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

राज्य सरकार की गलत नीति के कारण यह भाव बढ़े हैं। मेरा निवेदन करना है कि 1.88 रु. पर किलो के हिसाब से राशन में गेहूं दिया जायेगा, यह सरकार की व्यवस्था है लेकिन पिछले एक वर्ष से राशन की जयपुर शहर में जो 530 दुकानें हैं उन पर गेहूं बिलकुल नसीब नहीं हो रहा है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

मान्यवर, उसका परिणाम यह हो गया कि आज बाजार में 2.50 प्रति किलो या 3 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं का भाव बढ़ गया है। गरीब आदमी कहां से खरीदेगा? बड़े-बड़े, आई. ए. एस., एम. एल. ए. या एम. पी. खरीद लेंगे लेकिन जो बेचारे आम उपभोक्ता है वह 3 रुपये किलो के भाव से कहां से खरीदेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि राशन की दुकानों से जब गेहूं देने की व्यवस्था सरकार ने की है तो फिर उसको 2 रुपया 88 पैसे के हिसाब से राशन की दुकानों पर गेहूं वितरित किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, अन्त में मेरा निवेदन है कि जो चीनी हम 4 रुपये 40 पैसे के हिसाब से दे रहे थे वह अब 6 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। जब हमने ही भाव तय कर दिये तो फिर 8 रुपये के भाव से बाजार में क्यों नहीं बिकेगी? आपसे मेरा निवेदन है कि राशन की चीनी समय पर मिले और गेहूं जो 1 रुपया 88 पैसे के हिसाब से देने की राज्य सरकार ने घोषणा कर रखी थी और जिसके लिए हम पाबन्द हैं वह गेहूं भी राशन की दुकानों पर मिले वरना राज्य सरकार की गलत नीति के कारण गेहूं और चीनी के भाव बढ़ रहे हैं। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने निवेदन किया कि यह कल पर रख लें।

श्री अध्यक्ष : कल पर रख लेते हैं। आप भी कल ही बोलेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : जी हां।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री कालीचरण सराफ, सदस्य विधान सभा को दिनांक 4 से 12 जुलाई, 1985 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 4 जुलाई, 1985 से 12 जुलाई, 1985 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया जाने वाला मुद्दा

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा की नियमावली के नियम–295 के तहत एक मुद्दा उठाने की इजाजत मांगी थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय मुझे निर्धारित करना है। माननीय सदस्य, स्वीकृति देनी है और समय भी मुझे ही निर्धारित करना है कि कब बोलेंगी आप

(श्री अध्यक्ष)

कृपया बैठें। आप नियम 295 पढ़ लें। अगर स्वीकृति मिलती है तो कब बोलेंगी, कब उठायेंगी उसके लिये मैं समय निर्धारित करूंगा। कृपया बैठें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इजाजत मांग रही हूं।

श्री अध्यक्ष : समय और डेट दोनों ही दिये हुए हैं। मैं आपकी बात समझ गया....

सुश्री पुष्पा जैन : आज ही ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया। कृपया बैठिये।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं वर्ष 1983-84 के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखा परिक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा और है आपका।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप धारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1981-82 सदन मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : परिवर्तन वार्षिक वित्तीय विवरण।

परिवर्तित।

आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद

श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस पर वाद विवाद में आज मैं भी हिस्सा लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में खास तौर से पॉलिटिकल फिलासफी के बारे में मुद्दे उठाये हैं। गतिशील विकास, विकास के लाभ, कमजोर वर्गों और राज्य के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास। शायद यह बातें जब से हमारा प्लान शुरू हुआ तब से हम पढ़ते आये हैं लेकिन 37 साल की यात्रा के बाद भी इन मुद्दों के नजदीक हम नहीं पहुंच पाये हैं। सही बात तो यह है कि जब यह प्लान शुरू हुआ उस वक्त ही यह कन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि यह जो एलोकेशन्स बहुत बड़े-बड़े कमाण्डिग हाइट पर किये जाते हैं, चाहे पब्लिक सैक्टर के हों, चाहे एग्रीकल्चर में हों, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे कोर सैक्टर फर्टीलाइजर स्टील में हों, तो उस समय मिस्टर गिल हुआ करते थे एडवाइजर प्लानिंग कमीशन में, उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि इतने बड़े-बड़े एलोकेशन्स हम कर रहे हैं, इतने रुपये का खर्चा हम प्लान में कर रहे हैं, प्लान का उद्देश्य यह हम बनाकर चलते हैं कि भारत के गरीब ऊंचे उठें समानता शीघ्र से शीघ्र लाई जाये, तो यह किस तरह से लाइ जा सकती है, इस सिलसिले में उन्होंने पण्डित नेहरू से पत्र लिख कर पूछा कि इसका मैकेनिज्म,

(श्री मोहन छंगाणी)

इसकी प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिये ताकि जो हमारा उद्देश्य है, जो इस प्लान के बैनिफिशरीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और उनके व दूसरे वर्गों के अन्दर समानता लाई जासके। उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे। एक सुझाव था कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म तय किया जाये जिससे इन्कम जो जैनरेट हो बहुत बड़े पैमाने पर उस इन्कम का डिस्ट्रीब्यूशन समानता के आधार पर गरीबों के लिये किया जा सके। सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वह मुद्दा था उस सगठन का जो सगठन यह काम कर सके। उन्होंने यह भी कहा था की मौजूदा जो पार्टियां हैं उस समय सो शलिस्ट पार्टी भी थी, कांग्रेस पार्टी का राज्य था पूरा का पूरा और दूसरी पार्टियां भी थीं, यह पार्टियां इस तरीके के बुनियादी काम को करने के लिये नाकाबिल है इस लिये उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जो जो इस प्लान के बैनिफिशरीज हैं उनके सगठन बनाये जायें और सगठन बना कर वे अपने हकों के लिये, जो हमने उनको राइट्स दिये हैं और जो बैनिफिट्स देने के हमने वायदे किये हैं उन वादों के लिये लड़ कर के किसी तरह से इन्कम कर डिस्ट्रीब्यूशन कर पायें। इस पर पण्डित नेहरू सहमत नहीं हुए। इसके कारण इस तरह के सगठन नहीं बन पाये पण्डित नेहरू को यही डर था कि बटवारे के बाद में अगर हमने ऐसे सगठनों का निर्माण किया तो उस सगठन के कारण देश में बहुत बड़ा टेन्शन और वर्ग संघर्ष फैल जायेगा। इसलिये यही तय हुआ कि हमको अभी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इण्डस्ट्रीज और कोर सैक्टर में करना चाहिये और धीरे-धीरे जो मोडर्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त जो फायदा होगा, जो डेवलपमेंट करेंगे प्राफिट या सरप्लस वह धीरे धीरे पर कोलेटठ होगा, एम्पलायमेंट पोटेन्शियल बढ़ेगी। इस तरह हम समानता और समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। यह उनकी धारणा राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण थी। पण्डित नेहरू बहुत बड़े विश्व के महान नेता, विचारक थे इसलिए उन्हें जवाब देना बड़ा मुश्किल था लेकिन फिर भी मिल लगातार लड़ते रहे। आखिर यही हुआ, कि आज हम 37 वर्षों के बाद देखें तो मिल तो सही निकला और हमारी जो परिकल्पना थी प्लान के बारे में वह सरासर गलत निकली। हमें अब भी अध्यक्ष महोदय, इन्कम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम कुलक मानते है चरणसिंह जी को, मैं समझता हूं कि उनकी खेती बाड़ी के बारे में और एम्पलायमेंट के बारे मे जो सिद्धांत है और जिस तरह से वे खास तौर से इसको हल करने के लिये कोशिश कर रहे हैं उनमें काफी लम्बी, गहरी और अच्छी सच्चाई है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस देश में बहुत बड़े पैमाने पर लैण्ड हो,

(12-55 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बहुत बड़े पैमाने पर पापूलेशन हो अगर उसका उपयोग कैपिटल की जगह न किया जाये तो न तो रोजगार की समस्या सुलझ सकेगी और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया तय कर पायेंगे। दूसरे विकास में जो गति आनी चाहिये वह गति की दर भी तेज नहीं हो सकेगी। खास तौर से चरणसिंह जी

(श्री मोहन छंगाणी)

ने यह बताया था, मैं उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापको दो मिनट के लिए निवेदन करू :--

"We are indeed, faced with a paradoxical situation. On the one hand ,tens of millions of people are going without work; on the other, we suffer from lack of goods and services (because people are not being put to work). In the circumstances of our present factor endowment, the refore, where land and capital are limited and man power virtually unlimited – where even if investment at the maximum rate possible is achieved, capital will ramain scarce relative to labour for long time to come – the one rule of thumb during this period should be to substitute, in the existing set-up, labour for capital, and whenever possible and virtually, in no case to allow a capital intensive project to come up in future where the labour intensive altemative is available."

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने बहुत मौजू प्रश्न उठाया था, एक तो रिसोर्स बेस्ड प्लानिग ग्रौर दूसरा नीड बेस्ड प्लानिग का। बुनियादी तौर पर जब हम प्लानिग के बारे में, प्रक्रिया के बारे में तय करें तो सबसे बुनियादी बात है राजनैतिक संगठन की। जिस देश की सारी ग्राब्जेक्टिव कन्डीशन ग्रोथ की टैक्नोलोजी की, मैन पावर की, मैनजमेंट की मौजूद हों ग्रौर कैपिटल भी मौजूद है हम ऐसा मानकर चलते हैं कि कैपिटल के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हमारे पास हों तो भी ग्रगर जुभारू ग्रौर सशक्त राजनैतिक संगठन न हो ग्रौर नैतिकता की कमी हो तो न हम ग्रोथ कर पायेगें ग्रौर न जिस तरह से माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने रिसोर्सेज बेस्ड प्लानिग ग्रौर नीड बेस्ड प्लानिग की बात कही थी, वह हो सकेगी। जिस समय प्लानिग कमीशन बना उस समय यह सवाल उठा था कि नीड बेस्ड प्लानिग कैसे किया जाय। उस समय लैण्ड रिफार्म कमीशन बाद में एप्रूव हुग्रा। उन्होंने खास तौर से कहा था कि हमारे पास में बहुत बड़ी तादाद में लैण्ड है, बहुत बड़ी तादाद में मैन पावर है, इसको मिलाकर सदुपयोग किया जाये ग्रौर डिसेंट्रलाइज्ड फार्म की सारी की सारी व्यवस्था हो। यह व्यवस्था सरकार द्वारा होती तो निश्चित रूप से हमारी एम्पलायमेंट ग्रौर ग्रोथ की, विकास की प्राब्लम है वह बड़ी हद तक हल हो सकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बुनियादी बात है, विपक्ष के नेता महोदय ने कह तो दिया, ग्रसली बात तो यह है कि क्या नीड बेस्ड प्लानिग के लिये वैल्यू बेस्ड प्लानिग चाहिये ? यह विडम्बना है, नीड बेस्ड प्लानिग के लिये वैल्यू बेस्ड प्लानिग कभी काम नहीं कर सकती है। ग्राज हमारी जितनी प्लानिग है, उस प्लानिग के बारे में सोचते हैं, तो सारी की सारी नीड बेस्ड हैं। वैल्यू बेस्ड को काटा गया है। इसका क्या ग्राधार है, उस के इतिहास में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। यह जरूरी है कि लैण्ड रिफार्म बुनियादी तौर का ग्रौर बड़े जोर का किया जाये। मैं चकित रह गया

(श्री मोहन छंगाणी)

गया था जब चरणसिंहजी को हम गालियां निकालते थे, कुलक कहते थे। यह सही बात है। जब उनकी किताब पढ़ी तो मुझे लगा, वह बहुत सूझ बूझ से लिखी गई है। धरती के धरातल पर बैठ कर हम जिन काश्तकारों की बातें करते हैं, जिस सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बुनियादी बात है, कि पीजेन्ट प्रोप्राइटरी हो। डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटर किसान की हो। जो जमीन का मालिक है, अगर उनको जमीन बांट दी जाये, फैमिली होल्डिंग है, दूसरी बात है, अगर जमीन बांट दी जाये तो किसी प्रकार की सरकार भारतवर्ष में आ जाये तो भी भारतवर्ष की जनता की किसी भी सूरत मे हानि नहीं होगी। यह सही बात है कि आजकल कैपिटल को जिस प्रकार से इन्कम देना चाहिये, वह इन्कम दे नही पाती।

(1.00 म. प.)

इसलिए अगर आप नीड बेस्ड प्लानिंग करते हैं तो सही रूप में नीड बेस्ड प्लानिंग में रिसोर्सेज बेस्ड प्लानिंग का सम्मिश्रण होगा, मिक्सड इकोनोमी की तरह चलेगा पर नीड बेस्ड प्लानिंग के लिए जरूरी है, गांव के स्तर पर सारी जो प्रोडेक्शन व्यवस्था है, उस व्यवस्था को डिसेंट्रेलाइज कम्पलीटली कर देना चाहिए तब जाकर नीड बेस्ड प्लानिंग के प्रबन्ध की बात आती है। लैन्ड रिफार्म में किसी भी तरह की देरी न की जाय। छोटे-छोटे किसानों को जो हिस्टोरिकल कन्डीशन और ज्योग्राफिकल कन्डीशन है, उस आधार पर जमीन का बटवारा किया जाय। आज हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बजट में भी करते हैं, दूसरी तरह भी करते हैं पर बुनियादी मुद्दा यह आता है कि आप बंटवारा कैसे करेंगे जमीन का ताकि ज्यादा से ज्यादा पीजेन्ट प्रोप्राइटरी हो। जब पीजेन्ट जमीन के मालिक होंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। बहुत बड़े आंकड़ों के साथ उन्होंने सुझाया है कि आज छोटे-छोटे फार्म दुगना तिगुना, और चौगुना प्रोडेक्शन कर सकेंगे। आज अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े फार्म हैं, दस हजार एकड़ के, पांच हजार एकड़ के फार्म। अभी बात चली थी कि भाई, सामन्तवाद का अधार क्या है? सामन्त वाद का आधार बड़ी जोत का अपने पास होना है या इसके कोई दूसरे कारण हैं। तो सवाल यह उठा कि अगर बड़ी जोत का ही सामन्तवाद हो तो फिर अमेरिका सबसे बड़ा सामन्तवादी होगा, पर वहां अमेरिका में सामन्तवाद नहीं है। सामन्तवाद है कहा? अपने यहां सामन्तवाद है? सामन्तवाद का आधार एक ही माना जाता है आल्टरनेटिव सोर्सेज आफ एम्पलायमेंट इस सामाजिक व्यवस्था में, इस राज्य की व्यवस्था में जहां अवेलेबल हो वहां जमीन का होल्डिंग गौण हो जाता है उपाध्यक्ष महोदय, एक खास मुद्दा मैं कहना चाहता हूं। छोटे-छोटे होल्डिंग की जो बात की जाती है, लैण्ड रिफार्म की बात की जाती है तो सबसे पहला जिम्मा माननीय कांग्रेस के सदस्यों का राज्य का हो जाता है कि उन्होंने जो लैण्ड रिफार्म के लिये कमिटमेंट किये थे, उस कमिटमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि श्रम और रोजगार की जो योजनायें हैं उनकी क्रियान्विति सुचारू रूप से हो सके और एम्पलायमेंट

(श्री मोहन छंगाणी)

के साधन बहुत खड़े हो जायें छोटे फार्म की वजह से आप देखिये. छोटे फार्म मिल जाय और उनके साथ इनफ्रास्ट्रक्चर भी हो तो वहां आज जो उत्पादन है कृषि का उससे तिगुना, चौगुना उत्पादन आराम से कर सकते हैं। आप अचरज करेंगे, जापान में 2-3 एकड़ की होल्डिंग है, करीब तीन एकड़ की होल्डिंग साउथ कोरिया में है, ताइवान में भी इतनी ही होल्डिंग है, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, चाइना को छोड़ दीजिये, चाइना की खेती की व्यवस्था डिफरेन्ट है, आज भी तिगुना, चौगुना उत्पादन है। वहां पर इतना मेकेनाइजेशन नहीं है जिसकी आज आप बात करते हैं कि बहुत बड़े-बड़े बुलडोजर चाहिये, बड़े बड़े ट्रेक्टर चाहिये और बड़े बड़े थ्रेशर चाहिये। इस तरह की बातें कर सकते हैं पर आज भी उनके उत्पादन में कोई कमी नहीं है। फाकूजा ने अभी बहुत बड़े सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वह खेती कर रहा है और खेती करके उसने सिद्ध कर दिया कि छोटे फार्म कम से कम एशिया में खेती के लिये सबसे उपयोगी और सबसे ज्यादा उत्पादक हैं। इस तरीके को आप बढ़ावा दें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पुरजोर मांग करूंगा कि लैण्ड रिफार्म में जो कमी राजस्थान में है, वह पूरी की जाय। खास तौर से जब राजस्थान कैनाल बन रही है और राजस्थान कैनाल में एलोकेशन होने वाले हैं तो इस बात को मद्दे नजर रख करके एलोकेशन किये जायं ताकि वे खेत पर लगे रहें। एबसेण्टी लैण्ड लार्डिज्म खतम हो। साथ ही हमारे राजस्थान में आज लाखों बेरोजगार हैं सबसे अधिक बेरोजगारी तो किसानों में है, उस बेरोजगारी को खतम किया जाय।

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से खेती के उत्पादन के बारे में और एम्पलायमेंट के बारे में एक सिद्धान्त कहा जाता है जिसको कहते हैं डिसगाइस इन एम्पलायमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। आज मान लें 114, 115 मिलियन टन हम उत्पादन करते हैं, करीब 35 पर्सेन्ट भारत की जनता अनाज के इस उत्पादन में लगी हुई है। मान लीजिये, इसमें अपन 40 करोड़ काश्तकारों को यहां से उठाकर अमेरिका के भौगोलिक स्थान पर रख दें तो उत्पादन का क्या होगा, उत्पादन 114 मिलियन टन ही रहेगा। इसलिये आज जो 40 करोड़ खेती के एम्पलायमेंट में लगे हुए हैं उनमें जो अन-एम्पलाइड हैं अगर उसको हटा दिया जाय तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आयेगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सब बातों को पेश करते हुए चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने कमिटमेंट को समझे और कमिटमेंट को समझ करके लैण्ड रिफार्म को जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट करें। अब जो एलोकेशन जमीन पर हो रहा है वह ज्योग्राफिकल और दूसरे कारणों को ध्यान में रखकर छोटे-छोटे पीजेन्ट को इस तरह से आलोकेशन किया जाय ताकि देश सुचारु रूप से चल सके और किसान की जो सारी की सारी फेमिली है वह उस पर श्रम करके अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। यह तो रही, उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर की बात।

अब जो मुद्दा उठाया है बिजली का, मुख्य मंत्री जी से मैं बात कर रहा था, एक दिन मैंने कहा, मुख्य मंत्री होना और मिनिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह है कि अब आप दूसरी बार बने हैं तो कुछ न कुछ राजस्थान के विकास के लिये और राजस्थान की खुशहाली के लिये स्वप्न बनाइये और ऐसा स्वप्न बनाइये ताकि

(श्री मोहन छंगाणी)

राजस्थान की सारी की सारी जनता उस स्वप्न में सराबोर हो जाय, और सराबोर ही नहीं हो जाय वह स्वप्न साकार रूप भी ले। मैंने कहा, आज आप मुख्य मंत्री हैं, राजस्थान की दो समस्यायें हैं। बहुत बड़ी समस्या पीने के पानी की है, और दूसरा पिछड़े इलाके को ऊपर उठाने की है। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि मेरे मुख्य मंत्रित्व काल में पानी की समस्या और बिजली की समस्या कम से कम हल हो जाय। मैं भी, उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह समस्या हल हो। उपाध्यक्ष महोदय, जब बिजली के बारे में बात चली तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के बारे में अपन किस स्थिति में खड़े हैं, यह सपना साकार होगा या नहीं, हमारे पास समाधन हैं या नहीं जिनसे इसको पूरा कर सकेंगें खास तौर से हमें साइन्टिफिक दृष्टि से देखना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि यों ही हम साबुन के गोले उड़ाते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा खास तौर से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, एक जब कमी आई तो वह कमी कैसे आई बिजली की इसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। आर. एस. वी. ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया। इस वर्किंग ग्रुप ने यह अध्ययन किया कि 85-86 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 तक कितनी बिजली का जनरेशन होगा, अवेलेबलिटी कितनी होगी और पीक पीरियड पर कितनी डिमान्ड होगी उन्हीं के इंजीनियर्स के कथनानुसार उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुन करके अचरज करेंगे 85-86 में हमारी पीक डिमान्ड 1733 मेगावाट होगी और अवेलेबलिटी 1034 मेगावाट होगी, शार्टफाल या शार्टेज 704 मेगावाट रहेगी। 86-87 में 1934 पीक पीरियड की डिमान्ड होगी और अवेलेबलिटी 1092 मेगावाट होगी और शार्टफाल या शार्टेज 842 मेगावाट होगी, 87-88 में 2139 मेगावाट पीक पीरियड की डिमाण्ड होगी अवेलेबलिटी 1 ;3 मेगावाट होगी और शार्टेज 809 मेगावाट होगी, 88-89 पीक पीरियड की डिमान्ड 2368 होगी अवेलेबलिटी 1522 मेगावाट होगी और शार्टफाल या शार्टेज 846 मेगावाट होगी 89-90 में 2590 मेगावाट की डिमान्ड पीक पीरियड में होगी और अवेलेबलिटी 511 मेगावाट होगी और शार्टफाल 1079 मेगावाट होगी। यह आने वाले पांच साल का नक्शा है। उस सूरत मे जबकि यह माना गया कि सिंगरोली, कोटा, थर्मल प्लान्ट अनूपगढ़, भाखरा काम्पलेक्स और बदरपुर से तो बिजली मिलेगी, जो हमारे हिस्से की बिजली है। इसके अलावा हम यह भी मानकर चलते है कि जो हमारे प्रोजेक्शन्स हैं कोटा थर्मल प्लाण्ट सैकण्ड फेज में यहां तक लोग कहते हैं कि थर्ड स्टेज कब होगी पता नहीं, फिर भी उसके लिए कमिटमेंन्ट है। पलाना बिजली तापघर और आर.ए.सी. चम्बल मिनि माइक्रो सेन्टर, सूरतगढ़ मिनि हाइडल स्कीम, पूगल हाइडल स्कीम और गैस थर्मल स्कीम जैसलमेर इन सबका पावर जैनरेशन अवेलेबल होने के बाद करीब 1100 मैगावाट हमारी पचवर्षीय योजना के अन्त तक कमी रहेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कमी रहेगी, इस स्थिति का निवारण कैसे किया जाय। हम तो मानते है कि बिजली की समस्या हल हो पर बिजली की समस्या हल करने में कितना इन्वेस्टमैन्ट लगेगा, कहां से बिजली आयेगी, कैसे जैनरेट करेंगे, यह जो मैनेजमेन्ट की प्रोब्लम है

(श्री मोहन छंगाणी)

है। आर0 एस0 ई0 बी0 की यह मुंह बाये खड़ी है. यह कन्ट्रोल में नहीं आती है, कोई इस पर कन्ट्रोल नहीं करता है। इसको कैसे कन्ट्रोल करेंगे। आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ट्रांसमिशन लोस, जैसा विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने बताया, करीब 35 परसेंन्ट है। अब घटकर 23 परसेंन्ट आता है मेरी प्राइवेट इन्फार्मेशन के आधार पर। अब यह मानकर चलते हैं 17 परसेंन्ट से नीचे जा नहीं सकते। एक पर्सेन्ट का एनुअल लास है वह एनुअल लोस हमारा दो करोड़ से ढाई करोड़ के बीच में आता है। एक पर्सेन्ट हम घटा दें तो एनुअल प्रोफिटेबिलिटी करीब ढाई करोड़ की एक पर्सेन्ट में जाती है। अगर 30 पर्सेन्ट, 25 पर्सेन्ट भी हम मैनेजमेन्ट को घटा दें ज्यादा चलायें और एनर्जी का जो यूज होना चाहिए उस एनर्जी का यूज ज्यादा बढ़ायें तो आप अचरज करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जापान में एनर्जी का यूज, एनर्जी एफिशिऐंसी जिसको कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी 22 पर्सेन्ट और 22 टू 25 परसेन्ट सारे यूरोप और सारे अमरीका में है पर हमारे यहां एनर्जी एफिशिऐंसी का नाम भी नहीं है। इस स्थिति में....

श्री दीनबन्धु वर्मा : Transmission losses, they are also in European countries.

श्री मोहन छंगाणी : of course, thereare.

हमारे यहां जब यह बिजली घर बना तो यह मानकर चलते थे कि यहां जिस तरह की ज्योग्राफी है और जिस तरह के यहां डिस्टेंसेज कवर करने पड़ते हैं, आज 20-20 माइल तक कोई कन्जूमर नहीं मिलता। जो आर0 एस0 ई0 बी0 का एम्पलायमैन्ट और मैनेजमैन्ट का रेश्यो है, इस हिसाब से इन बिल्ट एफिशिऐंसी को भी ले लें तो 6 से 8 पर्सेन्ट से ज्यादा लोस नहीं चाहिए। यह मानकर चलते हैं फिर भी हम लिबरल हो जायें, 10 पर्सेन्ट मान लो तो भी 25 पर्सेन्ट जो लोस है वह सारा मैनेजमैन्ट का लोस है. हमारी अपनी गलतियों का लोस है। इस लोस को कम से कम घटाया जा सकता है और इसको घटाने पर साल का कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया हम बचा सकते हैं, बिना टैक्स लगाये। मैं इस आधार पर यह हिसाब लगा रहा हूं कि सिर्फ मैनेजमैन्ट का लोस है। आज हम ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल कन्डीशन्स की बात कहते हैं उसमें कोई लेशमात्र भी मतभेद नहीं है। ज्योग्राफिकल कण्डीशन के कारण तो लोस हमने मान लिया, इनएफीशिऐंसी के कारण लोस भी मान लिया। अब इनएफीशिऐंसी कितनी करेंगे? बाड़ ही खेत को खा जाय तो बात दूसरी है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम अलोकेशन कर रहे हैं तो यह बात जरूर है कि हम सारे मुद्दों को ध्यान में रखें, इन्वेस्टमैन्ट की पालिसी को डिटरमिन करें। आज हर एक आदमी, जो आर0एस0 ई0बी0 में लगा हुआ है, किसके लिए काम कर रहा है, क्या कर रहा है उसको भी देखें और उसकी एफीशिऐंसी को निर्धारित करें। तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि मैनेजमैन्ट के कारण जो लोस है वह कम से कम 20 से 25 परसेंन्ट घटाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर

(श्री मोहन छंगाणी)

से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां यह मानकर चलते हैं कि जब कोई गड़बड़ी होती है तो आई0ए0एस0 आफिसर गड़बड़ी की कमी को दूर कर सकता है। ऐसी धारणा बनी हुई है सरकार की खास तौर से राज्य सरकार की। अब चूंकि चेयरमैन जा रहे हैं तो आप यह निश्चित मानकर चलिये कि दूसरा चेयरमैन कोई भी आई0ए0एस0 हो सकता है। आई0ए0एस0 जहां–जहां चेयरमैन लगे हुए हैं. जिस–जिस कारपोरेशन में लगे हुए हैं सब को देख लो आप। जो कारपोरेशन ब्याज कमाते हैं जैसे आर0एफ0सी0 वगैरह हैं, उनको छोड़ दीजिए, आप वेयर हाऊसिंग को छोड़ दीजिए जिनके पास भाड़ा आता है उनको दीजिए पर जो भी कामर्शियल एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी और कम्पीटीटिव एक्टिविटी में लगे है, जो मोनोपोली वाले कर्पोरेशन हैं आर. एफ. सी. वगैरह उसके अलावा कोई लाभ में हो नहीं सकता। वेयर हाऊसिंग की तो मोनोपली है आप इनको छोड़ दीजिए दूसरे जितने भी कार्पोरेशन हैं और जिन-जिन में आई. ए. एस. आफिसर लगे हैं। आई. ए. एस. में उन सारे कार्पोरेशन का बंटाढार कर दिया है। आज सारे लोग चिल्ला रहे हैं, कार्पोरेशन बन्द करो। हमने कारपोरेशन की स्थापना की थी, वह इस सिद्धान्त को मानकर स्थापना की थी, जिस तरह से प्लानिंग कमीशन और पण्डित जी कहा करते थे कि इकोनोमी की कमाण्डिग हाइट्स होंगे। अब कमाण्डिग हाइट्स तो क्या हमको तो गड्ढे में डाल दिया उन्होंने। उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुभव को देखते हुए हम कार्पोरेशन के बारे में क्या करें और क्या नहीं करें इस पर तो सोच विचार करना है। पर उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य करेंगे, प्लानिंग कमीशन का चौथे प्लान से लेकर छठे प्लान तक लगातार कार्पोरेशन का रिटर्न 15 पर्सेन्ट निर्धारित था। यह मानकर चलते थे कि 15 पर्सेन्ट रिटर्न मिलेगा। उसमें यह भी उन्होंने माना था कि अगर मोनोपोली है जैसे रोड़वेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की मोनोपोली है, मोनोपोली का फायदा नहीं उठाते हों, उसके बारे से सोचते हैं कि मोनोपोली का फायदा नहीं उठाना है उसके लिए आपरेशनल मापदण्ड अलग होंगे, जो भी कार्पोरेशन फक्शनल एफीशिऐंसी कम्पीटीटिवनेस के आधार पर खड़े हो सकें, उन्हें ही चालू रखा जाय, पर हमारे कार्पोरेशन है, आज सुबह आर. टी. डी. सी. की बात चल रही थी, जब से इसकी स्थापना हुई है 2 करोड़ 9 लाख का तब से घाटा हो गया। 3–4 करोड़ की पूंजी और इतना घाटा, यह चलेगा कैसे। जब एफीशिऐंसी नहीं है, जब हम उसको लाभ में नहीं चला सकते तो उसको बन्द करिये उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम इनको किसी भी तरह उस आई. ए. एस. के जिम्मे नहीं करना चाहिए यह मेरी निश्चित् मान्यता है। आज भी....

श्री दीनबन्धु वर्मा : आर्टिकल्स आफ मैमोरेण्डम में प्रोवाइडेड है।

श्री मोहन छंगाणी : वह हम बनाते हैं, हम चेंज कर सकते हैं।

आज भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि सारे देश को इस तंत्र ने गड्ढे में उतार दिया है। वह कितने सफल होंगे, यह दूसरी बात है पर कम से कम उसके बारे में सोचते हैं कि

67

(श्री मोहन छंगाणी)

आज जितने कार्पोरेशन हैं उनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमैन्ट ट्रेंड की पूरी की पूरी सर्विसेज होनी चाहिए। आज जो आई. ए. एस. आफिसर काम कर रहे हैं सब जगह एग्रीकल्चर का काम हो तो उसको सुपुर्द कर दो, रोड़वेज का काम हो तो उनको सुपुर्द कर दो, कोई काम हो तो उनको सुपुर्द कर दो, यह पुलिस विभाग है तो उनको सुपुर्द कर दो, पी. एच. ई. डी. है, पानी का विभाग है तो उनको सुपुर्द कर दो, एनीमल हसबैन्ड्री है तो उनको सुपुर्द कर दो, उनको पता नहीं, गाय, मैंस में क्या फर्क है, फिर भी आज उनको सुपुर्द करने के लिए हम तैयार हैं। इस ढंग की स्थिति कम से कम यहां से खतम की जाय। आपको कार्पोरेशन जिद्ध के रूप में चलाने हैं तो कम से कम उसका कैडर सिस्टम होना चाहिए। आप अहमदाबाद मैनेजमेन्ट इन्सटीटयूट से ट्रेण्ड लोगों से चलाइये। मुझे अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, जब महाराष्ट्र फाइनेन्शियल कार्पोरेशन और महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन की स्थापना हुई तो निश्चित तौर से उन्होंने यह तय किया कि सारे के सारे मैनेजमेण्ट ट्रेण्ड होने चाहिए इससे एक छोर पर टैक्नीकल एडवाइस, गाइडैन्स, जो भी फाइनेन्शियल गाइडैन्स इण्डस्ट्रियल यूनिट के लिए चाहिए, उसी जगह मिल जाती है और उसी जगह उनकी सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। अब रीको, आर.एस.एम.डी.सी. किस हालत में चल रहा है, आप बतायें। बड़ा अचरज करेंगे आप, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ रांका है जो रीको को पैसा दे रहा है बाकी सारा का सारा पैसा डूब गया। इसके अलावा कोई भी यूनिट चलती नहीं बावजूद इसके भाव भी अच्छे हैं। हमारे यहां मानकर चलते हैं, जिन-जिन चीजों के भाव स्थिर हैं जैसे शुगर के अच्छे भाव हैं, गेहूं के अच्छे भाव हैं जहां भावों में स्थिरता हो जाती है और उस उत्पादन में कोई यूनिट लगती है तो निश्चित तौर से वह यूनिट फलती फूलती है। आज महाराष्ट्र की शुगर इण्डस्ट्रीज खूब फल-फूल रही हैं क्योंकि निश्चित तौर से भाव मिल जाते हैं स्थिर भाव मिलते हैं। उत्पादन के लिए यह जरूरी है कि मैनेजमेन्ट अच्छा हो। आज काश्तकारों के जितने कार्पोरेशन हैं यह अनाप-शनाप मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं और जितना जुरिस्डिक्शन उनका है उस जुरिस्डिक्शन में जो काश्तकार रहते हैं, जो उनके मैम्बर हैं वह भी प्रोस्पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इन कार्पोरेशन के लिए तो पहले तो सोचिए कि इनको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। भाटी साहब अभी आ गये हैं खास तौर से आर. टी. डी. सी. के बारे में मैं चाहूंगा कि आर. टी. डी. सी को समाप्त करें। इसका जितना काम है उसको टूरिस्ट डिपार्टमैण्ट भी कर सकता है। इस हाथी को बांधने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से दूसरे भी कार्पोरेशन हैं उनके बारे में भी जल्दी से जल्दी विचार करके उनको समाप्त करिये ताकि हमारा घाटा तो खतम हो। अगर आज समाप्त नहीं होते हैं तो जो कोई ले खरीदे उसको दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. के बारे में बात चल रही थी, 1100 करोड़ का एनविसेज कर रहे हैं शार्ट फाल, यह

(श्री मोहन छंगाणी)

शार्ट फाल कैसे दूर किया जाय । पलाना लिग्नाइटट तो ले लिया है । बाड़मेर में कपूरड़ी में भी अच्छा लिग्नाइट मिला है । पर पता नहीं हमारी आर्थिक स्थिति जैसी है इसमें संसाधन कैसे जुटा पायेंगे ? एक से ज्यादा लिग्नाइट से जैनरेशन स्टेशन्स खोल पायेंगे या नहीं ? इस बारे में विचार करना चाहिए ।

इसके साथ ही हमने मुख्य मन्त्रीजी से कहा था, निवेदन भी किया था और उनका स्टेटमैण्ट भी आ गया बीच में कि हम प्राइवेट सैक्टर को पावर जैनरेशन का काम दे रहे हैं । मेरे जैसे आदमी, जो आठ दस साल तक कम्युनिस्ट पार्टी में रहा हो, के लिए मुश्किल हो जाता है यह कहना कि प्राइवेट सैक्टर को दे देना चाहिए । पर अगर हमारे अनुभव उस हिसाब से नहीं होते हैं तो उस स्थिति को छोड़ देना चाहिए । आज भारतवर्ष में जो भी इण्डस्ट्रीज लगी हैं, जिस तरह से इण्डस्ट्रीज चल रही हैं उसके हिसाब से उपाध्यक्ष महोदय, पावर जनरेशन के फील्ड में हम पहले से ही मंजूर कर लें कि छोटी छोटी पांच, दस, पन्द्रह, बीस मेगावाट तक की कम से कम पावर जनरेशन कम्पनी प्राइवेट सेक्टर में, ज्योइण्ट सैक्टर में जहां भी बने, वहां बनानी चाहिए क्योंकि प्राइवेट सैक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट भी होगा । मैं अभी वर्क आउट कर रहा था, अगर पन्द्रह कम्पनियां कार्मशियल आधार पर और जाइण्ट सैक्टर में बनाई जायं तो प्राइवेट सैक्टर की पन्द्रह कम्पनियों में टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वह करीब डेढ़ सौ करोड़ से तीन सो करोड़ के बीच में चला जाएगा । डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज में, जिसको वर्क आउट करना है, पोटेंशियल कितना है पावर जनरेशन का, और दूसरे दूसरे में डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ तक इन्वेस्टमेंट चला जाएगा उसमें प्राइवेट सैक्टर का पन्द्रह पर्सेन्ट होगा । रीको हो या कोई भी दूसरी संस्था हो, जो भी गवर्नमेंट तय करे, इस तरह से जोइन्ट सैक्टर में पावर जनरेशन की व्यवस्था की जावे और जो हम अपना हजार या ग्यारह सौ मेगावाट का शार्ट फाल मानते हैं ग्यारह सौ मैगावाट का वह शार्टफाल कम किया जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. का दूसरा सवाल है मैनेजमेंट और लेबर का मैनेजमेंट लेबर का इसलिए कहता हूं कि हमारी यह धारणा चल रही है, हम तोड़-फोड़ कर जितनी यूनियनें बनायेंगे उतनी यूनियन बनाने से हमारी पालिसी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सुविधा रहेगी । यह इल्यूजन आज से नहीं कई वर्षों से लगातार सहला-सहला कर रखते आए हैं । इस इल्यूजन ने कहीं भी, कभी भी आर. एस. ई. बी में काम नहीं करने दिया । आज आर. एस. ई. बी. में चार-पांच यूनियनें बनी हुई हैं । उनकी लगातार लड़ाई चल रही है । जो मान्यता प्राप्त यूनियन हैं. लगातार हमारा यही ध्यान रहता है कि उसको किस तरह से तोड़ा जाय और राइवल यूनियन की किस तरह से स्थापना की जाय मेरा निश्चित ख्याल है और क्योंकि मेरा निजी अनुभव भी रहा है इस बारे में, हम यह मत बना लें कि जो बहुमत में यूनियन है उसको रिकगनिशन दे कर के उनकी सारी की सारी डिमाण्ड्स या ग्रीवेंसेज हैं उनको कैसे भी पूरा और रिड्रेस करने की सम्भावना खड़ी करके, उत्पन्न करके, उसके साथ समझौता करके, आज जो दरार आई

(श्री मोहन छंगाणी)

हुई है मैनेजमेंट और यूनियन में वह खतम की जाय ताकि आर.एस.ई.बी. का काम भी अच्छी तरह से चल सके, रेशनलाइजेशन का काम हो सके, आज जो स्टाफिंग पेटर्न हमें बदलना है, वह बदल सकें और सुचारू रूप से, शांति से बदलाव हो जावे। इसलिये आज जो इन्ट्रा-यूनियन राइवलरी चल रही है उसको आप शीघ्रातिशीघ्र खतम कीजिए। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगर हम सही कदम उठायें और मान्यता प्राप्त या दूसरी यूनियन उसके खिलाफ हो तो आप मान कर चलिये कि आज जिस तरह से टेररिज्म और सबोटेज की एक्टीविटिज हो रही हैं, कल लेबर नाराज हो कर के इस तरह की एक्टीविटीज पर भी उतर जायगा और वह सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्दिन होगा। आज जो भी यूनियन वहां है, वे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। उसके लिए कोई न कोई वार्ता चलाई जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय जो दोनों यहां विराजमान हैं से मैं निवेदन करूंगा कि कोई न कोई केबिनेट की सब कमेटी का निर्माण किया जाय। उनको ग्रीवेंसेज को फिर से सुन करके उनको दूर किया जावे ताकि आर.एस.ई.बी. का हमारा जो प्रोग्राम है वह आ.एस.ई.बी. का प्रोग्राम सुचारू रूप से चल सके और आर.एस.ई.बी. का जो बजट है हम जल्दी से जल्दी उनको कम करके आगे बढ़ा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भी फाइनेंस कमीशन आता है तो दो संस्थाओं के बारे में खास ध्यान रखता है, एक तो आर.एस.ई.बी. और एक है रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन। रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन में पहले फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने यह प्रस्ताव किया था कि जिस-जिस प्रदेश में भी रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन है उनका कम से कम सिक्स पर्सेंट रिटर्न होना चाहिए। इसके बाद फिर विचार हुआ और विचार होने के बाद यह तय हुआ कि सिक्स पर्सेन्ट नहीं रहे, क्योंकि उनको कम दरों पर अपना किराया रखना पड़ता है, व और भी सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं। तो इस बात को मानते हुए कम से कम तीन पर्सेन्ट रिटर्न होना चाहिए। इससे ज्यादा हमको रिटर्न नहीं चाहिए। हमारे आप आंकड़ें देखें, खास तौर से उनकी आडिट रिपोर्ट्स देखें, उपाध्यक्ष महोदय, तो आप अचरज करेंगे कि एक दिन में जो आन कान्ट्रेक्ट बस, प्राइवेट बस है वह 380 किलोमीटर चलती है और रोडवेज की बस 295 किलोमीटर चलती है। इससे फंक्शनल एफिशिऐंसी का आप अन्दाजा लगाइये बसेज की। आज जो मुनाफा हो रहा है वह मोनोपोली के कारण हो रहा है। जैसे हम कहा करते हैं कि भाई और ड्यूअल इकोनोमी हो जावे, दो तरह की अर्थ व्यवस्था हो जावे या हम पझ्योडं प्राइस किसी इंस्टीट्यूशन को दें दें तब बात अलग से है पर वह बात बड़े पते की है। मैं 65, 66, 67 में तराई यूनिवर्सिटी का एजेन्ट था चार पांच स्टेट्स में उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, मैक्सीकन गेहूं आया था। मैक्सीकन गेहूं आया। खूब खाद थी, खूब बीज अच्छा था और कई तरह के खेतों में और यू.पी. की तराई के खेतों में, इर्द-गिर्द के खेतों में उत्पादन एक-एक खेत का करीब एक एकड़ में 25-25 और 22-22 क्विन्टल हुआ। उस समय पचास-साठ रुपया क्विंटल का भाव था गेहूं

(70)

(श्री मोहन छंगाणी)

का खास तौर से मैक्सीकन का। अपने गेहूं के भाव ऊंचे थे। अब किसान ने लड़ाई शुरू की। किसान ने लड़ाई शुरू की, उपाध्यक्ष महोदय, भाव बांधो। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन मैदान में आया और धीरे-धीरे सौ रुपये क्विण्टल के भाव हो गए, फिर 105 के हो गए। इसके बाद यह देखा गया, जब एड्योर्ड प्राइस मिल गई, उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन वर्षों में उनकी पर एकड़ प्रोफिटेबिलिटी बढ़ गई और फिर प्रोडक्टिविटी घट गई। भाई, यह कैसे हुआ? जब भाव पचास रुपये क्विण्टल थे या साठ रुपये क्विण्टल थे तो पच्चीस क्विण्टल का उनको कुछ भी नहीं मिलता था। सात सौ, आठ सौ लग जाते थे उसके और सात सौ आठ सौ उनको मिलता था। मिलता ही नहीं था कुछ भी उनको। तो फसल काटनी चाहिए, जलानी चाहिए, इस स्थिति में रहने लगे। जब सौ रुपये के भाव हो गए तो उनकी अच्छी प्रोफिटेबिलिटी हो गई पर जो टोटल प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वह प्रोडक्टिविटी एक दम घट गई, करीब पौनी हो गई पर प्रोफिटेबिलिटी बढ़ गई। इसी तरह से जहां-जहां मोनोपोली के मार्केट होते हैं, जैसे रोडवेज खास तौर से सबसे बड़ा मोनोपोलिस्ट है, मैंने रोडवेज का कामकाज भी देखा है, सम्भाला है, इसलिए व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि रोडवेज लगातार भाड़े पर भाड़ा बढ़ा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 73-74 में डीजल की प्राइसज बढ़ीं, स्पेयर्स के भाव बढ़े और टायर ट्यूब के भाव आकाश छूने लगे, एकदम स्टर्ट हो गये थे तो हमारे सामने सवाल आया कि हम क्या करें। हमने भाड़ा बढ़ाया नहीं। एक भी भाड़ा बढ़ाया नहीं। कहीं पर भी। यहां तक कि जयपुर की सिटी बस सर्विसेज थी जो उस समय करीब पन्द्रह से बीस लाख रुपये घाटा देती थी उसको भी कायम रखा। वह घाटा करीब 35 लाख तक पहुंच गया था बाद में। बीस लाख का घाटा था उसको भी कायम रखा और जब मैंने छोड़ा 76 में तो उस समय करीब अस्सी लाख से नब्बे लाख के बीच में प्रोफिट में छोड़ कर गया था।

श्री दीनबन्धु वर्मा : I want to interrupt.

श्री मोहन छंगाणी : हां हां जरूर।

श्री दीनबन्धु वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब माननीय छंगाणी साहब ने रोड ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद से क्या वे यह महसूस नहीं करते कि जनता की परेशानी बढ़ी? आज वेस्ट बंगाल के अन्दर सी.पी.एम. की गवर्नमेंट खुद यह....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में इन्टरप्ट नहीं करें।

श्री दीनबन्धु वर्मा : वेस्ट बंगाल के अन्दर सी.पी.एम. की गवर्नमेंट स्वयं आज इस बात को महसूस करती है कि हमने नेशनलाइजेशन करके गलती की है। मैं यह चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डिस्कशन नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री दीनबन्धु वर्मा : क्या आप यह मानते हैं कि दरअसल में नेशनलाइजेशन करके रोडवेज ने जनता को परेशानी में डाला है, इसमें कुछ लाभ नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिस्कशन नहीं करें।

श्री मोहन छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दीनबन्धु जी ने जो बात उठाई है वह सही है। उदयपुर वाले शुरू से उठाते रहे हैं क्योंकि उदयपुर के माननीय सदस्यों का तो नहीं कहता लेकिन उदयपुर में खास तौर से जो इलीट्स हैं उनका और ट्रांसपोर्ट का खासा सम्बन्ध रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने भी उनकी ही बात मानी है।

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : नहीं मानी। उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं। पर यह सही है कि उदयपुर डिविजन ने खास तौर से विरोध किया। मुझे बराबर डेलीगेशन्स का सामना करना पड़ता था कि नेशनलाईजेशन मत करो। जब अजमेर से बांसवाड़ा बसें गई, अजमेर से उदयपुर बस रात को गई तो सबसे ज्यादा विरोध उदयपुर डिविजन में हुआ था और उनका विरोध कुछ अंशों में ठीक भी था।

डिससेटिस्फेक्शन तो यह था, जो रूट हमने लिए और बीच में जो छूट गये उनके लिए भी मैंने कहा था कि यह एरिया नेशनलाइज एरिया में ले लेता हूं। यह नट गये कि साहब इस एरिया की जो बसें वह छूट जाऐंगी, उनको भी शामिल करें, सारे का सारा डिविजन है वह सारा नेशनलाइज हो जाएगा तो आज जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वह कहीं नहीं मिलेगी, रोडवेज ही मालिक होगा। यह मैंने पहले कहा था पर यह मानें नहीं इसलिए वह रुक गया। मैं निश्चित मान कर चलता हूं, रोडवेज की जब हमने स्थापना की तब मेरी जो मान्यता थी वह अभी भी मेरी मान्यता है कि चाहे रेल हो या बस हो, यह प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। हम राजकीय उपक्रम के रूप में जहां घुस गये और राजकीय व्यापार शुरू कर दिया, वहां हम सोचते हैं कि ठीक नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं पर खास तौर से होस्पिटल, रोडवेज, रेलवे ये सब गवर्नमेंट ओन्ड होने चाहिए। आज भी मेरी यह मान्यता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब नेशनलाइजेशन शुरू किया तो 6% या और मैं 36 प्रतिशत ऊपर ले गया, आज 33 प्रतिशत है, क्योंकि रोड ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर नेशनलाइजेशन नहीं हुआ यह सब से बड़ी खराबी है। इसलिये आज भी मैं चाहूंगा....

(व्यवधान)

अब आप यहां हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि झण्डा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइजेशन करेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा में नेशनलाइजेशन है, उसी तरह से राजस्थान का सेंट पर्सेंट होना चाहिए, रोडवेज की बस ही रन करनी चाहिए। आप चाहें तो चार टुकड़ों में, चार भागों में बांट सकते हैं उसका मेंटिनेंस इंजीनियरिंग और सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्पर्सल हो जाय ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। आप रोडवेज में मुनाफा कमा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना भाड़ा बढ़ गया कि आज लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आज रोडवेज वाले कह रहे हैं कि हमने इतना मुनाफा कमा लिया। मुनाफा तो आप कमा सकते हैं क्योंकि आपकी बराबरी का दूसरा तो है ही नहीं

(श्री मोहन छंगाणी)

पर आप सोचिये, जो सर्विस इंडस्ट्री है उस सर्विस इंडस्ट्री को कितना मुनाफा होना चाहिए, इसका मापदण्ड होना चाहिए एफिशियेंसी को चैक करने के लिए यहां के माननीय सदस्यों को भागीदार बनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन छंगाणी : एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे खास तौर से एक बात कह रहा था, मैं अपेक्षा करता हूं राज्य सरकार से और खास तौर से कांग्रेस के माननीय सदस्यों से, जिस तरह की 5-10 साल में पोलिटीकल लीडरशिप इमर्ज हुई है, कई कारणों से माननीय सदस्यों ने खुल कर जिस तरह से भाग लेना चाहिए राज में और खुल कर जिस तरह से डिसेंट देना चाहिए, मुझे दुःख है कि वह दे नहीं पा रहे हैं। उनको आज ए.सी. आर. की बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो बराबर इसके लिए लड़ाई करता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस तरह से भाग लें जिससे ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठायें और मुद्दे उठाकर सिद्ध कर दें कि अभी भी कांग्रेस के लेवल पर डेमोक्रेसी उसी तरह से फंक्शन कर रही है जिस तरह से पहले करती थी, मंत्री होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि चुप रहा जाय। खास कर पंकज पंचोली से कहा गया माननीय सदस्य, चुप रहने का है या दामोदर जी आचार्य कल बोल गये अब चुप रहेंगे तो उनके मिनिस्टर बनने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं हो। खास तौर से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होना चाहिए क्योंकि लैक आफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के कारण कई बातें हुई हैं, आप और हम सोते, सहन करते रह गये। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल लीडरशीप के लिए जरूरी है कि वह सशक्त लड़ाई लड़े और अपने विचारों को पूरी तरह से प्रस्तुत करें। सदन के अन्दर विरोधी पार्टी के अन्दर भी ऐसा मोर्चा बने ताकि राज्य का हित हो।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में एक बात कहूंगा। आज भारत सरकार को जो टैक्स से आमदनी होती है उसके 37 प्रतिशत का फाइनेंस कमीशन को बंटवारा करना पड़ता है और बाकी का हिस्सा भारत सरकार खा जाती है। 37 प्रतिशत गाडगिल फार्मूला है वह गाडगिल फार्मूला पाप्युलेशन के आधार पर बना हुआ है। गाडगिल फार्मूला जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक राजस्थान सरकार को जो हिस्सा मिलना चाहिए वह कभी नहीं मिल पायेगा। महाराष्ट्र सरकार के बीच ने दाण्डेकर कमेटी बनाई। उसके सामने खास तौर से सवाल था रीजनल इम्बैलेंस का, उसने कोई मापदंड निर्धारित किया वह हमारे यहां भी लागू। पर आज हम बोलते नहीं। गाडगिल फार्मूला के तहत आप अचरज करेंगे हमें डेजर्ट डवलपमेंट के लिए सिर्फ 10 करोड़ दिये गए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन या रिफोर्म या अपग्रेडेशन उसको कह लीजिए, पांच साल के लिए 28 करोड़ दिये गये। आपको पैसा क्या मिलता है। राजस्थान का अगर विकास करना है उत्थान करना है तो जरूरी है कि गाडगिल फार्मूले पर अटैक किया जाय। गाडगिल फार्मूले पर अटैक करने का मतलब है कि फैडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाय, सेंट्रलिटी को कमजोर किया जाय यह बात नहीं कि सैंट्रलिटी को तोड़ा जाय सेंट्रलिटी को कायम रखा जाय, फैडरलिज्म को मजबूत किया जाय ताकि जो भी मैके-

(श्री मोहन छंगाणी)

निजम बनते हैं हमें ठगने के गाडगिल फार्मूला या दूसरा फार्मूला उनको हम तोड़ सकें। तोड़ तभी सकते हैं जब कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य मजबूत हों, संगक्त हों, डेमोक्रेसी के लिए फंक्शनिंग करें. अब यह बात दूसरी है कि सब लोग कहते हैं :–

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गई। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, सभी अपोजीशन के माननीय सदस्य कहते हैं, मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने मजाक किया था, लिस्बन में भूकम्प आ गया, पुर्तगाल के एक शहर में भूकम्प आ गया, हजारों मकान ढह गए, हजारों मलबे के नीचे दब गये। लोग चिल्ला रहे थे, इंटरनेशनल एजेंसी काम कर रही थीं तो एक आदमी, जो क्रैंक था, वेण्डर था, जोर जोर से एण्टी अर्थक्वेक पिल्स बेच रहा था। एक वर्कर ने पूछा, यह एंटी अर्थक्वेक पिल्स कौनसी होती है? नजदीक जाकर उसने पूछा–"Old man, do you believe them to be effective ?"
तो उसने जवाब दिया–"Tell me, young man, what is the alternative ?"

इसलिए हम सहन कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

(धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूलाल भारद्वाज कृपया 5-5 मिनट बोलेंगे, बोलने वाले बहुत हैं इसलिए मैं यह चाहूंगा।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समय का सवाल है, मैं कम ही समय लेने की कोशिश करूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिये समय का बंटवारा

श्री राजकुमार जयपाल : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि कुछ समय पार्टीज में बांटा दिया जाय। उसके अनुसार जो समय बांटा गया था, हमारी पार्टी को समय नहीं मिला है। अण्डर रूल 213 (2), 216 218 या तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के अनुसार टाइम एलोकेशन को वापिस रिवाइज करें या रिवीजन नहीं होता है तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय था वह ही हाउस का आर्डर माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उसी तरह से समय दिया गया है। समय अलाटेड है, किस-किस को कितना समय मिलेगा किसको कितना समय देंगे वह दिया हुआ है।

श्री राजकुमार जयपाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को 9.15 घंटे दिये थे ये कल तक 6.45 घंटे हुए।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल है। नोटेड है।

श्री राजकुमार जयपाल : बी. जे. पी. को 3.05 घंटे दिये गये थे कल 4.04 घंटे हुए। लोक दल को 2.15 घंटे दिये गये

(श्री राजकुमार जयपाल)

कल 2 31 हुए। जनता पार्टी को 45 मिनट का समय दिया गया था, कल 55 मिनट का समय लिया सी. पी. आई. को 10 मिनट का समय दिया था, पर 30 मिनट लिये और इंडिपेंडेंट को 30 मिनट का हिसाब दिया गया था, आज फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य का समय मिला कर 1.15 घटा हो चुका है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अलावा सभी पार्टीज को ज्यादा समय दिया है यह हमारे अधिकारों पर इन्क्रोचमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : आप महसूस करते हैं कि विरोधी पक्ष को ज्यादा समय मिल रहा है। समय कज्यूम हो गया उसके बाद भी इतने नाम दे दिये इसलिए कोशिश करूंगा, सब को अकामोडेट करने की कोशिश करूंगा।

श्री राजकुमार जयपाल : श्रीमन्, रूल बड़े क्लियर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय कम मिला है यह हमने माना है।

श्री राजकुमार जयपाल : Regarding allocation of time, Sir, the Rule is absolutely clear.

श्री उपाध्यक्ष : सत्ता पक्ष को कम मिला है यह मानते हैं

श्री राजकुमार जयपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल का हवाला दे रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनका बजट भाषण का समय जोड़ लिया जाय और बजट पर हुई बहस का जवाब देने का समय जोड़ लिया जाय। दोनों जोड़ने से कांग्रेस का समय हमारे से ज्यादा हो चुका है। बजट भाषण जो दिया है वह समय जोड़ लिया जाय और बजट पर बहस का जवाब देंगे मुख्य मन्त्रीजी, वह समय जोड़ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो टाइम अलोटेड हैं उसी हिसाब से टाइम दे रहे हैं।

श्री राजकुमार जयपाल : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो रिकमण्ड किया वह इस हाउस के द्वारा अप्रूव किया गया है। वह आर्डर तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वापिस उसको चेंज नहीं कर दे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बजट भाषण का समय नहीं जोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : समय और बढ़ाया गया है उसी हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी।

(व्यवधान)

और समय दे रहे हैं। समय का डिवीजन भी बी. ए. सी. ने नहीं करके स्पीकर साहब ने खुद किया है। समय जो बढ़ाया है उसके हिसाब से टाइम दिया जा रहा है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो यह है, बहुत काफी अच्छाइयां हैं उनको मैं कुछ उजागर करना चाहता हूं और दूसरी यह, बजट के अन्दर मेरे जो सुझाव हैं, कुछ जोड़ने के और कुछ कमीबेशी करने के, वह मैं प्रस्तुत करूंगा।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

जहां तक बजट की अच्छाइयों का सवाल है, कई ऐसी बात है जिन पर हमारे विरोधी दल के मित्रों का ध्यान नहीं गया है। उन्होंने उसको पढ़ा है पर उसको दर गुजर करके इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि किसी अच्छी बात को अच्छी कह कर न केवल मौजूदा बजट को बल्कि खुद को भी अच्छा साबित करते। यह बहुत जरूरी है अपनी बात के कहने, सन्तुलन रखने के लिए कि जहां हम बुरी बातों को बुराई करें और किसी बात की कोई नुक्ता चीनी करें वहां कोई बात बहुत अच्छी समझ में आये तो उसकी हम तारीफ करें। इससे अच्छाइयां बढ़ती हैं और बुराइयां घटती हैं। परन्तु अफसोस इस बात का है कि लगातार आठ चुनाव हो जाने के बाद विधायकों में अभी तक इस तरह की प्रवृत्तियों ने जन्म नहीं लिया है। खास तौर से विरोधी दल के सदस्यों ने यह समझ लिया है कि उनको हर हालत में बुराई करनी है। अच्छा यह हो कि वे किसी ऐसे पाइंट पर बुराई करें जिसके ऊपर सरकार ध्यान दे सकें और जो अच्छी बातें हैं उनकी वे तारीफ करें। मैं यह कहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर भारी अन्तर है, तीन हजार करोड़ की जो सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारी मौजूदा सरकार ने बनायी है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त की है वह पहले की योजना के बजाय 48.14 प्रतिशत के हिसाब से अधिक बनी है। यह कोई साधारण बात नहीं, आपने इसके बारे में एक शब्द कहने की आवश्यकता महसूस नहीं की कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीन हजार करोड़ का प्रावधान करके, एक प्रकार से डेढ़ी योजना बनाकर अपने आप में एक अच्छा कार्य किया है, राजस्थान के विकास के लिए अच्छा कार्य किया है। उस योजना में विद्युत और सिंचाई पर जिसके लिए विरोधी दल के नेता ने भी जोर दिया है। हम सब भी जानते हैं कि किसी प्रान्त की बहबूदी के लिए बिजली और सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो वृद्धि हुयी है उसमें 52.2 प्रतिशत विद्युत सिंचाई और कृषि पर खर्च किया गया है। यह इस योजना की बहुत बड़ी प्रशंसा लायक बात थी वह सोचते हैं कि विद्युत और सिंचाई की व्यवस्था बढ़े परन्तु विद्युत और सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाने के लिये सरकार ने जो प्रयत्न किया उसकी प्रशंसा में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। पर मैं इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा।

इसी तरह से सामाजिक सेवायें हैं, इसमें भी 21.34 प्रतिशत का जो प्रावधान किया है यह भी इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस आज किस प्रकार से सार्वजनिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखती है।

बिजली की वृद्धि का जहां तक ताल्लुक है, जब जनता सरकार आयी थी सन् 1977 में और वर्तमान मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने चार्ज दिया था एक हजार मेगावाट के करीब जो बिजली थी, उन्होंने तीन साल राज करने के बाद उसमें एक भी मेगावाट की वृद्धि नहीं की। जब वापस कांग्रेस ने राज्य सम्भाला, तो उसने एक यूनिट भी आगे बढ़ी हुयी नहीं मिली है। यह

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

बात जरूर है कि खुलकर के इन्होंने जो वितरण का श्रेय लूटने की कोशिश की वह सबके सामने है। गिनती गिनाने में सैंकड़ों नहीं, हजारों गांवों में हजारों कनेक्शन की बात कहते हैं परन्तु इतना विचार नहीं करते हैं कि कितनी गैर जिम्मेदाराना बात की है इन्होंने कि वितरण के कार्य को इतना बढ़ाया परन्तु उत्पादन के कार्य पर ध्यान नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, बिजली, इतना सस्ता सौदा नहीं कि यह चाहते तो भी तीन साल में बनना शुरू करते और बनना शुरू हो जाती। पर इनके दिमाग में कोई योजना नहीं आयी, इन्होंने योजना प्रस्तुत नहीं की, उसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया उसके लिये कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की और उसका कोई कार्यक्रम नहीं दिया। कोई शुरूआत नहीं की। यह शुरूआत करके जाते और पांच साल के बाद यदि रिजल्ट देते तो भी बात समझ में आती। यह कितनी गैर जिम्मेदाराना बात थी। जो खुल कर इस के लिए आज लम्बे चौड़े भाषण देते हैं उन्होंने जब उनके हाथ में राज आया तो एक यूनिट भी बिजली बढ़ाने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया, कोई प्रावधान उनके दिमाग में नहीं आया।

इसके विपरीत कांग्रेस ने जो कार्यक्रम बिजली के लिये दिये हैं मैं उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा। जब कांग्रेस का राज आया तो इसने पांच साल के अन्दर जो एक हजार के लगभग मैगावाट था उसको 1713 मैगावाट तक पहुंचा दिया। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर राजस्थान के अन्दर विद्युत की स्थिति 1713 मैगावाट आ गयी और उसको सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 2660 मैगावाट पर ले जायेंगे, यह हमारी योजना है। मैं यह कहता हूं कि उसमें पलाना के 120 और जोड़ दिये जायं तो कुल मिलाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम 1067 मैगावाट की वृद्धि करेंगे जो वर्तमान बिजली की स्थिति से 62.03 प्रतिशत होगी। यानि हम ने बिजली की वृद्धि पर कितना अधिक ध्यान दिया है। कितना अच्छा प्रावधान किया है, कितनी गम्भीरता से इस प्रान्त के लिए विद्युत के प्रसार की योजना प्रस्तुत की है परन्तु विरोधी दल के किसी सदस्य ने एक शब्द भी उसके बारे में कहने की जरूरत महसूस नहीं की। खैर, कोई बात नहीं।

ये कई बार बड़ी कीमती बातें कह जाते हैं लेकिन उनकी कीमत इसलिए हल्की हो जाती है कि उसमे कई सत्य बातों के अंश छुपा जाते हैं। मेरा माननीय मित्रों से आग्रह है कि अपनी बात का वजन बाढ़ने के लिए मेहरबानी करके सही तथ्यों को भी शामिल करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 1985-86 का जो वर्तमान बजट है उसमें हमने सिंचाई में 125.34 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें 77 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई योग्य हो जायगी। यह कोई साधारण बात नहीं कि हम सिंचाई के मामले में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष की बात मैं स्वयं आपको बताना चाहता हूं जो इस बजट की अच्छाइयां हैं, इस बजट की अच्छाइयों में क्या आपको यह नहीं सूझा कि अब तक अध्यापकों की कमी के कारण स्कूल एक प्रकार से ऐसे बन गये थे कि स्कूल कहना मुश्किल था। स्कूल खोले जाते और अध्यापकों के पदों की कमी के कारण बच्चों को

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

पढ़ाई का हर्जाना हो रहा था। पर वर्तमान बजट में शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए 6000 पदों को भरने की कोशिश की गयी है क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा।

श्री दिग्विजय सिंह : 12,000 पदों की कमी तो आपने बतायी है। एक सवाल के जवाब में....

श्री उपाध्यक्ष : इण्ट्रप्ट न करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : उस कमी को पूरा करने की बात कही है यह नहीं कहा कि पूरी की पूरी हो गयी। उस कमी का पूरा करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है हमारे मुख्य मंत्री ने इस बात को ध्यान में रख कर कि स्कूल खुलें। स्कूल की दशा सुधारने की हमने तैयारी की। जो एक प्रकार से अपनी तारीफ कराने का लोभ राजनीति में होता है उसका संवरण किया है, उसको कंट्रोल किया है तथा प्रशंसा को रोकने की कोशिश करके ठोस काम करने की शुरूआत की है। बजाय नये स्कूल खोलने के उन्होंने स्कूलों की दशा सुधारने के लिए अध्यापकों का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं इस बात के लिए आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी। खैर, आपकी मर्जी।

स्कूल भवन के बारे में आज ही चर्चा हुयी। तिजारा के स्कूल के बारे में तारांकित प्रश्न में बात आयी थी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : काफी जीर्ण-शीर्ण स्थिति है। एक करोड़ रुपये का स्कूल भवन के लिए इस रूप में प्रावधान किया है कि यदि इसमें जनता पैसा देगी तो इतना ही पैसा सरकार भी देगी। एक करोड़ रुपया हम सरकार की ओर से देंगे और एक करोड़ जनता की ओर से दिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सब को याद होगा जब पंडित जवाहर लालजी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था तो श्रम दान को बहुत बड़ा महत्व दिया था। जो भी निर्माण कार्य होता था उसमें 50 प्रतिशत आदमी गांवों के लोगों की ओर से योगदान करते थे। वह बहुत बड़ा जनता का सहयोग होता था और काम में वृद्धि होती थी। गये दिनों में हम ने उसको छोड़ दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको वापस लिया है। स्कूल बनाने के लिए जितना पैसा देंगे हम उनको उतना ही पैसा देकर स्कूल भवन बनवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : साहब आप मेरी बात सुनें।

प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन देने की जो योजना है वह भी बहुत अच्छी शुरूआत है, क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं? एक प्रतिभाशाली छात्र और साधारण छात्र में फर्क करती है? सरकार गधे घोड़े में फर्क करके घोड़े को घोड़ा और गधे को गधा नहीं माने, अच्छे काम करने वाले को प्रोत्साहन नहीं दे और बुरे काम करने वाले को दण्ड नहीं दे तो इससे राज्य व्यवस्था में गड़बड़ी फैलती है। मैं समझता हूं यह अच्छी शुरूआत है कि अच्छे प्रतिभा-

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

शाली छात्रों को आर्थिक तौर पर मदद देते हैं, यह जो कार्य शुरू किया है इससे छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, छात्रों में ज्यादा रुचि होगी, फर्स्ट आने की कोशिश करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : इन कुछ बातों के अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको आर्थिक तौर पर इस प्रान्त की बहबूदी के लिए कुछ और विशेष बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। साधारण तौर पर राजस्थान की जो भी स्थितियां होंगी आपको केन्द्रीय सरकार के सामने और अधिक मजबूती से रखनी होंगी, कुछ मुद्दों को रखना होगा, उनसे कहना पड़ेगा।

जो मरु क्षेत्र है राजस्थान का और जो विकास की योजनायें हैं राजस्थान की, उनका भार प्रान्त के ऊपर डाला जा रहा है, यह न्याय नहीं है, राजस्थान के साथ। जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र की योजनायें भारत सरकार ने अलग से पैसा देकर बना रखी है उसी प्रकार से मरु क्षेत्र की योजना के लिये भी अलग से फण्ड या मुद्रा लेकर के केन्द्रीय सरकार को पैसा देना चाहिए और उसमें हमारी सामान्य योजना के पैसे को भरना नहीं चाहिए। इससे बड़ा नुकसान होता है।

दूसरी बात, इंदिरा गांधी नहर की है, जो इतनी बड़ी योजना है, जो एशिया की सबसे बड़ी योजना है उसको केवल राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त के माथे थोप दिया गया जिससे लगातार इतने वर्ष बीत गये और काफी वर्ष इसको पूरा होने में लगेंगे। बीच में काफी दिक्कतें आती हैं इसलिए हम सब लोगों को जोर देकर केन्द्र को इस बात के लिऐ मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि इन्दिरा गांधी नहर को केन्द्रीय योजना मानकर उसका सारा खर्च स्वयं केन्द्रीय सरकार वहन करे।

तीसरा, प्रान्त के हिस्से के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और गाडगिल फार्मूले के बारे में निवेदन किया। यह बात सही है कि गाडगिल फार्मूले के अन्दर राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश की विशेष स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसलिए इस बात को हम को उजागर करना चाहिए लगातार राजस्थान में अकाल पड़ते हैं हमेशा करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद स्थितियां कंट्रोल में नहीं आती हैं। अकाल राजस्थान में कुछ वर्षो को छोड़कर हमेशा पड़ा है। इस मुद्दे को हमको केन्द्रीय सरकार के सामने बड़ी मजबूती से रखना चाहिये, इसको प्रान्त का मामला न मानकर देशव्यापी मामला केन्द्र को मानना चाहिए ताकि अकाल राहत का पैसा भी विकास के माथे न मढ़े और हमारे बजट पर उसका असर न पड़े। यह कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : अब केवल एक विशेष बात पर अपने विचार प्रकट करूंगा। समाधन बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट के अन्दर टैक्सेज बढ़ाये हैं, कुछ दूसरी बातों के बारे में तो इसलिए अधिक मुझे नहीं कहना है, आखिर पैसे के

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। संसाधन नहीं बढ़ायेंगे तो टाइम पास करेंगे। यथास्थिति-वाद है वह सबसे बड़ी बीमारी है। हम को आगे बढ़ना पड़ेगा तो आगे बढ़ने के लिए ससाधन बढ़ाने होंगे। फिर भी कृषि के ऊपर बिजली का टैक्स बढ़ाने का जो कार्य किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह किसानों के ऊपर बहुत बड़ा सर चार्ज किया है। इस पर दुबारा विचार करें मैं ऐसा निवेदन करूंगा। मुख्य मंत्री जी जो किसानों के ऊपर बिजली के चार्ज बढ़ाने का मामला है यह गम्भीरता से लिया नहीं गया है। यह शायद नौकरशाही की उन दलीलों के आधार पर किया है कि बिजली बोर्ड का का घाटा पूरा करना है। लोग फिर भी कहेंगे कि किसानों को फिर भी बिजली सस्ती मिलती है। मैं तो यह कहता हूं किदेश की तरक्की करनी है तो कृषि पर जोर देना पड़ेगा, किसानों के खेत तक पानी आपको फ्री देना होगा चाहे आप नहरों से दीजिये, बिजली से दीजिये, ट्यूबवेल से दीजिये, चाहे कुछ करिये। विगत 38 सालों मे हिन्दुस्तान ऊंचे स्तर पर इसलिए नहीं पहुंच सका कि सबसे बड़ा तबके, जिसमें 72 से 78 प्रतिशत लोग हमारे जिस कृषि धन्धे में हैं, के लिये हम ने पानी की व्यवस्था नहीं की, सरकार ने पानी की व्यवस्था नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस सदन द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको तय करना चाहिए, घोषित करना चाहिए हमारी कांग्रेस पार्टी को कि सिचाई के लिये पानी की व्यवस्था करना किसान का काम नहीं है, यह उसके बस की बात नहीं है। हम लगातार 38 साल प्रयत्न करने के बावजूद देश में केवल 25–26 प्रतिशत भूमि को पानी दे पाये हैं। अगर इसी तरह से चलते रहे तो देश की पूरी 100 प्रतिशत जमीन को पानी देने में 100 साल लग जायेंगे और हमारी जो विकास की गति है वह रुक जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम को उस पर गंभीरता से विचार करके सिचाई को सरकारी कार्य, सरकारी कर्त्तव्य घोषित करना चाहिए, हमारी योजना को सिंचाई उन्मुख बनाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि देश के चप्पे-चप्पे जमीन, चाहे देश के किसी कोने में हो चाहे पहाड़ी हो, नदी के किनारे पर हो, शहर में हो गांव में हो, किसान जहां बटन दबायेगा उसे पानी मिलेगा। मैं यह बात जो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कह रहा हूं यह कोई····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : स्वर्ग सपने की नहीं कह रहा हूं। एक छोटा सा देश है इजराइल जहां 500 मील तक पानी है, जहां 500 फीट तक पानी नहीं है····

(समय समाप्ति सूचक-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : इतनी देर में तो मैं बोल लेता।

श्री उपाध्यक्ष : सदस्य के पास मैटर की कमी नहीं है, बोलने के लिये मैटर कम नही है। कृपया यहां की स्थिति देख लें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैं निवेदन कर रहा हूं। इस सिचाई के ऊपर....

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : एक मिनट। इतनी देर में समाप्त कर देता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Please stop it....

श्री भैरूलाल भारद्वाज : एक मिनट में....

श्री उपाध्यक्ष : I would not allow

श्री भैरूलाल भारद्वाज : इतनी देर में तो मै समाप्त कर देता।

श्री उपाध्यक्ष : Please co-operate with us. Kindly co-operate. with us. Kindly co-operate.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों के पास मैटर बहुत बहुत है लेकिन बात स्थिति देखकर करें।

(व्यवधान)

Please co-operate with the Chair. Not at your pleasure. Please I am very sorry. Very lenient and very sorry.

श्री भैरूलाल भारद्वाज : केवल घड़ी के हिसाब से एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हरिमोहन शर्मा।

(व्यवधान)

Please co-operate with me. Please co-operate. You have ample matter and you can speak for hours together, but I have to think of the interests of other members also.

श्री हरिमोहन शर्मा : (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1952 से जब से राजस्थान विधान सभा का निर्माण हुआ है आज तक लगातार हर साल बजट पर बहस होती रही है। जो सत्ता पक्ष के हैं वह उस बजट की तारीफ करते आ रहे हैं और जो विरोधी पक्ष में हैं वह उसको प्रतिगामी बजट कहते आये हैं लेकिन उसके बावजूद 1952 से आज तक जो राजस्थान प्रदेश की पुरानी स्थिति थी उसमें लगातार राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

अब जो सातवीं पंचवर्षीय योजना 300 करोड़ रुपयों की आपके सामने पेश की जा रही है वह छठी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में 48 प्रतिशत अधिक है 300 करोड़ में कितना कृषि, बिजली और सिचाई पर खर्च किया जा रहा है उससे आप लोग परिचित है। 65 प्रतिशत पैसा 3000 करोड़ में से यानि 1958.30 करोड़ रुपया सिचाई, बिजली और कृषि पर खर्च किया जा रहा है। माननीय शेखावत साहब विपक्ष के नेता ने एक प्रकार की प्रायोरिटी फिक्स करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा था सरकार को

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कि पहली प्रायोरिटी पीने के पानी को देनी चाहिए और दूसरी प्रायोरिटी बिजली और सिचाई को दी जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता पार्टी के शासन काल में स्वयं विरोधी दल के नेता ने अपनी दलील के जरिये बताया कि पर कैपिटा प्लान एक्सपेन्डीचर नेशनल एवरेज के मुकाबले में जनता शासन में सबसे अधिक खर्च किया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि जो प्रायोरिटी फिक्स करने पर जोर दे रहे हैं वह अपने शासन काल में बिजली उत्पादन की प्रायोरिटी फिक्स करते तो जो बिजली उत्पादन के दुर्दिन आज हमें देखने को मिल रहे हैं वह नहीं देखने को मिलते मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि इसका जिम्मेदार कौन है ? आज बिजली बोर्ड की स्थिति क्या है ? बिजली बोर्ड पंगु क्यों है ? हम बिजली बोर्ड को खड़ा करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा वर्ष 1977-78 में बिना किसी आवश्यकता के 7592 कर्मचारी दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये, 1978-79 में 5729 कर्मचारी भर्ती किये गये और 1979-80 में 3712 कर्मचारियों की भर्ती की गयी। इस प्रकार तीन सालों में 17 हजार 18 कर्मचारी भर्ती करके प्रति वर्ष 5 करोड़ का वित्तीय भार बिजली बोर्ड पर बढ़ाया। यह तो किसने बढ़ाया। 1980 से 1985 तक बिजली बोर्ड में कोई भर्ती नहीं हुयी। यह इस बात का प्रमाण और सूचक है कि अनावश्यक तौर पर भर्ती करके, अपने-अपने व्यक्तियों को घुसाकर बिजली बोर्ड की चिन्ताजनक हालत के लिए जनता पार्टी के शासक जिम्मेदार हैं। इसमें आपके कई मंत्री सम्मिलित थे जो अब दलील देते हैं कि आज इस कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। क्या वे इसके लिए दोषी नहीं हैं ?

इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली पर जो मौजूदा स्थिति में पैसा खर्च हो रहा है बिजली की स्थिति सुधारने के लिए, उससे 62 प्रतिशत बिजली का उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ेगा। बिजली पहुंचाने पर बहुत ध्यान दिया गया है उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बिजली नहीं पहुंची है। आज शहरों के आस पास व्यक्ति कूलर की ठण्डी हवा खा रहा है, फ्रीज का ठण्डा पानी पी रहा है। लेकिन क्या इन लोगों ने सोचा कि दूर दराज गांव में रहने वाले व्यक्ति की झोपड़ी को बिजली की रोशनी मिलेगी क्या, गरीब किसान को बिजली मिलेगी जो अपने खेत को सिचाई के साधन उपलब्ध कराना चाहता है ? जब हम चाहते हैं कि गरीब की उन्नति हो।

(2-00 म. प.)

तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह धन राशि किस तरह से प्राप्त करें। आज जो धनराशि प्राप्त करने का सवाल है वह धनराशि उन लोगों से भी ली जानी तर्क संगत है। यह प्लान इस नीति के अनुरूप है। जिन लोगों को जिस उद्योग से, जिस बिजली से लाभ मिला है आखिर उन लोगों को कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। उन लोगों को पैसे देने के लिए त्याग की भावना दिमाग में रखनी चाहिए। जिन के कुओं पर बिजली पहुंच चुकी है, जहां सिंचाई हो रही

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है वहां निश्चित रूप से उनकी सालाना इन्कम बढ़ी है। जहां पर बिजली का अभाव है, जहां आज भी बिजली के इन्तजार में हैं उनके लिए उन लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा।

इसी प्रकार कन्जम्पशन के बारे में मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 1983-84 में 141 यूनिट प्रति वर्ष काम में लेते थे। आज जो टैक्स उन पर बढ़ा है वह 15 पैसे बढ़ा है। इससे कितना फर्क पड़ेगा एक किसान को, एक कन्ज्यूमर को जो गांव में बिजली का उपयोग करता है? उसको साल भर में केवल 21 रुपये 90 पैसे अधिक देने पड़ेंगे, डेढ़ और दो महीने का टैक्स है। इसी प्रकार यदि शहरों का एवरेज हम निकालेंगे तो प्रति वर्ष एक कन्ज्यूमर पर 335 यूनिट का भार आता है और 50 रुपये 35 पैसे का सलाना उन पर व्यय भार पड़ता है। यह स्थिति है। जब व्यय भार तीन रुपये, चार रुपये महीना, डेढ़ रुपया और दो रुपया महीना पड़ता है और इससे जो संसाधन हमको मिलेगा उससे बिजली का 62 पर्सेन्ट का उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ा कर उन गरीब लोगों को लाइट देना चाहते हैं, उन साधारण किसानों को हम बिजली देना चाहते हैं इसलिए जो कुछ टैक्स लगे हैं उनकी आलोचना की खातिर आलोचना करें यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी जी से जो पूर्वकाल में भी मुख्य मंत्री रहे हैं। बिजली जो आज टैक्स लगने के बावजूद भी काश्तकार को समय पर नहीं मिलेगी उनके मुख्य मंत्रित्व काल में बिजली की लाइन बिल्कुल अप टू डेट थी ऐसा डर था कर्मचारियों को कि यदि वे टाइम पर बिजली नहीं देंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जायेगा। उस समय जो कर्मचारी थे, ठीक समय पर 10 बजे आकर 5 बजे जाते थे लेकिन आज उन पर कोई असर नहीं है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहेंगे कि जैसी सख्ती उनके पूर्व काल में हमने देखी है उसी सख्ती से प्रशासन का सुधार किया जाय तब जाकर यह सब व्यवस्थायें....

(व्यवधान)

आप तसल्ली रखिये। तो हम उनसे भी यह अपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार मुख्य-मंत्री जी ने पूर्व समय में प्रशासन पर कब्जा कर रखा था वैसे के वैसे कन्ट्रोल की हम आज उनसे अपेक्षा करते हैं।

कानून की स्थिति के मामले में अनेक विपक्षी सदस्य अपने बजट भाषण के दौरान यह आरोप लगा चुके हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में ठीक नहीं है। यह 100 फीसदी गलत है, अव्यवहारिक है। हमने उस बंगाल को देखा है जहां राजनैतिक रूप से सैकड़ों कार्यकर्ताओं, जो राजनीति में भाग लेते हैं, को गोलियों से भून दिया जाता है लेकिन वहां की सरकार ध्यान नहीं देती है। आज राजस्थान में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है। मैं विपक्ष के उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे कानून और व्यवस्था की स्थिति एक ओर तो बाजार में बिगाड़ रहे हैं और दूसरी ओर सदन में आकर सर.

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। कोटा में दूलोद में जो हुआ उस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूलोद में राजनैतिक आधार पर इससे पहले एक कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, के भारतीय जनता जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हाथ पैर काट दिये। जब मैंने सदन में पूर्व में इसके संबंध में आवाज उठायी और निवेदन किया इसके बाद अभी अभी ताजा दो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ पैर सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काट दिये। आप यहां आकर यह कहें कि राजस्थान प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, यह निन्दनीय है। मैं यह चाहूंगा…

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): सरकार तो आपकी है…

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियादी है। सरकार उन पर एक्शन नहीं ले पा रही है और ये नगारे की तूती के रूप में बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : सरकार उन पर एक्शन लेने के लिए तत्पर है लेकिन कुछ पुलिस के उच्च अधिकारी आज भी आपके प्रभाव में उन स्थानों पर काम कर रहे हैं। राजनैतिक रूप से आप उन अपराधियों को संरक्षण दे करके अपने मकानों में रखते आये हैं। पूर्व में भी आपके मकानों के अन्दर से ऐसे कैदी पकड़े गये हैं और आज भी पकड़े जा रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सरकार की दूसरी उपलब्धि बता रहे हैं। यह सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध एक्शन नहीं ले पा रही है…

श्री उपाध्यक्ष : कृपया रिमार्क्स नहीं। माननीय सदस्य, रिमार्क नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं मौजूदा राजनैतिक स्थिति में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह शूलों भरा रास्ता है। राजस्थान के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए हिम्मत का काम है। कोई हिम्मत वाला नेता ही उसे जुटा सकता है। इसके लिए रास्ते में जो शूल हैं उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे एक कविता की तीन लाइनें याद आ रही हैं।

"वे पथ क्या जिस पथ में बिखरे न शूल न हों।

पथिक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धारायें प्रतिकूल न हों।"

इसलिए मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा विषम परिस्थितियों में वे आगे बढ़ें और व्यवहारिक रूप में प्रशासन पर कंट्रोल करके यह जो अव्यवस्था है उसको दूर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बजट का खुले दिल और दिमाग से समर्थन करें।

जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। माननीय सदस्यों से मैं चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के नाम है उन सब को समय मिले। समय का ख्याल रख कर चलें ताकि सब को समय मिलें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आप किन को कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं सब को कह रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी दुबारा ललितजी को तो नहीं कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सब को कह रहा हूं। सहयोग करें। आज मुख्य मन्त्रीजी चार बजे जवाब देंगे इसलिए समय का ख्याल रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 2 को सदन के नेता और मुख्य मन्त्री महोदय ने राजस्थान का बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया है। अभी हाल ही में जयपुर जिले से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि सातवीं बड़ी पचवर्षीय योजना 48 पर्सेन्ट से वे लायें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आकड़ों की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना 2 हजार 25 करोड़ की थी, सातवीं पचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की है। 48 पर्सेंट की वृद्धि है वह वार्षिक वृद्धि दर 8 पर्सेन्ट अंकित की गयी है। मुख्य मन्त्रीजी आ गये हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि पिछले तीन महीनों, अप्रेल से जून तक जो मूल्यों में वृद्धि हुई है वह 8 पर्सेन्ट है। जिस योजना की चर्चा कर रहे हैं सप्तम योजना की, जिसमें 8 पर्सेन्ट वृद्धि करने की चर्चा की है, कुल तीन महीने गये, इन तीन महीनों में मूल्य की वृद्धि आठ पर्सेन्ट हो गयी है और जो हालात चल रहे हैं, जो केन्द्रीय बजट आया है, जो राजस्थान का बजट आया है इसमें भारी कर लगाये गये हैं, उसके कारण इस वर्ष 12 से 14 पर्सेन्ट तक मूल्य वृद्धि होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि योजना जिस पर आधारित है उससे कीमतें 12 पर्सेन्ट बढ़ी हैं। पैट्रोलियम, आयल प्रोडक्ट्स की कीमत 18 पर्सेन्ठ बढ़ी है। इस संदर्भ में जिस 8 पर्सेन्ट की वृद्धि की चर्चा की गयी है वह अन-रिअलिस्टिक है। जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है उसमें छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया कि 6 पर्सेन्ट वृद्धि एक साल में बढ़ोतरी हुई है। इस परिमाण को देखा जाय, विचार किया जाय, तो 8 पर्सेन्ट वृद्धि की चर्चा आगामी योजना की दृष्टि से की गई है। इस मूल्य वृद्धि के आधार पर विशेष कर ऑयल प्रोडक्ट्स में और स्टील के आधार पर, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा, पूरा एस्टीमेशन लगाकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उस बात की चर्चा आयी है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना राजस्थान की छठी पचवर्षीय योजना से भी छोटी है। मैं कहना चाहता हूं कि अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, एक प्रतिशत वृद्धि को सस्टेन करने के लिये 3 प्रतिशत ग्रोथ रेट चाहिये। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हो रही है 2.4 प्रतिशत उसके लिये पौने आठ प्रतिशत ग्रोथ रेट होनी चाहिये। जो तर्क मैंने उपर्युक्त आधार पर दिया कि पंचवर्षीय योजना सातवीं छठी पंचवर्षीय योजना से कम है, 8 प्रतिशत वृद्धि का अंकण किया गया है वह 6 प्रतिशत से भी कम आने वाला है। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई जनसख्या, मूल्यों की वृद्धि कर, आयल प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी से सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर छोटा होगा, कम होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं इस बात को तर्क द्वारा सिद्ध करें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् जो जनसंख्या होगी वह छठी पंचवर्षीय योजना से ज्यादा होगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, 6 हजार करोड़ की योजना लेकर गये थे, भीख का कटोरा लेकर गये और उसमें ले आये 3 हजार करोड़ की योजना। एक वर्षीय जो योजना है। 1985-86 की 430 करोड़ की, 1984-85 में भी 430 की थी। 420 से बच गये आप, थोड़ी सी भगवान की दया से। फिक्र मत करिये। ये दोनों 430 करोड़ की योजनाएं हैं। मूल्य वृद्धि की चिंता सब प्रकार की मुख्य मंत्रीजी के सामने हैं। इस एक वर्ष में उनको क्या करना चाहिये राजस्थान की प्रगति के लिये, वे तर्क के आधार पर बतायेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे सदन को सातवीं पंचवर्षीय योजना को छोड़ दीजिये किंतु वार्षिक योजना जो अगले वर्ष की प्रस्तुत की गयी है उससे उसी धनराशि का प्रोवीजन किया है जो पिछले वर्ष की योजना में थी। तो राजस्थान की प्रगति का क्या होगा? प्रगति होगी कि परागति होगी? हम उस स्थान पर भी नहीं रहेंगे क्योंकि मूल्य वृद्धि के कारण निश्चित रूप से 430 करोड़ की कीमत क्या होगी? क्या रुपये की कीमतें कम हो गयी? अगर रुपये की कीमत और कम हो गयी तो अगले वर्ष की योजना इस वर्ष की योजना से छोटी होगी। पिछले वर्ष की योजना से छोटी हो गयी तो वह हमारी किसी भी तरह से प्रगति की द्योतक नहीं है। वह परागति की द्योतक है। गरीबी से ऊपर उठाने वाली दो योजनायें हैं। देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1981 में 20 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा की थी बहुत जोर से। सूत्र नंबर तीन। गरीबी से ऊपर उठने की दो मात्र योजनायें उनकी थीं, मैं विस्तार में चर्चा करना नहीं चाहता। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इन दोनों योजनाओं का आपने नाम बदल दिया। अन्त्योदय की जगह एकीकृत ग्रामीण विकास योजना ले आये आप। बहुत अच्छा हुआ। अन्त्योदय से चिढ़ थी क्योंकि शायद जनता राज के समय आ गया था। नये नाम दे दिये गये, बड़ा अच्छा हुआ। काम वही है। योजना उसके बाद भी वही है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने की योजना है किन्तु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 1984-85 में प्रावधान 1107 लाख रुपये का किया गया था। इसमें चर्चा नहीं है, न बजट में चर्चा है और न बजट भाषण में चर्चा है। मैंने सारे बजट को आद्योपांत पढ़ा है उसका स्टेटिस्किली एनेलेसिस करके मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री को, वह अपने भाषण में इस बात का उत्तर देंगे। 1984-85 में 11 करोड़ 07 लाख रुपये की जो योजना थी वह 1985-86 में 7 करोड़ 93 लाख की योजना रह गयी। उसका नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो गरीबी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की रेखा से नीचे वालों को ऊपर उठाने के लिये है। गरीबों के लिये दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। 1984–85 में 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, इस बार 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। मैं और बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं आपसे। परन्तु प्रश्न उठता है श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र नम्बर 3 का गरीबों को ऊपर उठाने के लिये दो प्रमुख कार्यक्रम है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने इस वर्ष प्रावधान करते समय उसमें कटौती करके राजस्थान के गरीब की सेवा की है, उस गरीब को गरीबी की रेखा के नीचे धकेलने का प्रयत्न किया है। मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री इस बात का उत्तर देंगे। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस समय नये सूत्र की घोषणा की गई थी उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधीजी का जो भाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा था 1985 तक हम हिन्दुस्तान के एक-एक गांव को बिजली दे देंगे। हमारे यहां राजस्थान में जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने कहा, नहीं, हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है....

(व्यवधान)

अभी बात तो सुन लीजिये न जवाब देने वाले बैठे हैं। आप चिन्ता मत करिये।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को। राजस्थान पिछड़ा प्रदेश था। उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा कि नहीं, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा होगा प्रधान-मंत्रीजी ने कहा होगा, 1985 में वह देश भर के गांवों में बिजली देना चाहती हैं, राजस्थान पिछड़ा प्रदेश है, 1990 में हम दे देंगे। आप उठाकर देख लीजिये 1981 का भाषण, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी बिजली मंत्री रहने का मौका मिला है। एक हजार गांवों को बिजली देने की चर्चा पिछले तीन वर्षों से हो रही है, 17 हजार गांव शेष हैं। 21वीं सदी पार कर जायें दो साल और ऊपर लग जायेंगे। क्या चाहते हैं? राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी कहेंगे कि भारी भरकम खर्च हो रहा है। उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं शायद भारी भरकम खर्च के कारण ही इतना भारी भरकम कर लगाया है उन्होंने राजस्थान की जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, उद्योगों के ऊपर। सिक उद्योगों की तो यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष में एक भी सिक उद्योग वापस यहां पर पुनर्जीवित होकर काम करने लग जायं, यह नितांत असम्भव है। जिस तरह की दरें बढ़ायी गयी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की सारी व्यवस्था में थोड़ा सा कुछ सुधार करने की कोशिश कीजिये। 25 प्रतिशत ट्रांसमिशन लासेज हो रहे हैं। विश्व का हिसाब तो करना नहीं चाहता। स्वीडन में 9 से 10 पर्सेन्ट है। भारत में 17 से 18 प्रतिशत लासेज है और 25 प्रतिशत हमारे यहां है। हम प्रयास करेंगे 7 प्रतिशत लासेज कम हो जाय। एक पर्सेंट लॉस कम होने से ढाई करोड़ रुपये का फायदा होता है तो सात प्रतिशत कम से कम होने से 18 करोड़ रुपये का फायदा होगा। आप कहेंगे कैसे होगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, आपने इसको कार्पोरेशन बनाया है। क्यों बनाया कार्पोरेशन? इसलिये बनाया है

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कि बाजार से उधार ले सकें। कार्पोरेशन इसलिये बनाया है कि फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन से उधार ले सकें। आपने सीमा लगायी है उस पर डायरेक्शन देकर थोड़ा बदल करिये उसमें लेजिस्लेशन लाइये, डायरेक्शन बदलिये और उधार लेने के लिये बाजार में उनको जाने दीजिये। यह बात सच है कि हाई टेंशन लाइनें खड़ी करिये। क्या जरूरत है कोटा से जयपुर, कोटा से भीलवाड़ा, कोटा से जोधपुर की 220 के.वी. की दो-दो लाइनें खडी करने की? चार सौ के.वी. की लाइन खड़ी करिये। हाई वोल्टेज की लाइन खड़ी कीजिये, हाई टेंशन की लाइन खड़ी करिये, ट्रांसमिशन लासेज बचेंगे। यह बात सच है कि 300 करोड़ रुपये चाहिये उस ट्रांसमिशन के लिये। 5 साल में करिये तो हर साल 60 करोड़ रुपये चाहिये। नहीं मिलेगा रुपया शायद इतना किन्तु आज कार्पोरेशन बाजार से उधार लेकर 300 करोड़ रुपये लेकर इस ट्रांसमिशन लासेज को कम करने के लिये हाइटेंशन लाइन का सुधार करने की कोशिश करें तो वर्ष में 25 करोड़ रुपये का फायदा होगा। जहां 300 करोड़ रुपये का ब्याज होता 30 लाख रुपया वहां राजस्थान की जनता को फायदा होगा 25 करोड़ रुपये एक साल का। किसने रोका है? योजना आयोग ने देखा, यह बात सच है किन्तु राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान का मन्त्रिमण्डल और राजस्थान की सरकार यह डायरेक्शन दे सकती हैं आर.एस.ई.बी. को और डायरेक्शन देने के पश्चात् इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि 25 करोड़ का फायदा इस ट्रांसमिशन लासेज को कम करने के कारण हो सकता है। जैसा मैंने निवेदन किया कुछ दिन बिजली मन्त्री रहने का मुझे भी मौका मिला है। आज जो चेयरमैन हैं वे उस समय चीफ इंजीनियर हुआ करते थे मैं उन्हीं का सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत बड़ी चोरी हो रही है बिजली में। चोरी को रोकने का तरीका उन्होंने ही बताया था। विधान सभा के इस पटल पर राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता कि उस समय और आज के चेयरमैन साहब ने मुझे दिया था कि हाई टेंशन लाइन पर मीटर लगाया जाय जिससे मालूम हो कितनी पावर निकलती है हाई टेंशन लाइन से, उसके पश्चात् 132 के.वी. में से कितनी निकलती है। 133 के.वी. पर मीटर लगे, 111 के.वी. पर मीटर लगे और ट्रांसमिशन लाइन पर मीटर लगे और मीटर लगने के बाद कितनी पावर इस ट्रांसमिशन लाइन से निकलती है इसके लिए ए.ई.एन. और जे.ई.एन. को अधिकृत किया जाय, वह देखें कि कहां गई यह बिजली, कौन खा गया इस बिजली को, कौन चोरी कर रहा है, उन पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाय। अगर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जायेगी, तो थेप्ट बचेगी। थेप्ट बचेगी तो वह बिजली जो चोरी में चली जा रही है, जिसका रेवेन्यू नुकसान हो रहा है वह बिजली आप दे सकेंगे अपनी मिडियम इन्डस्ट्रीज को, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को, वह चलेगी तो किसानों को राहत मिलेगी यह कहने का मौका नहीं मिलेगा आंकड़े बताकर कि इतनी बिजली कम हो रही है। इसलिये चोरी को रोकिये, लॉसेज को रोकिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जनरेशन के बारे में। जयपुर से आने वाले

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्य कह रहे थे, माफ करिये ढाई साल का राज आया था हमारा, कोई नई योजना शुरू नही की। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिये। कोटा का थर्मल प्रोजेक्ट पहले अवश्य बना था किन्तु जिस समय बिजली मन्त्री मुझे बनने का मौका मिला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सारा दबाव था, कोटा के लोगों का भी दबाव था, वहां के सब अधिकारी कहते थे, ऊपर से, सरकार की ओर से भी दबाव था कि इसके वहा लगने से प्रदूषण बहुत हो जायेगा—

(व्यवधान)

थोड़ा सुन लीजिये।

प्रदूषण होगा, यह तापघर, बिजलीघर यहां पर मत लगाओ। इसको 14 किलो मीटर दूर ले जाओ, इसको सवाई माधोपुर जिले में ले जाओ। लेकिन मैंने एक्सपर्टस से पूछा, इसको यहां से 14 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने का तय किया है, जो सारी योजना है, यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर यहां खड़ा हो गया है इसको अगर सवाई माधोपुर ले जाना हुआ तो कितना समय लगेगा? तो उनका कहना था 8 वर्ष और देरी हो जायेगी अगर जनता राज का बिजली मन्त्री हिम्मत करके यह सब बातें ठुकरा करके यह बात नहीं कहे कि प्रथम वर्ष में इतना पैसा मुहैया करते हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे पैसा मुहैया कराने के बारे में, उठाकर देख लीजिये प्राथमिक रूप से जितना पैसा चाहिये उससे चार गुना पैसा कोटा तापघर, बिजलीघर के लिये उस वर्ष में मुहैया किया गया मैं तो आरोप लगाना चाहता हूं कि यह ताप बिजलीघर दो ढाई साल पहले ही आ जाना चाहिये था, 1981 में हो आ जाना चाहिये था। 1983 में आया नई कांग्रेस की गलती के कारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इंजीनियर्स के बारे में। यह बात सच है कि हिन्दुस्तान भर का प्लाण्ट लोड फैक्टर 53 पर्सेन्ट है, 53 पर्सेन्ट एफीशियेन्सी है इतना पैसा खर्च करते हैं, मैटीरियल खर्च करते हैं लेकिन थर्मलप्रोजेक्ट से 53 पर्सेन्ट हमको फायदा होता है। मैं कोटा तापघर के इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत से काम किया। वैसे तो बिजली बोर्ड के अधिकारी कहते थे, मुझे याद है. मेरी जानकारी में है, यदि कोटा का तापघर, बिजलीघर लगाया गया, बड़े सशंकित थे कि पता नहीं वहां इंजीनियर्स चला पायेंगे या नहीं ठीक से। मैं कोटा तापघर, बिजलीघर के ए.ई.एन. जे.ई.एन. की हिम्मत को दाद देता हूं जिन्होंने प्लान्ट लोड फैक्टर 65 पर्सेन्ट किया है फर्स्ट प्राइज भी उन्हें मिला है। किन्तु मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को बताना चाहता हूं कि टाटाज भी बोम्बे में चला रहे हैं, 75 से 80 पर्सेन्ट....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: वह सरकार का नहीं है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्लाण्ट लोड फैक्टर है....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अच्छी बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जरा एक मिनट बैठ जायं, उसकी भी चर्चा करूंगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं टाटाज बोम्बे में बिजली पैदा कर रहे हैं थर्मल प्रोजेक्ट्स में उसका प्लाण्ट लोड फैक्टर 75 पर्सेन्ट से 80 पर्सेन्ट अधिकतम है। केवल मात्र 60 पर्सेन्ट क्यों रहा राजस्थान में। आप इन्सेन्टिव दीजिये इंजीनियर्स को। बिजली मन्त्री महोदय यहां पर नहीं हैं, एक मन्त्री बैठे हैं, जिनको बिजली का थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। उन्होंने क्या-क्या कुछ किया है उसके बारे में तो अभी कहना नहीं चाहता। उसके बारे में तो कभी समय आयेगा तब बताऊंगा, जब कभी आगे चर्चा होगी तब बताऊंगा। अभी तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार उन सारे इंजीनियर्स को बड़ी मुश्किल से एन. टी. सी. पी. का सारा खर्चा देने में करीब ढ़ाई साल का समय लगा दिया, इन्जीनियर्स ने जान लगा दो उसके बाद भी। उनको और इन्टेन्सिव दिये जाय, उनकी भावना जागृत की जाय राष्ट्र और प्रदेश की बहबूदी की भावना उनमें जागृत की जाय तो आज भी उनमें हिम्मत है। आवश्यकता है दो बातों की। मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं एक सुझाव यह है कि उन्हें और इन्सेन्टिव दिये जाय। दूसरा सुझाव यह है इस पावर जनरेशन को राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से अलग कर दिया जाय। जनरेशन पर सारी शक्ति लगाई जाय। ये तीन बातें जो मैंने आपसे निवेदन की हैं एक प्लान्ट लोड फैक्टर को अच्छा करने की, ट्रांसमिशन के लासेज को घटाने की और तीसरी बात मैंने निवेदन की है टैक्स की चोरी को रोकने की।

बड़ी चर्चा की एक माननीय सदस्य महोदय ने कि जनता पार्टी के राज में इतने कर्मचारी लगा दिये। मैंने विधान सभा में एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब मेरे पास है। इतने कर्मचारियों की बात करते हैं वह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कर्मचारियों में कुशल कर्मचारी भी हैं, अर्द्ध कुशल कर्मचारी भी हैं। राजस्थान में प्रत्येक लाइन, बिजली की लाइन कर्मचारियों ने खींची है। किन्तु वाह रे मेरे राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड। बिजली बोर्ड ने लाइन खींचने के लिये ठेके दे दिये प्राइवेट ठेकेदारों को ठेके दे दिये। मैंने सवाल पूछा है, पिछले दो साल में कितने ठेकेदारों को लाईन खींचने के ठेके दिये, उसमें कितना खर्चा आया ? जवाब मेरे पास है साढ़े तीन करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। एक वर्ष में पौने दो करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं यह पौने दो करोड़ किस के खाते में चला गया, इस खर्चे की आवश्यकता क्या थी, क्या यह खर्चा अनावश्यक नहीं था ? क्या आपके कुशल, अर्द्ध कुशल कर्मचारियों से इस काम को कराकर राजस्थान सरकार पौने दो करोड़ रुपये एक साल में नहीं बचा सकती थी ? लेकिन किसको फिक्र है। आज इस नाते से कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। लम्बी चौड़ी चर्चा करते हैं कि इतना नुकसान हो रहा है पर गला घोटा जा रहा है गरीब का, किसान का....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय आप दें।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्ययक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये कहना चाहता हूं जो स्थिति बनी है इस बजट में बिजली के ऊपर इतना खर्चा बढ़ाकर, इसके बावजूद जो कर लगाने की बात की जा रही है, वह बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इस साल 96 करोड़ रुपये का कर भार किसानों पर, छोटी इण्डस्ट्रीज पर लगाने की कोशिश की जा रही है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वह चर्चा हो चुकी है, सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा की है कि क्या हालत हो जायेगी। मेरा तो कहना है कि राजस्थान का किसान अपनी जमीन को बेचकर भी बढ़ी हुई दरें देने की स्थिति में नहीं है। बून्दी से आने वाले माननीय विधायक ने राजस्थान की हिसाब बताकर कहा और 4 रुपये बढ़ायें हैं, 5 रुपये बढ़ायें हैं, इस प्रकार की चर्चा कर दी। बढ़ी हुई दरों का अन्दाजा तो जब बिल आयेंगे तब मालूम पड़ेगा। पानी की दरों के लिये जब हमने आन्दोलन किया था तब तो लोगों को सही लगता नहीं था, आन्दोलन जब अन्तिम स्टेज पर था, तब बिल आये तब पता लगा। यह बिजली की दरें बढ़ाकर 96 करोड़ रुपये का डाका जो राजस्थान की जनता पर डालने की कोशिश की गई है ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट।

दो बातें, सूक्ष्म रूप से कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से चाहता हूं कि इस बात का उत्तर दे, करों का भार राजस्थान की जनता पर डाल कर उसकी कमर तोड़ने की जो कोशिश की गई है उससे राजस्थान सरकार बाज आये, इन करों को तुरन्त वापस लें।

मैं ट्रांसपोर्ट की चर्चा दो मिनट में करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी ठीक-ठीक कर कह रहे थे फलोदी से आने वाले माननीय विधायक कि बसों का रन 264 किलोमीटर है। मुझे याद है, कुछ कोशिश की गई है इसमें, 257 था, 6 किलो मीटर बढ़ा है पिछले दो सालों में। मैं उसके लिये प्रशंसा करना चाहूंगा। किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 275 बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। 275 किलो मीटर बढ़ाया जाता है तो कितने करोड़ रुपये का फायदा राजस्थान पथ परिवहन निगम को हो जायेगा। रोडवेज के जो चैयरमैन थे श्री पिलानिया, वह चले गये। उन्होंने स्वयं ने जाते वक्त वक्तव्य दिया था कि जो हमारे नेशनलाइज्ड रूट्स हैं जिन पर हमारी बसें चलती हैं, उन रुट्स पर कितने व्हीकल चल रहे हैं, गैर कानूनी रूप से चल रहे हैं वह पथ परिवहन निगम के पैसे को खा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक लाख रुपये रोजाना की बचत हो सकती है किन्तु मिली जुली

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

साजिश है, पुलिस विभाग भी है, ट्रांसपोर्ट विभाग भी है और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी है। तीनों के अधिकारी मिल कर साजिश कर रहे हैं, उनको चैक नहीं कर रहे हैं। अगर चैक हो जाय तो एक लाख रुपये रोजाना की बचत है। 30 लाख रुपये एक महिने और साढ़े तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत। इस नाते से इस चोरी को रोकें।

एक दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान सरकार, फिजूल खर्ची तो कम करे। कल विस्तार से सिंचाई पर चर्चा करूंगा, एक घटना की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। आज तो वह मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं. राजस्थान विधान सभा में उनके दर्शन नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सिंचाई पर कल बोलना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

मैं केवल मात्र यह कहना चाहता हूं कि अगर इन सारी कमियों को, फिजूल खर्ची, जो होगी, को रोका जाय तो निश्चित रूप से बजट में किसी प्रकार का कर भार लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं फिजूल खर्ची की चर्चा इसलिए आपके सामने करना चाहता हूं कि जो हुई है वह होती रहेगी, पुनरावृत्ति होगी अगर राजस्थान सरकार सजग नहीं रही तो। तारानगर साहवा स्कीम है, नोहर साहवा लिफ्ट स्कीम है, मोहनगढ़ में पांच मशीनें पड़ी हैं, मिट्टी निकालने का काम करती हैं, करोड़ों रुपयों की हैं। तत्कालीन जो इन्दिरा गांधी नहर के मंत्री थे उन्होंने कहा, चुनाव आ गये, नोहर साहवा नहर लिफ्ट स्कीम बनी है, अगर पांच बड़ी मशीनों के दर्शन इस नोहर साहवा क्षेत्र में लोगों को हो जायं तो लोग समझ जायेंगे कि नोहर साहवा स्कीम की इतनी बड़ी योजना चल पड़ी है। वैसे तो शायद उन्होंने टिकट वहां से नहीं लिया, कहीं दूसरी जगह मिल गया किन्तु उनके मन में यह था, इस कारण से तारानगर का विचार करके मौखिक आदेश दिया गया। मैं चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यहां नहीं हैं वह इस बात की जांच करें, कि हुक्म क्या दिया गया? जो पांच मशीनें मोहनगढ़ में थीं जिनकी कीमत करोड़ों रुपया है वह कहां गयीं? उन पांच या छः मशीनों को साढ़े पांच सौ किलोमीटर दूर मोहन से नोहर साहवा तक लाया जाय बड़े-बड़े ट्रकों से, सामान्य ट्रकों से नहीं आ सकतीं, चैन लगी हुई है उनमें, सब प्रकार का सिस्टम हैं उन मशीनों में। मोहनगढ़ से चली, साढ़े पांच सौ किलोमीटर चलकर नोहर साहवा पर आ गई। इस पर पांच लाख रुपया खर्च लगा है। नोहर साहवा आने में और नोहर साहवा से मोहनगढ़ जाने में, मैं यह आरोप लगा रहा हूं। इतना ही नहीं, वहां मशीनें आ गई ट्रकों में। 50 या 55 किलोमीटर तक वह मशीनें चली अपनी पावर से। वैसे नियम यह है कि वे एक जगह खड़ी रहेंगी, जमीन से मिट्टी खोदेंगी बहुत बड़े परिमाण में, ट्रकों पर लोड करेंगी, चार दिन तक काम करेंगी तीन किलोमीटर, फिर खड़ी हो जायेंगी।

(व्यवधान)

फिर मिट्टी तो निकालेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इस घटना का जिक्र करने के बाद बात समाप्त कर दूंगा।

मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक मशीन 55 किलोमीटर नोहर साहवा के क्षेत्र में डिमोन्स्ट्रेशन करती हुई जनता के बीच में चली, आओ मेरे तारानगर के भाइयों, मुझको वोट दो, जिताओं और वापस राजस्थान की विधान सभा में भिजवाओ। इनके बारे में नियम है, एक दिन में पांच किलोमीटर 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चले पर 55 किलोमीटर चली इसलिये मशीन में खराबी आ गई। इनके सुधार में पांच लाख रुपये लग रहे हैं या लगने वाले हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं यह दश लाख की फिजूल खर्ची हुई। 550 किलोमीटर चला मोहनगढ़ से नोहर साहवा पर और टेल पर ले गये। मैं आपके माध्यम से किसी भी मंत्री महोदय, जो यहां हों, से पूछना चाहता हूं क्या इसकी स्कीम बनी थी, क्या एस्टीमेट बने थे, क्या इन मशीनों ने कुछ काम किया? काम नहीं किया तो दस लाख रुपया किसके माथे करेंगे? मैं चाहता हूं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री इस बात की जांच करें, कटघरे में खड़ा कर उन अधिकारियों को। मंत्री महोदय तो रहे नहीं, वह तो रेस्पान्सिबल भी नहीं थे, मौखिक आर्डर देकर चले गये। मुख्य अभियन्ता ने उस आदेश का पालन किया, फिजूल खर्ची की। इतनी ही बात नहीं है, एक छोटी सी बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अधिकारी है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। दूसरों को भी बोलना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल एक मिनट दे दीजिये, एक चर्चा करना चाहता हूं।

आज तो सड़क मंत्री भी नहीं हैं, उनके भी दर्शन नहीं हो रहे। सरकार है, उनकी चर्चा करना चाहता हूं। क्या किया उन मंत्री महोदय ने। पिछले वर्ष के बजट में तीन करोड़ का प्रावधान था नई सड़कों के लिए। नियम है, कानून है कि अगर तीन करोड़ का प्रावधान हो तो उससे डेढ़ गुना धनराशि सैंक्शन की जाय। साढ़े सात करोड़ की नई सड़कों की सैंक्शन की जानी थी। रेकार्ड बतायेगा, देख लीजिये। पिछले वर्ष चुनाव का मौसम था। कौनसी सड़कें चाहिए रूलिंग पार्टी के प्रत्येक एम. एल. ए. से सूची मांगी गई। उस सूची के आधार पर 80 करोड़ रुपयों की सड़कें सैंक्शन की गई, साढ़े सात करोड़ की बजाय 80 करोड़ रुपये की सैंक्शन की गई। यह मैं आरोप लगा रहा हूं, जांच हो सकी। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी जांच करें। हुआ भी क्या? आपसे पूछना चाहता हूं हुआ क्या?

(व्यवधान)

मेरी बात पूरी करने दीजिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (राज्य-मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी एफिशिएन्सी है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने कहा, मैं आपके बारे में बताऊं, आपके राज के अन्दर मैंने अवार्ड प्राप्त किया था 4260 रुपये का। आप यह बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो आने पर चर्चा करेंगे। एक सवाल है मेरा, मेरी बात तो कम्पलीट हो जाय।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह 80 करोड़ की जो मन्जूरी हुई उसमें आप देखेंगे । मैं कहना चाहता हूं ये सड़कें 15 स्थानों पर शुरु हो गई मिट्टी डाली गई....

श्री शोभत सिंह : योजना ही योजना थी, बनाई तो नहीं गई ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं, इस तीन करोड़ में से ढ़ाई करोड़ रुपया मिट्टी डालकर खर्च कर दिया इस बार पांच करोड़ का प्रावधान है, पांच करोड़ में से चार करोड़ तो उन सड़कों पर खर्च हो चुका है, एक करोड़ रह गया । न स्कूल हैं न औषधालय हैं नई–नई सड़कें हैं राजस्थान की सरकार का नाम बड़ा दर्शन छोटे हैं मैं तो केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया एक मिनट । केवल मिनट । Please co-operate.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल एक बात ।

ढ़ाई करोड़ तो लग गया, पांच करोड़ में से 4 करोड़ तो लग गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 1984-85 का बजट है, उसमें 200 कान्स्टीट्यूएन्सी में कुल खर्च किया गया 104 करोड 55 लाख रुपया। तो, तीनों प्रकार की स्कीमें हैं सड़कों के लिये उनका एवरेज आता है 52.28 लाख एक विधान सभा क्षेत्र के लिए । किन्तु हमारे झुन्झुनू विधान सभा क्षेत्र, जहां से मन्त्री महोदय पधारे हैं, में 106 लाख रुपया खर्च किया गया 52 लाख के बजाय । नम्बर 2 पर माण्डलगढ़ है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का क्षेत्र है, एवरेज है 52 लाख खर्च किया गया 132 लाख । तीसरे नम्बर पर बनेड़ा में खर्च किये गये 143 लाख, स्वयं मन्त्री महोदय जहां के हैं, वहां खर्च किया गया 210 लाख, सबसे बड़े जो माननीय सदस्य थे उनकी चर्चा केवल मात्र थोडी करना चाहता हूं, जो योजना बनी सड़कों की टोटल उसमें एवरेज था 57 लाख का किन्तु दीगोद, श्रीमान् दाऊदयाल जी जोशी नहीं है, के यहां 26 लाख खर्च किया गया, 57 लाख के बजाय, नम्बर 2 पर सीकर है श्रीमान घनश्याम जी तिवाड़ी....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जहां 8 लाख खर्च किया गया । नम्बर 3....

(व्यवधान)

पर मावली है । मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अलवर जो विधान सभा....

(व्यवधान)

यह बजट जो लाये हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक माननीय सदस्य : जनता राज के आंकड़े भी तो दीजिये, कितने औषधालय, कितने स्कूलें खोले गये ।

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो 26 लाख दाऊदयाल जी की कान्स्टीट्यूएन्सी में,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

खर्च किये, ग्राप तो पश्चिमी राजस्थान के दुश्मन हैं, लिफ्ट कैनाल स्कीम को ग्रापने रद्द कर दिया ग्रौर इन्दिरा गांधी कैनाल का प्रोजेक्ट जैसा या वैसा ही रख दिया ग्रापने।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदार नाथ : हमारी तरफ से रामचन्द्रजी बोलेंगे।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

ग्राय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिय समय का बंटवारा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि चैम्बर ने कितना समय किस-किस पार्टी के लिये ग्रलाट किया ग्रौर कांग्रेस का कितना समय बाकी है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। माननीय सदस्य, सभी को समय मिलेगा।

(व्यवधान)

ग्रार्डर, ग्रार्डर। सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है, मैं महसूस करता हूं।

(व्यवधान)

ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी बात सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य बोलेंगे। सभी को समय मिलेगा, ग्राप सभी सदस्य सहयोग करें। सत्ता पक्ष के कम सदस्य बोले हैं।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ग्राप चाहें तो समय बदल दें, कोई तकलीफ नहीं होगी पर सत्ता पक्ष को ग्रौर दूसरी पार्टीज को कितना समय मिला।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने समय का डिविजन कर दिया है। सभी बोलेंगे, मैंने डिविजन कर दिया है।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी बात सुनिये, मेरा यह निवेदन है कि कितना समय किस-किस पार्टी को मिला ग्रौर कितना समय कन्ज्यूम हो गया है।

(व्यवधान)

वह बता दें।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था मेरे व्यवस्था के प्रश्न का जवाब नहीं ग्राया तो मुझे मजबूर होकर दूसरी बार व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ रहा है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न बिलकुल रूल्स के ग्रन्दर है। यह रूल्स ग्राफ प्रासीजर के रूल 232, 216 ग्रौर 218 के ग्रन्तर्गत है। ग्रापने फर्माया था कि कांग्रेस वालों को कल समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मिलेगा नहीं, मिल रहा है। मिलेगा नहीं।

(व्यवधान)

अब तक कम मिला है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : (जमवा रामगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी को कम समय मिला है। आप दूसरी पार्टी को तो ज्यादा समय देते हैं पर हमारी कांग्रेस पार्टी को कम समय दिया, कृपया ध्यान दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, आपको समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सभी को समय मिलेगा। मैं महसूस करता हूं कि सत्ता पक्ष को कम समय मिला है। माननीय अध्यक्षजी भी यह महसूस करते हैं कि सत्ता पक्ष को कम समय मिला है। सभी को समय मिलेगा कृपया माननीय सदस्य सहयोग करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही व्यवस्था से चलायी जाती हैं। हमारे पास यह सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी और लोकदल को जितना समय मिला था उससे ज्यादा समय वे बोल चुके हैं। आप देख कर बता दें अगर नहीं बोलें है तो।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : (नदबई) You cannot challange the Chair.

श्री सी. पी. जोशी : Chair has given the ruling.

श्री यदुनाथ सिंह : You cannot challange....

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : (मुख्य सचेतक) आपको कितना समय मिला और सत्ता पक्ष को कितना समय मिला है, यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो काम करो बोलो मत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आज के लिये कांग्रेस (आई) को दो घण्टा 30 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को एक घण्टा चार मिनट और लोकदल....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके तो एक घण्टा मुख्य मन्त्रीजी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह: यह चैग्रर को चैलेन्ज कर रहे हैं जोशीजी ।

श्री सी. पी. जोशी : It is wrong....

श्री उपाध्यक्ष : Let me speak please, sit down.

श्री सी. पी. जोशी : ये 5 घण्टे बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

श्री सी. पी. जोशी 3 घण्टा 55 मिनट का समय था और 5 घण्टे बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Let me speak please;

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री शोपत सिंह : (हनुमानगढ़) आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Joshiji. please sit down.

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री शोपत सिंह : You cannot chalange.

श्री सी. पी. जोशी : What is this ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न को आप ओवर रूल कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने भी इस बात को महसूस किया है, आप मेरी बात सुन लें।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जोशी जी, आपको समय मिलेगा ।

श्री सी. पी. जोशी : आप दूसरी बात बोल रहे हैं We are not on the....

(व्यवधान)

आप मुझे समय बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस (आई) के अब तीन सदस्य बोलने को रह गये हैं।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मेरा कहना यह नहीं है. मेरा कहना यह है कि किस पार्टी को कितना समय दिया गया और कितना समय कन्ज्यूम कर लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : तीन सदस्य बोलने बाकी रहे हैं। उसके बाद मैं .

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि विपक्ष को समय ज्यादा दिया गया उसके लिये जो एजराज किया गया वह एतराज गलत नहीं हैं विपक्ष को काफी समय मिला है।

श्री राम चन्द्र।

श्री सी. पी. जोशी : ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। ग्रापने क्या रूलिंग दी? ग्रापने मेरे पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर क्या रूलिंग दी?

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रापके पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर को ग्रोवर रूल कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : He never said over-ruled.

(व्यवधान)

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : यह क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं ग्रा रहा है। ग्राप धीरे बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया धीरे बोलिये। मेरे कुछ भी समझ में नहीं ग्रा रहा है, ग्राप क्या बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : चैग्रर ने रूलिंग क्या दी? किस पार्टी को कितना समय ग्रलाट किया गया ग्रौर उसके बाद में क्या समय दिया गया?

श्री शोपत सिंह : वह ग्रलग है, ग्रापके मुख्य मन्त्रीजी बोलेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : वह हमको मालूम है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : चैग्रर ने दुबारा समय का ग्रलाटमेन्ट किया है, My dear friend.

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मेरी बात सुन लें, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, ग्राप क्या बोल रहे हैं मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। जोशीजी, ग्राप धीरे बोल कर बता दें।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्राप तो लिख कर दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर ग्रापने क्या व्यवस्था दी?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापको पूरा समय मिलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर यह नहीं है। मेरे पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर ग्रापने क्या व्यवस्था दी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापको समय मिलेगा। ग्रौर क्या व्यवस्था दूं।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी बात सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या व्यवस्था चाहिये, आप बता दें। मैं और क्या व्यवस्था दूं ? आपको समय मिलेगा। और क्या व्यवस्था चाहिये ?

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जोशीजी को समझा दें कि इतना अधिक बोलना इनके हित में नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : मोहन प्रकाश जी, यह आपके भी हित में नहीं है ।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी ।

श्री सी. पी. जोशी : Who are you ?

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : चैग्रर ने व्यवस्था दे दी ।

(व्यवधान)

आप चैग्रर की व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

आपने पहले यह कहा था कि आपने इनको समय अधिक क्यों दिया। इसमें थोड़ी कमजोरी समझिये। मेरी माननीय अध्यक्षजी से बात हो गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को, सत्ता पक्ष को कम समय मिला है। माननीय सदस्य जब बोलते हैं और कुछ डेटाज देते हैं तो वह गवर्नमेन्ट के लिए फायदेमन्द हो सकते हैं। इसलिये उनको पांच मिनट ज्यादा समय मिल जाता है। पर इसमें कोई पक्षपात करने वाली बात नहीं है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कांग्रेस के लोगों को पूरा समय देना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : जो सदस्य बोलते हैं, उनका समय पार्टी के समय में से कटता है, दूसरे सदस्यों के समय में से कटता है। यह पक्षपात नहीं है....

श्री सी. पी. जोशी : पक्षपात ही है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हम जो सुझाव देते हैं उससे कोई फायदा नहीं है; इसका मतलब यह है ? विरोधी पक्ष वाले जो सलाह देते हैं उससे फायदा होता है....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये तो। कृपया बैठें। समय तय होता है बोलने का....

(2-50 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सी. पी. जोशी : I am on a point of order.

श्री यदुनाथ सिंह : You cannot raise.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पहले पाइन्ट ऑफ आर्डर पर व्यवस्था होने दीजिए।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि आसन की ओर से समय का निर्धारण किया जाता है। यह व्यवस्था आसन की आसन की व्यवस्था है इस पर कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

(व्यवधान)

शान्त रहें।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा पाइंट आफ ऑर्डर यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आपका पाइंट ऑफ आर्डर मैंने सुना है। आपका पाइंट आफ आर्डर यह था कि समय का निर्धारण किया हुआ है। किस-किस को, क्या क्या समय दिया जायेगा, यह आसन की व्यवस्था है। आसन की व्यवस्था के ऊपर कोई पाइंट आफ ऑर्डर रेज नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह नहीं है। मैं जानता हूं आपको पावर है। आपकी पावर को चैलेंज नहीं किया है। मैंने तो यह कहा है कि आपने जो समय अलाट किया है उतना समय कांग्रेस को नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें। मैंने स्पष्ट बताया है कि समय के विभाजन पर आसन की व्यवस्था है....

श्री सी. पी. जोशी : मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार आसन को है। इसलिए मेहरबानी करके उसको चैलेंज मत कीजिए। आसन की ओर से इस बात का बराबर ध्यान रखा जा रहा है कि सब पार्टियों के माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिले। कोशिश यह की जाती है कि चीफ व्हिप जो नाम देते हैं जैसी कि हमारी परम्परा रही है आम तौर से, उनको समय दिया जाय। मुझे से नाम पूछेंगे तो मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आई कैच करके जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहेगा, बोलेगा। उसमें फिर जिस जिस पार्टी का समय है वह नष्ट हो जायेगा। किसी ने आई कैच की या किसी ने नहीं, इसकी ओर ध्यान नहीं जायेगा। चूंकि यह व्यवस्था चल रही है हमारे यहां पुरानी परम्परा रही है कि चीफ व्हिप से, अन्य दलों के चीफ व्हिप से नाम ले लेते हैं और उसके अनुसार अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें यह व्यवस्था करने करने की कोशिश करते हैं। इसमें माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। माननीय सदस्य थोड़े में अपनी बात कहेंगे तो अधिक माननीय सदस्य बोलेंगे। माननीय सदस्य अगर भाषण लम्बा करने की कोशिश करते हैं आसन की व्यवस्था देने पर भी बोलते रहते है तो कभी कभी मजबूरी से आसन को उनको बिठाना पड़ता है। लेकिन माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए समय दिया जाता है, इससे माननीय सदस्यों के बोलने में कमी आ जाती है। मैं यह चाहूंगा, आप थोड़े में अपनी बातें कहें। समय कम रह गया है।

श्री सी. पी. जोशी : On a point of order।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखें।

श्री शोपत सिंह : इनको ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैं यह कह रहा था सब माननीय सदस्य सहयोग करेंगे तो अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिलेगा। मैं चाहूंगा कृपया डिबेट को चलने दें, माननीय सदस्य इस पर ध्यान दें और सहयोग करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आसन की प्रतिष्ठा रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हमारे कांग्रेस के लोगों को बोलने का समय नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक से बात करें। आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने नाम नहीं दिया होगा—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद :

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगा कि मेरे बोलने में....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। कोई कमेंट्स नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। अपनी बात कह दीजिये संक्षेप में, समय का ध्यान रखिये।

श्री रामचन्द्र जाट : संक्षेप में ही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही ज्वलन्त समस्या आपके माध्यम से, हमारे मुख्य मंत्री महोदय, बैठे हुए हैं, उनके सामने उठाना चाहता हूं। वह समस्या है भूमि सुधार की और सीलिंग में अवाप्त की गई भूमि की। किस प्रकार से कुलक लोग सरकारी सत्ता पक्ष के माध्यम से इस भूमि के नाजायज और अनुचित मुआवजे की रकम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 31-12-84 तक सीलिंग कानून के अन्तर्गत कुल पांच लाख छियासी हजार पांच सौ सत्ताइस एकड़ भूमि अधिगृहित की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भूमि में से 21-12-84 तक पांच लाख छियालीस हजार आठ सौ बानवे एकड़ जमीन पर कब्जा कागजी तौर पर दिया गया। इसमें से तीन लाख इकहत्तर हजार चार सौ उनचास एकड़ भूमि आवंटित की गई। यह जो आवंटित भूमि है इसके मुआवजे की राशि पुराने सीलिंग कानून, 1955 एक्ट के चैप्टर थर्ड के अन्तर्गत दिया गया है। मैं सदन का ध्यान उस सीलिंग कानून के चैप्टर थर्ड के सेक्शन 30 (जे) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह प्रावधान था कि 7.25 एकड़ पर लगान से तीन गुना से अधिक मुआवजा नहीं दिलाया जायेगा। उसके बाद 1973 में नया सीलिंग कानून बना, उसमें धारा 19 है, उसके अन्दर अलग से प्रावधान किया

(श्री रामचन्द्र जाट)

गया। सीलिंग भूमि के एक्वीजीशन का मुआवजा है वह बाद में संशोधन से बढ़ा दिया गया और डेढ़ हजार प्रति एकड़ रखा, बाकी का भी अलग से रखा। उसके बाद सन् 1981 में राजस्व विभाग ने एक स्पष्टीकरण सभी जिलाधीशों को भेजा। उसमें यह कहा गया कि चाहे ओल्ड सीलिंग एक्ट के अधीन भूमि ली गयी हो, चाहे नये सीलिंग एक्ट सन् 1973 के तहत भूमि आवंटित की गई हो। उसका मुआवजा नये सीलिंग कानून के तहत दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्पष्टीकरण राजस्व विभाग ने दिया है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं यह राजस्व विभाग के एक उप सचिव महोदय का स्पष्टीकरण है 3-6-81 का है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार का एक मानस, चिन्तन बताया है। सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे को निर्धारण करते समय राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न आया है कि क्या उन मामलों में सीलिंग कानून 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है जिसमें सरप्लस सीलिंग भूमि की अवाप्ति काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 111 (बी) के अन्तर्गत की गई है। इस प्रश्न पर विचार किया गया। राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1972 अध्याय 111 धारा 19 के अन्तर्गत अवाप्ति की राशि का निर्धारण किया जाता है। पुराने कानून में इसे मुआवजे की संज्ञा दी गई है। 1973 के सीलिंग कानून के अन्तर्गत बने नियमों के नियम 18 में भूमि की कीमत के निर्धारण का फार्मूला दिया गया है तथा उपरोक्त निर्धारित कीमत उन सभी भूमियों पर लागू होती है जो सीलिंग से सम्बन्धित किसी कानून से अवाप्त की गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की वितोपित्त धारा 30 (जी) एवं सीलिंग कानून, 1973 की धारा 19 एवं उसके तहत बने नियम 18 में प्रयुक्त शब्द से स्पष्ट है कि भूमि का आवंटन उसी कीमत पर किया जायेगा जिस पर अवाप्ति की राशि तय हुई है फिर चाहें भूमि नये कानून के तहत या पुराने सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई हो। अतः जहां तक मुआवजे के निर्धारण का सम्बन्ध है, काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 111 (बी) के तहत सरप्लस घोषित भूमि के लिए भी अवाप्ति की राशि का निर्धारण नये कानून के तहत होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस गम्भीर समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 55 के एक्ट के चैप्टर 111 के जो मुआवजे का प्रावधान रखा है वह आर्टिकल 39 के तहत सही है। यह प्रावधान है 30 (जे) में कि इस मुआवजे और इस निर्धारण के अलावा कोई भी अधिक राशि मुआवजे के रूप में नहीं दी जायेगी। आज करीब ढाई लाख भूमि पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिगृहित की गई और उसका मुआवजा जागीरदारों और भूमिदारों को सीलिंग कानून के आधार पर दिया जायेगा जिसमें करीब चालीस गुना ज्यादा मुआवजा प्राप्त करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें उन्होंने माना है कि पुराने सीलिंग कानून के तहत जो भी कार्यवाही की गई है वह सब वैध है। उसी रूलिंग के आधार पर, जो ए. आई. आर. राज. 1977 के पेज 46 पर बशीलाल वाला डिसीजन है, उन्होंने माना है कि ओल्ड 55 एक्ट में जितनी भी कार्यवाही की गई है वह वैध है,

(श्री रामचन्द्र जाट)

उसमें जितनी जनरल क्लोजेज एक्ट की दफा 6 के तहत वैध है ।

(3.00 म. प.)

तो मैं श्रीमान आपके मध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो भूमि पुराने सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत कर ली गयी जिसका तीस गुना लगाने से मुआवजे का इन्द्राज नहीं हुआ था वह भूमि काश्तकारों को आवटित होते हुए उसका नये सीलिंग कानून में 40 गुना अधिक मुआवजा देकर करीब 100 करोड़ रुपया भूमिधारियों को दिलाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पुराने सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत भूमि आज से 6-7 साल पहले आवंटित कर दी गयी । उन लोगों को पुराने सीलिंग कानून के तहत मुआवजा दे दिया गया । लेकिन ज्यों ही यह राज्य सरकार का स्पष्टीकरण सर्कुलर प्राप्त हुआ, नये नोटिस जारी कर दिये गये, त्यों ही जो राशि नये सीलिंग कानून के तहत जागीरदारों को देनी है वह पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत भूमिधारियों को दिलाये जाने के लिए उन भूमिहीन काश्तकारों से वसूली की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है कि जिसमें बैकडोर एन्ट्री के द्वारा उस पुराने सीलिंग कानून जो कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 39 में बंधक दिए थे, के माध्यम के द्वारा इस सर्कुलर के तहत करीब 20 करोड़ रुपया भूमिहीन काश्तकारों से प्राप्त करके भूमिधारियों को दिये जाने का एक षड़यंत्र रचा गया है, एक साजिश रची गयी है । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस प्रश्न को री एग्जामिन करवाकर यह जो सर्कुलर जारी हुआ है इसकी तुरन्त पालना रुकवायें । हजारों क्लेम्स नये कम्पन्सेशन के तहत जागीरदारों ने और पुराने भूमिधारियों ने प्रस्तुत कर कर दिये हैं । ये अपने मुकदमों के फैसले शीघ्र करवा करके इसके मुआवजे की राशि इसी नये कानून के मुआवजे की राशि के अनुसार प्राप्त कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राज्य सरकार का ही नहीं है । यह उन भूमिहीन काश्तकारों का भी है जिनकी नियमों के अन्तर्गत 75 फीसदी भूमिभूमिहीन काश्तकारों, जो कि शिडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं और जो बंधुआ मजदूर हैं, के लिए रिजर्व की जाती है, उन लोगों से यह मुआवजे की राशि बढ़ी हुई दरों पर नाजायज रूप से प्राप्त की जा रही है जिसका आज के नियम और कानून के तहत कोई औचित्य नहीं है ।

एक बहुत गम्भीर प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा और उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग बैठे हुए हैं उन पर यह आरोप लगाते हैं कि कुलक लाबी के लोग हैं, कुलक लाबी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं । लेकिन मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने कुलक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको अनुचित लाभ दिलाने के लिए इस सर्कुलर के माध्यम से 20 करोड़ अधिक मुआवजे की राशि उन भूमिहीन काश्तकारों से दिलाने का षड़यंत्र किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा कानूनी प्रश्न नहीं है । एक साधारण सा प्रश्न है कि जो भूमि राज्य सरकार ने पुराने सीलिंग कानून के तहत

(श्री रामचन्द्र जाट)

अवाप्त कर ली और पुराने सीलिंग कानून के नियमों के तहत जिनको आवटित कर दी, जिनके कब्जे दे दिये गये, जिनके खातों में इन्द्राज हो गयी उन काश्तकारों से यह कह कर वसूली करना कि हम 1973 के नये कानून के तहत मुआवजे की राशि प्राप्त करेंगे, सरासर अन्याय है जब कि हाइकोर्ट ने और फुल बेंच ने यह फैसला दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री रामचन्द्र जाट : दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट भाषण दिया है, मैं, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में जो आउट ले था 2025 करोड़ का, उसमें जो आवश्यक संसाधन जोड़ने थे सरकार को वह 750 करोड़ 30 लाख के स्थान पर 763 करोड़ 71 लाख के संसाधन जोड़ने हैं। यह कहा गया है कि इन संसाधनों के जोड़ने और बाकी सेवंथ फाइव ईयर प्लान के संसाधन 1 हजार एकत्रित करने के लिये हम बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधन जोड़े गये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जनता सरकार के समय प्रोहीबिशन लागू कर दिया गया था, उस प्रोहीबिशन को लागू करने से जो एक्साइज ड्यूटी थी और एक्साइज रेवन्यू प्राप्त नहीं हुई उस रेवेन्यू से एक बहुत बड़ा फण्ड जब इन्होंने वापस प्रोहीबिशन रिपीट किया तब कांग्रेस की सरकार को छठी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हो गया। उस एक्साइज ड्यूटी से करीब 300 करोड़ रुपया इन्होंने पांच साल में कलेक्ट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को इस बात के लिए अहसान मानना चाहिये जनता सरकार का कि जिस प्रोहीबिशन की पालिसी के द्वारा करीब 350 करोड़ के जनता सरकार ने अपने संसाधन छोड़ दिये थे, कांग्रेस की सरकार ने प्रोहीबिशन रिपीट करने के बाद संसाधन एकत्रित कर लिए करीबन 350 करोड़ के, 763 करोड़ के जो संसाधन थे उसमें से 50 पर्सेन्ट इन्होंने एक्साइज ड्यूटी के द्वारा प्राप्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नयी सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार करोड़ के संसाधन और जोड़ने का इन्होंने जो प्रण किया है उसमें सबसे ज्यादा संसाधन, हर साल करीब 100 करोड़ का संसाधन इन्होंने आर. एस. ई. बी. से वसूल करने का निश्चय किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नैतिकता की दुहाई दी जाती है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव हुए थे नयी विधान सभा के, तो इलेक्शन मेनीफेस्टो इन्होंने और केन्द्र की सरकार ने जारी किया था। इन्हें पूरी जानकारी थी कि आइन्दा आने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने संसाधन जुटाने हैं और किस तरह से हमको फाइव इयर प्लान इम्प्लीमेंट करना है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि क्या आपने चुनाव लड़ने के पहले जनता को यह आगाह किया था कि एक हजार करोड़ के एडीशनल टैक्स जनता पर लगायेंगे? क्या जनता के वोट इन्होंने यह कहकर प्राप्त किये थे कि हम आवश्यक संसाधान जुटा करके नयी सातवीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, नैति-

(श्री रामचन्द्र जाट)

कता का तो यह तकाजा है कि यह सरकार फ्रेश मेन्डेट ले। इस विधान सभा को भंग करके जनता के सामने जाकर नये चुनाव कराये। अगर जनता इनको मेन्डेट दे दे कि यह अतिरिक्त संसाधान कर लगाकर जुटा लें तो इस बात के लिए कहा जा सकता है। लेकिन नैतिकता का यह तकाजा नहीं है कि जिस जनता को जिन, किसानों को और मध्यम वर्ग के लोगों को आप भुलावे में डालकर के सत्ता में आये, उसके ठीक तीन चार महीने बाद आपने उस जनता को भुला दिया। उनको धोखा देकर नये एडीशनल टैक्सेज लगा दिये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले उप चुनाव हुए थे तो आप गांव-गांव गये थे। आपने कहा था कि बिजली उनके लिए मुहैय्या करेंगे, लोगों को सस्ती बिजली देंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कम से कम 24 घंटों में से 10 घंटे बिजली दी जाये। लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उन भाषणों में यह कहीं नहीं कहा था कि हम बिजली तब देंगे जब कि हजार करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटा लेंगे और किसानों को, मजदूरों को और मध्यम वर्ग के लोगों को तब बिजली मिलेगी जब कि हर साल 100 करोड़ के टैक्सेस लगा देंगे आज आप जरूर सत्ता में आ गये हैं धोखा देकर लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको कभी भी इस पर जनता समर्थन नहीं देगी। आपको आने वाले चुनावों में, चाहे वह पंचायत के चुनाव हों, चाहे वह म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हों, जनता के कोप का सामना करना पड़ेगा। हम सभी विपक्षी लोग इस बात को एक मसला बनाकर जनता के सामने ले जायेंगे। यह जो आपने एक अनुचित जनता को धोखा देकर, जनता का विश्वास धोखे से जीतकर जनता पर प्रहार किया है उस प्रहार का बदला आपको इस कांग्रेस की सरकार से अवश्य लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : बहुत धोखे दे दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती हमीदा बेगम : बहुत दिये हैं आपने।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती हमीदा बेगम : बहुत सुन लिया आपकी दलीलों को।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपये टैक्स इवेडर्स से वसूल करने का एक कार्यक्रम बनाया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि इस पेटे तय की है, कितनी राशि जो टैक्स इवडर्स से, नम्बर दो की आमदनी करने वालों से, राजस्थान सरकार के लाफुल टैक्सेस से बचने वाले कर वंचकों से आप प्राप्त करेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि छोटी इण्डस्ट्रीज को

(श्री रामचन्द्र जाट)

चाहे दूसरे उद्योगों को जितनी भी सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी को अगर किसी व्यक्ति ने अनुचित रूप से प्राप्त कर लिया है तो उसकी वसूली का कानून में प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति नाजायज रूप से सब्सिडी प्राप्त कर ले तो उसकी वसूली का एक कानून बनाना चाहिये। एक बराबर रेगुलर चैकिंग होनी चाहिये और कानून में यह प्रावधान होना चाहिये कि वह सब्सिडी की रकम उस पार्टी से, उस व्यक्ति से ब्याज समेत प्राप्त कर ली जाये एज एरियर ऑफ लैण्ड रेवेन्यू....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री रामचन्द्र जाट : मैं दो मिनट में अपनी चर्चा समाप्त करूंगा। संक्षेप में ही कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उद्योगों से अपने विस्तार के नाम पर—

श्री अध्यक्ष : आप नया विषय छेड़ रहे हैं फिर 10 मिनट इस पर बोलेंगे। कृपया समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र जाट : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मानवता के अस्तित्व का आधार समानता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय समानता प्राप्ति के स्तम्भ हैं। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 38 इसी भावना से दर्शाया हुआ है। यह कहा गया है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों की स्थापना करेंगे जिससे सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो और लोक कल्याण की वृद्धि हो। इसी सिद्धान्त को दृष्टिगोचर रखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 1985-86 का आय व्ययक का लेखा राजस्थान के सर्वांगीण विकास हेतु हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। देश व प्रदेश की विषम भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के बावजूद भी यह एक उत्तम और सन्तुलित बजट है। छठी पंचवर्षीय योजना में अकाल की विभीषिका के बावजूद कई क्षेत्रों के अन्दर हमने अच्छी प्रगति की। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली, औद्योगिक एवं खाद्यान्न उत्पादन रोजगार तथा ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दिया जायेगा। जितनी मनुष्य को जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, उतनी ही भारतीय अर्थ व्यवस्था को सन्तुलित और सुदृढ़ बनाये रखने के लिये ग्रामीण विकास की आवश्यकता होती है। इसलिये यह बजट ग्राम विकास उन्मुख बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक ढांचे में विपक्ष का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जितना सत्ता पक्ष का। इस कारण विपक्ष पर गम्भीर जिम्मेदारी होती है। परन्तु इस बजट के वाद-विवाद में दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक दो अपवाद को छोड़कर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने न तो रचनात्मक आलोचना की और न ही कोई ठोस सुझाव प्रस्तुत किये। उनका लक्ष्य क्रिटिसिज्म फार दी सेक ऑफ क्रिटिसिज्म रहा अगर मैं शेक्सपीयर के शब्दों में कहूं कि It was full of sound and furry

(श्री लक्ष्मण सिंह)

signifying nothing. तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

मेड़ता से आने वाले माननीय मिर्धा साहब ने फर्माया कि फाइनशियल टार्गेट्स के साथ में फिजिकल टार्गेट होने चाहिये। अवश्य होने चाहिये। नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस बजट को आप पढ़ें तो इसमें आप पायेंगे, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, समाज कल्याण, सहकारिता, रोजगार, उद्योग, वन इत्यादि सभी क्षेत्रों में फिजिकल टार्गेट्स दिये गये हैं। उन्होंने यह फर्माया कि बिजली आज बहुत सरप्लस है। परन्तु इस पूरे बजट प्रावधान में कहीं भी यह चीज नहीं है कि बिजली आज सरप्लस है बल्कि बिजली की कमी स्वीकार की गई है। उन्होंने कम्प्यूटर और टेलीविजन पर व्यंग्य कसा। माननीय मिर्धा साहब क्या वापस हमें 19 वीं सदी में ले जाना चाहते हैं?

श्री यदुनाथ सिंह : क्या भूखे पेट मारना चाहते हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह : इसलिये मेरा निवेदन आपसे यह है Do not think of your forefathers only; think of your posterity as well.

कई विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह फर्माया कि यह किसान विरोधी बजट है। ऐसा बजट, जिसका 52 प्रतिशत विद्युत और सिंचाई पर खर्च किया जा रहा है, कैसे किसान विरोधी बजट हो सकता है। यह सोचने की बात है।

विपक्ष के माननीय नेता शक्तावत साहब ने फर्माया कि जो घाटा....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इनके मुंह में घी शक्कर।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शक्तावत नहीं, शेखावत।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मण सिंह : जहां घाटे का बजट होता है वहां पर विकास नहीं होता। अगर 1978 और 1979 का बजट निकाल कर देखा जाये तो शेखावत साहब ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया कि उनके जनता राज में कोई विकास नहीं हुआ था। क्योंकि 1978 के अन्दर 29.5 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। और 1979 के अन्दर 56.44 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। उन्होंने यह भी फर्माया कि रिसोर्स बैस्ड प्लान नहीं होना चाहिये नीड बैस्ड प्लान होना चाहिये। नीड बैस्ड प्लान की आवश्यकता है। हां, रिसोर्स बैस्ड प्लान नहीं होना चाहिये और नीड बैस्ड प्लान होना चाहिये। आज के युग में नीड्स और एस्पायरेशन, अध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही हैं। नीड और एस्पायरेशन जब तक हम रिसोंसिज से मैच नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिये जब तक रिसोर्स बैस्ड और नीड बैस्ड प्लान का समन्वय नहीं होगा तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष विद्युत और सिंचाई पर 206.8 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था। इस वर्ष विद्युत और सिंचाई के लिये 242.45 करोड़ का प्राव-

(श्री लक्ष्मण सिंह)

धान है। यह बढ़ोतरी होगी, अभी, और आवश्यकतायें बाकी हैं। परन्तु इस प्रावधान में से मात्र 16 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतिकरण के लिये रखा गया है जो मेरे दृष्टिकोण से कम है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मद में और ज्यादा बढ़ोतरी की जाये।

पेयजल की व्यवस्था के पश्चात् किसानों को पानी पहुंचाना ही सबसे ज्यादा प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिये। बजट के अन्दर 125.34 करोड़ रुपया सिंचाई के लिये रखा गया है। परन्तु इसमें से 85 करोड़ रुपया वृहद और मध्यम सिंचाई के लिये रखा गया है इन वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं से धनी किसानों को ही फायदा होता है और छोटे किसान, गरीब किसान, जो अधिकतर अरावली पर्वत माला की पहाड़ियों के अन्दर बसे हुए हैं, को तो, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ छोटी-छोटी योजना, छोटे-छोटे तालाब और छोटे-छोटे एनीकट से ही फायदा हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत खर्च को बढ़ाने का प्रावधान किया जाये।

शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिया गया है कि आगे बढ़ने से पूर्व जो प्रथम ढांचा है उसकी व्यवस्था को ठीक करें। विपक्ष के माननीय सदस्य एक तरफ तो गांवों में और स्कूल खोलने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ वह कहते हैं जो स्कूल खुले हुए हैं, उन स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति की जाये। अवश्य यह दोनों चीजों की पूर्ति होनी चाहिये, मैं भी उनके विचारों से सहमत हूं। लेकिन इन दोनों कार्यों को करने के लिये अगर हम टैक्स लगाते हैं तो उसकी भरपूर आलोचना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक विरोधाभास है।

Gentlemen, you cannot eat your cack as well as take it.

स्कूल भवन निर्माण हेतु सरकार ने एक कल्याणकारी योजना, उदारतापूर्ण योजना की आधी राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है, वह स्वागत योग्य है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्कूल भवन का निर्माण बड़ी समस्या बन जाया करती थी। इस प्रस्ताव के आने से अब यह समस्या कम होगी। प्रतिभावान छात्रों को भी पुरस्कार देने का निर्णय प्रेरणादायक और कल्याणकारी कदम है।

कृषि क्षेत्र में फसल बीमा एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में अकाल की विभीषिका हर वक्त, हर साल रहती है। इस प्रस्ताव के लाने से किसानों को राहत मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज की सफलता बहुत आवश्यक है। इसलिये पंचायती राज के चुनाव समय पर होने चाहिये जिससे इस पंचायती राज की रंगों में नवीन रक्त का संचार हो सके। साथ ही साथ यह भी सुझाव है कि विकास की प्रक्रिया में योजनायें ग्रामीण स्तर से प्रारम्भ होकर जिले, प्रान्त और केन्द्र स्तर पर पहुंचे। परन्तु अक्सर उल्टा होता है, केन्द्र से योजनायें ग्राम स्तर तक पहुंचती हैं। इस

(108)

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कारण व्यवहारिकता नहीं आ पाती । यह भी निवेदन करना चाहता कि पंचायतों को अधिकार तो बहुत कम हैं परन्तु उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है । जब तक अधिकार और कर्त्तव्य का समन्वय नहीं होगा वे सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगी । महाराष्ट्र में पंचायत राज की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की दरों में जो वृद्धि हुई है उससे समाज अवश्य प्रभावित होगा परन्तु ससाधन जुटाने हेतु यह आवश्यक भी है यह नैसेसरी इविल है । फिर भी मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि लघु उद्योग एवं घरेलू आपूर्ति में जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, कृपया इन्हें कुछ कम करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ।

राजकीय उपक्रमों से हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है । यह कटु सत्य है कि ये उपक्रम देश व प्रदेश के लिये असेट्स न बनकर लायबिलिटीज बन गये हैं । It is high time we stop considering them as fake business measures; welfare measure, and start treating them as hard realstic business enterprises. इन उपक्रमों के अधिकारी व कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं परन्तु अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं और पावर्स भी उनको ज्यादा दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि absolute power corrupts absolutely. अध्यक्ष महोदय, मैं जिस डिफेन्स सर्विस में 15 वर्ष रहा, उस डिफेन्स सर्विस के अन्दर अगर किसी उपक्रम में हानि होती थी तो निष्पक्ष जांच होती थी और दोषी पाये जाने वाले लोगों को कठोर दण्ड दिया जाया करता था । मेरे विचार में अब समय आ गया है कि हम भी इस प्रकार से हानि होने वाले उपक्रमों में रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करें ।

अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव दिया गया है कि 20 करोड़ के घाटे हेतु राज्य कर्मचारियों की एफिशियेन्सी में इम्प्रूवमेंट किया जाय । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव एक वेग प्रपोजल है । जब तक कोई कन्क्रीट और सब्सटेन्सियल प्रपोजल नहीं होंगे, हम इस 20 करोड़ रुपये की आपूर्ति नहीं कर पायेंगे क्योंकि Honlble, sir, we should not count our chickens before they are hetched. फिस्कल पालिसी का बैसिक फंक्शन होता है कि इम्पलक्चुअंस जो कार्य है उनको आइडेन्टिफाई करें और उन्हें कम करें ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मण सिंह : एक मिनिट ।

अध्क्षय महोदय, भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं सैनिक कल्याण पर भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । आज सरकारी कर्मचारी अपने ट्रान्सफर चाहते हैं, वे चाहते है, कि डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में या अपने गांव में

(श्री लक्ष्मण सिंह)

पहुंच जाय। लेकिन एक सैनिक या तो माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर में पहाड़ों में सर्विस करता है या 50 डिग्री टेम्परेचर में रेगिस्तान में काम करता है। 40 वर्ष की अल्प आयु में जब उसे सेवा निवृत्त कर दिया जाता है तो यहां आने पर न उसके रहने के लिये कोई मकान होता है और न उसके लिये कोई नौकरी होती है. इसलिये निवेदन करना चाहूंगा, कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी कुछ प्रावधान करें।

अन्त में मैं इस बजट, जो कि एक सन्तुलित और अच्छा बजट है, का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दीनबन्धु वर्मा।

श्री दीनबन्धु वर्मा : (कपासन)। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब से मुख्य मन्त्रीजी ने वित्त मन्त्री की हैसियत से बजट रखा है, तब से विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने ऐसा माना है कि जैसे मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कोई बम रख दिया हो और उससे वे आतंकित हों।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : क्या आप उन्हें आतंकवादी मान रहे हो।

श्री दीनबन्धु वर्मा : मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे हमारे विपक्ष के नेता, आदरणीय शेखावत साहब, आदरणीय मिर्धा साहब, आदरणीय भाभड़ा साहब ने बहुत ही रचनात्मक सुझाव के साथ कुछ बातें कही हैं, लेकिन जिन सन्दर्भों में यह बजट आया है, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। R.B.I. over draft to States to go. Amount on January 28, Rs. 1808 crores to be converted into loans. जब एक तरफ फिस्कल डिसिप्लीन की बात कर रहे हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के संसाधन कार्यक्रमों के बारे में बता रहे हैं और अतिरिक्त संसाधनों के द्वारा हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू करके कल्याणकारी कामों को पूरा करना चाह रहे हैं तो इन सन्दर्भों में हमें बजट को उसी परिपेक्ष में सोचना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि दो जुलाई से जो बराबर चर्चा हो रही है उसमें विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मेरे पक्ष में जो साथी हैं, उन्होंने भी जो सारी एक्सर्साइज की है वह यह है कि हम राज्य के वित्तीय संसाधनों को जुटा करके किस तरह हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको डवलप करें और कौन से एरियाज हैं जिनसे हम ज्यादा पैदा कर सकते हैं और उनके द्वारा टैक्स या आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह हुआ नहीं। हुआ यह कि सिर्फ आर. एस. ई. बी. ही चारों तरफ नजर आया। आर. एस. ई. बी. का विगत का आप इतिहास उठाकर देखें तो, अध्यक्ष महोदय, वर्ष 19-1-82 के प्रारम्भ में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति विद्युत का जो उपभोग था वह 78 किलोवाट प्रति व्यक्ति था जब कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति उपयोग 48 किलोवाट था इसका जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था, जैसे पब्लिक अन्डर टेकिंग कमेटी ने अपने सुझाव दिये, स्वयं ने विचार उसमें हमारा विपक्ष और हमारी हां पक्ष

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

लोबी के भी सदस्य थे, उन्होंने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान की आबादी के अनुपात में विद्युत उत्पादन और वितरण के साधन कम हैं। दूसरा कारण यह रहा कि योजनाओं के लिये आर. एस. ई. बी. में अन्य राज्यों के मुकाबले धन की कमी रही। तीसरा, प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ाया जा सकता है यदि विनियोजन के लिये अधिक राशि उनको उपलब्ध हो। अब, माननीय अध्यक्षजी, हमारे वित्त मंत्री जी ने, मुख्य मन्त्री जी ने आर. एस. ई. बी. के जरिये कुछ टैक्स बढ़ाने की कोशिश की तो इसमें अनधिकृत चेष्टा क्या रही? आखिर 1985-86 में 64 करोड़ में से 32 करोड़ रुपया तो जो योजनायें हैं आर. एस. ई. बी. की उस मद में जायेगा और 32 करोड़ रुपये जो डेफिसिट फाइनेन्स है, उसको पूरा करने के लिये उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर जो चेष्टा रही है वित्त मंत्री जी की वह इस बात की रही है कि आर. एस. ई. बी. अपने संसाधनों को पूरा करे, अपनी जो योजनायें हैं उनको पूरा करे ताकि गांव-गांव में बिजली पहुंचे, हर व्यक्ति को कनेक्शन मिले और ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के मार्फत लाभ उठायें। इस बात का प्रयत्न किया गया लेकिन कहा यह गया कि बहुत दरें बढ़ा दी। आखिर दरों को बढ़ाना तो पड़ेगा। जब एक तरफ सातवीं पंचवर्षीय योजना में जैसा माननीय शेखावत साहब का स्टेटमेन्ट है, राजस्थान में विकास कार्यों की छुट्टी की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक हजार करोड़ के जो अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने का प्रयत्न करना चाहते हैं, उसके लिये कह रहे हैं, कि विकास कार्यों की छुट्टी। आखिर कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। आप होते तो क्या करते? आप भी वही करते, चाहे आर. एस.ई.बी. से करते, चाहे इरिगेशन को देखते, चाहे दूसरे ऐरियाज हैं, उनको देखते यह तो हमें सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं आपकी रेवेन्यू में लीकेज है। मान सकते हैं, भाई, कमजोरी रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर आखिर यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट प्लान है उसमें, मैं आपको बताऊं, यह भी माना है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो ड्राफ्ट प्लान था उसमें यह भी माना गया है कि राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ में करों से प्राप्त आय में जड़ता की वर्तमान दशा ऐसी घटना है जिसे टाला नहीं जा सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में योजना आयोग ने कृषि का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि उत्तरोत्तर की गई प्रगति के कारण उससे प्राप्त आय मे राष्ट्रीय आय 20 प्रतिशत हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ, माननीय अध्यक्ष जी, करों पर निर्भर न होकर दूसरे साधनों के द्वारा, अतिरिक्त संसाधनों के द्वारा हमें अपनी आय को बढ़ाना होगा माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं। तथा मेरी पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, मैं दोनों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश जहां हमारी भौगोलिक और अन्य परिस्थितियां इतनी डिफरेन्ट है कि एक तरफ तो बिल्कुल डेजर्ट है और एक तरफ हिल्ली एरिया है, वे दोनों क्षेत्रों में विकास की गति बराबर बढ़े, उसके लिये हमें एक जुट होकर, कटिबद्ध होकर कार्य करना पड़ेगा।

मैं इस बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं अपने वित्तीय

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

भाषण में स्वीकार किया है, पेज 2-3 पर कि हमारे वित्तीय ससाधन कम हैं पर आज तक हमने एक्सपोर्ट' इम्पोर्ट-साइड के सम्बन्ध में इस बात को विचारा नहीं कि यह भी एक माध्यम हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करू कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश ने गत 6 साल में निर्यात के मोर्चे पर बहुत ही प्रगति की है। अनेक बाधाओं के बावजूद राज्य को विदेशी मुद्रा की आमदनी 1 अरब 65 करोड़ 25 लाख रिकार्ड स्तर पर पहुंची है और इस साल, माननीय अध्यक्षजी, वह दो अरब के आसपास पहुंचेगी। हम भी क्यों नहीं निर्यात-आयात पर अपना मोर्चा जमायें? क्यों नहीं हम दरी और गलीचा उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्यों नहीं हमारे राज्य के खुद के एक्सपोर्ट हाऊसेज हों और उनके माध्यम से हम आय करें, हमारे राज्य की आय को बढ़ायें? क्यों नहीं ऊन का निर्यात करें? ऊन के निर्यात के माध्यम से हम हमारी आय बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे इस बात को कह रहा था कि हमने खाली आर. एस. ई. बी. की विद्युत दर या कभी सिचाई की दर में वृद्धि कर दी या कभी बिक्री कर में वृद्धि कर दी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिनको कि हम देख सकते हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए तो बधाई दूंगा ही कि उन्होंने एक बहुत ही रियलिस्टिक बजट पहली बार रखा है। जहां फिजिकल डिसिप्लिन हमें मेन्टेन करना है, जहां कायम करना है, वहां पर जो वित्तीय भार स्टेट पर था उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने बोल्डनेस से, बड़ी मजबूती से जो टैक्स लगाये हैं वह अपने आप में एक बहुत ही वंदनीय बात है। निश्चित रूप से इससे प्रदेश का भला होगा। ठीक है आलोचना की दृष्टि से भले ही कहें, कुछ भी कहें विपक्ष के माननीय सदस्य, लेकिन यह तो मन में स्वीकार ही करना पड़ेगा कि इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। आज जो स्थितियां हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री दीनबन्धु वर्मा : आपने कल ही सुना होगा। कल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की पहली बार जब प्रेस कान्फ्रेंस हुई, उसके अन्दर उनसे एक प्रश्न प्रेस के बन्धु ने पूछा था कि श्रीमती गांधी की सरकार के लिए यह कहा जाता था कि सरकार वह है जो वर्क करे, आपकी सरकार को आप क्या कहेंगे। उन्होंने बड़ा आलीशान व शानदार जवाब दिया "Government which moves." And ours is a Government which moves fast. We want to do anything for the development of the country.

श्री शोपत सिंह : छलांग मत लगा लेना।

श्री दीनबन्धु वर्मा : छलांग नहीं लगा रहे। I agree। छलांग लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन तेज गति से तो चलना पड़ेगा, तेज गति से तो चलना होगा। जो हमारे कमिटमेन्ट हैं और जिन कमिटमेन्ट को देखकर 401 की जो तादाद लोक सभा के अन्दर आयी है उन कमिटमेन्ट को पूरा करने के लिए हमें तेजी से आगे चलना

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

पड़ेगा। तो, अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह बात निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि वह दूसरे एरियाज भी तलाश करें जिससे कि हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रारूप करीब-करीब स्वीकृत हो चुका है, वह सफल हो, हमारा देश, हमारा प्रदेश कल्याण की ओर अग्रसर हो और जो गरीब लोग हैं, इस प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं वे उस से लाभान्वित हों।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, स्टेट की इकोनोमी पालिसीज पर बोलने से पहले जो आज राजस्थान में और देश में पोलिटिकल सिस्टम है उस पर दो शब्द कहे बिना मैं नहीं रह सकता। अभी लोकदल के नेता श्री मिर्धाजी ने इस डिबेट को एक सोल और सोब्राइटी दी उसके बाद रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सीकर से और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने स्टेट की फिस्कल पालिसी पर अपने आब्जर्वेशन दिये और रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन के लिए अपने सजेशन दिये, वह काबिले तारीफ हैं। अध्यक्षजी, हमारे विरोध पक्ष के नेता ने अपनी ओवर फ्लोइंग नालेज के साथ सारे राजस्थान में गबन और घोटाले की बातें कहीं, मैं समझता हूं अगर हमारे मुख्य मंत्रीजी मैरिट्स पर इस बजट पर बात करेंगे तो टैक्सेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज देश में एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी को हमने देश की मैन स्ट्रीम से अलग कर दिया, अध्यक्ष जी। मैं यहां पर इतना ही कह रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है, हमने सबसे पहले मुसलमान कौम को हमारे खुद के पोलिटिकल एडवान्टेजेज के लिए देश की मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया, दूसरा हमारा अटैक सिख कम्युनिटी पर हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि यह कम्युनिटी हार्ड-वर्किंग है, रिसोर्सफुल है, ब्रेव है। इस कम्युनिटी को आपने अपनी गलतियों से आज देश की मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया। तीसरे गुजरात में एन्टी रिजर्वेशन पर एजीटेशन हुआ और वहां क्लास कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। सारे देश से हमने शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स को आज हमारी मेन स्ट्रीम से अलग करके फेंक दिया। मैं इसलिए कह रहा था कि पोलिटिकल सिस्टम की क्या वैलिडिटी है, हमारे देश की क्या विजिलेन्स है ? वह कौन सी फोर्सेज है, यह कौन से तबके हैं जो क्लास कन्फिलक्ट्स को ही अप कर रहे हैं ? क्या हम उनको चैक नहीं कर पायेंगे ? टैरर शुरू हुआ, पंजाब में टैरर शुरू हुआ आहिस्ता-आहिस्ता पूरे देश में फैल गया। आज बिहार में कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर उनका कब्जा है, वहां कोई लॉ आर्डर नहीं। मैं इसलिए आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जब तक हम इस चीज पर अपना एक दृष्टिकोण नहीं बना पायेंगे तब तक इस देश में न कोई प्लानिंग रहेगी, न कोई डेमोक्रेसी रहेगी, न कोई कम्युनल हारमोनी रहेगी।

आज सेवंथ प्लान का ड्राफ्ट हमारे सामने है। अध्यक्ष जी, मैं यहां यह भी नहीं कहना चाहता कि हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो अपने ढाई साल के राज में, पर हमने प्लानिंग के एक कन्सेप्शन

(श्री केदार नाथ)

दिया था। वह कन्सेप्शन यह था, मैं आपसे निवेदन कर दूं, अभी मेरे दोस्त यह भी कहते है कि जनता पार्टी के पास कोई प्लानिंग का कन्सेप्शन नहीं था। "To achieve within a period of ten years...."

प्लानिंग का कन्सेप्शन बहुत क्लियर था कि 10 साल के पीरियड के अन्दर

"(i) The removal of un-employment and significant under-employment.

(ii) appreciable rise in the standard of living of the poorest sections of the population

(iii) Provision by the State of the basic needs of the people in this income group, like clean drinking water, elementary education, health care, adult literacy rural roads, rural housing for the landless and minimum services for the urban slums.

These primary objectives have to be attained while at the same time :–

(iv) achieving a higher rate of growth of the economy than in the past.

(v) Moving towards a significant reduction in the present disparities of income and wealth, and

(vi) Ensuring the country's continued progress towards self reliance."

तो, अध्यक्षजी, हमें समय नहीं मिला। हम अपनी वजह से हमारी सरकारें को गिरा गये पर नेशनल डवलपमेंट कौंसिल ने इसको अपना एप्रूवल दे दिया। हमारी दो माह के बाद सरकार टूट गई पर आज भी यह प्लानिंग का कन्सेप्ट हमारे सामने है। आपका सेवंथ प्लान का ड्राफ्ट आज हमारे सामने है मैं नहीं समझता कि फाइनल स्टेज पर क्या होगा। मगर उसमें जो डेविएशन्स हो रहे हैं, जो डेंजरस ट्रेन्ड हमारे समाने आ रहे हैं, पब्लिक सैक्टर में सिक्स्थ प्लान में स्टेट के शेयर ज्यादा थे, अब सेन्टर के शेयर ज्यादा हो गए, यह किस ओर ले जा रहे हो आप।

दूसरी बात जो न्यू इलेक्ट्रोनिक पोलिसी आपके सामने आई है डिटेल में, 1985 में जो न्यू इलेक्ट्रोनिक पोलिसी सामने आई है, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि मैंने उसका इकानोमिक रिव्यू देखा है। अनएम्प्लायमेंट बढ़ा है, डिस्पेरिटीज बढ़ी हैं और ट्रेंड आफ पावर्टी है माडर्नाइजेशन के नाम से, रेशनलाइजेशन के नाम से, अध्यक्षजी, इसका बेस जो है, आज हमारे हाई कमाण्ड का, माननीय प्रधान मन्त्रीजी, जिनके सेंस आफ प्रपोर्शन की मैं तारीफ करता हूं, जिनकी फंक्शनल पावर की मैं तारीफ करता हूं, का कंसेप्शन एरोनियस है। रियलिटीज से मेल नहीं खाता इस देश की। मैं समझता हूं कि हमारा प्लानिंग आयन्दा हमें भूखमरी के रास्ते पर

(श्री केदार नाथ)

ले जाएगा। वह कंसैप्ट इस बात का है कि उन्होंने जापान और कोरिया को बेस बनाया है। हमारी पापुलेशन की रेट आफ ग्रोथ क्या है? कोरिया में केवल चार करोड़ की आबादी है, मान्यवर, और रेट आफ ग्रोथ आफ पापुलेशन है 1.7 जापान की पापुलेशन 12 करोड़ है और रेट आफ ग्रोथ केवल 1 पर्सेंट। हमारी रेट आफ ग्रोथ है 3.2 पर्सेंट। इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ जाएगा। मल्टी नेशनल्स फुल फ्री प्ले रोल यहां पर अदा करेंगी, डिस्पेरिटीज आफ प्राइजेज यहां पर रहेंगी। इन्फ्लेशन आपसे कन्ट्रोल नहीं होगा और सारे देश की इकानामी को उल्टे रास्ते पर ले जायेंगे। मान्यवर, मैं कहता हूं कि जो पुरानी कांग्रेस की कल्चर थी उससे आप डिपार्चर कर रहे हो। यह बड़ा भयंकर डिपार्चर है। मान्यवर, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से, आप फ्री मूवमेंट के वर्कर रहे हो, आपका खुद का स्ट्रेचर है, राजस्थान के सारे स्ट्रेचर आफ डवलपमेंट आपके हाथों से निकले है, मैं समझता हूं कि आपकी पोलिटिक्ल लाइफ है, जब नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हो तो जो राजस्थान को नुकसान हुआ है, जो प्लानिंग का डेविएशन हो रहा है जो सारी प्लानिंग का कंसेप्शन बदल रहा है, आप अपनी ओर से हमारी भावनाओं को व्यक्त करोगे, यही मैं आपसे आशा करता हूं।

यह सब बताने की जरूरत इसलिए पड़ी, मान्यवर, एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है। एवार्ड आ गया। स्टेट्स को जितना पैसा मिलना था मिल गया। इसमें एक बात की कमी जो रही है वह मैं आपसे निवेदन किए देता हूं। टोटल 39,452 करोड़ रुपया स्टेट्स का शेयर आया है। राजस्थान का हिस्सा उसमें 1676 करोड़ रुपया है। आप कहते हैं कि जनता पार्टी के राज में क्या मिला था। सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन में यह पर्सेंटेज था, 4.25 और सेवेंथ में हो गया 5.87 पर्सेंट। आप हमें खराब कह रहे हो। इसके साथ ग्राण्ट इन एड एट्थ फाइनेंस कमीशन ने दी है 96 करोड़ और हमारे वक्त में सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन से हमें मिली थी 231 करोड़। मान्यवर, डिफेक्ट इस बात का है कि जो बेसिस आफ फार्मूला है, चाहे प्लान को ले लीजिए, चाहे एट्थ फाइनेंस कमीशन को ले लीजिए, उन्होंने वेटेज दिया है पापुलेशन को। जब पैसा बांटते हैं तो एण्टी पावर्टी के नाम से, उसको रिमूव करने के नाम से देते हैं। पावर्टी लाइन जो हमारी है वह है 32 पर्सेंट, हमारी पावर्टी लाइन के नीचे बंगाल 52 सेंट आ जाता है। वह दोनों तरफ से फायदा उठाते हैं। इधर तो प्लान के एलोकेशन का फायदा उठाते हैं, उधर एण्टी पावर्टी के नाम पर जो रिलीफ मिलता है, पैसा मिलता है उससे फायदा उठाते हैं। हम अपना केस प्लीड नहीं कर पाए। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी म पहले स्टेट का शेयर 40 पर्सेंट था, अब की उन्होंने 45 पर्सेंट कर दिया। 5 पर्सेंट किस के लिए रखा? जो डेफिसिट स्टेट हैं उसमे उन्होंने 11 स्टेट्स को सिंगल आउट किया है, सलेक्ट किया है। 5 पर्सेंट का जो टोटल पैसा बढ़ेगा, राजस्थान को केवल दो पर्सेंट मिलेगा केवल एक साल के लिए क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू गैप एक साल का बताया है,

(श्री केदार नाथ)

बाकी रेवेन्यू गैप नहीं है। चार साल तक हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा फाइव पर्सेंट में से। कितना हमें नुकसान हुआ? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कितना हमें नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आप देखिये, यू. पी. को 19 पर्सेंट, बिहार को 13 पर्सेंट, महाराष्ट्र को 6 पर्सेंट, मध्य प्रदेश को 9 पर्सेंट मिला और राजस्थान का हिस्सा आपके सामने है। अगर पापुलेशन का बेसिस हो, बाकी जो 40 पर्सेंट है उसमें उन्होंने एलोकेशन किया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, टोटल बेसिस से डिवोल्यूशन किया है। टैन पर्सेंट तो उन्होंने प्रोडक्शन का चार्ज किया, बाकी में 25 पर्सेंट प्योरली पापुलेशन के नाम से दे दिया और 25 पर्सेंट इन्वेस्टमेंट पर केपिटा इन्कम इन्टू पापुलेशन। अब यह किस तरह से मान लिया, माननीय अध्यक्ष-जी। सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन में तो नेट तरीके से पापुलेशन को वेटेज दिया गया और इसमें उन्होंने एक नए तरीके से पापुलेशन को वेटेज दिया है। अब इसके बाद 25 पर्सेंट पापुलेशन के नाम से, 25% inverse per capita income into population, and 50% distance of the State against the State of highest income multiplied by population.

यह 25-25 और 50 पर्सेंट। देखिये, इन्होंने बेसिक फार्मूला बनाया है, इनवर्स पर केपिटा इन्कम, इन्टू पापूलेशन माननीय जोशीजी, कर दिया जावे और डेफिसिट स्टेट की आप अपनी बात प्लीड करते तो मुझे विश्वास था जो आपका 5.9 शेयर है, जो आपको पैसा मिल रहा है सेन्टर से, आपका शेयर होता 7.52 पर्सेंट। साढ़े सात पर्सेंट। दो पर्सेंट बढ़ने के बाद नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, माननीय जोशीजी। पर यह किसने किया? इसमें दोष हमारा नहीं। इसमें दोष अपोजीशन का नहीं है, जनता का नहीं है। यह दोष है आपके आफिशियल्स और आपकी रूलिंग पार्टी का। इस दोष के लिए हमें पेनेलाइज मत कीजिए, आप। छोटे किसान को, कन्ज्यूमर को, छोटी कोटेज इंडस्ट्रीज को आप पेनेलाइज मत कीजिए। मैं इस बात को मान कर चलता हूं जैसा मैंने आपसे निवेदन किया अगर फार्मूला बदल जाय "If it had adopted simply...."

यह मेरी राय नहीं है, जो पेनल इकानामिक्टस का है उन्होंने अपनी राय दी है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस इण्टरप्रिटेशन को मान लिया है।

"If it had adopted simply the inverse State domestic product and distance from the Highest State per capita income without multiplying them with population, the formula would have been more equalising, rational and more progressive. Population is not only the sole index of fiscal needs of the State.

लेवल्स आफ डवलपमेंट स्पेसिफिक प्राब्लम्स, नीड्स, ये स्टेट की हमेशा हुआ करती हैं जिनकी बिना पर डेवोल्यूशन का फार्मूला बनना चाहिए। तो मान्यवर, माननीय जोशीजी, अभी तो आपके सामने आने वाला है नेशनल डवलपमेंट कौंसिल में

(श्री केदारनाथ)

पैरवी करने का वक्त जो लोसेज ग्रापको हुए हैं, मैं नहीं कह सकता, किस तरह से ग्राप पैरवी करो। हमारी यह भावना है कि ग्राप इस तरह से पैरवी करोगे कि यह फार्मूला बदले। हमारे वक्त जब जनता पार्टी का राज था, माननीय भैरोंसिंहजी जाते थे नेशनल डवलपमेंट कौंसिल में ग्रौर सारे देश में एक कंसेप्शन बना कि कौन सा ऐसा फार्मूला बनायें ताकि डेफिसिट स्टेट में जो डेस्पेरिटीज चल रही है उनको कुछ इक्वलाइज किया जाय। तो इन्कम ग्रगेंस्ट पावर्टी, पोपुलेशन, यह फार्मूला ग्रापके सामने पेश किया गया। बदकिस्मती से हमारा राज नहीं रहा इसलिए इस फार्मूले को इम्पलीमेंट नहीं कर पाए। मैं फिर ग्रापको याद दिला दूं कि यह जो 'इन्टू पापुलेशन' है, चाहे प्लान का एलोकेशन हो, चाहे फाइनेंस कमीशन का एलोकेशन हो, ग्रगर ग्राप चाहते हो कि इस देश में डिस्पेरिटीज समाप्त हों, नीड्स पूरी हों, नीड्स पूरी हों इस देश की स्पेशल प्राब्लम्स के साथ तो मेरा ख्याल है कि यह फार्मूला कारगर साबित होगा।

ग्रध्यक्षजी, एक बात ग्रापको ग्रौर कहना चाहता था, ग्राप देखिये पावर्टी लाइन के बारे में हमारे भैरोंसिंहजी काफी बोल चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, पर हमारा सिक्स्थ प्लान ग्रभी समाप्त हुग्रा है उसमे डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो टार्गेट था, माननीय ग्रध्यक्षजी, वह पांच हजार करोड़ का था। मैं प्लानिंग की बात करना चाहता हूं। एक्चुग्रल कितना हो गया? 13 हजार करोड़। क्या कहेंगे इसको? इसी को प्लानिंग कहेंगे ग्राप? एस्टीमेट एण्ड दी केलकूलेशन, कोई फार्मूला, रेशनल नहीं है इनके पास। केवल ग्राफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स, जिनका रियलिटीज से कोई वास्ता नहीं है, फेक्ट्स ग्रौर डेटाज को मेनिपलेट करके बैठे हैं इसलिए प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में हमारी चीज ठीक ग्रा जाय मुझे यह बात गलत लगती है, इसलिये डेफिसिट फाइनेंसिंग का मैंने ग्रापको बताया। दूसरी बात ग्राप हमेशा देख लीजिए, माननीय ग्रध्यक्षजी, जितना ग्रनक्वर्ड गेप बताते हैं, जो लास्ट ईयर बताया उससे वह डबल हो जाता है। ग्रब उन्होंने बताया है गेप 3231 करोड़ रुपया, यह भी डबल हो जाएगा। यह डेफिसिट फाइनेंसिंग है जो पांच हजार करोड़ से 13 हजार करोड़ हो गई ग्रौर इधर तीन हजार करोड़ से सात हजार करोड़ हो जाएगी।

तीसरा जो कदम उठाया है जितनी हमारी प्राइसेज हेव बीन एडमिनिस्टर्ड वह सारा ग्रापने नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। यह तीनों को मिलाकर ग्राप कह दीजिये कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट यह थी, यह इन्फलेशन रेट नहीं बढ़ेगी। ग्रापके इकोनोमिस्ट्स की राय थी कि 2 से 3 डिजिट बढ़ जायेगा बल्कि 15% 20% के बीच में मानते हैं, उसके ग्रनुसार कीमतें बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो वेजेज बढ़ेंगे। ग्रौर जब वेजेज बढ़ेंगे तो इंडेक्स बढ़ेगा, ग्रौर उससे डियरनैस ग्रलाउंस बढ़ेगा। यह एक स्पाइरल है, एक विसियस सर्किल है जिसके बीच में सारी स्टेट की इकानोमी ग्रौर सेंटर की इकानोमी घूमती रहती है, माननीय ग्रध्यक्षजी, कल का इकोनोमिक रिव्यू मैंने पढ़ा.

श्री ग्रध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री केदारनाथ : बस मैं समाप्त करता हूं।

तो मुझे अफसोस हुआ कि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के हमारे नार्म्स हैं, हमने इतने काम कराए पर स्टेट इन्कम में 6% हमारी एनुअल रेट आफ ग्रोथ रही। सारे हिन्दुस्तान के सेन्टर गवर्नमेंट के पास 1984 के आंकड़े नहीं आए 1984 के माननीय जोशीजी कहां से आंकड़े ले आये। 1984 के आंकड़े अभी तक नहीं आये इन्होंने 1984 के आंकड़े पेश कर दिए। यह सारे का सारा डिफेक्टिव प्लानिंग आपका है। इसमें क्या कर दिया इन्होंने 1980 में 6%, 1981 9%, रेट आफ ग्रोथ और 1982 में 6%, 1983 में 11% और 1984 में माइनस फोर। मुझे इसलिए शक पड़ता है, माननीय अध्यक्षजी, जब स्टेट की पर केपिटा इन्कम में आते हैं तो उस स्टेटमेंट में वह कीमत होगी, जब स्टेट की पर-केपिटा इन्कम कम है तो एनुअल रेट आफ ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है ? जो तर्क उन्होंने दिया है वह क्या है 1970-71 में 651/-, 1983-84 में 637/- और 1984-85 में 595/। देखिये आप 1970-71 की इन्कम सबसे ज्यादा और फिर कम होती है। यह सारी स्टेट की इकोनोमी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि लम्बा करूं। पावर्टी लाइन पर माननीय भैरोंसिंह जी साहब बोल ही चुके हैं। उसके बारे में एक लफ्ज कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से उत्तर देने का समय है।

श्री अध्यक्ष : मालूम है हमें।

श्री केदारनाथ : हमारी पावर्टी लाइन राजस्थान स्टेट में 34% अरबन में है, 34% रूरल में है। आल इंडिया की है 48% जिसमें 51% रूरल में 38% अरबन में है। जैसे बंगाल में 52% पावर्टी लाइन से नीचे है, तामिलनाडु में 52% बिहार में 58% यू.पी. में 50% और इतना रिसोर्सफुल होते हुए गुजरात में 39% पावर्टी लाइन से नीचे हैं। आप देखते हैं गलत आंकड़े दिए हैं। क्योंकि 17 साल में 11 साल आपके अकाल के रहे, सिक्स्थ प्लान में पांच साल में से चार साल अकाल के रहे, तीन फसलें मारी गई, आइंदा फसल में विश्वास नहीं, ईश्वर करे बारिश अच्छी हो जाय। तो यह जो आकड़े आपने दिए हैं इसमें झगड़ा किस बात का है ? बाजरा के कण्टेण्ट्स आपने दिये हैं, 2,400 केलोरीज पूरी हो जाएंगी बाजरे से। स्टेपल फूड है, बाजरा, माननीय अध्यक्षजी। मगर आज उसे कोई खाता नहीं और आज बाजरे में वह कंटेंट्स रहे नहीं। इसलिए माननीय अध्यक्षजी, जब भी आप जाएं नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में तो जो पावर्टी लाइन से नीचे आने का जो फार्मूला है उसको लारजली रिवाइज कीजिये आप राजस्थान की हिस्ट्री को देखते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के डेटाज को देखते हुए हमारी नीड्स को देखते हुए।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम लोग सोचते हैं इस बात को कि कैसे चलें ? माननीय अध्यक्षजी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता इस पर सारे स्टेट की इकोनोमी आपके पास है, जो आंकड़े आपने पेश किए, मैं इस बात को मान कर चलता हूं, चाहे पर केपिटा इन्कम हो, चाहे स्टेट की इन्कम हो, जो आपने आंकड़े पेश किए

(श्री केदारनाथ)

हमारे सामने, स्टेगनेंट रहेंगे, कोई इन्क्रीज और राइज नहीं होगा। इसलिए माननीय जोशीजी, हमारे साथ बैठ कर मेरिट पर बात कीजिए आप। आपने पेश कर दिया अपना डेफिसिट, और ऊपर से इतने लगा दिए टैक्सेज, आपने जोड़कर बजट स्पीच पेश कर दी। मैं समझता हूं, देश की इकोनोमी में खास तौर से आइन्दा इन्फलेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी, अनएम्प्लायमेंट बढ़ेगा, डेस्पेरिटीज बढ़ेंगी और जो गरीब तबका है वह और गरीब होगा।

यही कहते हुए आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद सहित मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट पर कई मुद्दों पर विचार इस सदन में रखे गये हैं। मैं अपने विचार अकाल और अकाल सहायता के सम्बन्ध में जो मुद्दे उठाए गये हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव दिए हैं अकाल पर और अकाल के मुद्दों पर, जिन पर चर्चा जरूरी है। आपने सस्ते में सलटा दिया तो उनका समाधान कैसे होगा ?

श्री भवरलाल शर्मा (हवा महल) : पहले भी यही किया, कोई काम नहीं किए और सारे गलत स्टेटमेंट दे दिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर अकाल को इस तरह से सलटा देंगे तो कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह कैसे सोच लिया कि यहीं पर खतम कर देंगे इसको। इंटरवीन करने का इनको अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। आपने कैसे समझ लिया कि इसके आगे बात नहीं होगी। माननीय सदस्य, आगे इस पर पूरे दिन की डिमाण्ड है उसको कैसे रोक सकेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मुझे कोई एतराज नहीं है, अध्यक्ष महोदय, अगर बिल्कुल डेकर करते हो अकाल की बात, तो मुझे को एतराज नहीं है। डिमाण्ड के समय जवाब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता प्रतिपक्ष): चलने दें।

श्री अध्यक्ष : चालू रखें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह तो आपके जिम्मे रखा है।

माननीय सदस्यों ने बजट पर बहस के दौरान जो मुद्दे इस सदन में उठाए हैं उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक जो प्रयास किये हैं, सरकार ने जो कार्य खोले, पीने के पानी की समस्या के लिए, पशुधन को बचाने के लिए लोगों को राहत देने की दृष्टि से जो कार्य प्रारम्भ किए हैं उनके सम्बन्ध में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान का हमेशा ही दुर्भाग्य रहा है कि मानसून हमेशा धोखा देता रहा है, वर्ष 1984 में राज-

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

स्थान का अधिकांश जिलों में मानसून समय पर नहीं आने से और जल्दी चले जाने से राजस्थान के 27 जिलों में से 21 जिलों में अभाव की स्थिति पैदा हुई तथा उससे लगभग 21 जिलों के 10276 गांवों को हमें अभाव ग्रस्त घोषित करना पड़ा। प्रारम्भ में राज्य सरकार की नीति यह रही कि जिन गांवों में फसलों का खराबा 75% या अधिक है उन्हें ही अभावग्रस्त घोषित किया जाय। तत्पश्चात् राज्य में 3318 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप करेक्ट कर लीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे निवेदन को सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जो आप स्पष्टीकरण चाहेंगे तो मैं उसका देने की स्थिति में हूं मैं निवेदन कर रहा हूं, इसके आगे आ रहा हूँ।

प्रारंभ में राज्य सरकार की नीति यह रही कि केवल उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाय जिनमें खराबा 75% या उससे अधिक हो। उसके अनुसार राजस्थान में 3318 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। राज्य में चुनाव हुए, नई सरकार का गठन हुआ। गठन के बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार किया और जिन गांवों में 50% या 50% से अधिक खराबा हुआ उन सभी गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का फैसला किया। तदनुसार 6958 गांव और अभावग्रस्त घोषित किए गए।

(3.58 म.प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

25 जिलों में 10276 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर लोगों को राहत देने का कार्य शुरू किया। अभावग्रस्त लोगों को राहत देने की दृष्टि से हमने भारत सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और मांग की कि इस विपत्ति में राजस्थान सरकार का सहयोग करें हमने जो मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रस्तुत किया था उसके अनुसार हमने मांग की थी कि 14179.2 लाख रुपयों की सहायता भारत सरकार उपलब्ध करायें, ताकि हम यहां के अभावग्रस्त लोगों को राहत पहुंचा सकें। भारत सरकार ने मार्च, 1985 में राजस्थान को केवल 542.85 लाख की स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान सरकार ने तत्काल मार्च में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी। राजस्थान के 12 जिलों, विशेषकर अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जालौर, जोधपुर, पाली, सीकर, सिरोही, टौंक में हमने काम स्वीकृत किये, 18-3-85 को.....

(4.00 म.प.)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : टोटल कितने हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 457

सुश्री पुष्पा जैन : तीसरी बार बोलेंगे तो और कम कर देंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 457 अकाल राहत कार्य स्वीकृत किए और लोगों को राहत देने की कार्यवाही प्रारम्भ की, तत्पश्चात्....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पहले सुन लें। बीच में बाधा उपस्थित नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चालू कितने हुए !

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : किसी भी स्थान पर अकाल राहत कार्य चालू नहीं हैं।....

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तत्पश्चात् अप्रेल, मई और जून में हमने महसूस किया कि लोगों को अधिक काम देने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए हमने 20 जून, 1985 तक 2 हजार 538 काम स्वीकृत किए जिनकी कुल लागत 2505.98 लाख है। करीब 25 करोड़ रुपये के स्वीकृत किए। मेरी सूचना के अनुसार राज्यों के विभिन्न जिलों में लगभग-1800/1900 काम प्रारम्भ किए जा चुके हैं। जिन पर 1,99737 व्यक्तियों को काम उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी आपने जो काम दिये हैं 64 काम, जिलों के अन्दर स्वीकृत किए थे उनमें से कितने चालू है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 64 काम स्वीकृत किये थे 34 गांवों में स्वीकृत किये थे यह अकाल राहत की मीटिंग में फैसला हुआ है। आज आप कहते हैं कि अकाल के अन्दर एक लाख लोगों को 20 जून को काम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनियेगा जरा स्टेटमेंट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऊंट के मुंह में जीरा के समान यह काम स्वीकृत किये हैं।

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रकार से बात कहने का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य थोड़ा सा धैर्य से मेरी बात सुन लें। यदि उन्हें यह महसूस हो कि जो आंकड़े मैं सरकार की ओर से सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं वह आंकड़े गलत हैं तो मैं उनके चैलेन्ज को स्वीकार करने की स्थिति में हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी ताजा खबर के अनुसार 64 काम स्वीकार हुए थे और 34 चालू है आज के दिन ये सारे आंकड़ फर्जी हैं, अकाल के मामले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको चैलेन्ज करें, यह दूसरी बात है, यह दूसरी चीज है।

श्री बी. डी. कल्ला : उत्तर देने के बाद कोई प्रश्न करना हो या....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अकाल राहत मंत्री का यह फैसला हुआ है।....

श्री उपाध्यक्ष : No Interruption.

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : फर्जी नम्बर का चश्मा लगा लिया होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फर्जी तो आपके कलेक्टर ने लगा लिया होगा और आपने लगा लिया होगा। अकाल राहत की मीटिंग में दिये हैं ये फर्जी आंकड़े।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : यह माना जा सकता है कि स्वीकृत हुए परन्तु चालू नहीं हुए। कहीं आप देख कर आये हैं जाकर एक बांध की भी।....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं स्वयं बाड़मेर गया हूं, मैं स्वयं नागौर गया हूं, मैं स्वयं जोधपुर गया हूं, और राजस्थान के पश्चिमी जिलों के गांवों में गया हूं। मैं अकेला ही नहीं कई माननीय सदस्यों के साथ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मीटिंग के अन्दर कोई राहत कार्य नहीं देखें आपने।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप तो रात को मिले थे मीटिंग में लेकिन मैं उससे पहले गांव में गया था। मैं जालौर भी गया हूं, सांचौर भी गया, मैं राजस्थान के पश्चिम के कई स्थानों पर गया और कई जिलों में अकाल-राहत कमेटी के सदस्यों से भी सम्पर्क किया। माननीय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके जहां आवश्यकता थी वहां कार्य खोलने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे इन्टरवीन करने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : पाली वाला तो उसमें आता नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें। प्लीज ऑर्डर। सुनिये।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय ने....

(व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय और अन्य लोग बोले तो हमारे पक्ष के लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : परमिशन ले लें आप।

श्री बी. डी. कल्ला : सरकार की ओर से उत्तर दिया जा रहा है उसको विवेक से सुनें। उसके बाद आपको कोई शंका हो या प्रश्न हो तो आप उसका जवाब....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : इसमें क्या विवेकहीनता हो गयी। हम परमिशन ले लेंगे। विवेकहीनता क्या हो गयी?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं, परमिशन का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : इनके विवेक को ग्राप सुनें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। माननीय पुष्पा जी....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : कौन हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी, माननीय पुष्पा जी।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ग्रकाल जैसे गम्भीर विषय पर बोल रहे हैं ग्रौर उस पर....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं होता। कौन सा नियम है? नियम कौन सा है इसमें?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, नियम कौन सा है? वह नियम हमें दिखायें, कौन सा रूल है?

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर की ग्राड़ में दूसरी बात....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : जरा मेरी बात सुन लें।

एक माननीय सदस्य : जरा सुनें पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर क्या कहते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रकाल जैसे इस गम्भीर विषय पर ग्रभी मन्त्री महोदय, गलत तथ्य दे रहे हैं. मैं उन्हें करेक्ट करना चाहती थी। मुख्य सचेतक महोदय, ग्रापका यह कहना है, विवेकहीनता से नहीं बोलें It is very objectvanable। वे करेक्ट कर लें।

(व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विवेकहीनता की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, नो पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रापको × × ×

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बात करने की × × ×

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्या, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर की सीमा में नहीं ग्राता यह मामला।

एक माननीय सदस्य : .... हम सब को तेज बोलना ग्राता है।

सुश्री पुष्पा जैन : सारे बीकानेर में × × ×

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर की सीमा में नहीं ग्राता यह मामला.. एक बार करके देख लें, मालूम पड़ जायेगा मालूम पड़ जायेगा × × ×

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगाना चाहती हूं कि पश्चिमी राजस्थान में, पाली डिस्ट्रिक्ट में...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठ जायें । Please.

सुश्री पुष्पा जैन : एक काम भी चालू नहीं हुआ, मजदूरों को काम नहीं मिला है। आज उनको पानी नहीं मिलता है, अकाल में काम नहीं मिलता है और आप लोग खड़े होकर यहां....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपके अपने ढाई साल के कार्य काल के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

एक माननीय सदस्य : प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर लाखों रुपये खा गये आप....

सुश्री पुष्पा जैन : अब पता लगेगा कौन खा गया । ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह गलत परिपाटी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाली माननीय सदस्या, मैं महसूस करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य होने के नाते राजस्थान पर जो विपत्ति, जो आपत्ति है उसके कारण इतना उग्र रूप धारण करना स्वाभाविक है ....

एक माननीय सदस्य : विपत्ति ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : विपत्ति । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़े से राज्य सरकार ने प्रयत्न किये हैं उन प्रयत्नों को वे सुनने की कोशिश करें। यदि उन्हें यह महसूस हो कि जो आंकड़े मैं इस सदन में दे रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूं यदि आप उनको चैलेन्ज करने की स्थिति में हों तो आपके चैलेन्ज को मैं स्वीकार करने की स्थिति में हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एन. आर. ई. पी. और आई. आर. डी. पी. व अन्य योजनाओं के प्रोग्रामों के अलग-अलग जो काम शुरू किये थे उसके अलावा अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत, जैसा कि मैंने निवेदन किया, 2521 कार्य स्वीकृत किये । अभी लगभग 1815 विभिन्न जिलों में प्रारम्भ किये गये हैं उन पर 1,99,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह रोजगार एन. आर. ई पी, आई.आर.डी पी. के अन्तर्गत कार्यों के लिए लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से उपलब्ध कराया जा रहा है ।

पीने के पानी की दृष्टि से राजस्थान में मार्च में हमने 3 करोड़ 30 लाख रुपया पी. एच. ई. डी. के माध्यम से जिन स्थानों पर पानी की कमी थी, वाटर वर्क्स की

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

योजनाओं पर खर्च करने का सवाल था, खर्च किया। अप्रैल, 1985 से लेकर जून, 1985 तक हमने पी. एच. ई. डी. के माध्यम से लगभग 1112.61 लाख रुपया जयप्रदाय योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिये हमने खर्च करने का फैसला किया। यही नहीं जिन गांवों में पीने के पानी के स्रोत नहीं थे वहां करीब 115 टैंकर्स से 801 गांवों में नियमित रूप से पीने का पानी सप्लाई करने का फैसला किया। आज के दिन भी 800 गांवों, जिनमें से 650 गांव अभाव ग्रस्त हैं और 150 गांव ऐसे हैं जो अभाव ग्रस्त नहीं हैं, पीने के पानी का गम्भीर संकट पैदा हो गया था इसलिये ऐसे गांवों में भी टैंकर्स द्वारा पानी की सप्लाई जारी रखी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोलायत क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव भी थे जहां टैंकर्स नहीं पहुंच सकते थे वहां पर ऊंट गाड़ों से पानी सप्लाई करने का फैसला किया। आज भी कोलायत तहसील के 60 गांवों में हम ऊंट गाड़ों से पानी सप्लाई कर रहे हैं। हमने इस बात का फैसला किया कि लोगों को पानी बराबर मिले। जहां पिलाई होती है....

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन हफ्तों से कोई टैंकर नहीं चल रहे हैं। 50 हजार के डीजल के बिल आपका कलेक्टर चुका नहीं पा रहा है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टैंकर्स बराबर चल रहे हैं.... पहले आप उन बिलों का चुकारा कीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : बीकानेर में आपको कोई टैंकर देने के लिये तैयार नहीं है, यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री सुरानाजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह भी जानकारी मैं सदन को दे रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : वहां पर आप रुपये भेजिये, बिलों का चुकारा कराइये। इस सदन को असत्य जानकारी बाद में दीजिये।

एक माननीय सदस्य : असत्य बोलने से अकाल पड़ रहे हैं राजस्थान में।

श्री मानिक चन्द सुराना : इनसे पूछिये, ये बैठे हैं कल्लाजी, इनसे पूछिये टैंकर बन्द हैं। इनको मुख्य सचेतक बना रखा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरानाजी।

एक माननीय सदस्य : असत्य बोलते जा रहे हैं, अकाल पड़ते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जहां कुओं का जल स्तर नीचे चला गया 150 फीट से

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

नीचे. वहां कुए ऐसे हैं जिनमें पानी 150 फीट से नीचे चला गया। ऐसे गांवों में हमने पिलाई की सुविधा स्वीकृत की है 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आज के दिन राजस्थान के अलग-अलग जिलों में 336 गांवों को हमने पिलाई की सुविधा स्वीकृत की है, ऐसे लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : × × × बिलकुल गलत।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको अलग से दिखा देंगे।

एक माननीय सदस्य : चैलेन्ज कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यही नहीं, जिन कुओं का जल स्रोत सूखने लग गया, कीचड़ आ गया ऐसे कीचड़ को साफ करने से, थोड़ा उनको गहरा कराने से उनमें पानी उपलब्ध हो सकता है। ऐसे कामों के लिये भी राजस्थान के अलग-अलग जिलों में हमने पैसे स्वीकृत किये और कुल 36.50 लाख रुपया अलग-अलग जिलों में स्वीकृत करके हमने कार्य को चालू किया है।

पश्चिमी राजस्थान में पशुधन वहां के निवासियों की जीविका का मुख्य रूप से आधार है। उनको बचाने की भी सदन की और माननीय सदस्यों की चिन्ता है। इस सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के अलग अलग जिलों में, खासतौर से जो पशुपालन के जिले हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चुरू, सीकर, पाली और अजमेर, उनमें 1 लाख 60 हजार पशुओं को 1 रुपये 75 पैसे प्रति दिन अनुदान के हिसाब से 2 किलो पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री शोपत सिंह : टोटल पापुलेशन क्या है ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बीकानेर में ...

(व्यवधान)

सुनिये।

बीकानेर में 45 हजार पशुओं को, बाड़मेर में 25 हजार, जैसलमेर में 30 हजार, जोधपुर मे 25 हजार, चुरू में 17 हजार....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बीकानेर जिले में बिलकुल नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप तो हमेशा इन्कार ही करते रहेंगे।

सीकर में 5 हजार, पाली में 12 हजार, अजमेर में 1 हजार। इस प्रकार 1 लाख 60 हजार पशुओं को प्रतिदिन हमने पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है, जो उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

यही नहीं, राजस्थान के कुछ हिस्से में ऐसे पशु भी हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है। ऐसे लावारिस बीस हजार पशुओं के लिये चारे का इन्तजाम हमने किया है जिसकी स्वीकृति विभिन्न जिलों के जिलाधीशों को हमने दी है ताकि ऐसे पशुओं को भी मरने से बचाया जा सके।

यही नहीं, पश्चिमी जिलों में जहां उन्नत किस्म/नस्ल के सांड हैं, जिन सांडों की व्यवस्था पंचायत समितियां या स्वयं सेवी संस्थायें नियमित रूप से व्यवस्था करती हैं, ऐसे एक हजार साण्डों के रख-रखाव के लिये भी हमने पंचायत, पंचायत समिति या स्वयं सेवी संस्थाओं को तीन रुपया 50 पैसे प्रति साण्ड के हिसाब से सहायता उपलब्ध कराई है।

यही नहीं, जहां चारे की कमी है वहां पर चारा उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने जिलाधीश महोदय को यह अधिकार दिया है कि जो लोग चारा लाना चाहते हैं उनको 10 रुपया प्रति क्विण्टल ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ देकर के चारा उपलब्ध कराया जाय। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं इसके सम्बन्ध में हमने अलग-अलग जिलों में राशि का आवंटन किया है और इसका उपयोग कई जिलों में किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने प्रारंभ में निवेदन किया, माननीय सदस्य, यह विपदा है और इस विपदा को राज्य सरकार ने

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : इनके लिये कुछ किया है कि ये जो साण्ड....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अकाल सहायता समिति के सदस्यों से, जिलाधीशों से जानकारी हासिल करके अकाल राहत कार्य आवश्यकतानुसार प्रारभ किये हैं, स्वीकृति दी है और काम आगे भी जारी है। प्रारंभ में यह सोचा गया था कि अकाल राहत कार्य 30 जून तक ही चालू रखे जायेंगे लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, हम सबके लिये चिन्ता का विषय भी है कि मानसून के आने में देरी हो गई। इसलिये हमने यह फैसला किया है कि इन कामों को हम 15 जुलाई तक चालू रखें। 15 जुलाई तक के आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं। लेकिन यदि मानसून के आने में देरी हुई, विलम्ब हुआ और अच्छी बारिश नहीं हुई तो यह कार्य अच्छी बारिश होने तक जारी रखे जायेंगे ताकि सरकार ऐसे लोगों, जो जरूरतमन्द लोग हैं, को रोजगार दे सके, उनको रोटी-रोजी मुहैया करा सके, न केवल रोजगार देने को....

श्री सी पी. जोशी : सीकर और पाली में यह कार्य कराये जाने चाहिये खास बात यह है, हल्ला इस बात का है।

श्री मोहन प्रकाश : उदयपुर में है।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक सीकर और पाली का सवाल है। विपक्ष के नेता भी जानते हैं और सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं कि अकाल राहत कार्य नगरपालिका क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं किये जा सकते। अभी तक....

सुश्री पुष्पा जैन : माफ कीजियेगा। पहले आप यह जानकारी तो ले लीजियेगा

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि पाली में नगर ही है या रूरल एरिया भी है। बोलने में ऐसा तो नहीं बोलना चाहिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बाहर के क्षेत्र की चर्चा मैंने नहीं की।

सुश्री पुष्पा जैन : 50 पर्सेन्ट रूरल है, 50 पर्सेन्ट नगर है। पाली में मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पाली से आने वाली माननीय सदस्या—

श्री छोगाराम बकोलिया : आप, फिफ्टी-फिफ्टी हैं इसलिए कह रही हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पाली से आने वाली माननीय सदस्या मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पाली नगर शहर ही आपका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है बल्कि गांव भी उसमें है। लेकिन उन्हीं गांवों में अकाल राहत कार्य खोले जायेंगे जो अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। जिन गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया उनमें कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं हो सकता।

मैंने चर्चा के प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि राज्य सरकार ने 21 जिलों में अलग-अलग स्थानों पर कार्य प्रारम्भ किये हैं। इससे लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। पीने के पानी की व्यवस्था की है, पशुधन को बचाने के लिये, पशुओं के पोषाहार, पौष्टिक आहार देने के लिये हमने एक लाख 60 हजार पशुओं के लिये कार्यक्रम बनाकर स्वीकृतियां दी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार ने चलाये हैं। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि बीकानेर में कुछ पशु मर गये, मैंने जिलाधीश, बीकानेर से इसकी जांच कराई। जिलाधीश की रिपोर्ट मुझे कल ही प्राप्त हुई है। उन्होंने सूचना दी है कि एक भी पशु की वहां इस प्रकार मृत्यु नहीं हुई। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं।

श्री लालचन्द डूडी (भादर) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है × × × रिपोर्ट है। इसी तरह से....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को चैलेन्ज देता हूं, चुनौती देता हूं....

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : मैं स्वयं बीकानेर था....

श्री मानिक चन्द सुराना : कि यदि कलेक्टर की रिपोर्ट गलत हो तो अकाल राहत मंत्रीजी इस्तीफा दे दें, यदि उसकी रिपोर्ट सही होगी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हजारों पशु मर गये हैं, हजारों

(व्यवधान)

हजारों पशु मरे हैं गांवों के....

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मानिक चन्द सुराना : 5 हजार में से दो हजार गायें मर गयीं जिनका इन्श्योरेंश इन्हें देना है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप फरदर कहिये । ये....

श्री लाल चन्द डूडी : माननीय उपाध्यक्षजी, एक लाइन....

श्री हरिदेव जोशी : मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जांच करा लूं....

श्री मोहन प्रकाश : चुनौती को स्वीकार कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री मोहन प्रकाश : विपक्ष से एक चुनौती दी गयी है उसको स्वीकार करें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय मोहन प्रकाशजी, आपके यहां तो अकाल नहीं है । आप काहे को तकलीफ कर रहे हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : एक मिनट ।

मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि इस हाऊस की कमेटी जाये, 11 सदस्यों की कमेटी जाये, जिसमें 6 हां पक्ष के हों और 5 ना पक्ष के हों । वह समिति यदि कह दें कि हजारों गायें नहीं मरी हैं तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा अकाल राहत मंत्री का इस्तीफा लीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आपसे कहा है कि जांच करायेंगे ।

(व्यवधान)

आप बाद में चैलेंज कर लेना, माननीय सदस्य ।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : चैलेंज नहीं है । हकीकत है । अगर हाउस में एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात करे तो इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिये....

(व्यवधान)

उपाध्यक्षजी, लाशों के ढेर हैं । मैं चैलेंज करता हूं, आप इसकी जांच कराइये, बहुत गायें मरी हैं बीकानेर जिले में । आज भी उनकी लाशें पड़ी हैं । आप राज्य सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री है यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है । हम चैलेंज करते है, या तो हम इस्तीफा दें या आप इस्तीफा दे दें ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले माननीय सदस्य मेरे पास आये थे....

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : हां, आया था । आपके कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है । रिपोर्ट गलत है । आपकी उस रिपोर्ट को चैलेंज करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन तो लीजिये ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं समझता इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है । मैं आपकी बात कह रहा हूं । माननीय सदस्य

(श्री हरिदेव जोशी)

ने मुझ से कहा था और लिख करके भी दिया था। मैंने तत्क्षण कलेक्टर को वायरलेस मैसेज किया था। उस वायरलेस मैसेज में मैंने उनको यह कहा था कि वे और एस.पी. एक अकेले कलेक्टर नहीं, जिस रास्ते का उन्होंने नाम लिया था उस रास्ते के ऊपर जायं और पूरे रास्ते में रात भर में देख करके मुझे सवेरे वायरलेस मैसेज करें। वह वायरलेस मैसेज मेरे पास में है। मैं उस वायरलेस मैसेज को सदन की जानकारी के लिये सदन की टेबल के ऊपर रखता हूं। यह जिम्मेदारी कलेक्टर की है कि अगर वायरलेस गलत दिया है और सरकार को गुमराह कर दिया है तो वह जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, एक प्रश्न का उत्तर दें कि जिन माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कलेक्टर और एस. पी. से जिन माननीय सदस्य की सूचना पर आपने वायरलेस मैसेज देकर जानकारी की, क्या कलेक्टर और एस. पी. ने माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया से भी कांटेक्ट करके जानकारी की है?

श्री हरिदेव जोशी : उस समय थे ही नहीं वहां पर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब मुख्य मन्त्रीजी ने कह दिया कि अगर उनका स्टेटमेंट गलत है, रिपोर्ट गलत है तो उस पर एक्शन लिया जायेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक्शन का सवाल नहीं है। यहां केटेगरिकली स्टेटमेंट अकाल सहायता मंत्री ने दिया कि बीकानेर जिले के गांव में एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई है। उसका स्टेटमेंट राज्य सरकार का वक्तव्य है जिसकी जिम्मेदारी अकाल सहायता मन्त्री को लेनी पड़ेगी।

श्री हरिदेव जोशी : जो रिपोर्ट कलेक्टर ने दी है, माननीय सुरानाजी....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : राज्य सरकार बोल रही है या कलेक्टर बोल रहा है?

श्री हरिदेव जोशी : कलेक्टर, बीकानेर....

श्री यदुनाथ सिंह : कलेक्टर बीकानेर से नहीं बात कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें फर्क है। इसलिये हाऊस को यह कोशिश करके....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सुन लीजिये। कृपया सुनिये। कृपया बैठिये, माननीय नवरंगजी

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : एक मिनट।

मैं मुख्य मन्त्रीजी से सायंकाल मिला था। मैंने कहा राजस्थान कैनाल का पानी समय नहीं देकर बन्द करते हैं। अब की बार 40 दिन से राजस्थान नहर के पीने का पानी बन्द है, इतने पशु मर गये हैं। मैं जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि

(श्री चुन्नी लाल इन्दलिया)

हालत यह थी, उपाध्यक्ष जी, अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी उस वक्त मेरी मदद नहीं करते तो बीकानेर से पूगल तक का जो एरिया है 124 किलोमीटर वहां न तो कोई आपका ओपन वेल है, न कोई वाटर सप्लाई स्कीम है, अगर मुख्य मन्त्रीजी उस वक्त मेरी मदद नहीं करते तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिमेदारी से कहता हूं कि गायें नहीं इन्सान मरते, इन्होंने बचाया। लेकिन आपका कलेक्टर रिपोर्ट देता है पशुओं के बारे में, मैं उसको चैलेंज करता हूं....

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी बात कह रहा हूं....

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके कलेक्टर की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : एक पशु नहीं मरा, बहुत गैर जिम्मेदारी से बात की है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं। आपको पता है कि राजस्थान कैनाल बन्द होने से वहां के काश्तकार की, किसान की क्या हालत थी। आपने बताया, आप को पता है आज कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है। और बताया है कि पशु नहीं मरे। मैं आपको कहता हूं 40 हजार पशु मरे है वहां पर। आप जांच कराइये। आपके पास मूल्यांकन विभाग है। आपके पास जन सांख्यिकी विभाग....

(व्यवधान)

आप हिन्दू हैं। हिन्दू होने के नाते जो गायें मरी हैं उनका दर्द होना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : अब मैं शुरू करूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह। माननीय सदस्य, जरा सुनने का कष्ट करें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये। सन् 1952 मे इस सदन में मैं बजट के ऊपर बहस को सुनता रहा हूं....

(4 26 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

शायद यह पहला मौका है कि टु दी पाइन्ट बजट के ऊपर और प्लान के ऊपर इतनी गम्भीरता से विषद् अध्ययन के बाद में चर्चा हुई। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने सदन के समक्ष बजट पेश किया था तब भी यह नहीं कहा कि यह कोई आसूदगी का बजट है अथवा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। बल्कि मैंने स्वयं आगे होकर यह कहा था कि हमारा यह वर्ष कंसोलिडेशन के लिये होगा, स्थिति को सुधारने के लिये होगा। मैं स्वयं जानता हूं कि राजस्थान किस आर्थिक कठिनाइयों में से गुजर रहा है। मुझे ठीक तारीख तो याद नहीं है मगर मुख्य मन्त्री का पद ग्रहण करने के बाद मुझे अगर कुछ आर्थिक विषयों पर शुभ सूचना

(श्री हरिदेव जोशी)

मिली थी तो यह थी कि लगभग 60 करोड़ का ग्रोवर ड्राफ्ट वेज एण्ड मीन्स के बाद हो चुका है, अगर इसको साफ नहीं किया गया तो किसी भी दिन रिजर्व बैंक पेमेंट रोक देगा। परिस्थितियों से मजबूर होकर, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आदेश प्रसारित करना पड़ा कि 15 मार्च, 1985 के बाद कोई बिलों का पेमेंट नहीं किया जाय, और एडवांस पर्चेजेज जो की जाती हैं मार्च एण्ड के अन्दर वह नहीं की जाय। इस प्रकार परिस्थितियों को सम्भालने की कोशिश की गयी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, परिस्थितियों को समझते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर नहीं धरातल के ऊपर आकर के मुझे यह राय देते कि तू यह कर तो मुझे बात कुछ समझ में आती। अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ से अधिक होती तो मुझे बुरा लगता? यह बात सही है कि मैं तीन हजार करोड़ से ऊपर की योजना मन्जूर नहीं करवा सका। मगर तीन हजार की योजना स्वीकार कराने के लिए, मैं कह सकता हूं कि जो तरीका आज तक राजस्थान में अख्तियार नहीं किया गया था उन सब को मैंने अख्तियार किया है, और वह यह है कि मैंने लोक सभा और राज्य सभा के राजस्थान के जितने भी माननीय सदस्य हैं उन सब को राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में और आने वाली योजना के बारे में पत्र लिखे और उन से निवेदन किया कि वे दिल्ली में बैठे हैं, अपने प्रभाव का उपयोग करें और अपने प्रभाव का उपयोग करके वे राजस्थान की योजना अधिक से अधिक बड़ी बनाने के अन्दर राज्य सरकार की मदद करें। अध्यक्ष महोदय, यह उनका अनुग्रह था कि 90 पर्सेंट मैम्बर्स ने इस सब के अन्दर सहयोग दिया, योजना आयोग को लिखा। मैं स्वयं प्रधान मंत्री जी के पास गया और उन्हें जिन मुद्दों के ऊपर यहां अभी चर्चा हुई है, उन मुद्दों के ऊपर मैंने उन्हें पत्र लिखकर हाथों हाथ दिया, उन से प्रार्थना की कि यह देखें कि राजस्थान की योजना के बारे में प्लानिंग कमीशन हमारी मदद करे। मैं प्रधान मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने कम कर दिया इतना....

श्री हरिदेव जोशी : आप मेहरबानी करके....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रधान मंत्री जी ने क्या मेहरबानी की, और स्टेट्स का अध्यक्ष महोदय, 65 पर्सेंट योजना का और राजस्थान का 48 पर्सेंट, यही मेहरबानी है प्रधान मंत्री जी की!

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आप नोट कर लें। मुख्य मन्त्री जी बोलें उसके बाद जो कुछ भी कहना हो कहें, बीच में व्यवधान नहीं डालें। मैं सोचूंगा, देखूंगा। आप नोट कर लें पाइन्ट, आपको बोलने का बाद मैं जरूर मौका दूंगा, आर्डर प्लीज, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं अध्यक्ष महोदय, कि

(श्री हरिदेव जोशी)

उन्होंने, वे जो असर काम में ले सकते थे लिया है, और उन्होंने जो पत्र लिखा है उसको भी मैं सदन के समक्ष उचित अवसर के ऊपर अभी रखूंगा, इसके सिवाय, अध्यक्ष महोदय, मैं और लोक सभा और राज्य सभा के सभी सदस्य प्लानिंग कमीशन के सदस्यों से इन्फार्मली मिले और मिल कर उनसे जो बात मैं यहां पर....

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : बराबर यह कहता रहा हूं कि गाडगिल फार्मूला हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे हित में नहीं है, डैजर्ट डवलपमैण्ट हम अपने बूते के ऊपर नहीं कर सकते, हम पीने के पानी की व्यवस्था, अगर केवल हमारे ऊपर छोड़ दी जाती है तो नहीं कर सकते। इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण अगर केवल हमारे रिसोर्सेज के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो वह न जाने कितने वर्षों तक चलेगा, हम उसे अकेले नहीं कर सकते। इन बातों को हमने उन से कहा है और उन्होंने, मैं यहां यह कह सकता हूं कि मेरी प्रार्थना के ऊपर गौर किया और मेरी बातों को माना। उसी का परिणाम है कि आज हम यह आशा करके चलते हैं कि नेशनल डवलपमैण्ट कौंसिल में राजस्थान के प्रश्न के ऊपर विचार होगा। यह आश्वासन प्रधान मंत्री जी ने मुझे दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पृष्ठ भूमि में आप इस सारे मसले को सोचने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह से और कैसे हम इन सारी चीजों से पार पा सकते हैं और कैसे हम दूसरे लोगों की मदद ले सकते है। प्रधान मन्त्रीजी के जिस पत्र का मैंने उल्लेख किया था वह पत्र इस प्रकार है।

I had your proposals regarding funding for the desert development programme and Indira Gandhi Nahar Project examined. I am told that pattern of central assistance for the desert development programme is being revievd. Central funding of irrigation projects will require a major policy review. However. I told that the Planning Commission has agreed to provide Rs. 200 crores for the Indira Gandhi Nahar Project during the 7th Plan. Modifications suggested to the Gadgil Formula can be discussed in the next meeting of the National Development Council.

यह पत्र मैं आपके सामने इसलिए रख हूं कि मैं न केवल प्रयत्न करना चाहता हूं बल्कि मैं आपका भी इसमें सहयोग चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं नैतिक भी और भौतिक भी कि यहां पर और लोक सभा और राज्य सभा के राजस्थान के माननीय सदस्य इन प्रश्नों को उठायें और उठाकर नैतिक समर्थन दें। मैं आपकी इस राय से सहमत हूं कि इसी प्रकार से पचवर्षीय योजना बनी तो राजस्थान अगली श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि लीक से हटकर हमको सहायता दी जाय, लीक से हटकर हमारी बात को समझा जाय और काम किया जाय। इसलिए जो

(श्री हरिदेव जोशी)

आपने यहां पर कहा वह एक प्रकार से मेरी बातों का समर्थन करता है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अति तो नहीं कर रहा हूं। मगर मैंने लोक सभा और राज्य सभा के माननीय सदस्यों को फोर्टनाइटली एक लैटर लिखना शुरू किया है। चार पत्र मेरे गये हैं उनको। विरोधी दल के माननीय नेता ने उनको देखा है। आप जो बोले हो उसमें उस हिसाब से कण्टेण्ट काफी है और उसमें आपने देखा है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, आप लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को भेजते हैं विधान सभा के सदस्यों ने क्या अपराध किया है कि इनको जानकारी....

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, मैंने तो जैसी पृष्ठभूमि है, कहा उसकी बात कह रहा हूं। मैं उन से चाहता था, उस समय लोक सभा और राज्य सभा चल रही थीं, उस समय वे लोग वहां थे कि वह एक प्रकार से असर डालें। कोई सीक्रेट, टॉप सीक्रेट लैटर नहीं था वह। मैंने तो उसका उपयोग उनसे करवाया है। लोक सभा के अन्दर तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से विरोधी पक्ष का कोई सदस्य नहीं है मगर राज्य सभा के जो सदस्य हैं विरोधी पक्ष के, उनको भी भेजा है। सैण्ट टु ऑल। तो मेरा निवेदन यह है कि मुझे समर्थन चाहिए। इसके लिए उस पृष्ठभूमि में मैं अब जो दूसरी बात कही गयी है उसके राजनीतिक पक्ष के ऊपर पहले जाऊं अथवा बाद में जाऊं, मैं नहीं जानता। ओपनिंग बैट्समैन इस बहस के लिए नाथूराम जी साहब थे। उन्होंने राजनीति से इसकी शुरूआत, अपने भाषण से की। मगर मैं सोचता हूं....

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : आपने ही बजट में कहा वरना मैं तो नहीं करता। आपने क्रेडिट लिया कि सारी सीटें जीत लाये। मैंने कहा, जीत तो गये हो मगर अब मेन्टेन करने का सवाल है।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। नाथूरामजी साहब मुझसे कुछ दिन उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं उन्हें बड़े भाई की इज्जत देता हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भाई साहब कहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उनको भाई साहब कहता हूं वह मुझे भाई साहब कहते हैं।

श्री नाथू सिंह : मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है।

श्री अध्यक्ष : वह तो हरिदेव भाई कहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बात बहुत गड़बड़ है। आप ध्यान रखियेगा, बहुत गड़बड़ है। मैं विरोधी पक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, नाथू सिंहजी की तरफ ध्यान रखें, गड़बड़ बहुत है।

श्री नाथू सिंह : उस से आप को ही खतरा है।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : धर्म भाई तो भैरोंसिंहजी हैं आपके।

श्री हरिदेव जोशी : भैरोंसिंहजी मुझ से उम्र में दो साल छोटे हैं। वह रिश्ता निभाते हैं, मैं भी रिश्ता निभाता हूं। मेरा स्वभाव यह है कि जो मुझ से रिश्ता निभाता है उससे मैं निभाने की कोशिश करता हूं....

एक माननीय सदस्य : वरना ?

श्री हरिदेव जोशी : वरना ? वरना आपके जिम्मे छोड़ा। मैं क्या कहूं अब मुझे, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को बतलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सदन मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना था। निवेदन यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को लेकर बहुत बातें कहीं गयी। जैसा कि मैंने कहा, सातवीं योजना काफी है, मैं यह नहीं कहता। यह नाकाफी है। और बड़ी होती तो बहुत अच्छा होता। और अगर बड़ी होती तो, कहा यह जाता है कि एक प्रपोर्शनेट राइज होना चाहिए क्योंकि उसका प्रापर यूटिलाइजेशन हो सके। मैं कहना चाहता हूं, जो राजस्थान की योजना छः करोड की होती तब भी हम आज जिस मुस्तैदी से तीन हजार की योजना का पुरा यूटिलाइजेशन करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से हम उसका यूटिलाइजेशन करते, राजस्थान की बहबूदी के लिए उस पैसे को काम में लेते। मगर एक अमुक प्रकार का फार्मूला है। उस फार्मूले से जो कैलकुलेशन होते हैं उन से सभी लोग बन्धे हुए हैं। मैं भी बधा हुआ हू आप भी बधे हुए है। सब लोग बध हुए है चीजों को अपनी-अपनी निगाह से देखने का एक नजरिया होता है। अध्यक्ष महोदय, या तो यों कहिये कि मैं जो कुछ भी मिला उसमें सन्तोष मानने की बात करता हूं मगर मैं इस नुक्ते-निगाह से इस चीज को देखता हूं। राजस्थान की पहली पंचवर्षीय योजना 64.50 करोड़ की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 105.27 करोड़ की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 236 करोड़ की थी। वार्षिक योजनायें-1968-69 में 132.72 करोड़ की थी। चोथी पंचवर्षीय योजना 306.21 करोड़ की थी। पंचम पंचवर्षीय योजना 846.16 करोड की थी। वार्षिक योजना, जब जनता पार्टी शासन में थी उस समय, क्योंकि उनको पूरे पांच वर्ष की योजना के लिए अवसर नहीं मिला था, 1979–80 की 275 करोड़ की थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1834.14 करोड़ की थी। इस सारे को जोड़ते हैं पहली योजना से लेकर के, बीच में एक वार्षिक योजना को लेकर इसका पूरे का पूरा योग 3800 करोड़ होता है। जब हरिदेव जोशी सातवीं पंचवर्षीय योजना लेकर गया तो अकेले पांच वर्ष के लिए वह तीन हजार करोड़ लेकर के आया है। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) पैसे का जो डी-वैल्युएशन हो गया है उस हिसाब से बात कीजिए। उसका सन्तुलन बताइये। आप आंकड़ों से उलझाइये नहीं हमको, आंकड़ों में कृपया न उलझायें।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आॅर्डर, कृपया बैठिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने बड़ी मजाक उड़ायी यह कह कर कि तुम्हारी सरकार ने प्लान बनाया था 6500 करोड़ का । उस नीड बेस्ड प्लान को स्टडी टीम ने कम किया प्लानिंग कमीशन ने भी कम किया। सही है, मगर क्या ऐसा कोई प्लान गया है हिन्दुस्तान के अन्दर, प्लानिंग कमीशन के सामने, जैसा कि प्लान गया था वैसा का वैसा मंजूर होकर आया हो ? नहीं आया। जिस प्लान को लेकर आप गये थे उसको याद मैं दिलाता हूं, जिसे आप ले करके गये थे वह था लगभग....

(विराम)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आया-गया हो गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्लान लेकर गये थे वह 1/3 मंजूर हुआ था। वह लेकर गये थे लगभग 491 करोड़ का और 275 करोड़ का स्वीकार करवा के लाये थे।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंचवर्षीय योजना नहीं, एक वर्षीय योजना ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं 3 हजार करोड़ की योजना लेकर गया था...

एक माननीय सदस्य : 6 हजार करोड़ की....

श्री हरिदेव जोशी : 6 हजार करोड़ का प्लान लेकर मैं नहीं गया था, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा था उसको। मैं निवेदन करना चाहता हूं 491 करोड़ के मुकाबले 275 करोड़ स्वीकार हुए उसको आप देख लें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पद्धति है, इस पद्धति को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप को आंकड़े ध्यान न हों तो सरकारी अफसरों से पूछ लें कि जिस समय एनुअल प्लान आया था उस समय कमिटेड लायबिलिटी कितनी थी ? तीन हजार करोड़ रुपया आपने मंजूर कराया इसमें आपकी कमिटेड लायबिलिटी कितनी है और नये कामों के लिए आपके पास कितनी गुंजाइश बाकी है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह है असल बात।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं जानता कि आपका प्लान क्या था, दूसरा था उसके आधार पर कटौती की गयी थी अथवा कमिटेड, नॉन कमिटेड में कटौती की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, एक परिपाटी है, आप पहले नीड बेस्ड प्लान भेजें, फिर कमेटी उसको स्क्रूटिनाइज करेगी उसके बाद में आप कितना प्लान असिस्टेंस अपनी ओर से देंगे और कितना प्लानिंग कमीशन देगा, उसके आधार पर ही ये फैसले होते हैं। इसमें, अध्यक्ष महोदय, कोई भी चाहे

(श्री हरिदेव जोशी)

जितना परिवर्तन कर सकता हो, ऐसा मैं नही मानता ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्लान में स्टेट गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन क्या हो, इसके ऊपर भी बात कही है। मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, आज जो मुद्दे सदन में दूसरे उठाये गये हैं उनके ऊपर अपनी बात को कहूंगा। मैं यह मानता हूं कि राजस्व आय जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, राजस्व घाटा न हो, तो अच्छा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। मगर मजबूरियां हैं। वह मजबूरियां शासन को अपनी ओर से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनाव की मजबूरी ।

श्री हरिदेव जोशी : हां, यह भी मजबूरी है। जो हर पोलीटिकल पार्टी के सामने है, आपके सामने है। विरोधी पार्टी की जहां सरकारें हैं आज उनके भी सामने हैं। लेकिन राजस्थान वह राज्य है हिन्दुस्तान के अन्दर जिसको भारत के वित्त मंत्री ने नहीं बुलाया, जब कि विरोधी पक्ष की जहां-जहां सरकारें हैं उन सब को वहां जाकर हाजरी देनी पड़ी है। चार दिन पहले उनको वार्निंग देनी पड़ी है कि तुम ओवर ड्राफ्ट नहीं लोगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ओवर ड्राफ्ट बंद कर दिया आप क्या बोले ? विरोधी सरकारें तो बोली हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। कृपया सुनने की क्षमता रखिये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टाइम ही नहीं दिया मिलने का।

श्री हरिदेव जोशी : मगर, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जनता पार्टी की सरकार को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात तो शिवचरणजी पहले बता चुके।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं था। आप उन बातों को अवाइड करते। आपने शिवचरणजी के जमाने की बात बताई, आपने पहाड़ियाजी के जमाने की बात बताई और सुखाड़ियाजी के जमाने की बात बताई, ये सात चीजें हैं। जब आप सात चीजों को रखते हैं तो मुझे उनका जवाब देना ही पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बातें केवल आपसे सम्बन्धित हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है, लीजिए आइये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे जमाने से सम्बन्धी राजस्व आय के बारे में, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं, किसने कही यह अलग बात है।

मैं उनका ध्यान बजट स्टडी के पेज-4 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री हरिदेव जोशी)

पेज-4, इन्डेक्स-राजस्व प्राप्तियां-वर्ष 1981-82 में सूचकांक 508 थी, 1982-83 में 598 थी, 1983-84 में 678 थी। 1984-85 में 731 थी और जो अभी अनुमान पेश किये गये हैं उनमें 844 है। अर्थात् प्लस 113 है। इसके मुकाबले राजस्व व्यय 1981-82 में 373, 1982-83 में 433, 1983-84 में 498, 1984-85 में 603, और 1985-86 में 685। जहां राजस्व प्राप्तियां प्लस 113 हैं उसके मुकाबले राजस्व व्यय 1984-85 के मुकाबले में 82 है अर्थात् राजस्व व्यय को घटाने की कोशिश की गई है। कितने सफल हुए हैं कितने सफल नहीं हुए हैं, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर भी घाटा उतना ही रहा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रयत्न यह होना चाहिये कि राजस्व घाटा न हो। मगर यदि किन्हीं वर्षों में, किन्हीं कारणों से कई ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आपने एन्वीसेज नहीं किया हो, जिनमें अकाल भी आ जाता है, जिसके अन्दर मंहगाई भत्ते भी आ जाते हैं और ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिनसे आपको योजना और आपके विचार लड़खड़ा जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, उसको मजबूरी से स्वीकार करना पड़ता है, इसके सिवाय कोई चारा नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैंने निवेदन किया है चालू वर्ष के बजट के अन्दर हम 20 करोड़ की खर्चे के अन्दर कमी करने की कोशिश करेंगे। प्रयत्न है और मुझे आत्म विश्वास है कि इस सदन का अगर समर्थन रहा तो यह किया जा सकेगा, कठिनाइयां बहुत हैं।

श्री नवरंग सिंह : किस मद में कैसे किया जायेगा?

श्री हरिदेव जोशी : इसी मद में, इसी तीन महीने या डेढ़ महीने के अन्दर। अभी सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरीज की सुपर टाइम स्केल की तीन पोस्टें कम की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : मुख्य सचिव के बारे में मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा....

श्री हरिदेव जोशी : राजस्व के आंकड़े ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो, ऑर्डर प्लीज।

श्री हरि कुमार औदिच्य : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ गम्भीर बात कहने की सोच रहा था।....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; कृपया बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय मुख्य मंत्रीजी कृपया जारी रखें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे पर आया ही नहीं और माननीय सदस्य अपने आप ही उखड़ गये। अभी तो मैंने शुरूआत ही की है

श्री अध्यक्ष : पेपर्स का आदान-प्रदान नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : गनीमत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नियमों का कुछ ध्यान रखें। माननीय सदस्य। सदन की गरिमा बनाये रखना आपके हाथ की बात है। सदन की गरिमा आपकी गरिमा के साथ जुड़ी है।

ऑर्डर प्लीज।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकी दास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहस का उत्तर दें तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय मुख्य मंत्रीजी का जवाब समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

परिवर्तित आय-व्ययक 1985-86 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बजट स्टडी के पेज-दस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें नान-टैक्स रेवेन्यू के बारे में चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि उसे टैक्स न बढ़ाने पड़ें, नान टैक्स रेवेन्यू बढ़े और सरकार उन स्थितियों को टाले जिसमें प्रत्यक्ष कर से बचा जा सके। इसमें आपने देखा होगा, पेज-10 की टेबल के ऊपर, जिसमें यह कहा गया है, वर्ष 1981-82 में सूचकांक 475, 1982-83 में 553, 1983-84 में 626, संशोधित अनुमान में 1984-85 649 और 1985-86 में 771 था यानि प्लस 122 था। इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार अपनी ओर से निश्चित रूप से प्रयत्न कर रही है। जिन सिद्धान्तों को आपने प्रतिपादित करने की कोशिश

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

की थी मैं अपने उत्तर के द्वारा यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्य सरकार ने उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखा है, उन सारी एक्सपीएडिसीज, जो जरूरी हैं, को देखा है और अपनी ओर से प्रयत्न किया है। अध्यक्ष महोदय, नान-टैक्स रेवेन्यू जहां-जहां से भी जैसे प्राप्त हो सकती है, हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मगर एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद वहन नहीं करेंगे, इन सिद्धान्तों के आधार के ऊपर दूसरा कोई हमारी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकेगा।

इसी प्रकार से एक मुद्दा डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर और नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर के बारे में कहा गया। यह सही है कि नान-डवलपमेन्ट एक्सपेण्डीचर को रोका जाना चाहिये, डवलपमेन्ट एक्सपेण्डीचर को बढ़ाया जाना चाहिये, इसमें कहीं कोई मतभेद का विषय नहीं है। आपने देखा होगा वर्ष 1981-82 में विकास व्यय का सूचकांक 535 था, 1982-83 में 620 हुआ, 1983-84 में 707 हुआ, 1984-85 में 836 हुआ और 1985-86 में एक्सपेक्टेड किया गया है 954। 1983-84 के मुकाबले में 129 डवलपमेण्ट एक्सपेण्डीचर था और वही डिफरेन्स इसके बीच में है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर रिट्रियेट करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इस प्रकार के खर्च होंगे जिनको हम रोक सकते हैं हम रोकेंगे और उसमें जो भी कठिनाइयां आयेंगी उनको फेस करने की कोशिश करेंगे।

(5.00 म. प.)

और अपनी ओर से यह प्रयत्न करेंगे कि हम उन बाधाओं को पार कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों के परिप्रेक्ष में देखें।

यहां पर यह भी कहा गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? आपने मोटर गाड़ी तो ले ली और झुनझुना पकड़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि पूरी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक राजस्थान में दो कालेजेज खोले गये। एक तो मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज और दूसरा जोधपुर में जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज। पूरे इन 35-37 सालों में अगर सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप दो इन्जीनियरिंग कालेज खोल देते हैं तो आप उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे।

एक माननीय सदस्य : उससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेकारी बढ़ेगी।

(व्यवधान)

उसमें भी पिछले 35 सालों में आपका ही राज था।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : आपने दो ही कालेज खोले तो उसके लिए दोषी भी आप ही हैं।

एक माननीय सदस्य : कोटा में मेडिकल कालेज खोलने के लिये मुख्य

(एक माननीय सदस्य)

मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया उसको भी भूल गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, नोट कर लें मुख्य मन्त्रीजी का जवाब समाप्त होने के बाद कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो पूरी चतुराई के साथ एक बात कह रहे हैं कि शिवचरणजी माथुर से ज्यादा अच्छा मैं हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो आपसे मुकाबला कर रहा हूं, शिवचरणजी से मेरा क्या मुकाबला।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे से आपने कहां किया। आप तो सन् 1981-82 से लेकर कह रहे है। सन् 1981 में शिवचरणजी माथुर आये और बाद में 1985-86 मे आपने क्या किया, यह साबित करना चाहते है कि शिवचरणजी ने कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : शिवचरणजी होते तो वह भी यही कहते, उसमें क्या बात है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की बात कह रहा हूं। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठीं पंचवर्षीय योजना तक बिजली कितनी पैदा हुई और अकेली सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर बिजली का कितना प्रावधान किया है, यह मेरे साथी भाई भैरूंलालजी भारद्वाज अभी यहां पर थोड़ी देर पहले कह चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी प्रायोरिटी सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की है।

एक माननीय सदस्य : पानी नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहता हूं कि बिजली है तो विकास है, बिजली है तो उद्योग है, बिजली है तो खेती है, बिजली है तो सब प्रकार की सुविधायें हैं और जहां पर बिजली नहीं है वहां कुछ नहीं है। मैंने इस तरह से इस सारे का संग्रह किया है। और इसको संग्रह करते समय, इसको इकट्ठा करते समय, मैंने योजना आयोग के समक्ष अपनी बात रखते समय इस बात को कहा था कि बिजली मुख्य रूप से हम चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर में हमारे पास 105 मेगावाट बिजली थी, यह सारी स्थिति डिटेल्स में यहां पर कह चुके है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी योजनायें सफल हुई तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो आंकड़े इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्रकाशित किये है और आपको दिये हैं अगर उसका प्रापर्ली मोनिटरिंग करेंगे, कोशिश करेंगे तो उसके टार्जेट एचीव करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जिन नये प्रोजेक्ट को लेने की बात थी उनका सर्वे एण्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एडवांस स्टेज पर हो जाये और उनका काम पूरा हो जाये तो जिस तरह जिस समय मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

आपको पावर सौंप करके गया था पावर सरप्लस में थी, उसी तरह आठवीं पंचवर्षीय योजना को शुरूआत में हम पावर में सरप्लस में होने की स्थिति में आ जायेंगे।

(व्यवधान)

आप कर सकेंगे या नहीं उसकी बात मैं आखिर के लिये छोड़ता हूं।

(व्यवधान)

Power is for all. पावर सभी के लिये है, किसी एक के लिये नहीं है। पावर पाने की कोशिश करते रहें। वह लोग भाग्यशाली हैं जो उसे समझते हैं जो लोग नही समझ पाते है वह अपनी तरफ से चर्चा किया करते है।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि वह पोलिटिकल पार्टीज जिन्दा नही रह सकेंगी। जो यह सोच करके चलेंगी कि हम कभी पावर में आयेंगे ही नहीं आशा बलवती राजन। इसलिये आशा पर जिन्दा रहो, आशा बड़ी चीज है। अध्यक्ष महोदय ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात पहले कह लेने दीजिये फिर आप अपनी बात कह दें।

अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष के हों अथवा उस पक्ष के कोई भी माननीय सदस्य बजट पर बोलने के लिये खड़े हों और पावर के ऊपर न बोले हों, ऐसी बात नहीं है। आपके मन में क्या है मैं वह सब समझता हूं परन्तु एक बात तो साफ ध्यान मे रख लीजिये, जिसको खुले रूप से ही नहीं नेकेड रूप से कहते है, मैं रख रहा हूं, पावर की स्थिति यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आज अगर व्यवस्था ठीक नहीं की गयी तो यह ढांचा ही चरमरा जायेगा और फिर हम पावर पोजीशन को आगे सम्भालने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसके अनेक कारण हैं, इसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण तो अनरिअलिस्टिक होना है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं मगर हमको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और कास्ट आफ डिस्ट्रिबूशन क्या है? पिछले कई वर्षों से कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती ही चली गई। इसलिये बढ़ी है कि जो सोर्सेज हमारे पास हैं उनका महगाई के कारण खर्चा बढ़ा है।

एक माननीय सदस्य : इन्जीनियरों के भ्रष्टाचार के कारण बढ़ी है।

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता है, पर मैं उसको ही मान कर नहीं चलता हूं।

(व्यवधान)

मैं उसको ही मानकर नहीं चलता हूं, यह सारे के सारे, सभी के सभी एक ही लोट के हिस्से है। मैं सुन रहा था, चतुर्वेदीजी जब कह रहे थे कि जो मेरे जमाने में चीफ इन्जीनियर था वह आज चेयरमैन है। वह उस समय अगर अच्छा था तो आज भी अच्छा है, वह उस दिन अगर योग्य था तो आज भी योग्य है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या हर एक बात पर बोलना जरूरी है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, किन कारणों से घाटा बढ़ा उनमें सबसे बड़ा कारण तो रिअलिस्टिक नहीं होना है। आज कास्ट आफ प्रोडक्शन के मुकाबले में जो टैरिफ है वह अनरिअलिस्टिक है। प्रदेश आगे बढ़ते हैं जो रिअलिस्टिक टैरिफ करते है। माननीय सदस्यों को मैं आंकड़ों के जाल में नहीं ले जाना चाहता, आप चाहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं, वैसे वह सब प्रकाशित होकर आपके सामने आये हैं कि जो हमारे पड़ौसी प्रान्त है उनका टैरिफ क्या है और हमारा टैरिफ क्या है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे यू. पी. हो, चाहे गुजरात हो और चाहे महाराष्ट्र हो, किसी का भी इंडस्ट्रियल टैरिफ हमसे कम नहीं है, जो हमने रिवाइज की है उसको ध्यान में रखकर कह रहा हूं। तब फिर आप कास्ट आफ प्रोडक्शन से उनको अगर सस्ता देना चाहते हैं तो क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से आप कर लो टैरिफ को दिल्ली आपके पड़ोस में है जहां से बिजली आपके यहां आती है। उसके डोमेस्टिक टैरिफ को ले लीजिए और हमारे टैरिफ को ले लीजिये। यह मत भूलिये कि उन्होंने चार-चार साल पहले टैरिफ रिवाइज करके अपने सरप्लस क्रियेट कर लिये है, जबकि आज हम शुरूआत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य स्कूटर के ऊपर चलते है, मेरा लड़का चलता है तो उसी प्रकार उसे खुद को ढालना होगा, दूसरा नहीं ढालेगा....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप ढलवायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं ढलवा दूंगा, क्योंकि मैं उसका बाप हूं, लेकिन आप नहीं ढलवायेंगे।

श्री नाथूसिंह : जब आप नहीं ढलवायेंगे तो भतीजा समझकर हम ढलवा देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : इसको समझ लीजिये कि यह रिअलिस्टिक कंडीशन है। इससे परे जाने की कोशिश करेंगे तो खड्डे में से नहीं निकल सकेंगे। यह बात आपको भी कहना चाहता हूं एक कड़वा घूंट है इसको पीना होगा। दूसरा कोई चारा नहीं --

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिलाइये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम इस स्थिति में आना चाहते हैं कि आज के हालात न रहें। दूसरी चीज, खर्चे को कम करना होगा, लीकेज को मिटाना होगा। माननीय सदस्यों ने कहा भ्रष्टाचार है, उसको मिटाना होगा, सख्ती से निपटना होगा, लाइन लासेज बहुत से है उनको कम करना होगा। आपने मेरे बजट भाषण को सुना है, आपने उसको क्रिटीसाइज किया है और कहा है पहले के मुकाबले में विलेज एनर्जाइजेशन कम होगा। यह कहा है कि विलेज एनर्जाइजेशन कम होगा। मैंने जानबूझकर कम किया, मैं इसको छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि बिजली को बांटने की अपेक्षा नहीं बांटना ज्यादा अच्छा है। आज एक लाइन के ऊपर और कनेक्शन

(श्री हरिदेव जोशी)

देते हैं इसके मायने यह हैं कि एक्जीस्टिंग कनेक्शन्स जो दिये हुए हैं उनको परेशानी पैदा कर रहे हैं। स्थिति यह है कि जैसे ही अगर उस लाइन के ऊपर कनेक्शन बढ़ायेंगे जहां जितनी केपेसिटी नहीं है, उन कुओं की मोटर जल जायेगी, पोजीशन खराब हो जायेगी। इसलिए आपने देखा होगा, शायद 28 करोड़ रुपये लाइन को ठीक करने के लिए और रख-रखाव को बढ़ाने के लिए रखे गये हैं। केपेसीटर लगाने के लिए, नये सब-स्टेशन लगाने के लिए इन पिछले वर्षों में बहुत कुछ कोशिश की गई है। इस साल हम कोशिश एक तरफ भी करें, दूसरी तरफ से कुछ पावर सिंगरौली से आ जायेगी, कुछ माही बांध की हो जायेगी. इन लाइंस की केपेसिटी इतनी हो जायगी कि जो एडीशनल पावर साल भर में आयेगी उनकी केरिंग केपेसिटी बढ़ जायेगी। इसलिए टेक्निकली और व्यावहारिक ढंग से यही ठीक था कि इस वर्ष को पावर के अन्दर भी ईयर आफ कसोलिडेशन मानकर चला जाए। इसलिए मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई बात नहीं है कि कांशस्ली इसको ऐसा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैंने कही खर्चे के ऊपर कंट्रोल की....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह ट्रांसमिशन लाइन में 38 करोड़ रुपये से घटाकर 28 करोड़ कर दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बात नोट कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो याद भी नहीं था, जनता पार्टी के राज में माननीय सदस्य चतुर्वेदी जी पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे याद दिला दिया, सन् 1976–77 में लगभग 42, 476 श्रम शक्ति थी वह बढ़ा कर 1979-80 में 60, 498 कर दी गई 17,228 कर्मचारी अकस्मात एकदम बढ़ा दिये गये। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 17 हजार कर्मचारी आप एक साल में अनावश्यक रूप से बढ़ा दें जिसमें ट्रांसमिशन लाइन नहीं बढ़ी, पावर जनरेशन नहीं बढ़ा, दूसरा कुछ नहीं बढ़ा तो आर. एस. ई. बी. की हालत क्या होगी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीन साल में कितना ट्रांसमिशन हुआ, कितनी सरप्लस बिजली महाराष्ट्र को दी है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आप चतुर्वेदी के पास बैठकर सुन लीजिए जो उनका एक्सप्लेनेशन होगा मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : तभी से यह बोर्ड के अन्दर गड़बड़ी शुरू हुई है।

एक माननीय सदस्य : सारी नेकर पार्टी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद इस वर्ष तक आदमी भर्ती नहीं किये गये हैं. जहां बहुत जरूरत थी सौ दो सौ भर्ती किये गये, इसके सिवाय कोई भर्ती नहीं किया गया है। कोशिश यह की गई कि संख्या साठ हजार से कम हो। 1979 में जो संख्या 60,498 थी वह घटकर आज 58 हजार

(श्री हरिदेव जोशी)

हो गई है। आप देख लें कि पांच वर्षों के बाद में कितने रिटायर हुए होंगे। आपको सरप्लस को काम देना था, काम तो था नहीं भर्ती खूब कर ली।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विकास नहीं करना था तो आदमियों की क्यों जरूरत पड़ी क्या बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपका इन-एक्स पेरियेंस कह सकता हूं। कोई आपके लिए और बात नहीं कहता। मैं यह नहीं कहता कि आपने क्यों किया। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इससे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो कहो ही मत।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनएफिशियेन्सी के ऊपर कंट्रोल करने की बात में एगमेंटेशन हो, व्यर्थ की भर्ती न हो, फालतू खर्चा कम हो और कास्ट आफ प्रोडक्शन, कास्ट आफ डिस्ट्रीब्यूशन और वसूलात के बीच में, रेट के बीच में को-रिलेशन हो तभी जाकर यह आर. एस. ई. बी. खड़ा हो सकेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आप दूसरे प्रकार के प्रयत्न क्यों नहीं करते पावर जनरेशन के लिए। एक प्रकार का प्रयत्न तो स्टेट सेक्टर में पावर जनरेशन के लिए किया है, जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिये गये हैं वह आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे हमारा यह प्रयत्न है कि जोइन्ट सैक्टर में भी पावर जनरेशन का काम भारत सरकार यदि स्वीकृति दे तो लिया जाये। मैंने आई. डी. बी. आई के चैयरमैन मि पंजा को अपने यहां इन्वाइट किया था। उन्होंने यह स्वीकृति दी है कि राज्य सरकार अर्थात राज्य सरकार की एजेन्सीज रीको, आर. एफ. सी. वगैरह आई. डी. बी. आई. और प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर्स मिलकर जोइन्ट सैक्टर के अन्दर पावर जनरेशन करें, उसको वे फाइनेन्स करेंगे। जब हम प्लानिंग कमीशन के सामने गये थे तब प्लानिंग कमीशन के सामने भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। उनको भी सिद्धान्त रूप से अगर भारत सरकार स्वीकार कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए भारत सरकार को मैंने निवेदन किया है कि वह हमारी स्कीम को स्वीकार करे। अगर इस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है तो हम अमुक-अमुक रीजन्स के अन्दर जोइन्ट सैक्टर के अन्दर पावर जनरेट करना चाहते हैं। सिद्धान्त यह होगा कि जोइन्ट सैक्टर के अन्दर जो पावर जनरेशन होगा वह डिस्ट्रिब्यूशन के लिए पब्लिक सैक्टर को दे दिया जायेगा। इस प्रकार से पब्लिक सैक्टर अपनी स्थिति को भी सुधार लेगा और राजस्थान की पावर की जो शार्टेज है उस शार्टेज को भी कम किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हाइएस्ट लेवल पर इस मसले को ले जाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि अगर इसका क्लियरेन्स मिल गया तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर राजस्थान के अन्दर किसी भी प्रकार की पावर की कमी नहीं रहेगी। इसके लिए हमको वातावरण बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में इस स्कीम को बनाया जा रहा

(श्री हरिदेव जोशी)

है, प्रोजेक्ट बना है। दूसरा प्राजेक्ट हमारा होगा। मैं ऐसी आशा करके चलता हूं कि इसमें हमको सफलता मिलेगी....

श्री नाथूसिंह : ऐसा होगा ही नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अगर नहीं हुआ तो दुर्भाग्य होगा। इसके सिवाय तो मुझे रास्ता दिखता नहीं है। हमें कोई तीसरा मार्ग नहीं दिखता है जिससे हम आगे बढ़ सकें।

श्री लक्ष्मण सिंह(चित्तोड़गढ़) : आपके दिमाग में जो बात है बिलकुल ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके सिवाय, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के ओ. एन. जी. सी. के मिनिस्टर माननीय नवल किशोर जी से मैंने बात की है और यह चाहा है कि सवाई माधोपुर के गैस बेस्ड प्लान्ट की केपेसिटी बढ़ा करके 500 मैगावाट कर दी जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्लान्ट ही कहां है?

श्री हरिदेव जोशी : ....और अगर यह कर दी जाती है तो जल्दी ही हम यह समझ सकेंगे कि इस दिशा में और वृद्धि होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आपको कितनी पावर मिलेगी इसमें से ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा ऐसा ख्याल है कि पूरी। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई कमिटमेन्ट है क्या भारत सरकार का ?

श्री हरिदेव जोशी : आर. ए. पी. पी. का कौन सा कमिटमेन्ट था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर. ए. पी. पी. का कमिटमेंट था। आप बतायें इसमें कोई कमिटमेन्ट है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपको बता दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : नवलकिशोर जी शर्मा ने आपको आश्वासन दिया है कि यह 500 मैगावाट का प्लान्ट गैस पर आधारित बनायेंगे तो सदन इसको उस तरीके से कन्सीडर करेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो जो बातचीत हुई है केन्द्रीय सरकार से और उसके प्रतिनिधियों से वह आपके सामने रख रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितनी देंगे ?

श्री नाथूसिंह : आप नवलजी पर भरोसा मत कर लेना।

श्री हरिदेव जोशी : आपका कोई इलाज नहीं है मेरे पास में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : कमला जी को पूछ लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : आपको भी पूछता रहता हूं, कमलाजी को क्या पूछूं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। सदन के नेता बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जिन विधान सभाओं में बजट सेशन चल रहे हैं उन सारी विधान सभाओं में पावर टेरिफ रिवाइज की गयी है। माननीय सदस्यों ने हिमाचल के बजट की न्यूज पढ़ी होगी और उसको देखा होगा। इसी प्रकार से दूसरे राज्यों की बात भी मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पीने के पानी की बात कही गयी....

श्री मानिक चन्द सुराना : जिस तरह यह कहा कि 1 वर्षों में कोई पावर में इन्क्रीज नहीं हुई है, यह बयान आपके बयान के समय में आपके अधिकारियों ने किस प्रकार से दिया, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे क्वेश्चन-आन्सर सैशन नहीं बना सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बीच में व्यवधान न डालें.... माननीय सदस्य कृपया बैठें.... आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में यहां बात कही गयी। राजस्थान के किसी भी विधायक को पीने के पानी की समस्या समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में पीने के पानी की स्थितियों का राजस्थान के लोगों ने एक्सपीरियेन्स किया है उसमें आज बड़ा फर्क आया है। एक जमाना था जब पीने के पानी की कहीं व्यवस्था नहीं थी शासन की ओर से। उसकी कहानी जनता पार्टी के अध्यक्ष कालवीजी मुझे सुना रहे थे। हम जानते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में से हम निकले हैं। मगर एक स्थिति मैं थोड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। राज्य सरकार की ओर से आंकड़े दिये गये हैं कि इतने गांवों के अन्दर पानी पहुंचाया गया। इतनों में हैण्ड पम्प खोदे गए, इतने में यह किया गया, इतने में यह किया गया। बहुत अच्छा काम हुआ है। जो कठिनाई आजादी से पहले राजस्थान में पीने के पानी की थी वह आज नहीं है। जब स्थितियां सुधरती हैं तब थोड़ी सी कठिनाई भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। मगर एक पाइन्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जितने गांवों में पानी पहुंचाया गया, जितने शहरों में पानी पहुंचाया गया है उसके बाद में अब जो बच रहे हैं वह अधिकतर खराब एरियाज है, डिफिकल्ट एरियाज है, मोर डिफिकल्ट एरियाज हैं। उदाहरण के तौर पर आप ब्यावर को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप जयपुर को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप जोधपुर को ले लीजिए। यह ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिक डिफिकल्ट एरियाज थे या सरल एरियाज थे, जहां सोर्स नजदीक था वहां तो

(श्री हरिदेव जोशी)

फटाफट मंजूर करके लगा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है आने वाला युग केवल रीजनल पाइप निर्माण का होगा इसके सिवाय किसी का नहीं होगा....

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : केवल रीजनल पाइप लाइन्स का होगा, दूसरा नहीं होगा। उनको कॉस्ट बढ़ेगी, डिफिकल्टियां आयेंगी असफलताएं आयेंगे पैसा ज्यादा खर्च होगा। मेरे दिमाग में कहीं कोई इल्यूजन नहीं है। कल विरोधी पक्ष के नेता कल से मेरा मतलब जिस दिन आपने भाषण दिया था उस दिन, ने कन्टेमीनेटेड वाटर की बात कही थी। कहीं कोई असत्य नहीं है। आप और हम यहीं पैदा हुए हैं, हम जानते हैं। इस राजस्थान में ऐसी भी जगह हैं जहां पानी पीते-पीते कूबड़ हो जाती है, आदमी की हड्डियां गलने लगती हैं। अगर वह कन्टोनीनेटेड पानी पी लेवें तो जानवर मर जाते हैं। हम क्या यह नहीं जानते कि अच्छा पानी और खराब पानी मिलाकर के जानवरों को पिलाया जाता था। यह सारी कंडीशन्स हैं, इनसे पार पाना है। जो सोर्सेज हैं वे कम हैं, दूर दराज के इलाके में। इसलिये मुझे कभी-कभी यूं लगता है कि आज की पीढ़ी राजस्थान में जिस तरह से पानी खर्च कर रही है, खेती के लिये, पीने के पानी के लिये, और दूसरी शुद्धता के लिये, कहीं आगे जाकर के आने वाली पीढ़ी के लिये कठिनाई पैदा तो नहीं करेगी ? ....

एक माननीय सदस्य : नहीं।

एक माननीय सदस्य : कर सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : आप अथारिटी हैं, आप कह सकते हैं, पर मुझे कभी-कभी लगता है। इसलिये सारे हाइड्रोलाजिकल डेटा को, मुझे ऐसा लगता है, फिर से जांच करना जरूरी है। इसलिये मैं कहता हूं कि पानी पीने के मामले में कठिनाइयां सामने आ रही हैं. आप एक कहते हैं मैं दो मानता हूं। कुदरत जहां नाराज होती है और अभाव जब पैदा होता है मनुष्य कितना ही न्यायवान और क्षमतावान हो जाये, सरकार कितनी ही क्षमतावान हो जाये, कुदरत की देन का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिये हमारे सामने कठिनाइयां बहुत विकट हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो पाताल तोड़ दिया गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। इस सिद्धांत को सरकार पहिचाने और चौकस करके अपनी योजनायें बनायें तब तो लाभान्वित होंगे अन्यथा यह बरबादी का रास्ता है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प के बारे में कहा गया, जो आंकड़े मुझे दिये गये हैं उन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल हैण्ड पम्प 48687 हैं।

एक माननीय सदस्य : चालू कितने हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अप्रेल एण्ड में इन सब का सर्वे किया गया है। उस सर्वे के अनुसार 34843 हैण्ड पम्प ठीक थे और 13844 हैण्ड पम्प ठीक नहीं थे। इनमें से दिनांक 31.5.85 तक 11145 को ठीक करवा दिया गया है, ऐसा कहा गया है....

श्री नाथू सिंह : इस साल का सब से बड़ा असत्य है।

(व्यवधान)

148

श्रीमती उजला अरोड़ा : कभी नहीं लगे ।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर ।

श्री हरिदेव जोशी : बहिनजी माफी मांगता हूं । जरा बिराजें । मेरा निवेदन है, मुझे सुन लिया जाये....

(व्यवधान)

मेरी ग्रर्जी मंजूर कर ली जाये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनकी संख्या तो बता दें कितने लगने थे....

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, माननीय सदस्या

श्री हरिदेव जोशी : हैण्ड पम्प जो ठीक नहीं है ग्रौर ठीक नहीं किये जा सकते वे 2699 हैं उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे । ग्रभी तो यह व्यवस्था है कि पंचायत समितियां इसका ग्रपकीप देखें । यह व्यवस्था तो चालू रहेगी मगर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष में दो बार पी. एच. ई. डी. ग्रपनी ग्रोर से, ग्रपने खर्च से इन सब की जांच करेगा, मेनटेन करेगा, दुरुस्त करेगा ग्रौर जो खराब हो गये हैं उतनी ही संख्या में उनको रिप्लेस करेगा क्योंकि पंचायत समितियों के लिये यह सम्भव नहीं है । मैंने नजदीक से देखा है वे बड़ी चीज को ठीक कर सकते हैं । इसलिये वर्ष में दो बार जांच करके ठीक करना ग्रौर ग्रपकीप देखना यह पी. एच. ई. डी के ऊपर होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खर्चा बढ़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : खर्चा बढ़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसके सिवाय ।

जहां पर पासिबिलिटी है वहां पर डैजर्ट एरिया को छोड़कर हैण्ड पम्प का सिस्टम चालू रखा जायेगा । वहां पर यह सम्भव नहीं है वहां पर ग्रालटरनेटिव को देखकर रीजनल पाइप लाइन के काम को शुरू करवाया जायेगा । इसलिये मैं माननीय सदस्यों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय ग्रध्यक्षजी, दो बार नहीं, चार बार ठीक करायेंगे । पंचायत समितियां कुछ नहीं कर सकतीं ।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । ग्राप नोट कर लीजिये फिर बोल लीजियेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी को सुन लें ।

श्री हरिदेव जोशी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब कोई बहुत बड़ा मुद्दा रहा नहीं । ग्रब माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थीं मैं उनको लेता हूं । हां एक प्रश्न रह गया ।

भीम के बारे में कहा गया था । भीम में शराब का जो वेयर हाउस था, उसमें घोटाला हुग्रा है, गड़बड़ हुई है । यह सही है । ग्रध्यक्ष महोदय, भीम के बाण्डेड वेयर हाउस में ठेकेदार महेन्द्र कुमार एण्ड पार्टी के विरुद्ध शिकायत पाई गई । उस की देनदारी को ग्राकने के लिये चीफ ग्रकाउटंस ग्राफिसर की टीम नियुक्त की गई । उसका मूल्यांकन 3 करोड़ 61 लाख रुपये है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल एक्साइज डिपाटमेंट का ।

श्री हरिदेव जोशी : केवल एक्साइज ।

(श्री हरिदेव जोशी)

ठेकेदार की समस्त उपलब्ध चीजों को सीज करके विभाग द्वारा नीलामी की जा चुकी है जिससे लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। हाई कोर्ट में अपील समाप्त होते ही राज्य सरकार को वह मिल जायेगा। ठेकेदार के साथ सांठ गांठ के दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। वे लोग हैं दामोदर अग्रवाल, जिला आबकारी अधिकारी, प्रेम शकर तिवाड़ी, सहायक आबकारी अधिकारी, अब्दुल कादिर खां, आबकारी निरीक्षक और जुझार सिंह, आबकारी निरीक्षक। ठेकेदार व दोनों आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध विधि विभाग की राय के अनुसार अधिनियम तथा आई. पी. सी. के तहत मुकदमे दर्ज कराये जा चुके हैं। अभी तो हाई कोर्ट में कुल मिलाकर चन्द याचिकाये हैं। अपील में सब फैसले विभाग के पक्ष में हुए हैं। अब हाई कोर्ट में डी. बी. में एक अपील तथा राजस्व मण्डल में डी. पी. एक अपील विचाराधीन है जिसका तत्परता से फालोअप किया जा रहा है। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं कभी इस तरह बीच में खड़ा नहीं हुआ हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप खड़े हुए हैं, अभी भी खड़े हैं। माननीय सदस्य कृपया बैठे। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 20 करोड़ रुपये की मितव्ययता करने की बात कही है। डिटेल बतायें, न बतायें। लेकिन इस सन्दर्भ में मुख्य सचिव ने जो फिजूल खर्ची की है उस सम्बन्ध में भी यहां चार्ज लगाये गये। आप और किसी का उत्तर दें नहीं दें लेकिन हैड आफ दी सर्विसेज के मामले में यदि इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाये जायें तो क्या आप उन पर मौन रहना पसन्द करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि समाचार पत्रों में सारे समाचार छपे हैं। पत्र का उत्तर केवल इतना सा प्राप्त हुआ कि आपका पत्र मुझे पहुंच गया और मैं इसकी जानकारी कर रहा हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जानकारी की है। जो कुछ आरोप अखबार में लगे हैं या मैंने अपने पत्र में लगाये हैं, वे किस तक सही हैं, ? जरा बतायें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं भूल गया था इस तथ्य को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आपके नेता महोदय, ने पूछ लिया अब तो आप शान्त रहिये।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मुझे बोलने के लिये खड़ा करते हो तो मुझे बोलने दो।

अध्यक्ष महोदय, जैसे ही अखबारों में यह खबर आई मैंने मुख्य सचिव महोदय को

(श्री हरिदेव जोशी)

उन अखबारों की कटिंग भेज दी थी और उनका जवाब मांगा था, जानकारी मांगी थी। मेरी उनसे बात भी हुई थी। उसके बाद में उस बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने मुझे कल नोट भेजा है, उस नोट के अनुसार, वह देखने पर मैंने इनडिटेल एग्जामिन नहीं किया है मगर उनका वर्णन संक्षेप में कहूं, तो यह है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तारीख वगैरह को मैं नहीं वह करता हूं, उनके चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद में यह तय किया था कि कुछ नृत्य नाटिकायें वगैरह तैयार की जाय जिनको कि आने वाले विजटर्स को और उनको दिखाया जाय। उनको दिखाने का रिहर्सल हुआ और जब फाइनल रिहर्सल होने को था तो उसका स्थान उन्होंने अपने घर को चुना। वहां पर वे खुद अकेले उसको देखें और अप्रूव करें इसकी अपेक्षा उन्होंने यह ठीक समझा कि कुछ और लोगों को भी बुला लिया जाय। वे डेढ़ वर्ष पहले तक चीफ सेक्रेटरी हो गये थे, किन्हीं लोगों को अपने यहां पार्टी पर बुलाया नहीं था इसलिए उन्होंने ठीक समझा कि इसी मौके के ऊपर वे अपने दोस्तों को दावत भी दे दें। उन्होंने दावत दी और डिपार्टमेंट ने जो नृत्य नाटिकायें वगैरह तैयार की थी उसका रिहर्सल किया यह उसका वर्णन है।

श्री शोपत सिंह : आपका री-एक्शन क्या है इसमें ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनका वर्णन कतई असत्य है। सारे डिपार्टमेंट, पी. डब्ल्यू. डी. सबके सब वहां पर लगे, चीफ सेक्रेटरी की शादी की वर्षगांठ मनाने के लिये सारे सरकार के खर्चे किये गये।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।

श्री शोपत सिंह : आपका री-एक्शन क्या है ? आप री-एक्शन बताइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके घर पर यह रिहर्सल कब होने वाला है। हमें कब मौका मिलने वाला है यह।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी ने जो अपना वर्णन दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में जब वह आया तो मुझे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने थे इसलिये मैं इतना मशगूल था उन सबके अन्दर कि उसके ऊपर मैंने अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, राजाओं की भूमि तो अलाट हो गई। राजाओं की भूमि पर अरबन सीलिंग का सवाल उठाया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

कृपया बैठें।

मैंने घनश्याम तिवाड़ी को पुकार लिया है। आपको भी मौका दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा काण्ड हुआ। सारे विभाग पहुंचे, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य....।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. पर्यटन विभाग, आर. एस. ई. बी., सारे विभागों के कर्मचारी, सारे विभागों के ट्रान्सपोर्ट, सारे विभागों के अफसरों ने जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग करके जश्न मनाया है। वह राजस्थान की सर्विसेज पर कलंक लगाया है माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की सर्विसेज के कलंक को कोई मिटानेवाला नहीं है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री मोहन छंगाणी।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह तो मालूम हो, सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपकी बात हो गई। कृपया बैठिये।

श्री मोहन छंगाणी : यह सही है कि हमें कोई भी व्यक्तिगत रूप से चीफ सेक्रेटरी से गिलाह नहीं है। सबसे बड़ा सरकारी बाबू है अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा काण्ड किया है और माननीय मुख्य मंत्री जैसे इतने मजबूत है, इनकी साख थी और अच्छी तरह नीर-क्षीर का विवेक कर सकते हैं, मेरा ख्याल है, महान जघन्य पाप किया है कि हम इस पर सोये रहे।

अनेक माननीय सदस्य : शेम !

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : मुख्य मंत्री जी इतने सजग हैं और इतने मजबूत मुख्य मंत्री के हाथ के नीचे काम करने वाला प्राइवेट में दारू पीता है कि नहीं पीता है, इस मारेलिटी से मैं विश्वास नहीं करता पर चीफ सेक्रेटरी वह काम कर जाय और....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे मालूम है कि....

(व्यवधान)

कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहन छंगाणी : × × × यह कहना कि प्राइवेट है, कहना कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कर दिया, यह सब फालतू की बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें इलैक्शन डिपार्टमेंट शामिल है, इसमें पी. डब्लू. डी. शामिल हैं, इसमें टूरिज्म शामिल था। पेमेन्ट हुई है। कौन शामिल था, क्या शामिल था उसमें भी हम नहीं जाना चाहते। मैं तो यह चाहता हूं ऐसे माननीय मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ उनकी इस तरह की प्रतिष्ठा होने के साथ-साथ इसको अनदेखा कर दें, यह सरासर अन्याय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा। माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान भूतपूर्व नरेशों की आबादी और कृषि भूमियों पर अरबन सीलिंग और कृषि सीलिंग लागू करने के सवाल को मैंने कृषि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। पूछ लीजिये मुख्य मंत्री जी।

(व्यवधान)

सब सक्षम है प्रश्नों के जवाब दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : इस मामले में सबसे पहले मैंने निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सुराणा जी का सारा प्रश्न हो जाने दीजिये। सब सवालों का जवाब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

एक माननीय सदस्य : वह सवाल खतम हो जायगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी इतना ही कह दें। मुख्य मंत्री जी इस विषय में बतायें कि चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध वह कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं? पहला क्वेश्चन यह है कि चीफ सेक्रेटरी के मकान पर खुले आम शराब पी गई, क्या चीफ मिनिस्टर साहब इसको अप्रूव करते हैं कि ऐसे समारोह में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से चाहे रिहर्सल के नाम पर आयोजित किया जाय। इस सरकारी समारोह में क्या चीफ सेक्रेटरी और बाकी के लोग वहां शराब पीयें, इसको क्या आप उचित समझते हैं? आप यह कहें कि वहां चीफ सेक्रेटरी ने अपनी तरफ से खाना दिया, तो मुझे जानकारी है, मैं समझता हूं, खाना खाने वाले कई लोग यहां बैठें भी हैं, उनको भी मालूम है कि दो प्रकार का भोजन वहां दिया गया- सामिष और निरामिष। आपको यह मालूम है कि स्वीट केटरर, जिसने भोजन दिया, के यहां मांसाहारी नहीं बना। सारा खाना गेस्ट हाउस से आया और आज दिन तक मैं कह सकता हूं कि स्टेट गेस्ट हाउस को एक पैसे का भी पेमेन्ट नहीं किया। सारा खाना मुफ्त में खिलाया। अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि इलेक्शन डिपार्टमेंट, जैसा छगाणी जी ने कहा, दुनिया भर की गाड़ियां चुनाव के दिनों में रिक्विजिशन करता है। 24 तारीख को चुनाव होने वाले थे, यह 19 तारीख की

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

घटना है और अगर कोई केन्डीडेट अपनी गाड़ी को रिक्विजिशन से छुड़ाना चाहे तो उसके सामने समस्या होती है लेकिन चार डम्पर्स केवल इस बात के लिये छुड़ाये गये, उनके नम्बर भी अगर मुख्य मंत्री जी चाहें तो उनके नम्बर भी दिये जा सकते हैं, चार डम्पर्स केवल इसलिये रिलीज कराये गये कि मुख्य सचिव जी के मकान में जो सड़क है, उस सड़क के ऊपर कारपेटिंग किया जाय, डबल कारपेटिंग। अध्यक्ष महोदय, रोशनी हुई, आज आप बिजली की चोरी की बात कहते हो। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि वहां पर जितनी बिजली यूज की गई उनके मन्थली बिल्स को अगर आप देखलें, उन बिल्स को देखने से पता लगेगा कि इस दिन जो बिजली खर्च हुई है वह उस बिल में किसी प्रकार से रिफ्लेक्ट नहीं हुई है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। नेता बोल रहे हैं आपके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई साधारण आदमी यदि कुछ आदमियों को खाना खिला दे तो गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर के मातहत उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा लेकिन यहां मैं पूरी संख्या तो नहीं बता सकता लेकिन इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 200-250 आदमियों से ज्यादा लोगों ने वहां खाना खाया है। गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर के मातहत कलेक्टर से परमीशन नहीं ली। अध्यक्ष महोदय, बागात विभाग वहां काम कर रहा था, पी. डब्ल्यू. डी. वहां काम कर रहा था, इलेक्शन डिपार्टमेंट की गाड़ियां वहां पर आईं, बिजली विभाग वहां काम कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट वहां काम कर रहा था और वहां खुले आम शराब पी गई, उसकी फोटुए बनाई गई और, अध्यक्ष महोदय, उसका वीडियो फिल्म आप देखें तो मैं मुख्य मंत्री जी, कह सकता हूं कि ऐसे मुख्य सचिव को रखकर कोई सरकार मितव्ययता की बात करे, मुंह से नहीं कहनी चाहिये, आवश्यकता इस बात की है मुख्य मंत्री जी, यदि सारी सर्विसेज को कन्ट्रोल कर आप इकोनोमी लाना चाहते हैं तो मुख्य सचिव के खिलाफ तुरन्त एक्शन लें। उसको तुरन्त ससपेन्ड करें तब जाकर आपको पता लगेगा कि वास्तव में मुख्य मंत्री जी कुछ करना चाहते हैं। और यूं ही आप कहें मुझे तो सुनकर ताज्जुब हुआ कि आज से एक महिने पहले मुख्य मंत्री जी ने लेटर लिखा कि मुझे इसका जवाब दिया जाय और चीफ सेक्रेटरी उनको जवाब कल भेजे। अगर चीफ सेक्रेटरी आपके कामों की तामील नहीं करते, उनके ऊपर लगाये गये आरोपों का जवाब नहीं देते तो बाकी के लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समय के ऊपर जवाब मिल जायगा। एक महिने बाद आपको जवाब मिला। अखबारों में छप रहा है, आज तक अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं चाहे मुख्य मंत्री जी हो, चाहे विरोधी दल का नेता हो चाहे और कोई सदस्य हो, किसी पर भी यदि व्यक्तिगत आरोप लगाये जाय तो सरकार की ओर से बार बार खण्डन प्रकाशित होते हैं, इसका एक बार भी खण्डन नहीं किया है। अब इसको जन मानस में आप क्या मानेंगे कि जो आरोप राजस्थान पत्रिका में लगे हैं वह सारे के सारे सरकार स्वीकार करती है। आज तक सरकार खण्डन करने की स्थिति में नहीं है। मुख्य मंत्री जी ऐसे मुख्य सचिव

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के साथ आप सर्विसेज को कंट्रोल करना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनोमी लाना चाहें, लोगों के सामने अच्छे चरित्र का नक्शा पेश करना चाहें यह सम्भव नहीं है इसलिए हिम्मत करके ऐसे चीफ सैक्रेटरी के खिलाफ तुरन्त एक्शन लें और एक्शन नहीं लेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज राजस्थान का राज हरिदेव जोशी के हाथ में नहीं है आनन्द मोहन लाल के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीरता से विरोधी पक्ष के माननीय नेता कह रहे हैं मैं उस गम्भीरता को अनुभव करता हूं। यह सही है कि अगर मुख्य सचिव अप टू दि मार्क नहीं हैं तो सर्विसेज से अप टू दि मार्क होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं बगैर विगत में जाये हुए यही कहता हूं कि मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा, देखूंगा और अगर दोषी पाया जायेगा कोई भी तो एक्शन लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब तक एक्शन लेंगे, यह तो बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोषी नहीं क्लियर कट दोषी हैं।

श्री अध्यक्ष : एक बात पूरी हो जाय, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने समय में एक्शन लेंगे। कब तक एक्शन लेंगे यह तो बतायें। मैं यह जानकारी करना चाहता हू कि एक्शन कब तक लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे बात करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे से बात करने का सवाल नहीं?

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : बगैर समझे कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब चर्चा सदन में हो रही है तो बात करने का क्या सवाल पैदा होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं, एक्शन कब तक लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारा काण्ड स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके नेता पर भी भरोसा नहीं है। आपके नेता बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, इतना तो यकीन रखिये। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या सार्वजनिक समारोह मे बाकायदा शराब नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पिलायी गयी और चीफ सैक्रेटरी हो चाहे कोई भी अधिकारी हो सार्वजनिक समारोह में शराब नहीं पी सकते इस प्रकार के सेवा नियमों में प्रावधान नहीं है? और क्या इसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं हुआ है? क्या मुख्य मंत्री जी यह कह सकते हैं कि गेस्ट कंट्रोल आर्डर का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं है? क्या मुख्य मंत्री जी यह कह सकते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के 17000 रुपये जो नाट्य निकेतन के श्री भारती को पेमेंट किया वह पेमेंट मुख्य सचिव के घर पर रिहर्सल कराने के नाम पर नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं हो सकती। अब जो तथ्य है उसको झुटलाया नहीं जा सकता अब तो सवाल है साहस करने का। मुख्य मंत्री जी साहस करके यदि मुख्य सचिव को अब कंट्रोल नहीं कर सके तो सर्विसेज आपके कंट्रोल नहीं होगी सिर्फ यह कहकर नहीं चल सकते कि मैं इसको देखूंगा। देखने का समय आप को एक महीने का मिल गया, उसमें आपको कुछ देखना नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने जांच करने के लिये, कहा अभी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारी जांच हो गयी।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं बताना चाहता हूं उनको पूरी जानकारी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बिंदुओं पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नम्बर एक अपने राजस्थान में धौलपुर जिला....

श्री अध्यक्ष : हो गया। हो चुका। माननीय सदस्य, I have dropped it.

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी यह तो हो जाय।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जांच करेंगे। जांच करने के लिए कहा।

(व्यवधान)

जांच करने की बात कही है। आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री भंवर लाल शर्मा : He is replying.

श्री अध्यक्ष : मैं कब कह रहा हूं। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता ने इस मामले को जिस तरह से उठाकर रखा है और मुख्य मंत्री जी ने जितना इस हाऊस में कह सकते हैं उतना कह दिया है। इस मामले को मैं सोचता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : 2 जून, 1985 में राजस्थान पत्रिका में आने के बाद हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक आदमी अपनी धारणा बना चुका है""

श्री अध्यक्ष : आपके नेता ने कह दिया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कि मुख्य सचिव और इस प्रकार की रंगरेलियां जब जिला कलेक्टर करने लग जायेंगे, तो मुख्य मंत्री के पास क्या जवाब रहेगा। मुख्य मंत्री महोदय जी मुख्य सचिव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपके नेता और सदन के विपक्ष के नेता ने सब बातें स्पष्ट कह दीं।

आर्डर प्लीज। श्री मोहन प्रकाश।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह कार्यवाही का नाम लेकर मुख्य सचिव को बचाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि""

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। उसको बचाने का प्रश्न कहां है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : किसके खिलाफ करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : या तो कह दें, दोषी""

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह कह दें, दोषी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह कब कहा, उन्होंने तो यह कहा""

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह आवश्यक है, एक्शन लेने की""

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। इतना स्पष्ट कहा है मुख्य मंत्री जी ने""

(व्यवधान)

आप सुनिये ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शराब पीने का कोई जवाब नहीं दिया गया, अध्यक्ष महोदय, सारी की सारी प्रशासनिक मशीनरी राजस्थान में हर कानून और कायदे को तोड़ने में लगी हुई है और मुख्य मंत्री जी गर्दन नीची करके बैठे हैं। सरकार का जिस प्रकार का जवाब है वह सरासर गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे। आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक का हमारा जो तजुर्बा है कि मुख्य मंत्री जितने जिस बारे में ज्यादा गम्भीर होते हैं उतना ही उसमें × × × देते हैं और दिया है इससे पहले। बड़े गंभीर थे उस दिन, भरतपुर के काण्ड पर बड़,

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शोपत सिंह)

गम्भीर देखा है इतना ही बचाने की कोशिश करेंगे, आज हमको लगता है इसलिए कृपया गम्भीर मत होइये। आपकी गम्भीरता खतरनाक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें बुलाऊं करूंगा आपको। कृपया बैठें आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप कई बार बोल चुके हैं। आपके नेता स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री मोहन प्रकाश : एक मिनट मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप कई बार बोल चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान के सभी कानूनों का एक एक करके मुख्य सचिव ने उल्लघन किया है, पर्यटन विभाग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शराब पर खर्च किया सारे कानूनों का।

श्री अध्यक्ष : सचिवालय के बड़े-बड़े माननीय सदस्य आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। आर्डर प्लीज। अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : OOO

श्री लालचन्द : मैं तो यह कहता हूं सरकार सस्पेण्ड करने का तो नाम लेती है, कभी टर्मिनेट करने की हिम्मत की है क्या ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : OOO

(श्री हरिकुमार औदिच्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं मौका नहीं दूंगा। श्री मोहन प्रकाश, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे भी गम्भीर मामला एक और है। जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट सदन में रखा उसकी कापी, उस बजट की कापी 11 बजे एक दिल्ली से निकलने वाले एक अखबार के दफ्तर में थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : नहीं सुनिये।

अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय कोई कार्यवाही न करें लेकिन अपने वित्त सचिव को वित्त मंत्रालय को कम से कम टटोलकर देखें। जो छोटे मियां सो छोटे मियां बड़े मियां सुभान अल्ला। माननीय मुख्य मंत्री जी, अखबार के सम्पादक को धन्यवाद दीजिये कि उसने उसकी कापी को छापकर, बाजार में नहीं बेचा वरना जिस दिन आपने बजट पेश किया नैतिकता के आधार पर हो सकता था कि आपको इस्तीफा देना पड़ सकता था। मैं यह प्रश्न नहीं उठा रहा हूं,

(6 00 म. प.)

OOO अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहन प्रकाश)

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कर लीजिए। आज जो बड़े अधिकारी हैं वे आपके प्रति कितने रेस्पेक्टफुल और लायक हैं, इस बात की यह साक्षी है।

(व्यवधान)

आपने मुझे मौका दिया है।

दूसरी बात जो राजस्थान के विकास से संबंधित मामला है····

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द डागा : ·····आप क्या बात कर रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं जवाब देने के लिए। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के····

श्री अध्यक्ष : पोइन्टेड क्वेश्चन पूछ लीजिए। भाषण नहीं।

श्री मोहन प्रकाश : भाषण नहीं है। इनके भविष्य के लिए, लाभ के लिए यह बात कह रहा हूं। इसलिए इनके कानों में इनकी सूचना के लिए यह बात डाल दी।

राजस्थान के विकास की बात कह रहे हैं, जो सबसे राजस्थान के पिछड़े हुए इलाके हैं चाहे वह····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भाषण देना चाहते हैं। ऐसे भाषण नहीं होगा। आप सवाल कर लीजिए।

श्री मोहन प्रकाश : मैं सवाल ही कर रहा हूं। जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो पिछड़े हुए जिले हैं वे पिछड़े ही रहेंगे या उनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाकर उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर धौलपुर जिले के····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से·····

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप उत्तेजित कर दे रहे हैं, मैं बैठा हूं।

माननीय मोहन प्रकाश, आप डिबेट पर नहीं बोल सके इसलिए उसकी पूर्ति अभी करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने धौलपुर और भरतपुर को राजधानी क्षेत्र में शामिल करने बाबत दिल्ली में बात की। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में उससे संबंधित क्षेत्र के विकास से संबंधित कोई विशेष ध्यान देने की कोशिश नहीं की।

(श्री मोहन प्रकाश)

नम्बर-दो बात, उन्होंने कहा कि व्यावहारिक योजना हमको बनानी चाहिए, सबसे लाभप्रद अगर कहीं कोई थरमल पावर स्टेशन है एन. टी. पी. सी की निगाह में और देश के बड़े बड़े इन्जिनियरों की निगाह में तो वह है धौलपुर पावर स्टेशन की योजना। जब राजधानी क्षेत्र की चर्चा हुई उस समय हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा के थरमल पावर स्टेशन····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पूछ ली धौलपुर की बात। अब खतम करिये उसको।

आर्डर प्लीज। श्री लालचन्द।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द को पुकार लिया है मैंने। आर्डर प्लीज।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो केवल दो शब्द कहने हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि मुख्य सचिव को

(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी भी हटाना चाहते हैं और विपक्ष के नेता भी हटाना चाहते हैं। फिर नाटक करने से क्या होगा? सदन का टाइम क्यों खराब किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री मानिक चन्द सुराना : भूतपूर्व नरेशों ने····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले पूछ चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब वे बोलने लग गए तो मैं तो बीच में ही बैठ गया था।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको फिर मौका दे दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी शालीनता से सदन के नेता ने यह विश्वास दिलाया पूरे सदन को कि मुख्य सचिव के खिलाफ····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनिट में।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको प्रश्न पूछने के लिए कहा है, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या आप भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि अलवर जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ साठ हजार लाइसेंस एक साल में बनाने का आरोप था। एक करोड़ का घोटाला हुआ है। मंत्री महोदय ने उसको सस्पेंड किया। बिना जांच पूरी किए उसको फिर वहीं अल-

(श्री जगमाल सिंह यादव)

वर लगा दिया और इनाम दे दिया तो कैसे सदन विश्वास करे कि सदन के नेता भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री सुराणा।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहस के दौरान भूतपूर्व नरेशों की आबादी की भूमियों और कृषिभूमियों के बारे में कहा था, जयपुर शहर में, जोधपुर, बीकानेर, कोटा में और अनेकों अरबन सीलिंग के शहरों में लाखों गज जमीन आबादी भूमियों में मौजूद है, रामबाग पैलेस रोड पर पूरा का पूरा सेक्रेट्रियेट के चौराहेकासारा का सारा आहाता अरबन सीलिंग के कानून में आता है, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की जमीनें आती हैं और जयपुर में सेक्रेट्रियेट के चौराहे पर बड़े बड़े बांगड़ हाउस, बिड़ला हाउस, पोद्दार हाउस, जयपुरिया हाउस बने हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह भूतपूर्व नरेशों को कब तक छूट दी जाती रहेगी ? जब कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 1981 में यह कह दिया, कि राज्य सरकार को छूट है । चाहे लैंड ओनर्स एक्ट में कुछ कमी है, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अरबन सीलिंग का कानून बहुत साफ है, कृषि भूमि अधिग्रहण का कानून और अरबन सीलिंग का कानून बहुत साफ है, इनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि इन भू पू नरेशों की कृषि भूमियों और आबादी भूमियों को विशेष कर लेने में कितनी अवधि आप और लगायेंगे ? श्रीमती कमला बेनीवाल ने जब राजस्व और उपनिवेशन की कांफ्रेंस की, अध्यक्ष महोदय, हमने बड़े विस्तार से सवाल उठाए और बड़े विस्तार से उन्होंने इन सब बातों को नोट भी किया। लेकिन मुख्य मंत्रीजी की चुप्पी इस बारे में एंबजायंटिक और प्राब्लमेटिक है, अध्यक्ष महोदय। आज भी हम यह कह रहे हैं, सौ करोड तो कम से कम इन आबादी भूमियों से प्राप्त हो सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक कानून को लम्बी डोर और लालफीताशाही के चंगुल में फंसकर आप असली कानूनों की क्रियान्विति करने से गुरेज करते रहेंगे ? क्या क्रियान्वित करने का कोई जोरदार आपका इरादा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह ।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दे दूं जितना हो गये उनके ।

(व्यवधान)

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य के उत्तर में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले चीफ सेक्रेटरी का जवाब दीजिए ।

श्री हरिदेव जोशी : सुनो तो सही ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका जवाब दीजिए पहले ।

श्री हरिदेव जोशी : दे चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नहीं दिया ।

श्री हरिदेव जोशी : अजी, सुनो तो सही । विराजो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जायेंगे लेकिन मुझे लगता है कि यह जवाब देकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप रवाना होने वाले हैं। आप इसका जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

आप इतना सा बतला दीजिए, आपने कहा कि दोषी होगा तो एक्शन लेंगे। कितने दिनों में सदन को आप इस बात की जानकारी दे देंगे कि कितने दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं टाइम लिमिट तय नहीं कर सकता। Earliest.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अरलियेस्ट का मतलब क्या है ?

श्री शोपत सिंह : अरलियेस्ट का मतबल इस सेशन के खत्म होने से पहले ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को और आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला मुख्य मन्त्रीजी तय नहीं करेंगे तो इस राजस्थान की विधान सभा में आनन्द मोहनलाल का मामला प्रतिदिन उठाया जाएगा।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा होना नहीं चाहिए। जब मैं यह कहता हूं तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : एक्शन के लिए वेट तो करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह 19 तारीख की घटना है। मुख्य मन्त्रीजी को एक महीने बाद में उत्तर दिया है। मुख्य मन्त्री को कोई दूसरा अधिकारी एक महीने बाद में उत्तर देता तो आज तक सस्पेंड कर दिया गया होता।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने जांच करने के लिए कहा है सदन में। सदन में कहा है उस पर विश्वास करें।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा लूण-करणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे केसेज को विगरसली परश्यू किए जाने की तैयारी कर ली है, सब को डिस्पोज आफ जल्दी से जल्दी किया जाएगा।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के उत्तर में मुझे यह निवेदन करना है कि धौलपुर में एन. टी. पी. सी. ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है हमने इसको प्रोस्पेक्टिव प्लान में ले लिया है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें भी इसका नाम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सम्पत सिंह का नाम पुकारा था।

श्री मोहन प्रकाश : आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने श्री सम्पत सिंह को पुकारा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व नरेशों की भूमि के बारे में दो लाइनों का जवाब देना मुख्य मन्त्रीजी को मौजू नहीं है। आखिर उनको विस्तार के साथ बताना चाहिए, क्या कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, अरबन सीलिंग कानून में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आप हेंडल कर रहे हैं, काम्पीटेण्ट अफसर इसका फैसला एक महीने में क्या दो दिन में कर सकता है। किसी दूसरी परिधि में जाने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो कानून बताए हैं....

श्री मानिक चन्द सुराना : कानून तो इनको पहले से ही मालूम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पर सक्षमता से कार्यवाही की जानी चाहिए और इस सत्र के अन्त तक, 30 जुलाई, तक तो सदन चलेगा, 31 जुलाई से आगे भी चलेगा, 31 जुलाई से पहले इसके परिणाम इस सदन के सामने आने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भवानीसिंह जी इनकी पार्टी के मेंबर बन गये, दूसरे राजा महाराजा इनकी पार्टी के मेंबर बन गये। यह कोई प्रिटेक्स्ट नहीं है कि भूतपूर्व नरेशों पर, करोड़पति सेठों पर, अरबन सीलिंग के जो मैटर्स हैं उनमें आप कोई ढिलाई बरतें। तीन हजार बीघा जमीन जयपुर शहर में जयपुरिया के पास है, पांच हजार बीघा भूमि राजस्थान नहर क्षेत्र में बांगड़ सेठ के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है लेकिन राज्य सरकार को चिन्ता नहीं है कि उन स्टे को खतम करवाए। राज्य सरकार संसाधनों की बात करती है। आपको 15 पैसे इलेक्ट्रिक सरचार्ज एक यूनिट पर, एक उपभोक्ता पर लगाना मन्जूर है लेकिन भवानीसिंह जी की पांच लाख हैक्टेयर आबादी जमीन, जिससे 100 करोड़ मिल सकते हैं, तत्काल फैसला करना मन्जूर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं चाहता हू, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर गम्भीरता से राज्य सरकार कार्यवाही करे और इस सदन को सूचित करे।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह : (नगर) माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्रीजी से तीन विनम्र सवाल पूछना चाहता हू। नम्बर एक, आपने बजट में उद्योगों की छोटी इकाइयों पर कर लगाया है और बड़े उद्योगों पर कम कर लगाया है। क्या अनुपात के हिसाब से आपका ऐसा करना उचित था ?

नम्बर दो, छोटे किसानों के जो भी उपकरण लगे है, खेती के, चाहे बिजली की मोटर है, चाहे दूसरे सिंचाई के संसाधन हैं उन पर टैक्स ज्यादा है। जो बड़े किसान है बड़ी होल्डिंग जिनके पास है, बड़ी-बड़ी मोटरें जिनकी लगाई हुई, बड़े संसाधन जिन्होंने खेतों पर लगाए हैं उन पर टैक्स दर कम है।

नम्बर तीन पश्चिमी राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इन्दिरा गांधी नहर विख्यात है, अपनी महत्ता के लिए। लेकिन पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के लिए सिर्फ एक उपकरण चल रहा है जो पिछले 15-20 साल से पूरा नहीं हो रहा है गुड़गावां नहर पर मुख्य मन्त्रीजी ने बजट भाषण में कहीं कोई चर्चा नहीं की गुड़गावां के ऊपर माननीय मुख्य मन्त्रीजी बताने की कोशिश करेंगे कि गुड़गावां नहर के लिए सरकार के पास क्या प्लान है ? गंगा जमुना से नहर में पानी लाने के लिए सरकार की

(श्री सम्पत सिंह)

तरफ से कोई प्रयास किए जाएंगे भविष्य में ? अब तक कितना धन लगा चुके हैं। इस बजट जैसी मुख्य चीज में कैसे इसकी चर्चा नहीं हुई ?

इन्हीं विनम्र शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था पर भी जो सरकार की तरफ से जवाब आए हैं और आश्वासन आए उनमें वह संजीदगी नहीं दिखी जो एक चुनी हुई सरकार की होनी चाहिए। ऐसा तो अंग्रेज, राजा महाराजा भी आम जनता के साथ नहीं करते थे। मेरा सवाल यह है कि जो आश्वासन दिया था राजा मानसिंह के प्रकरण में, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, उस आश्वासन की सरकारी कर्मचारियों के मामले में क्यों नहीं अनुपालना की गई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में 10 लाख की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। इन्दिरा गांधी नहर पर मोहनगढ़ से 550 कि.मी मिट्टी खोदने की मशीनें ले जाई गई, उस सारे प्रकरण के बारे में मैंने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी क्या इसकी जांच करा कर जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मुझे दुःख है, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के भाषण को मैंने बहुत गम्भीरता से सुना।

श्री अध्यक्ष : मैंने समझा, शायद पूरा नहीं सुना।

श्री यदुनाथ सिंह : पूरा सुना।

उसमें कहीं किसान और कृषि का नाम नहीं लिया गया है। वैसे उनकी योजना में क्लास करेक्टर का रिफलेक्शन नजर आया, इसमें मुझे कोई शका और संदेह नहीं है। न तो खेती के लिए कहा कि किस प्रकार से राजस्थान में ड्राई फार्मिंग के माध्यम से उत्पादन किया जायगा सिंचाई के लिए साधन जुटाए जाएंगे। सिर्फ यह कहा कि इन्दिरा गांधी नहर के प्लान में केन्द्र सरकार से 200 करोड़ मिलेंगे। इन दो के अलावा राजस्थान में सिंचाई के लिए क्या करेंगे और इस पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था करने वाले हैं इस पर कतई प्रकाश नहीं डाला, यह बहुत दुःख की बात है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जो कम्फर्टेबल आपके पास आंकड़े थे वह आपने पेश किए हैं। बजट स्टडी में बड़ा खतरनाक एक ट्रेण्ड नजर आ रहा है....

श्री अध्यक्ष : आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जानना क्या चाहते हैं ? कहना तो आप बहुत चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में पूरा पोटेंशियल, अण्डर ग्राउण्ड और रैन फाल के पानी का है, उसको यूज करने, रावी, ब्यास, चम्बल के पानी को यूज करने, माही के पानी का उपयोग करने के बाद, 30 लाख मिलियन

(श्री यदुनाथ सिंह)

हैक्टेयर जमीन हमारे यहां असिंचित रह जाएगी उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? यह उत्तर में नहीं आया कि उस जमीन को कहां से सिंचित करेंगे। क्योंकि एक तरफ ...

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ लीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से राज्य का 54% उत्पादन है, जो बिन्दु निर्माण का है उस क्षेत्र के बारे में एक शब्द तो बोलें....

श्री अध्यक्ष : आप तो भाषण दे रहे हैं। जानकारी करनी है, तो जानकारी कर लीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या राज्य सरकार की यह जानकारी में है? पेज नं. 1 से 9 पर बजट के जो फिगर दिए हैं क्या यह खतरनाक ट्रेण्ड को नहीं दर्शाते हैं।

(व्यवधान)

हंसने की बात नहीं है माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जो दो हिस्सों में बांटे हैं, पेज 9 पर जमीन....

श्री हरिदेव जोशी : कहना और चाहते थे, कह कुछ और रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यह चाह रहा हूं कि राजस्थान की बहबूदी हो। आप जिन बड़े उद्योगों की बात करते हैं उनसे राजस्थान और देश की बहबूदी होने वाली नहीं है। खेती पर ध्यान देने की बात कह रहा हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, एक तो जो जमीनों की प्रोडक्टिविटी घट रही है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री यदुनाथ सिंह : संक्षेप में यही है कि राजस्थान में असिंचित भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम राज्य सरकार के पास है?

दूसरा, आपने बड़े फिगर दिए पर-केपिटा इन्कम के। इस पेज को देखेंगे तो मालूम होगा कि गांवों से पैसा बुरी तरह से शहर में खिंच कर जा रहा है। उसको रोकने का काम कैसे करेंगे।

खाद उत्पादन और रॉ मैटीरियल का ट्रेंड पिछले पांच साल में एडवर्स रहा है। गांवों में जो पैदावार हो रही है उसको लूट कर ले जा रहे हैं। तो उत्पादन बढ़ाने का काम कैसे करेंगे? यह दो प्रश्न मेरे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र शास्त्री।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुंडावर) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में यह बात स्वीकार की है कि राजस्थान विद्युत मण्डल की स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी वक्त चरमरा कर गिर सकता है। मुख्य मंत्रीजी ने जो टैक्स प्रस्तावित किये हैं, अकेले विद्युत से इस साल में 64 करोड़ वसूल किये जायेंगे जिसमें से 32 करोड़ पुरानी हानि की पूर्ति में लगेंगे, 32 करोड़ योजना में आएगा। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस नमक के समुद्र में एक बाल्टी पानी डालने से क्या यह नमकहीन हो जाएगा? इतना बड़ा घाटा है, और पिछली देनदारी

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

है, 1983-84 की विद्युत बोर्ड की एक रिपोर्ट हमारे सामने पेश की कई थी जिसमें स्टेटमेन्ट आफ अकाउन्ट है, उसमें पिछली देनदारियां 2439 लाख 1983-84 में बताई गई है और लेनदारियों का फिगर 6161 लाख का बताया गया है। इसके साथ ही ऋण चुकाना है ब्याज चुकाना है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो टैक्स आपने लगाया है उसका अगर पूरी तरह से समीकरण नहीं किया गया, जैसा कि आपने स्वयं माना है तो आपके तपोबल से, आपके अभ्यास से, आपके ज्योतिष से आर. एस. ई. बी. का ढांचा खड़ा नहीं रह सकेगा। इसको खड़ा रखने के लिए जो उपाय किये जाने चाहिए, उसमें तो टैक्स लगाया गया है लेकिन पुरानी वसूली है उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। किसानों पर बोझ लाद दिया फिर भी ढांचा चरमरा रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसको खड़ा रखने के लिए क्या व्यवस्था सोची है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैंने पुकार लिया है माननीय सदस्य को।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न है। क्या किसानों को राजस्थान में आपके घोषणानुसार 12 घन्टे बिजली दी जायेगी? क्या राजस्थान में किसानों को कनेक्शन देते वक्त साढे अठारह सौ रुपये पोल के हिसाब से, जो लागू किये गये थे। आपके कथनानुसार नहीं लिये जायेंगे, क्या यह भी लागू रहेगा? तीसरा यह क्या....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर प्लीज। जारी रखें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : तीसरा है, मन्दिर की जो भूमियां थीं उनके बारे में इस सत्र में माननीय विरोधी दल के नेता ने, माननीय मिर्धा साहब ने और कई एक माननीय सदस्यों ने इस एतराज को उठाया था कि चाहे वह दफा 19 से हो, चाहे रिजम्प्शन एक्ट के तहत हो, सेलू डीड के तहत हो जो खातेदारी अधिकार किसानों को मिल गये क्या उनको वापस मन्दिर में दर्ज करवायेंगे या किसानों के हित में रखेंगे? ये तीन सवाल मेरे हैं आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने पेयजल योजनाओं का उल्लेख किया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आदमियों के पीने के लिए जल की व्यवस्था का तो विस्तृत विवरण बताया लेकिन राजस्थान में जहां पशुधन बहुत है, खास कर जिन इलाकों में खारा पानी है वहां पशुओं के लिए पीने के पानी की माननीय मुख्य मन्त्री जी और सरकार की क्या योजना है और किस तरह से उनकी यह व्यवस्था हो सकेगी? आज पशुओं के मरने की मुख्य खबर आती है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सबसे बड़ा उपकार होगा क्योंकि अच्छा पानी मिलता नहीं पशुओं को, खारा पानी पीते

(श्री नवरंग सिंह)

हैं जिसकी वजह से पशुओं में बीमारियां होती हैं। एक मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने किसान की बिजली पर सबसे बड़ा बोझ लाद दिया है और किसान के साथ पक्षपात किया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को महसूस भी करते हैं कि राजस्थान में अधिकांश छोटे किसान हैं।....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : How I can remember all these questions.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी। स्पष्टीकरण चाहते हों तो स्पष्टीकरण कर लीजिये।

श्री नवरंग सिंह : नहीं अध्यक्ष महो- मैं सवाल पूछ रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नवरंग सिंह एक सवाल, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि हमारे यहां भेड़ों की सख्या, बकरियों की संख्या बहुत है। आपका विभाग जो भेड़ ऊन का है वह तोड़ दिया गया है बासवाड़ा में उसको कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो जयपुर मेडिकल कॉलेज है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज जो बात हुई उससे सम्बन्धित प्रश्न, स्पष्टीकरण कर लीजिये। यह तो जनरल है। सम्बन्धित है उस पर कहना चाहिए।

श्री मुक्ति लाल मोदी : (कोटपूतली) नहीं मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना है, जो जयपुर मेडिकल कालेज है उसको पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनायेंगे या नहीं बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : पोस्ट ग्रेजुएट तो है वह।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक प्रश्न तो यह है, माननीय अध्यक्षजी। दूसरा, ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप माननीय सदस्यों को यह राय दे दें..

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरा मेरा यह कहना है कि जो पायराइट का कारखाना है सलादीपुरा के अन्दर उस पायराइट के कारखाने के अन्दर 40-50 लाख रुपया, माननीय अध्यक्षजी, खर्च हो चुका है..

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली (वेगू) : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइन्ट आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। और टाइम लेंगे आप, कृपया बैठें आर्डर प्लीज। कृपया बैठें....

एक माननीय सदस्य : सदन का समय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । नो पाइन्ट ग्राफ आर्डर । कृपया बैठें प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे लिए यह सम्भव ही नहीं होगा जितने प्रश्न पूछे जायेंगे इस तरह से उनका जवाब दे दूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । आप लोग समय ले रहे हैं । मैं तो चाहता हूं जल्दी समाप्त हो । आप समय ले रहे हैं उल्टा । आप लोग समय ले रहे हैं । मैं जितनी जल्दी खतम करना चाहता हूं उतना ही समय ले रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्षजी, मैंने तो एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल आ गया, माननीय सदस्य । श्रीमती उजला अरोड़ा । आर्डर प्लीज ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक मिनिट भी नहीं लिया....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी ना । आर्डर प्लीज ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पायराइट का जो कारखाना है उसका भी जवाब दें माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर-ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से दो प्रश्न पूछना चाहती हूं । आज से ढाई साल पहले यह कह कर 30 करोड़ रुपया दिया गया था जयपुर नगर में, 28 करोड़ रुपया कृषि भूमि के ऊपर दिया गया था और यह कहा गया था कि इनका नियमन कर देंगे सारे अतिरिक्त संसाधन पैसे जुटाये गये थे उसके बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया और उस काम को भी नहीं किया ।

मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूं । इससे पहले के बजट में आपने यह कहा था कि हम 36 करोड़ रुपया शराब खोल करके कमाना चाहता हैं उससे विकास करेंगे राजस्थान में और आज यह कहते हैं कि कोई विकास नहीं कर सकते, न स्कूल खोल न अस्पताल खोल सकते । मुख्य मंत्री महोदय, इन बातों का उत्तर दीजिये । आपके जमाने में 13 जिले बन्द थे । आप अब शराबबन्दी के लिए कोई कदम उठाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे मैं आपसे पूछना चाहती हूं केवल, मुझे शिवचरणजी माथुर की सरकार से उम्मीद नहीं थी, परन्तु आज उम्मीद करती हूं कि आप संविधान की भावना के अनुसार उस तरफ बढ़ने की घोषणा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय मुख्य मंत्री जी । आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, दरअसल मैं टालने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं । इस प्रकार से क्वेश्चन आन्सर में यह सम्भव ही नहीं है किसी तरह से कि लम्बे-चौड़े क्वेश्चन का उत्तर दिया जा सके । जहां तक मुक्तिलालजी के प्रश्न का सवाल है मैं समझा हूं कि वह इन्स्टीट्यूट के बारे में कहना चाहते हैं । इन्स्टीट्यूट के बारे में कोई फैसला नहीं किया है । अब रहा सवाल गंगा और जमुना के पानी का

(श्री हरिदेव जोशी)

भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में विचार-विमर्श चल रहा है और फैसला होगा।

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत दिन से चल रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : जी, हां। फैसला नहीं हो जब तक क्या कहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : सूखी खेती, सिचाई में किसान की क्या मदद करना चाहते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट की पालिसी वैल-नान है। इसमें मुझे कुछ एड नहीं करना है। तीसरा...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा एक प्रश्न राजस्थान नहर के बारे में था।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान कैनाल के बारे में कहा है, मैं इसकी जांच करके ही कुछ कहूंगा, इसके फैक्ट्स को समझ करके ही कहूंगा, इसका हाफ हैण्ड जवाब में नहीं दे सकता

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 जुलाई, 1985, मंगलवार के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 6:28 बजे मंगलवार दिनांक 9 जुलाई, 1985 के म. पू. 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 122 का विवरण

राजस्थान की कारागृहों से गत 5 वर्षों में फरार हुए बन्दियों के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई एवं की जा रही कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	दी गई सजा	कारापाल	उप कारापाल	सहायक कारापाल	उच्च मु. प्रहरी	मुख्य प्रहरी	प्रहरी
1.	तीन वेतन वृद्धियां रोकी गई	–	–	–	–	–	3
2.	दो वेतन वृद्धियां रोकी गई	–	–	–	–	2	1
3.	एक वेतन वृद्धि रोकी गई	2	–	1	1	2	4
4.	परिनिन्दा	–	–	1	–	–	1
	योग :—	2	–	2	1	4	9

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 124 का विवरण

वर्ष 1979-80 से 1984-85 तक निगम की विभिन्न इकाईयों को हुई कार्यकारी हानि का वर्षवार विवरण (ईकाईवार स्थिति)

बिन्दु संख्या 2 का विवरण

क्र. सं.	नाम ईकाई/सेवा	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	योग
(अ)	**ईकाई सेवा**							
1.	यथ होस्टल, जयपुर	-	0.05	0.25	0.07	-	0.10	0.47
2.	यथ होस्टल, माउन्ट आबू	0.29	0.32	0.51	0.07	-	-	1.19
3.	झुमर बावरी, सवाई माधोपुर	-	-	-	0.33	0.83	0.27	1 43
4.	रेस्ट हाऊस, हल्दी घाटी	0.11	0.03	0.15	0.11	0.12	-	0.52
5.	प. वि. गृह, जयसमन्द	-	0.24	0.36	0.69	0.37	0.24	1.90
6.	सारस, भरतपुर	0.24	-	0.36	0.49	-	-	1.09
7.	लेक पैलेस, सिलीसेढ़	-	-	0.34	0.66	1.32	0.56	2.88
8.	मिडवे, बर	-	0.20	0.37	0.75	0.75	0.38	2.45
9.	झील पर्यटक ग्राम, रामगढ़	-	-	-	2.20	1.75	0.50	4.45
10.	दुर्ग केफेटेरिया, नाहरगढ़	-	-	0.10	0.47	1.20	-	0.77
11.	गुलाबपुरा, मिड़वे	-	-	-	-	-	0.27	0.27
12.	शिल्पी, रणकपुर	-	-	0.10	-	-	-	0.10
13.	चम्बल, कोटा	-	-	-	-	0.40	-	0.40
14.	सरोवर, पुष्कर	-	-	-	-	0.20	-	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	टाइगर डेन, सरिस्का	0.12	0.34	–	–	1.15	0.08	1.69
16.	गवरी, ऋषभदेव	0-10	–	–	–	–	–	0.10
17.	महुआ, मिडवे	0.93	0.30	0.16	0.33	0.13	–	1.85
18.	गोकुल, नाथद्वारा	0.05		–	–	–	–	0 05
19.	रतनपुर, मिडवे	–	0.02	0.11	–	–	–	0.13
	योग (अ) :—	1.84	1.50	2.81	6.17	8.22	2.40	22.94
(ब)	अन्य सेवायें							
	शाही रेल गाड़ी	–	–	5.00	–	–	3.06	8.06
	उत्सव एवं त्योहार	0.11	0 70	0.70	4 02	–	–	5.53
	योग (ब) :—	0.11	0.70	5.70	4.02	–	3.06	13.59
	कुल योग (अ+ब) :—	1.95	2.20	8.51	10.19	8.22	5.46	36.53

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में सुविधायें

126. **श्री दाउदयाल जोशी** (दौसा) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रह रहे छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाएं बहुत कम हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में क्या सुविधाएं दी जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सुविधाओं को बढ़ाने का सरकार ने आश्वासन दिया था ?

(3) यदि हां, तो उक्त सुविधाओं में अभी तक वृद्धि नहीं किये जाने का क्या कारण है, तथा सरकार उक्त सुविधाओं में कब तक वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र 82-83 में छात्रवृत्ति की दर बढ़ाई गई थी तब वे पर्याप्त थी किन्तु बीच की अवधि में वस्तुओं के भाव बढ़ने के कारण अब छात्रवृत्ति की दर में कमी महसूस की जा रही है। वर्तमान में छात्रावासों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये 100/- रुपया तथा कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिये 106/- रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है। जिसमें भोजन, नाश्ता, कपड़ा बिजली पानी आदि की व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 40 रुपये व कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों को 60/- रुपया प्रति छात्र पुस्तकों तथा स्टेशनरी लिये दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक छात्र को एक दरी, 2 कम्बल, एक तकिया मय 2 गिलाफ, 2 चादर, 1 गद्दा, खाने के बर्तन, चारपाई अथवा लकड़ी का तख्ता और एक आलमारी अथवा लोहे का बक्सा भी दिया जाता है व खाना बनाने के लिये रसोइया, कठिन विषयों के लिये अंशकालीन अध्यापक व अंशकालीन चिकित्सक भी सुविधा भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक चौकीदार की व्यवस्था भी की जाती है।

(2) जी हाँ।

(3) छात्रावासों की स्थिति की जांच कर राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु विधान सभा के 15 माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की जा रही है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर सुझावानुसार आवश्यक सुविधाओं में वृद्धि करने की कार्यवाही की जायेगी।

बीकानेर जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

127. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) सन् 1978-79 से सन् 1984-85 तक बीकानेर जिले के विद्युतीकृत गांवों के ग्रामीणों द्वारा कितने प्रार्थना-पत्र विद्युत् मण्डल में विद्युत् कनेक्शन हेतु पेश किए गए ?

(2) ग्रामीणों के कितने प्रतिशत प्रार्थना-पत्रों पर आज तक विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये, और कितने प्रतिशत प्रार्थना-पत्रों पर विद्युत कनेक्शन की कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई ? कृपया ग्रामवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार विद्युतीकृत गांवों में विद्युत् कनेक्शन उपभोक्ताओं को देने हेतु विद्युत् मण्डल की सारी प्रक्रिया पर पुन: विचार करके उपभोक्ताओं के हक में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त कराने के उद्देश्य से कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेगी, व विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं को देने हेतु राजस्व अभियान की तरह कोई अभियान चलाने का निर्णय करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि गांवों में अधिकाधिक बिजली के कनेक्शन रिलीज करने से ही विद्युत् मण्डल अपनी आमदनी बढ़ा पायेगी, और ग्रामीण विद्युतिकरण पर किया गया विनियोजन लाभकारी हो सकेगा ?

उत्तर

(1) 1978-79 से 1984-85 तक बीकानेर जिले के विद्युतीकृत गांवों में ग्रामीणों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्रों की सूची संलग्न है।

(2) ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों में से दिये गये कनेक्शन एवं नहीं दिये गये कनेक्शनों का प्रतिशत संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। ग्रामवार आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(3) उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर एवं वर्तमान में प्रचलित नियमों के आधार पर विभिन्न श्रेणी के पेंडिंग प्रार्थना-पत्रों का निपटारा किया जाता है एवं समय समय पर आवश्यकतानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं। अन्य किसी निर्देश की आवश्यकतता महसूस नहीं की जाती।

(4) योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों में से नये विद्युत कनेक्शनों के लिये आवटित धनराशि के अनुरूप तथा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये अधिकाधिक नये कनेक्शन दिये जाने का प्रयास किया जाता है।

परिशिष्ट

सन् 1978-79 से 1984-85 तक बीकानेर विद्युतीकृत गांवों के ग्रामीणों द्वारा विद्युत कनेक्शन किये गये प्रार्थनापत्रों एवं दिये गये कनेक्शनों का विवरण

1.	कुल प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए	17253	
2.	कुल विद्युत कनेक्शन दिये गये एवं उसका प्रतिशत	8651	50.14
3.	प्रार्थना पत्र जो रद्द कर दिये गये एवं उसका प्रतिशत	5930	34.37
4.	विचाराधीन प्रार्थना पत्र एवं उसका प्रतिशत	2672	15.48

सन् 1978-79 से 1984-85 तक बीकानेर जिले में विद्युतिकृत ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्रों एवं दिये गये कनेक्शनों का ग्राम वार विवरण :—

(ग्रा. वि. नि.) उपखण्ड—नोखा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	घरेलू लाईट/पावर				नोन डोमेस्टिक				औद्योगिक/मिक्स/अन्य				कृषि				टिप्पणी
		अ	ब	स	द	अ	ब	स	द	अ	ब	स	द	अ	ब	स	द	
1	2	3				4				5				6				7
1.	भामटसर	216	118	73	25	5	5	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	
2.	नाथूसर	45	9	36	–	2	–	–	2	3	2	1	–	–	–	–	–	
3.	रायसर	61	23	30	8	7	3	4	–	6	5	1	–	–	–	–	–	
4.	जेगला गोगलियान	65	43	14	6	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
5.	साइसर	58	10	42	6	–	–	–	–	6	2	4	–	–	–	–	–	
6.	देसलसर पुरोहितान	127	78	37	16	4	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
7.	धुपालियां	63	35	25	3	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
8.	देसरसर मुण्डलावतान	57	17	38	2	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
9.	देसरसर भाटियान	12	10	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10.	जोगलू	211	91	87	42	6	5	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
11.	शोभाणा	25	17	2	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
12.	बीसनू	19	1	18	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
13.	कुंभासरिया	44	15	26	3	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	
14.	लूंभासर	44	2	39	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3				4				5				6				7
15.	रातड़िया	20	2	13	5	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
16.	घरनोक	53	22	8	23	2	–	2	–	4	2	2	–	–	–	–	–	
17.	जेगला बन्ना दरोगा	129	58	62	9	3	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
18.	घटड	98	68	28	2	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	–	–	
19.	माण्याणा	50	33	11	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
20.	सिजगढ़	80	47	28	5	5	3	2	–	5	2	2	–	1	–	–	1	
21.	पाशा	60	37	16	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
22.	श्रावला	36	23	–	13	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
23.	साजनवासी	1	–	1		9	9	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
24.	बनिया	112	57	45	10	2	2	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	
25.	सोथा	85	31	38	16	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
26.	गसहपतेसर	118	63	49	6	2	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
27.	फिरतासर	42	17	20	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28.	टाट	24	24	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
29.	मूलवास	20	8	12	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
30.	तिलवा	28	14	5	9	16	10	–	6	1	1	–	–	–	–	–	–	
31.	केहली	56	37	7	12	7	6	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
32.	म्याऊं	6	2	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
33.	ढ़ियादेसर	24	11	2	11	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

1	2	3				4				5				6				7
34.	फक्कू	41	24	10	7	8	6	2	--	3	3	--	--	--	--	--	--	
35.	कुरजड़ी	[illegible]	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	
36.	धालाम	20	17	3	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
37.	साधुणा	2	--	2	--	1	1	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	
38.	चिताणा	3	--	--	3	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	
39.	सराह पाचू	4	1	--	3	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	
40.	सारूण्डा	12	--	--	12	5	--	--	5	2	1	--	1	--	--	--	--	
41.	ठीगसरी	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	--	2	--	--	--	--	
42.	हुसासर	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	
43.	मोखा	289	151	58	80	31	12	10	9	16	8	5	3	--	--	--	--	
44.	मोखांगाव	9	9	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
45.	पाचू	54	23	8	23	6	6	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	
46.	काकड़ा	22	21	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
47.	सलूण्डिया	10	8	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
48.	जसरासर	28	6	3	19	1	1	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	
49.	साधासर	19	--	--	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
50.	कु चोर अगुणी	16	7	--	9	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
51.	के. बेरासर	7	7	--	--	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	
52.	कु चोर आथुणी	12	3	--	9	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3				4				5				6				7
53.	कुदसु	13	4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54.	सुरपुरा	30	5	—	25	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
55.	रासीसर	25	22	—	3	2	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
56.	रोडा	28	7	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57.	सिंघु	6	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58.	हिम्मटसर	22	6	5	11	3	1	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	
59.	श्री बाला जी	20	9	2	9	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
60.	अराखीसर	19	3	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61.	जयसिंहदेसर मगरा	30	19	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62.	सीणीमाला	40	27	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63.	बावरिया	37	6	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64.	किसनासर	14	6	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65.	पिथरीसर	12	2	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66.	माडिया	10	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	बगसेऊ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68.	बीकासर	6	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69'	उदासर	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70.	मोरखाणा	12	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2		3			4				5				6				7
71	श्रीधन्	12	--	--	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
72	मुकाम	19	11	--	8	4	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
73	मैनेसर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	
74	कांडेली	4	1	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
75	गुन्द्रसर	45	40	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	5	
76	कमलीसर	4	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
77	सोमसर	6	5	--	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	
78	चरखडी	10	5	--	52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1													

अ—प्राप्त प्रार्थना पत्र

ब—दिये गये कनेक्शन

स—प्रार्थना पत्र निरस्त

द—विचाराधीन (पेंडिंग) प्रार्थना पत्र

1	2	3				4				5				6				7
लूणकरणसर उपखण्ड																		
1.	डेलाना छोटा	10	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	शादेरा	18	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	जैगा	42	30	12	0	2	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
4.	अर्जुनसर	44	25	16	3	6	4	2	0	6	1	4	1	0	0	0	0	
5.	दुलमेरा	15	12	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	हन्सेरा	110	47	62	1	8	5	3	0	3	2	1	0	1	1	0	0	
7.	शेखसर	75	27	40	8	9	3	6	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
8.	मलकीसर	41	34	6	1	6	5	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	
9.	लालेरा	10	9	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
10.	फूलदेसर	86	19	66	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	रोजा	71	33	29	9	6	4	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
12.	खिनयेरा	88	29	54	5	9	3	6	0	8	2	5	1	0	0	0	0	
13.	भादवा	68	41	27	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
14.	कुदेशिया	29	16	8	5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	घिरेरा	133	62	70	1	6	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
16.	बामणवाली	97	44	48	5	10	5	2	3	4	3	1	0	0	0	0	0	
17.	देसवा बस्ती	79	13	66	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	

1	2	3				4				5				6				7
18.	खारी	189	67	118	4	5	4	1	0	4	1	1	2	0	0	0	0	
19.	दूदियावाली	57	38	19	0	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
20.	भांडेरा (हरियासर)	22	14	7	1	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
21.	महरांना	23	17	6	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
22.	कुजटी	43	28	11	4	3	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	
23.	उत्तम देसर	16	10	5	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
24.	कपूरी सर	99	45	41	13	6	3	2	1	5	3	2	0	0	0	0	0	
25.	पिपेरा	39	29	9	1	9	8	1	0	4	3	1	0	0	0	0	0	
26.	सुरनाना	126	77	48	1	3	3	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	
27.	गोपलयान	11	11	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
28.	सिनेयाली	17	6	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	उ चांइडा	9	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	देलानी बड़ा	28	12	0	16	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	
31.	कांकरवाला	40	15	24	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
32.	लक्ष्मीनारायणसर	29	15	14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
33.	रायसर मोटियान	66	22	19	25	8	1	1	6	7	4	2	1	0	0	0	0	
34.	केला	66	0	0	66	8	1	1	6	7	3	2	2	0	0	0	0	
35.	खोलरना	56	10	36	10	2	0	2	0	3	1	2	0	0	0	0	0	

(181)

1	2	3				4				5				6				7
36.	खेजेरिया	37	14	16	7	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
37.	भिरड़ाम	13	11	2	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
38.	धिरेरा रेल्वे स्टेशन	17	0	0	17	5	0	0	5	4	0	2	2	0	0	0	0	
39.	तुलमेरा रेल्वे स्टेशन	25	0	0	25	8	0	0	8	5	0	0	5	0	0	0	0	
40.	मुनाकसर	42	7	27	8	4	2	0	2	3	1	2	0	0	0	0	0	
41.	रामवासर	68	49	18	1	5	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	
42.	नाकूदीसर	55	20	9	26	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
43.	शेरपुरा	163	44	67	52	10	7	2	1	7	2	0	5	0	0	0	0	
44.	जीतपुरा	154	54	96	4	27	14	10	3	8	4	3	1	0	0	0	0	
45.	घेगुरा	47	19	24	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
46.	रानीबाग	60	19	36	5	3	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	
47.	माथबाना	27	13	10	4	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	
48.	रानीसर	33	7	22	4	5	1	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	
49.	लालीरा (करनीबारा)	11	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.	करणीसर	79	0	0	79	3	0	0	3	4	2	1	1	0	0	0	0	
51.	धामी पांडूसर	11	0	0	11	1	0	0	1	4	2	0	2	0	0	0	0	
52	अमरपुरा	60	10	3	47	4	1	0	3	4	2	2	0	0	0	0	0	
53.	कागासर	51	1	1	49	2	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	

1	2	3				4				5				6				7
54.	खापडसर	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	चाटासर	65	14	48	3	2	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
56.	चांदसर	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	जोगीया बस्ती	18	12	6	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	मिठडिया	21	0	5	16	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	
59.	गुलाड़ना	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
60.	काल	393	232	117	44	68	35	24	9	15	10	5	0	0	0	0	0	
61.	कालवास	24	7	17	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.	उखरान देसर	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	गारव देसर	165	92	68	5	7	3	3	1	2	1	0	1	0	0	0	0	
64.	राजपुरा हुदाना	87	22	65	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
65.	सहजरासर	215	73	136	6	5	3	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	
66.	किसरासर	79	39	39	1	4	2	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
67.	ग्राडसर	82	38	41	3	10	4	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
68.	लूनकरणसर (ग्रा.)	603	258	257	88	237	149	44	44	23	16	6	1	0	0	0	0	
69.	महाजन	67	29	38	0	28	17	8	3	1	0	0	1	0	0	0	0	
70.	नाथूसर	8	7	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

नोट :— अ = प्राप्त प्रार्थनापत्र, ब = दिये गये कनेक्शन, स = प्रार्थनापत्र निरस्त किये एवं द = विचाराधीन (पेंडिंग) प्रार्थना पत्र

183

1	2	3				4				5				6				7
[बीकानेर (क्रा. वि. नि.) उप खण्ड]																		
1.	भीकूसर	21	21	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2.	मोतीगढ़	7	3	4	–	5	3	2	1	3	–	3	–	–	–	–	–	
3.	छतरगढ़	107	48	59	–	47	24	23	–	3	2	1	1	–	–	–	–	
4.	लाखूसर	50	28	1	1	4	4	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
5.	लाखेरा	9	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
6.	अमरपुरा	5	4	1	–	2	–	2	–	3	1	2	–	–	–	–	–	
7.	भालासर	74	49	25	–	1	1	–	–	10	5	5	–	–	–	–	–	
8.	डाडूसर	73	44	29	–	5	3	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
9.	कालरियासर	181	142	39	–	15	8	7	–	5	3	2	–	–	–	–	–	
10.	लालसिंहपुरा	16	13	3	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11.	भोजेरा	23	12	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12.	बदरासर	52	21	31	–	2	–	2	–	2	–	2	2	–	–	–	–	
13.	जामसर	51	40	11	–	27	17	10	–	4	2	1	1	–	–	–	–	
14.	हरियाबड़ा बास	42	25	17	–	7	3	4	–	6	2	2	–	–	–	–	–	
15.	हेमेरा	87	23	64	–	46	17	29	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
16.	माल छोटी	11	–	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17.	बासीसेज कदराम	15	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3				4				5				6		7	
	बीकानेर (ग्रा. वि. नि.) उपखण्ड																
18.	भोरासर	17	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	गोगासर	22	12	10	–	4	1	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–
20.	भरू	11	10	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
21.	भैरूखीरा	9	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	बरधा	48	8	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	राजेरा	82	2	2	60	–	2	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–
24.	खाजुवाला	276	120	132	24	169	72	94	3	20	9	8	3	–	–	–	–
25.	बछासर	116	32	84	–	8	5	3	–	3	2	1	–	–	–	–	–
26.	कानासर	230	93	131	6	15	7	8	–	12	3	9	–	–	–	–	–
27.	अलादपुरा	5	5	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
28.	कस्पालसर	42	12	30	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
29.	शोभासर	28	12	16	–	1	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
30.	कावनी	39	19	20	–	3	2	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–
31.	छोलेरा हिं. मगजी	16	8	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	वातोर	13	4	9	–	6	2	4	–	2	–	2	–	–	–	–	–
33.	जलालसर	107	68	39	–	10	5	5	–	3	2	1	–	–	–	–	–
34.	जालवाली	39	14	25	–	25	10	15	–	5	3	2	–	–	–	–	–

1	2	3				4				5				6				7
35.	छोलेरा	49	39	10	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	
36.	सूरसर	31	13	18	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
37.	खिचिया	63	1	62	–	6	–	6	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
38.	भोलानियां	46	38	8	–	5	1	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
39.	ग्रासेरा	46	17	29	–	4	1	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
40.	पलाना	120	48	72	–	9	5	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
41.	देशनोक	91	83	8	–	15	9	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
42.	भानीपुरा	48	–	–	48	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
43.	लालमदेसर	96	–	–	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44.	ग्रम्बासर	21	14	7	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
45.	छोरेरा	6	2	4	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
46.	करणीसर भीकान	16	7	9	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47.	मरु पाना	28	13	15	–	3	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
48.	पूंगल	57	41	16	–	39	17	19	3	2	2	–	–	–	–	–	–	
49.	रामसरा	8	–	–	8	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
50.	लारा	48	24	24	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
51.	हुसनसर	3	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
52.	केसलदेसर भोदान	18	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3				4				5				6				7
53.	मवरंग देसर	61	20	—	41	2	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
54.	मेघसर	22	13	9	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55.	सूरामर	44	—	—	44	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	
56.	मनावतावाली	54	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57.	सूरतासिंगपुरा	14	13	1	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
58.	सूरधना चीहामान	13	10	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
59.	गुसाईसर	24	4	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60.	केसरदेसर मंगागुराम	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61.	„ जाटान	42	26	—	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62.	जयमलसर	13	10	3	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63.	करनीसर भाटियान	22	—	—	22	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
64.	किलचु सहलोतान	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65.	„ देवडान	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66.	कल्याणसर	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67.	बीकेलू	85	57	—	28	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
68.	गाडवाला	24	23	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
69.	वेलासर	29	12	17	—	6	—	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
70.	मूण्डसर	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71.	रामसर	32	3	29	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3				4				5				6				7
72.	सीथल	40	24	14	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73.	तेजरासर	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
74.	स्वरूपदेसर	7	3	–	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
75.	नापासर	69	47	22	–	21	16	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
76.	रानीसर	96	52	44	–	5	5	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
77.	मुजासर	13	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
78.	बरासेगसर	29	22	7	–	5	4	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
79.	बासी	88	20	8	62	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	

अ–प्राप्त प्रार्थना पत्र

ब–दिये गये कनेक्शन

स–प्रार्थना पत्र निरस्त किये

द–विचाराधीन (पेंडिंग) प्रार्थना पत्र

1	2	3				4				5				6				7
	कोलायत उपसंभाग																	
1.	कोलायत	50	21	22	7	20	12	14	4	4	1	3	0	0	0	0	0	
2.	गजनेर	40	29	0	11	3	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
3.	गडियाला	23	2	0	21	4	0	1	3	2	0	0	2	0	0	0	0	
4.	कोडमदेसर	4	2	1	1	4	3	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	
5.	गुढा	1	1	0	0	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
6.	कोटडी	10	1	2	7	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	
7.	वज्जू	29	9	5	15	8	2	5	1	2	0	0	2	0	0	0	0	
8.	ग्रांघो	12	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	मठरिया	10	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	भमू (भम्भू)	17	14	1	2	6	3	0	3	3	1	0	2	0	0	0	0	
11.	भोलासर	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
12.	चाण्डासर	27	5	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	नाचना	1	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	प्रकासर	14	11	1	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
15.	उदत	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
16.	विक्रमपुर	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	
17.	सालासर	21	5	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3				4				5				6				7
18.	नाईयों की बस्ती	21	0	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	गिरजिसर	89	56	26	7	9	6	3	0	3	2	0	1	0	0	0	0	
20.	मब	33	5	2	26	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	आनेका गांव	12	10	1	1	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
22.	ढोकला	16	1	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	नोखरा	28	17	11	0	3	2	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	
24.	डेहू	15	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	खिण्डासर	15	0	0	15	7	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	0	
26.	बासूरी	83	19	61	3	7	4	2	1	8	1	6	1	0	0	0	0	
27.	खजोरा	19	5	14	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
28.	माधोगढ़	29	16	13	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
29.	मोढावती	22	9	13	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
30.	भेलू	15	9	6	0	3	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
31.	गंगापुरा	28	7	10	11	3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	
32.	मण्डाल चारणान	141	38	80	23	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
33.	मण्डाल भटियान	16	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	मगरासर	57	0	56	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
35.	विघातरा	41	35	6	0	9	1	5	3	2	1	1	0	1	0	0	1	
36.	गोविन्दसर	49	29	17	3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	

1	2	3				4				5				6				7
37.	खाकूसर	34	0	0	34	3	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	
38.	खोतालाई बर्ज	18	8	2	8	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
39.	खोतालाई शिम्बू	33	13	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	हदा	33	0	4	29	10	0	2	8	2	0	1	1	0	0	0	0	
41.	मोटासर	18	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	खटिया मल्लीनाथ	30	0	0	30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	नया गांव	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	लम्बाना भाटीयान	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	रनजीतपुरा	1	1	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
46.	नोखा दैया	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	सैनिया	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.	गपासर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	मोडायत	33	9	9	15	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
50.	नान्दरा	4	4	0	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	
51.	इन्दोकावाला	20	11	9	0	8	0	1	7	1	0	0	1	0	0	0	0	
52.	कोटेरा	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.	हाडला भटियान	11	3	2	6	1	1	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	
54.	हाडला रावलतान	11	4	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3				4				5				6				7
55.	मोखा खालसा	25	16	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	मोरवा चारणान	11	6	5	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
57.	सियाणा चारनान	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	सुथारान सियाणा	3	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
59.	सियाणा भाटीयान	17	2	4	11	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	सियाणा सांखलान	5	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	सियाणा कुण्डलियान	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.	सियाणा जोधासर	4	1	1	2	3	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
63.	चक विजयसिंह पुरा	115	89	23	3	5	3	2	0	5	1	4	0	0	0	0	0	
64.	चकवन्दा नं. 2	54	28	26	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
65.	गोड	1	1	0	0	6	4	0	2	4	2	1	1	0	0	0	0	
66.	बीठनोक	56	15	22	19	6	2	2	2	4	1	3	0	0	0	0	0	
67.	खारीचारनान	51	36	12	3	14	6	5	3	5	2	2	1	0	0	0	0	

नोटः—प्र=प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, ब=दिये गये कनेक्शन, स=प्रार्थना पत्र निरस्त किये एवं द=विचाराधीन (पेंडिंग) प्रार्थना पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बीकानेर शहर खण्ड

सन् 78-79 से 84-85 तक बीकानेर जिले के विद्युतकृत गांवों में ग्रामीणों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्रों की एवं दिए गये कनेक्शनों का ग्राम वार विवरण :—

क्र.सं.	ग्राम का नाम	घरेलू				व्यवसायिक				औद्योगिक				कृषि			
		प्रा. प्राप्त	वि. सं. जारी	मिरस्त	बकाया	प्र	व	स	व	प्र	व	स	द	प्र	व	स	व
1.	करमीसर	145	111	28	6	15	12	3	—	4	2	1	1	—	—	—	—
2.	शिवबाड़ी	223	175	40	8	8	6	2	—	12	8	2	2	1	1	—	—
3.	राउलसर	304	271	23	10	17	15	1	1	7	5	1	1	4	3	1	—
4.	सुजानदेसर	180	139	35	6	16	14	2	—	6	5	1	—	—	—	—	—
5.	उदरामसर	415	391	21	3	8	6	2	—	10	6	3	1	1	1	—	—
6.	उदासर	240	195	35	10	14	10	3	1	7	4	2	1	—	—	—	—
7.	माल	162	109	39	14	33	29	3	1	7	4	1	2	—	—	—	—
8.	बिच्छवाल	44	30	11	3	20	15	4	1	27	13	4	10	3	3	—	—
9.	धड़सीसर	81	77	4	—	5	3	2	—	3	2	1	—	—	—	—	—
10.	रायसर	87	27	60	—	2	2	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
11.	हिम्मतसर	31	21	10	—	2	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—
12.	जोड़बीड़	21	21	—	—	3	3	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—
13.	पेमासर	57	41	16	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—
	कुल	1990	1608	322	60	143	116	23	4	96	59	19	18	9	8	1	—

193

ग्राम पंचायत, इटावा द्वारा सुरक्षित भू-खण्डों का अनियमित बेचान

128. **श्री हीरालाल आर्य,** (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम पंचायत, इटावा ने मंडी कमेटी तथा पूर्व पंचायत द्वारा न्यू बस स्टेण्ड के लिये सुरक्षित रखी जमीन व हरदेव जी के चौक की जमीन का तथा कब्जेशुदा विवादस्पद भूखण्डों का अन्य व्यक्तियों को मनमानी रेट पर अवैधानिक तरीके से बेचान कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किसको ? कृपया नाम, पता, रकबा प्लाट, रेट का विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सुरक्षित स्थानों की जमीन को बेचने व कब्जेशुदा भूखण्डों में ग्राम पंचायत ने भारी अनियमितता की है ? यदि हां, तो अनियमितता बरतने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

1. जी नहीं । भू-खण्डों का बेचान निलामी द्वारा किया गया है। जिन जिन व्यक्तियों को भू-खण्ड बेचे गये हैं उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

2. जी नहीं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

खाली भूमि नवीन बस स्टेण्ड, इटावा पर बेची गई भूमि का विवरण:-

क्र.स. 1	नाम भूखण्ड खरीदने वाले का 2	प्लाट संख्या 3	साइज प्लाट 4	दर प्रति वर्ग फुट 5	कुल कीमत 6	जमा वसूली 7	बकाया 8	वि. वि. 9
			वर्गफुट में					
1.	श्री राजमल पुत्र श्री रामनाथ चित्तौडा	1	10×10	321/-	32100/-	18525/-	13575/-	निर्माण हो चुका है
2.	—,,—	5	14×10	357/-	49980/-	14475/-	35505/-	,,
3.	श्री हुसैन मोहमद पुत्र श्री अब्दुल रहमान	8	10×10+6 2 (80 वर्ग फुट)	137/-	10960/-	5480/-	5480/-	थोडी रखी हुई है।
4.	श्री मो. उमर पुत्र श्री अब्दुल वसीर	10	10×10	110/-	11000/-	2750/-	8250/-	,,
5.	श्री मयूस मो. पुत्र इब्राहीम मुस.	2	10×10	226/-	22600/-	10150/-	12450/-	निर्माण हो चुका है।
6.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मूली लाल कलाल	18	10×10	130/-	13000/-	2750/-	10250/-	,,
7.	श्री माणकचन्द पुत्र श्री वंशीधर महाजन	11	10×10	131/-	13100/-	4275/-	8825/-	निर्माण नहीं हुआ
8.	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री बद्री लाल कुम्हार	19	10×10	166/-	16600/-	5150/-	11450/-	निर्माण हो चुका है।
9.	—,,—	20	1×5×10 2 (25 वर्गफुट)	316/-	7910/-	1475/-	6425/	,,

195

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	श्री रूप चन्द पुत्र नन्दलाल महा.	12	10×10	134/-	13400/-	3350/-	10050/-	निर्माण नहीं हुआ
11.	श्री इमामुददीन पुत्र चांदशाह	9	10×10	89/-	8900/-	2225/-	6675/-	,,
12.	श्री ज्ञान चन्द पुत्र सुरजमल महा.	3	10×10	275/-	27500/-	13750/-	13750/-	निर्माण हो चुका है।
13.	श्री बशीर मोह. पुत्र कादर बक्स	16	10×10	120/-	12000/-	3000/-	9000/-	निर्माण नहीं हुआ।
14.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र गोकुल चन्द सोनी	7	8×1×10 2	104/-	8320/-	3320/-	शून्य	निर्माण हो चुका है।
15.	श्री अल्लानूर पुत्र कादर बक्स	17	10×10	180/-	18000/-	4500/-	13500/-	निर्माण हो चुका है।
16.	श्री —,,—	14	10×10	271/-	27100/-	3000/-	24100/-	,,
17.	श्री रमजान पुत्र इस्माइल मुस.	17	10×10	123/-	12300/-	4275/-	8025/-	निर्माण नहीं हुआ है।
18.	श्री धनराज पुत्र किशन लाल नेतिया	6	12+8×10 2	100/-	10000/-	10000/-	शून्य	निर्माण हो चुका है।
19.	श्री अब्दुल सत्तार पुत्र गफूर मो.	4	10×10 8×10 2	331/-	46340/-	14275/-	32065/-	,,
20.	श्री रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल नगार	15	10×10	102/-	10200/-	3780/-	6420/-	,,
			योग :—		3,71,300/-	135505/-	235795/-	

नागौर जिले में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सहकारी समितियों को प्रधानता

129. **श्री हरजीराम बुरडक** : (लाड़नूं) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य करने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दो जाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन पंचायत क्षेत्रों में सहकारी समितियां वितरण कार्य कर रही हैं, उसी क्षेत्र में दूसरे व्यक्तिगत रिटेलर भी नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले में कौन कौन सी पचायतों में और क्यों ? कृपया तहसीलवार सूचना मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सहकारी समितियों द्वारा उनके क्षेत्र में व्यक्तिगत रिटेलरों की नियुक्ति का विरोध करने पर भी उनको नहीं हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया नागौर जिले के ऐसे मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त जिले में ऐसे भी मामले हैं जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत रिटेलर कार्य कर रहे हैं, और लम्बे समय से सहकारी समितियां ने उक्त कार्य करने की मांग कर रही है, परन्तु उन्हें यह कार्य नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों, और कौन कौन से क्षेत्रों के ? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सभी स्थानों पर समान रूप से आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य करने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दिये जाने के आदेश प्रसारित किये हुये हैं। प्रसारित आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत है। परिशिष्ठ (क), (ख), व (ग),

(2) जी हां। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जहां सहकारी समिति के पास 2500 से अधिक यूनिटों की संख्या थी वहां दूसरी दुकानों का खोला जाना आवश्यक था। अतः बीस सूत्री कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे स्थानों पर सहकारी समितियों के अतिरिक्त निजी रिटेलरों (उचित मूल्य के दुकानदारों) को भी नियुक्त किया गया है। नागौर जिले में जिन-जिन पंचायतों में ऐसे उचित मूल्य के दुकानदार नियुक्त किये गये हैं की तहसीलवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। परिशिष्ट (घ)

(3) जनता की सुविधा, वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों के अन्तर्गत खोली गई दुकानों को नहीं हटाया गया है। नागौर जिले के ऐसे मामलों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। परिशिष्ट (च)

(4) यह सही है कि कुछ क्षेत्रों के व्यक्तिगत रिटेलर, जिन्हें उस समय नियुक्त किया गया था जब सहकारी समितियों की वितरण का कार्य करने की क्षमता नहीं थी। इन व्यक्तिगत रिटेलरों को अब केवल इस आधार पर हटाया जाना संभव नहीं है कि वहां अब सहकारी समितियां कार्य करना चाहती हैं। राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेती है। जिन पंचायत क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है उनकी तहसील वार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। परिशिष्ट "छ"

परिशिष्ट--"क"

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

क्रमांक : एफ 13(23) खा. वि./आवंटन/77 जयपुर, दि. 10-5-82

आदेश

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनुभाग-5) की आज्ञा संख्या प. 36(2)/प्र.सु./1/79 दि. 24-11-79 द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु गठित जिला स्तरीय समितियों को दि. 5-11-81 को शासन सचिवों की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या प. 7(26) प्र. सु /5/81 दि. 5-12-81 से भंग कर दिया गया है।

कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 24-11-79 में जिला स्तरीय सामतियों के गठन के अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए प्राथमिकतायें भी निर्धारित की गई थी, जो कार्मिक विभाग के सम संख्या आदेश दिनांक 4-3-81 द्वारा संशोधित की गई है। जिला स्तरीय समितियों को भंग किये जाने के फलस्वरूप अब उचित मूल्य की दुकानों के सम्बन्ध मे निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते हैं —

(1) आवंटन में प्राथमिकतायें:—

(अ) सहकारी समितियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तथा जिनके विरुद्ध कोई गम्भीर शिकायतें नहीं हैं।

(ब) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति।

(स) अन्य अल्प संख्यक समुदायों के व्यक्ति।

(द) पिछड़े वर्ग (बैक वर्ड क्लासेज) के व्यक्ति।

(क) भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें।

(ख) निजी व्यक्ति, जो अन्य कोई व्यापार नहीं करते हैं, तथा जीवन यापन के लिये मूल रूप से उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर रहेंगे।

संख्या ब से ख प्राथमिकता क्रमों में शिक्षित बेरोजगार नवयुवक एवं ऐसे विकलांग जो शारीरिक एवं अन्य सभी दृष्टियों से दुकान संचालन हेतु सक्षम हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षित बेरोजगार एवं विकलांगों में विकलांगों को प्राथमिकता दी जायेगी। विकलांगों के लिए प्राथमिकता सभी क्रमों को मिलाकर आवंटन की जाने वाली दुकानों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की राय भी ली जायेगी। वैसे सभी वर्गों के आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं दुकान चलाने में सक्षम हो एवं दुकान बेनामी प्राप्त नहीं की जावे।

(2) आवंटन प्रक्रिया:—

(अ) आवंटन के पूर्व प्रार्थना पत्र अखबारों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से आमन्त्रित किये जाने चाहिये।

(ब) एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(स) आवंटी का चाल-चलन अच्छा हो एवं आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत कभी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो। उसे पूर्व में आवटित उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र दोषी पाये जाने के कारण निरस्त नहीं किया गया हो।

(द) आवटित की जाने वाली दुकानों की सख्या की यथासभव 10% प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्राथमिकता क्रम से इस प्रतीक्षा सूची में से तात्कालिक आवश्यकता (किसी कार्यरत दुकान का निलम्बन/निरस्तीकरण अथवा अन्य अस्थाई व्यवस्था किया जाना) होने पर कार्य लिया जावेगा।

(क) प्रतीक्षा सूची में से यदि कोई कार्य करने को तैयार नहीं हो तो निकटतम कार्यरत दुकान से वितरण व्यवस्था अधिक से अधिक तीन माह तक चालू रखी जायेगी। इस अवधि में स्थायी व्यवस्था कर ली जाये। वर्तमान कार्यरत दुकानों के सम्बन्ध में भी यह शर्त लागू होगी।

(ख) प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक लाख अथवा ईससे अधिक आबादी वाले नगरों में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके किया जायेगा।

(3) अन्य--(वर्तमान में कार्यरत एवं भविष्य में आवंटित की जाने वाली सभी दुकानों के लिये):—

(अ) आवंटन के पूर्व दुकान के स्थान और पास पड़ौस की स्वच्छता को पूर्ण महत्व दिया जाये। दुकान किसी अन्य दुकान का भाग न हो, ऐसी जगह अवस्थित हो जिसका सहज रूप से पता चल सके और आसानी से पहुंचा जा सके। उपभोक्ताओं के खड़े रहने के लिए पर्याप्त स्वच्छ स्थान हो।

200

(ब) जिस क्षेत्र के लिये दुकान स्थापित की जाये, वह यथासंभव केन्द्रीय स्थल पर हो।

(स) आटे की चक्की, परचून (Grocer) दुकान अथवा होटल रेस्टोरेन्ट, ढाबे इसी प्रकार के अन्य संस्थानों आदि में दुकान स्थान सुरक्षित दूरी पर हों। चयन एवं अर्हता आदि के क्षेत्रीय सत्यापन (Field verification) के लिये जिलाधीश स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुविधाजनक प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

ह०/-
खाद्य सचिव
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :—

(1) समस्त जिलाधीश, राजस्थान।
(2) समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
(3) पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
(4) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(5) सचिव, सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर।
(6) लेखाधिकारी, अनुसूचित जन जाति निगम, सी-स्कीम, जयपुर।
(7) प्रबन्ध व्यवस्थापक, जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास निगम, उदयपुर।

ह०/-
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर

201

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

क्रमांक एफ 13 (23) खा. वि./ आवंटन/ 77

जयपुर, दिनांक 25-6-83

–ःसंशोधन आदेशः–

विभागीय सम संख्यक आदेश दिनांक 10–5–82 द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त आदेश के क्रमांक (1) आवटन में प्राथमिकतायें "के खण्ड" (स) अन्य अल्प संख्यक समुदायों के व्यक्ति को एतद्द्वारा लोपित किया जाता है। भविष्य में दुकानों के आवटन हेतु संशोधित प्राथमिकताऐं निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:–

(1) आवंटन में प्राथमिकताऐं:–

(अ) सहकारी समितियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तथा जिनके विरुद्ध कोई गम्भीर शिकायतें नहीं हैं।

(ब) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति।

(स) पिछड़े वर्ग के (बैकवर्ड क्लासेज) के व्यक्ति।

(द) भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें।

(क) निजी व्यक्ति जो अन्य कोई व्यापार नहीं करते हैं तथा जीवनयापन के लिये मूलरूप से उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर रहेंगे यदि शेष रही दुकानों की संख्या से आवेदकों की संख्या अधिक हो तो दुकानों का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा।

उक्त आदेश दिनांक 10-5-82 में वर्णित शेष समस्त दिशा निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे। यह संशोधन तुरन्त प्रभावशाली होगा।

ह./-
(एस. पी. विश्नोई)
24-6-83.
खाद्य सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:—

(1) सचिव, मुख्य मन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार।

(2) निजी सचिव, खाद्य मन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

(3) समस्त जिलाधीश, राजस्थान।

(4) समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

(5) पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

(6) निदेशक, समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर।

(7) सचिव, सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर।

(8) लेखाधिकारी, अनुसूचित जनजाति निगम, सी-स्कीम, जयपुर।

(9) प्रबन्ध व्यवस्थापक, जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास निगम, उदयपुर।

ह./-
(आर. सी. जैन)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव,
राज. जयपुर।

परिशिष्ट "ग"

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

क्रमांक एफ 42 (21) खा. वि./ लेखा नीति/ 84

जयपुर, दिनांक 13-2-85

जिला रसद अधिकारी,
समस्त।

विषय:- उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में।

अनुसूचित जाति/ जनजाति आयुक्त के 27 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या

141 में नियन्त्रित वस्तुओं के विक्रय के लिये खोली जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने की ओर ध्यान दिया गया है।

विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 13 (23) खा. वि./आवंटन/77 दिनांक 25-6-83 द्वारा निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई थी :—

(अ) सहकारी समितियों जिनकी वित्तिय स्थिति अच्छी है तथा जिनके विरुद्ध कोई गम्भीर शिकायतें नहीं हैं।

(ब) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।

(स) पिछड़े वर्ग (बैकवर्ड क्लासेज) के व्यक्ति।

(द) भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाएँ।

(क) निजी व्यक्ति जो अन्य कोई व्यापार नहीं करते हैं तथा जीवन यापन के लिये मूलरूप से उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर रहेंगे।

यदि शेष रही दुकानों की संख्या से आवेदकों की संख्या अधिक हो तो दुकानों का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा।

अत: आप इन प्राथमिकताओं को कठोरता से लागू करें।

ह./-
(ललित के. पंवार)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
राज. जयपुर।

परिशिष्ट "घ"

भाग 2 की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	ग्राम पंचायत जहां सहकारी समिति एवं सहकारी समिति के अतिरिक्त निजी डीलर नियुक्त है।	सहकारी समिति की दुकानों की संख्या	निजी डीलरों की दुकानों की संख्या
1.	चाचौर	1. कस्नू	1	1
		2. मडिपुरा	1	1

1	2	3	4	5
		3. कड़लू	1	1
		4. खींवसर	1	1
		5. वसनी	1	1
		6. गगवाना	1	1
		7. जोधीवासी	1	1
2.	जायल	1. रोटू	1	1
		2. डेह	1	1
		3. झाडेली	1	1
3.	लाडनूं	1. खामियाद	1	1
		2. बल्दू	1	1
4.	डीड़वाना	1. सानिया	1	1
		2. पावा	1	1
		3. कानवानी	1	1
		4. छोटी खाटू	1	1
		5. केराप	1	1
		6. बरांगना	1	1
5.	मेड़ता	1. रेका	1	1
		2. लीलीयां	1	1

परिशिष्ट "च"

भाग 3 की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम स्थान जहां सहकारी समिति ने व्यक्तिगत रिटेलर को रखने का विरोध किया है।
1.	लाडनूं	1. खामियाद

परिशिष्ट "छ"

भाग 4 की सूची

क्र. स.	नाम तहसील	नाम स्थान जहां पूर्व में नियुक्त व्यक्तिगत रिटेलरों को हटाकर सहकारी समितियों को काम देने के लिये कहा गया है।
1.	लाड़नूं	1. रोडू 2. लाछड़ी

205

पंचायत समितियों को हस्तान्तरित छात्रावास

130. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित व अनुदानित छात्रावास 1-7-1982 से पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या वह नियमित रूप से चल रहे है, अथवा बन्द हो गये हैं ? यदि बन्द हो गये हैं, तो क्यों ?

(2) पंचायत समिति क्षेत्र के बन्द छात्रावासों को क्या विभाग को पुन: हस्तान्तरित करने पर सरकार विचार कर रही है, या उनमें सुधार लाने के लिये कोई नियम जारी किये हैं ?

(3) क्या महंगाई के अनुसार छात्रावासों के अनुदान में बढ़ोतरी की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो कब तक उसमें वृद्धि करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 67 छात्रावास तथा 48 अनुदानित छात्रावास दिनांक 1-7-82 से पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये हैं उनमें से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी 67 छात्रावास तथा अनुदानित 43 छात्रावास नियमित रूप से चल रहे हैं तथा 5 बन्द हो गये हैं। बन्द होने का मुख्य कारण सम्बन्धित संस्था द्वारा अपना अंशदान (10 प्रतिशत) उपलब्ध न कराना है।

(2) प्रश्न विचाराधीन है।

(3) जी हां। वर्ष 82-83 में अनुदान की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि की गई। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही अनुदान में वृद्धि की जा सकेगी।

दूदू क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

131. **श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** (दूदू): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इस क्षेत्र के किन-किन गांवों को अब विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लेने का मामला विचाराधीन है, तथा इनका विद्युतीकरण कब तक करने की योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 109 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस क्षेत्र में 17 स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना है। वर्ष 1985-86 में ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किया गया है। अतः इस क्षेत्र के किन-किन गांवों को विद्युतीकरण योजना में लिया जा सकेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

विधान सभा क्षेत्र दूदू में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं. ग्राम का नाम	क्र.सं. ग्राम का नाम	क्र.सं. ग्राम का नाम
1. अखेपुरा	2. आदरवा	3. उगरियावास
4. कचनार	5. कल्याणमर	6. ककराता
7. कापडियावास कलां	8. कापडियावास खुर्द	9. किशनपुरा
10. केसरीसिंहपुरा	11. कोटखेवर	12. खटवाड
13. खुडियाला	14. गंगाती खुर्द	15. गंगाती कला
16. गाडोती	17. गिरधारीपुरा	18. गिदानी
19. गुढाबेरसल	20. गुढामायपुरा	21. गेजी
22. गोपीपुरा	23. गोपालपुरा	24. चांदरमल
25. जेकमपुरा	26. भरणा	27. झाग
28. दूदू	29. नामनोता	30. पडासोली
31. पालु खुर्द	32. पानवाकला	33 पालुकलां
34. बागेत	35. बिचुन	36. बिहारीपुरा
37. बीयोलाव	38. बोराज	39. भराना
40. मोखपुरा	41. महला	42. मरवा
43. महेशपुरा	44. मालेड़ा	45. मोमलवाड़ा
46. मानपुरा	47. मोरड़ा	48. मोजमाबाद
49. रसीली	50. रेठी	51. रेटा मय ढाणियां
52. लेदरा	53. लोरडी	54. सावरदा
55. साखुन	56. सिरोही कलां	57. सीतारामपुरा
58. सेवा	59. श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ी	60. श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा
61. श्रीरामनगर	62. श्रीनिवासपुरा	63. हरसोली
64. चकदासनोता	65. चक साग	66. चक दूदू
67. चक महेशपुरा	68. तनझाग	69. बासलपुर
70. बाकोदा	71. आइदान का वास	72. कन्देवाली
73. कंवरपुरा	74. खेड़ी अलुफा	75. खेडीराम
76. गुढा कुमावतान	77. चन्दपुरा	78. चारणवास
79. चैनपुरा	80. डाकनियावास	81. ढाणी चन्दपुरा
82. ढाणी बोराज	83. नरायना	84. नारदपुरा
85. पामका	86. पालवास	87. पीलावास
88. बरडोती	89. बस्सी झाझड़ा	90. बामनियावास
91. बापपुरा	92. बुद्ध जोकावास	93. बोबास
94. भिराकला	95. मण्डपी	99. माल्यावास

क्र.सं. गांव का नाम	क्र.सं. गांव का नाम	क्र.सं. गांव का नाम
97. मातरड़ा	98. माजीपुरा	99. भीडंक्या
100. मोरसर	101. मोरूदा	102. रामपुरा
103. सरदारपुरा उर्फ ढाकावाला	104. सादुलपुरा	105. सामलपुरा
106. हरिपुरा	107. हिरनोदा	108. श्रीरामपुरा
109. चक बुढजी का वास		

जालोर जिले में पुराने किलों आदि का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

132. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में जालोर का ऐतिहासिक किला, जसवन्तपुरा पहाडी, एवं सूधामाता का किला आदि स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्व है? यदि हां, तो क्या सरकार इन स्थानों को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पर्यटनों की दृष्टि से जिला जालोर का सर्वेक्षण कराना उचित समझती है? यदि हां, तो जिले का सर्वेक्षण कब तक करवा लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी-हां, इन स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से महत्व होते हुए भी वित्तीय कठिनाइयों की वजह से इन्हें प्राथमिकता पर लेना अभी सम्भव नहीं है।

(2) जी हां, इस जिले का सर्वे इसी वर्ष करवाया जावेगा।

ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा सीमेंट की हेराफेरी

133. **वैद्य भैरूलाल भारद्वाज** (जमुवा रामगढ़): क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत, रायपुर पंचायत समिति, जमुवा रामगढ़ के खिलाफ सीमेंट की 400 बोरियों की हेराफेरी करने की जांच रसद अधिकारी जिला जयपुर द्वारा की गई है? यदि हां, तो कृपया जांच के तथ्यों को सदन पटल पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई पुलिस केस दर्ज कराया गया है? यदि हां, तो कब? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। मूल जांच रिपोर्ट सरपंच के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश, जयपुर द्वारा पंचायत राज विभाग को दिनांक 20/11/81 को भेजी गई। अब काफी प्रयत्नों के पश्चात् पंचायती राज विभाग से जांच रिपोर्ट पुनः प्राप्त हुई है। जांच के तथ्य सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं। (परिशिष्ट 'अ')

(2) जी नहीं। क्योंकि इस मामले में सम्बन्धित सारी रिपोर्ट सरपंच के खिलाफ कार्यवाही के लिये पंचायत राज विभाग को भेज दी गई थी। इस कारण फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है।

परिशिष्ट "अ"

जांच के तथ्य

सरपंच, ग्राम पंचायत, रायपुर पचायत समिति, अमुवारामगढ़ के नाम जांच में निम्नांकित मात्रा में सीमेंट के परमिट दिये जाने पाये गये :—

क्र. स.	कार्य जिसके लिये परमिट दिये गये	सीमेंट के कट्टों की मात्रा
1.	कुए का ढाणा, खोल कोठा एवं गुमटी के लिए।	75 कट्टे
2.	पंचायत, रायपुर के सार्वजनिक कार्य के लिए।	150 कट्टे
3.	कुए की मरम्मत के लिए।	45 कट्टे
4.	उल्लेख नहीं है।	15 कट्टे
	योग —	285

75 कट्टे सीमेंट में से, 25 कट्टे सीमेंट ग्राम पंचायत, रायपुर के सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगाये गये। इस प्रकार जिस कार्य मे सीमंट ली गई, वह कार्य नहीं करके अन्य कार्य में उपयोग लिया गया।

150 कट्टे सीमेंट का उपयोग बिना पंचायत समिति की स्वीकृति के किया।

45 कट्टे का परिमिट मोहन लाल पुत्र छीतरमल के नाम से लिया गया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। इस परमिट के कट्टे मोहन लाल पुत्र कल्याण के द्वारा लिए गए जो कि सरपंच का पुत्र है। पहले 75 कट्टे एवं अब ये 45 कट्टे खातेदारी भूमि संख्या 118 के एक ही कुए के लिए लिये गये। इन 45 कट्टों में से श्री मोहन लाल ने 5 कट्टे कुए के काम में लेना बताया। शेष 40 कट्टे मौके पर मौजूद मिले, इस प्रकार लिए गए कट्टे एक सवा साल तक काम में नहीं लिए गए।

15 कट्टे सीमेंट का परमिट यद्यपि श्री छीतरनाथ पुत्र मालया के नाम से लिया गया परन्तु वास्तव में इस सीमेंट को श्री कल्याण सहाय सरपच द्वारा ही प्राप्त किया गया।

प्रारम्भिक जांच में श्री कल्याण सहाय, सरपंच ग्राम पंचायत, रायपुर के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर जिलाधीश, जयपुर ने उनके पत्र दिनांक 20-11-81 द्वारा जांच पत्रावली मय आरोप पत्र अवर सचिव (जांच), सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी।

राज्य में अकाल राहत कार्य

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)
श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़)
श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? इस हेतु गजट नोटिफोकेशन किस तिथि को निकाला गया तथा सबसे पहले अकाल राहत कार्य कब स्वीकृत किये गये ? 31-5-1985 तक किस किस जिले में कब-कब कितने राहत कार्य शुरू किये गये ? कितनी धन राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है ? विभिन्न मदों में कुल कितना व्यय किया गया ? कृपया जिलेवार विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) अकाल राहत कार्यों से सम्बन्धित समितियों की बैठकें जिला मुख्यालयों पर कब-कब हुईं तथा किस-किस जिले में किस-किस माह में कितने-कितने मजदूरों को काम पर लगाया गया ? आज दिन तक राज्य में अकालग्रस्त क्षेत्रों में कितने मजदूर कार्यरत हैं ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें। श्रमिकों को कितनी मजदूरी दी जाती रही है ?

(3) जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं, क्या राज्य सरकार उनको पर्याप्त समझती है ? क्या उनसे अकाल क्षेत्र के लोगों को राहत मिल गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(4) सन् 1984-85 व 1985-86 (अप्रेल से जून) में भारत सरकार ने अकाल राहत कार्यों के लिए कितनी अग्रिम योजना सहायता राज्य सरकार को दी और वह किस-किस मद में दी ? कृपया मदवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 10276 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का सर्वप्रथम गजट नोटिफीकेशन दिनांक 15-1-85 को निकाला गया। सबसे पहले दिनांक 18 मार्च, 1985 को अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये। 31 मई, 1985 तक 19 जिलों में 2080 राहत कार्यों को स्वीकृत किया गया जिन पर 2242.03 लाख रुपये की धनराशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया। जिलेवार एवं मदवार, स्वीकृति की राशि व चालू कार्यों की संख्या तथा धनराशि के व्यय के प्रावधान की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) जिला मुख्यालयों पर हुई जिला बाढ़ एवं अकाल सहायता परामर्शदात्री समिति की बैठकों को विवरण तथा माहवार एवं जिलेवार कार्यरत मजदूरों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को टास्क बेसिस पर 11/- रु. प्रति दिन प्रति मजदूर की दर से मजदूरी देय है। राहत कार्यों पर लगे मजदूरों के कार्य की मात्रा की दर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गयी है। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की दरों

(210)

(अकाल राहत मंत्री)

से नीची रखी गयी है। मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार उक्त दर से मजदूरी दी जाती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य, जिलाधीश एवं जिला बाढ़ अकाल सहायता परामर्शदात्री समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर स्थानीय परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अकाल सहायता कार्य स्वीकृत किये हैं जिनसे अकाल क्षेत्र के लोगों को विशेषतः अनु. जाति एवं जन जाति तथा पिछड़े व गरीब लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर जीवन यापन के साधन सुलभ होने के कारण राहत मिली है।

(4) भारत सरकार ने अकाल राहत कार्यों के लिये अग्रिम योजना सहायता के रूप में राज्य सरकार को वर्ष 84–85 में 542.85 लाख रुपये की व 85-86 में 2588.56 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की है। मदवार आंकड़े सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

सम्वत् 2041 में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	146
2.	बांसवाड़ा	1398
3.	बाड़मेर	496
4.	भीलवाड़ा	228
5.	बीकानेर	563
6.	बूंदी	204
7.	चूरू	481
8.	गंगानगर	25
9.	जयपुर	10.3
10.	जैसलमेर	381
11.	जालोर	437
12.	झालावाड़	613
13.	झुंझुनू	208
14.	जोधपुर	422
15.	नागौर	858
16.	पाली	317

1	2	3
17.	स. माधोपुर	222
18.	सीकर	452
19.	सिरोही	24
20.	टौंक	951
21.	उदयपुर	837
	योग :—	10,276

वर्ष 84-85 (संवत 2041) हेतु दिनांक 18.3.85 को स्वीकृत राहत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत सहायतर कार्यों की	अभिकरणवार स्वीकृत राहत कार्यों की राशि (लाखों में)				
			संख्या	सा.नि.वि/सिंचाई विभाग	वन विभाग	भू-संरक्षण विभाग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	10	–	11.00	–	–	11.00
2.	बांसवाड़ा	4	–	8.00	–	–	8.00
3.	बाड़मेर	89	19.40	65.67	14.40	22.05	121.52
4.	बीकानेर	54	–	17.26	25.91	8.09	51.26
5.	चूरू	107	22.69	13.46	14.00	–	50.15
6.	जालौर	59	–	69.53	1.60	25.05	96.18
7.	जोधपुर	64	–	25.64	17.30	5.53	48.47
8.	पाली	36	21.00	8.93	–	12.74	42.67
9.	सीकर	15	–	4.40	2.00	7.55	13.95
10.	सिरोही	4	–	10.50	–	–	10.50
11.	टौंक	12	–	–	14.44	–	14.44
12.	उदयपुर	3	–	11.80	–	–	11.80
	योग	457	63.09	246.19	89.65	81.01	479.94

STATEMENT SHOWING DISTRICTWISE POSITION ABOUT RELIEF WORKS SANCTIONED DURING SMT. 2041 AS ON 31-5-85

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of the district	P.W.D.			IRRIGATION			NADIES		
		No. of works	Estimated Cost	Sanctioned amount	No. of works	Estimated Cost	Sanctioned amount	No. of works	Estimated Cost	Sanctioned amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	7	59.00	59.00	18	22.00	21.50	—	—	—
2.	Banswara	20	124.00	62.00	46	101.27	36.55	—	—	—
3.	Barmer	26	79.00	71.70	25	65.67	65.67	172	66.45	66.45
4.	Bhilwara	45	143.27	123.55	83	124.00	111.25	—	—	—
5.	Bikaner	33	205.42	64.34	—	—	—	134	78.92	60.77
6.	Bundi	3	16.00	16.00	11	50.36	50.36	—	—	—
7.	Churu	34	219.05	50.67	—	—	—	153	22.76	22.76
8.	Ganganagar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Jaipur	12	52.83	44.07	8	23.05	11.02	—	—	—
10.	Jaisalmer	10	33.50	18.00	22	38.03	36.96	37	12.40	12.40
11.	Jalore	—	—	—	34	108.65	83.75	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Jhalāwar	—	—	—	7	2.18	2.18	—	—	—
13.	Jhunjhunu	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Jodhpur	46	318.79	151.13	36	66.06	60.06	—	—	—
15.	Nagaur	4	12.10	6.05	45	79.77	78.64	244	56.94	56.94
16.	Pali	14	60.50	60.50	19	43.08	43.08	—	—	—
17.	S. Madhopur	—	—	—	15	20.10	20.10	—	—	—
18.	Sikar	9	91.00	7.90	7	8.50	8.50	—	—	—
19.	Sirohi	1	5.00	5.00	6	6.50	6.50	—	—	—
20.	Tonk	7	38.00	12.00	37	81.80	32.38	—	—	—
21.	Udaipur	5	32.00	13.25	49	170.20	131.26	—	—	—
	P.W.D.	79	1223.00	47.22	—	—	—	—	—	—
	Irrigation Deptt.	—	—	—	50	1066.84	15.28	—	—	—
	TOTAL :-	355	2712.46	812.38	508	2072.06	815.04	740	237.47	219.32

S. No. Name of the district		FOREST			SOIL CONSERVATION			TOTAL		
		No. of works	Estimated Cost	Sanctioned amount	No. of works	Estimated Cost	Sanctioned amount	No. of works	Estimated Cost	Sanctioned amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	3	2.75	2.00	—	—	—	28	83.75	82.50
2.	Banswara	5	5.49	4.44	7	16.95	16.95	78	247.71	119.94
3.	Barmer	26	14.90	14.90	42	22.05	22.05	280	248.07	240.77
4.	Bhilwara	—	—	—	—	—	—	128	267.27	234.80
5.	Bikaner	5	25.91	25.91	18	8.09	8.09	190	318.34	159 11
6.	Bundi	3	6.24	6.24	—	—	—	17	72.60	72.60
7.	Churu	6	14.00	14.00	—	—	—	193	255.81	87.43
8.	Ganganagar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Jaipur	—	—	—	5	2.87	2.87	25	78.75	57.96
10.	Jaisalmer	8	5.83	5.83	40	38.07	38.07	117	127.83	111.26
		[illegible]	1 60	1 60	33	25.05	25.05	69	135.30	110.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Jhalawar	5	3.72	3.72	10	2.77	2.77	22	8.67	8 67
13.	Jhunjhunu	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Jodhpur	35	19.95	19.95	55	42.42	30.82	172	441.22	261 96
15.	Nagaur	41	9.30	9.30	—	—	—	334	158.11	150.93
16.	Pali	7	8.21	8.21	51	61.71	44.00	91	173 50	155.79
17.	S. Madhopur	6	12.65	12.65	4	0.63	0.63	25	33.38	33.38
18.	Sikar	4	3.00	3.00	23	20.78	20.78	43	123.28	40.18
19.	Sirohi	—	—	—	—	—	—	7	11.50	11.50
20.	Tonk	12	14.44	14.44	15	15.08	15.08	61	149.32	73.90
21.	Udaipur	4	2.65	2.65	13	19.29	19.29	71	224.14	166.45
	P.W.D.	—	—	—	—	—	—	79	1223 00	47.22
	Irrigation Deptt.	—	—	—	—	—	—	50	1066.84	15.28
	TOTAL :–	161	150.64	148.84	316	275.76	246.45	2080	5448.39	2242 03

216

जिलेवार एवं अभिकरणवार स्वीकृत कार्यों, चालू कार्यों और उन पर कार्यरत श्रमिकों का विवरण
सप्ताह समाप्ति दिनांक 1-6-85 को (25-5-85 हेतु)

क्र. सं.	नाम जिला	सा. नि. विभाग			सिचाई विभाग			नाडी			भू-संरक्षण विभाग		
		स्वीकृत कार्यों की सं.	चालू कार्यों की सं.	कार्यरत श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की सं.	चालू कार्यों की सं.	कार्यरत श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की सं.	चालू कार्यों की सं.	कार्यरत श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की सं.	चालू कार्यों की सं.	कार्यरत श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	7	7	1279	18	15	912	–	–	–	–	–	–
2.	बांसवाड़ा	20	–	–	46	36	2262	–	–	–	7	7	3239
3.	बाड़मेर	26	22	4456	25	8	738	172	103	8342	42	33	2126
4.	भीलवाड़ा	45	33	4208	83	75	4989	–	–	–	–	–	–
5.	बीकानेर	33	3	239	–	–	–	134	73	4245	18	14	429
6.	बून्दी	33	1	10	11	2	289	–	–	–	–	–	–
7.	चूरू	34	7	829	–	–	–	153	45	1821	–	–	–
8.	गंगानगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	जयपुर	12	19 ×	2144 ×	8	8	577	–	–	–	5	5	335
10.	जैसलमेर	10	3	125	22	14	924	37	–	–	40	12	992
11.	जालौर	–	*	*	34	24	2771	–	–	–	33	22	1328
12.	झालावाड़	–	*	*	7	–	–	–	–	–	10	6	442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	झुन्झुनू	–	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	जोधपुर	46	36	2447	36	30	2384	–	–	–	55	20	693
14.	नागौर	4	3	153	43	41	4194	244	158	11529	–	–	–
16.	पाली	14	15×	2741×	19	18	1655	–	–	–	51	51	4752
17.	स. माधोपुर	–	*	*	15	12	328	–	–	–	4	4	406
18.	सीकर	9	1	196	7	6	420	–	–	–	23	15	925
19.	सिरोही	1	1	156	6	6	416	–	–	–	–	–	–
20.	टोंक	7	4	230	27	14	430	–	–	–	15	6	565
21.	उदयपुर	5	5	367	49	36	7480	–	–	–	13	11	706
22.	मुख्य अभि. सा. नि.	79	17*	129*	1	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मुख्य अभि. सिंचाई	–	–	–	50	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग :—	355	177	21206	508	346	30769	740	379	25937	316	208	16938

(×) इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो 31-3-85 तक स्वीकृत हुए थे।

(*) ये कार्य वे कार्य है जो एम. एन. पी. से राहत में हस्तान्तरित किए गये थे और जिनकी स्वीकृति 31-3-85 तक ही दी गई थी।

क्र. सं.	नाम जिला	वन विभाग			योग			अधिकतम श्रमिक सीमा मई, 1985
		स्वीकृत कार्यों की संख्या।	चालू कार्यों की संख्या	कार्यरत श्रमिक संख्या	स्वीकृत कार्यों की संख्या	चालू कार्यों की संख्या	कार्यरत श्रमिक संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	3	1	37	28	23	2228	2700
2.	बांसवाड़ा	5	एन. ए.	464	78	43	5965	13300
3.	बाड़मेर	15	14	1042	280	180	16104	26700
4.	भीलवाड़ा	–	–	–	128	108	9197	10000
5.	बीकानेर	5	4	244	190	94	5157	13300
6.	बून्दी	3	3	410	17	6	709	3300
7.	चूरू	6	5	1199	193	57	3849	13300
8.	गंगानगर	–	–	–	–	–	–	–
9.	जयपुर	–	–	–	25	32	356	10700
10.	जैसलमेर	8	3	22	117	32	2063	11300
11.	जालोर	2	2	130	69	40	4229	10700
12.	झालावाड़	5	5	509	22	12	951	4700
13.	झुन्झुनूं	–	–	–	–	–	–	5300
14.	जोधपुर	35	31	1352	172	117	6876	22600
15.	नागौर	41	9	735	334	212	16608	17300
16.	पाली	7	6	935	91	90	10003	10700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	स. माधोपुर	6	6	1249	25	22	1983	4700
18.	सीकर	4	4	233	43	26	1774	3300
19.	सिरोही	–	–	–	7	7	572	6700
20.	टोंक	12	9	953	61	34	2178	700
21.	उदयपुर	4	3	134	71	55	8687	8700
22.	मु. अभि. सा. नि. वि.	–	–	–	79	17	1629	–
23.	,, सिचाई विभाग	–	–	–	50	–	–	–
	योग :—	161	105	9648	2080	1215	104498	2,00,000

कार्यरत श्रमिक की संख्या

	अभिकरण का नाम	अब	पिछले सप्ताह	अन्तर
1.	सा. नि. वि.	21206	17102	(+) 4104
2.	सिचाई विभाग	30769	28001	(+) 2768
3.	नाड़ी	25937	24446	(+) 1491
4.	भू-संरक्षण विभाग	16938	14999	(+) 1939
5.	वन विभाग	9648	7523	(+) 2125
	योग :—	104498	92071	(+) 12427

STATEMENT SHOWING AGENCYWISE AND DISTRICTWISE NO. OF SANCTIONED WORKS, WORKS IN PROGRESS AND LABOUR EMPLOYED THEIR ON 30-4-85 AS ON 6-5-85

S. No.	Name of the district	P.W.D.			IRRIGATION			NADIES		
		No. of works sanc-tioned	Works in progress	Labour employed	No. of works sanc-tioned	Works in progress	Labour employed	No. of works sanc-tioned	Works in progress	Labour employed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	7	7	1128	17	16	716	—	—	—
2.	Banswara	1	—	—	30	5	450	—	—	—
3.	Barmer	22	11	780	28	22	1623	107	—	—
4.	Bhilwara	34	20	2500	64	44	2400	—	—	—
5.	Bundi	5	Nil	Nil	11	Nil	Nil	—	—	—
6.	Bikaner	13	2	50	—	—	—	90	23	1304
7.	Churu	12	6	281	—	—	—	94	43	958
8.	Ganganagar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Jaipur	20	7	178	8	Nil	Nil	—	—	—
10.	Jaisalmer	4	NA	NA	21	NA	NA	—	—	—
11.	Jalore	3	3	330	38	25	1479	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Jhalawar	1	NA	NA	7	NA	NA	—	—	—
13.	Jhunjhunu	12	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Jodhpur	21	—	—	39	15	1098	—	—	—
15.	Nagour	5	NA	NA	45	1	202	171	NA	NA
16.	Pali	16	14	1141	27	15	819	—	—	—
17.	S. Madhopur	2	—	—	15	6	113	—	—	—
18.	Sikar	3	—	—	12	2	247	—	—	—
19.	Sirohi	—	—	—	4	4	240	—	—	—
20.	Tonk	7	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	Udaipur	3	—	—	38	15	1209	—	—	—
	TOTAL :–	191	70	6382	404	180	10596	462	66	2262

221

Sr. No.	Name of the district	Soil Conservation			FOREST			TOTAL		
		No. of works sanctioned	Work in progress	Labour employed	No. of works sanctioned	Work in progress	Labour employed	No. of works sanctioned	Work in progress	Labour employed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	–	–	–	2	–	–	26	23	1844
2.	Banswara	7	–	–	–	–	–	38	5	450
3.	Barmer	42	13	480	14	13	677	213	59	3560
4.	Bhilwara	–	–	–	–	–	–	98	64	4900
5.	Bikaner	18	6	159	5	4	138	126	35	1651
6.	Bundi	–	–	–	3	Nil	Nil	19	Nil	Nil
7.	Churu	–	–	–	6	3	247	112	52	1486
8.	Ganganagar	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	Jaipur	5	–	–	–	–	–	33	7	178
10.	Jaisalmer	40	NA	NA	8	NA	NA	73	NA	NA
11.	Jalore	33	19	946	2	2	135	76	49	2890
12.	Jhunjhunu	–	–	–	–	–	–	12	–	–
13.	Jhalawar	10	NA	NA	5	NA	NA	23	NA	NA
14.	Jodhpur	21	9	209	33	30	530	114	54	1837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Nagour	–	–	–	41	NA	NA	262	11	202
16.	Pali	51	47	2739	7	5	268	101	81	4967
17.	S. Madhopur	4	NA	NA	6	5	389	27	11	502
18.	Sikar	23	7	260	4	4	159	42	13	666
19.	Sirohi	–	–	–	–	–	–	4	4	240
20.	Tonk	8	6	86	12	9	365	27	15	451
21.	Udaipur	13	6	499	4	–	–	58	21	1708
	Total	275	113	5378	152	75	2908	1484	506	27532

223

224

परिशिष्ट "ग"

जिलेवार एवं अभिकरणवार स्वीकृत कार्यों, चालू कार्यों और उन पर कार्यरत श्रमिकों का विवरण
सप्ताह समाप्ति दिनांक 30-6-85

क्र. सं.	नाम जिला	सार्वजनिक निर्माण विभाग			सिंचाई विभाग			नाड़ी		
		स्वीकृत कार्यों की सं.	चालू कार्यों की सं.	कार्यरत श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की सं.	चालू कार्यों की सं.	कार्यरत श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की सं.	चालू कार्यों की सं.	कार्यरत श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	13	9	519	31	23	1291	–	–	–
2.	बांसवाड़ा	32	24	7043	48	48	6013	–	–	–
3	बाड़मेर	36	27	3687	25	18	1774	172	163	18870
4.	भीलवाड़ा	45	45	5776	89	87	5655	–	–	–
5.	बीकानेर	44	14	831	–	–	–	131	73	6522
6.	बून्दी	7	7	1146	11	2	78	–	–	–
7.	चूरू	39	28	2758	–	–	–	153	23	1252
8.	गंगानगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	जयपुर	34	36	7789×	22	17	1035	–	–	–
10.	जैसलमेर	13	12	1378	22	18	1586	37	32	2227
11.	जालोर	25	20	2909×	55	39	4349	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	झालावाड़	10	4	260 *	10	1	90	—	—	—
13.	झुन्झुनू	9	9	600 *	—	—	—	—	—	—
14.	जोधपुर	49	47	12755 ×	36	30	2409	27	—	—
15.	नागौर	15	13	2392	52	44	5185	245	226	15699
16.	पाली	18	19	3900 ×	24	28	2206	46	4	358
17.	स. माधोपुर	2	2	160 *	5	12	485	—	—	—
18.	सीकर	39	25	1776	7	6	488	—	—	—
19.	सिरोही	1	1	172	6	6	664	—	—	—
20.	टोंक	12	15	3447 ×	31	30	5586	—	—	—
21.	उदयपुर	30	31	7311 ×	86	82	12534	—	—	—
22.	मु. अ. सा. नि. वि.	79	20	1285 *	—	—	—	—	—	—
23.	मु. अ. सिंचाई वि.	—	—	—	50	—	—	—	—	—
	योग :-	552	408	67884	620	481	51428	811	521	44928

नोट :- (×) इनमें वे कार्य भी शामिल हैं जो 31-3-85 तक स्वीकृत हुये थे ।

(*) ये वे कार्य हैं जो एम. एन. पी. से राहत में हस्तान्तरित किये गये थे और जिनकी स्वीकृति 31-3-85 तक ही दी गई थी ।

(ऋ) 7 कार्यों की स्वीकृति जिलाधीश महोदय द्वारा दी गई ।

क. स.	नाम जिला	भू-संरक्षण विभाग			वन विभाग			योग			अधिकतम श्रमिक
		स्वीकृत कार्यों की संख्या	चालू कार्यों की संख्या	कार्यरत श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	चालू कार्यों की संख्या	कार्यरत श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	चालू कार्यों की संख्या	कार्यरत श्रमिक	सीमा जून, 85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	–	–	–	3	1	42	47	33	1852	5300
2.	बांसवाड़ा	29	7	1434	5	5	1023	114	84	15513	23700
3.	बाड़मेर	42	42	2721	15	14	1141	290	264	28193	33300
4.	भीलवाड़ा	–	–	–	–	–	–	134	132	11431	13000
5.	बीकानेर	18	15	565	5	4	1267	198	106	9185	19000
6.	बून्दी	–	–	–	3	3	571	21	12	1785	4200
7	चूरू	–	–	–	6	4	1074	198	55	5084	16700
8.	गंगानगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	जयपुर	6	5	403	1	एन.ए.	149	63	58	9376	13300
10.	जैसलमेर	40	21	1437	8	5	474	120	88	7102	16000
11.	जालोर	33	30	1672	2	2	134	115	91	9064	15300
12.	झालावाड़	10	7	284	10	5	652	40	17	1286	5800
13.	झुन्झुनू	–	–	–	–	–	–	9	9	600	6700
14.	जोधपुर	55	33	935	35	34	1549	202	114	17648	29300
15.	नागौर	–	–	–	41	8	521	353	291	23797	24000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	पाली	52	51	3052	7	7	945	147	99	10461	14000
17.	स. माधोपुर	4	4	98	6	6	2876	27	24	2619	5800
18.	सीकर	24	17	1169	4	4	168	74	52	3601	6000
19.	सिरोही	—	—	—	—	—	—	7	7	836	1000
20.	टोंक	15	7	1150	12	18	1755	70	70	11938	12300
21.	उदयपुर	11	11	561	4	4	278	131	128	20684	26700
22.	मु.प्र.सा.नि.वि.	—	—	—	—	—	—	79	20	1285	—
23.	,, सिंचाई वि.	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—
	योग :—	339	250	15481	167	24	13619	2489	1784	193340	291400

कार्यरत श्रमिकों की संख्या

क्र. सं.	नाम अभिकरण	अब	पिछले सप्ताह	अन्तर
1.	सा. नि. विभाग	67884	45488	+ 22396
2.	सिंचाई विभाग	51428	50098	+ 1330
3.	नाडी	44928	35064	+ 9864
4.	भू-संरक्षण विभाग	15481	16204	— 723
5.	वन विभाग	13619	10944	+ 2675
	योग	193340	157798	+ 35542

जिलों में बाढ़ अकाल सहायता परामर्शदात्री समिति की बैठकों का विवरण

क्र. सं	नाम जिला	बैठक होने की दिनांक
1.	अजमेर	20-1-85 व 15-1-85
2.	अलवर	अभावग्रस्त घोषित नहीं
3.	बांसवाड़ा	13-5-85, 15-5-85, 15-6-85
4.	बाड़मेर	31-1-85, 8-4-85, 18-5-85, 4-6-85
5.	भीलवाड़ा	2-4-85
6.	बीकानेर	14-2-85, 25-4-85, 16-5-85, 12-6-85
7.	बून्दी	30-9-84, 2-2-85, 19-4-85
8.	चितौड़गढ़	अभावग्रस्त घोषित नहीं
9	भरतपुर	अकालग्रस्त घोषित नहीं
10.	चूरू	20-2-85, 19-4-85
11.	धौलपुर	अकालग्रस्त घोषित नहीं
12.	डूंगरपुर	अकालग्रस्त घोषित नहीं
13.	गंगानगर	28-5-85
14.	जयपुर	23-3-85, 12-6-85
15.	जैसलमेर	:X:
16.	जालौर	22-4-85, 18-5-85
17.	झालावाड़	18-2-85, 6-4-85, 14-5-85
18.	झुन्झुनू	30-5-85
19.	जोधपुर	23-2-85, 20-4-85, 17-5-85
20.	कोटा	अभावग्रस्त घोषित नहीं।
21.	नागौर	6-2-85, 11-4-85, 17-5-85
22.	पाली	8-2-85, 11-4-85, 10-5-85, 6-6-85
23-	स. माधोपुर	21-5-85
24.	सीकर	31-1-85
25.	सिरोही	एन. ए.
26.	टोंक	2-4-85
27.	उदयपुर	17-11-84, 8-2-85, 1-4-85, 4-4-85 17-4-85, 10-3-85, 3-6-85

:X: 5 गैर सदस्यों के मनोनयन के प्रस्ताव दिनांक 8-5-85 को प्रेषित किये मनोनयन आदेश प्राप्त न होने से बैठक सम्भव नहीं हो पाई।

229

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अग्रिम आयोजना सहायता की राशि का विवरण

वर्ष 1984-85

(राशि लाखों में)

1.	रोजगार उपलब्ध कराने हेतु	200.00
2.	पशु संरक्षण व्यवस्था हेतु	6.50
3.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित पेयजल व्यवस्था हेतु	330.89
4.	गैर योजनागत पेयजल व्यवस्था हेतु	5.46
	योग	542.85

वर्ष 1985-86

1.	पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था हेतु	60.50
2.	गैर योजनागत पेयजल व्यवस्था हेतु	29.45
3.	पोषाहार	7.00
4.	निःशुल्क सहायता	5.00
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं के विस्तार आदि हेतु	1112.61
6.	रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु	1209.00
7.	कृषि उत्पादन हेतु सहायता	165.00
	योग	2588.56

पचायत समिति टोंक में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता

135. **श्री नारायणसिंह** (मालपुरा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक द्वारा सन् 1984-85 में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई, और गरीब व तेजस्वी अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किये गये ?

(2) क्या नियुक्ति में रिश्वत लेने की शिकायत भी प्राप्त हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि नियोजन कार्यालय की अनुमति बिना ऐसे अध्यापकों को ले लिया जिनका नियोजन कार्यालय द्वारा नाम नहीं भेजा गया है ? कृपया ऐसे अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक ने मार्च-अप्रेल, 1958 में एक साथ 40-45 अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जबकि बच्चों की वार्षिक परीक्षा चल रही थी और उनमें से बहुतों को वापिस उसी स्थान पर लगा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त कार्यवाही के लिए विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

(6) कृपया वर्ष 1981 से 1985 तक चयन किये गये स्थायी एवं अस्थायी अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें। नियोजन कार्यालय के माध्यम से इनमें से कितने अध्यापक नियुक्त किये गये ? कृपया नियोजन कार्यालय का प्रमाण-पत्र व दिनांक भी सूची में अंकित करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) इस अवधि में अध्यापकों के स्थानान्तरण न कर प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिसका कारण अध्यापकों का बी.एड. में जाना व नई प्राथमिक शालाऐं खुलना था।

(5) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(6) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

भाग (6) से सम्बन्धित सूची

वर्ष 1981

क्र.सं.	नाम अध्यापक	जिला शिक्षा अधिकारी टोंक के आदेश सं. व दिनांक
1.	श्री अनीस अहमद	नं. जी/टी/एन/टोंक/सं./नियुक्ति/वरिष्ठता/81/134 दिनांक 10-2-81
2.	श्री सहादत अली	"

(1)	(2)	(3)
3.	श्री अहमद मोहम्मद	नं. जी/टी/एन/टोंक/सं./नियुक्ति/वरिष्ठता/81/134 दिनांक 10-2-81
4.	श्री घासी लाल शर्मा	,,
5	श्री मोहम्मद सलीम	,,
6.	श्री जगदीश प्रसाद	,,
7.	श्रीमती जरीना	,,
8.	श्रीमती सजना देवी	,,
9.	श्री शंकर बदलानी	,,
10.	कु० हरदेवी मनवानी	,,
11.	श्रीमती लक्ष्मी मनवानी	,,
12	श्री अहमद मियाँ	,,

वर्ष-1982

क्र.सं	नाम अध्यापक	आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	कु० शशि गुप्ता	जिलाधीश कार्यालय आदेश क्रमांक 128 विकास दिनांक 11-2-82
2.	मुजीबुननिसा	,,
3.	रामदेव मीणा	जिलाधीश कार्या. आदेश क्रमांक 171/ दिनांक 17-3-82
4.	रजिया सुल्ताना	,,
5.	कु० नसरीन	,,
6.	श्री लक्ष्मण कुमार सोंसी	,,
7.	श्री सरदार मोहम्मद	जिला कार्या. आदेश क्रमांक 153/ दिनांक 19-2-82
8.	खुर्शीद	,,
9.	महावीर सिंह	,,
10.	कैलाश चन्द पारीक	,,
11.	शिवकरण जाट	,,
12.	सुरेन्द्र कुमार जाट	,,
13.	श्री ओमप्रकाश विजय	,,
14.	शारदा देवी	,,

232

वर्ष 1983

क्र.सं.	नाम अध्यापक	आदेश क्रमांक दिनांक जिसके द्वारा नियुक्ति की गई
1.	श्री पदम कुमार जैन	जिला कर्मचारी वर्ग समिति के आदेश क्रमांक 110 दिनांक 28-4-83
2.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	"
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	"
4.	शकिला बानो	"
5.	श्री अब्दुल खां	"
6.	मो. नियाज	"
7.	इशाक मोहम्मद	जिला वर्ग समिति टोंक के आदेश क्रमांक 1595 दिनांक 25-8-83
8.	श्री सीताराम टेलर	"
9.	इसमाइल अली	"
10.	मांगेराम पूनिया	"
11.	से. जहीर अहमद	"

वर्ष 1984

क्र.स.	नाम अध्यापक	आदेश क्रमांक दिनांक जिसके द्वारा नियुक्ति की गई
1.	श्री महावीर प्रसाद विजय	जिला नियोजन कार्यालय के पत्रांक 143/83 दिनांक 3-1-84
2.	श्री गोपाल लाल शर्मा	"
3.	श्री दुर्गादत्त शर्मा	"
4.	श्री मेहफूज अली	"
5.	श्री गोपाल लाल	"
6.	श्री रामफूल मीना	नं. 145/83 दिनांक 3-1-84
7.	श्री राधेश्याम	नं. 143/83 दिनांक 3-1-84
8.	श्री विनोद कुमार शर्मा	"
9.	श्री ओमप्रकाश	"
10.	श्री लालाराम	नं. 194/83 दिनांक 3-1-84
11.	श्री हरिसिंह	न. 143/83 दिनांक 3-1-84
12.	श्री महराम जाट	"

233

वर्ष 984

जिला नियोजन कार्यालय के पत्र क्रमांक 143/83 एवं 145/83 एवं 144/83
दिनांक 3-1-84
के अन्तर्गत साक्षात्कार द्वारा चयनित अध्यापक

क.सं.	नाम चयनित अध्यापक	क.सं.	नाम चयनित अध्यापक
1.	श्री. रामावतार	19.	सत्यनारायण
2.	लादूलाल	20.	भारत शर्मा
3.	बजरंगलाल	21.	इकबाल
4.	रामविता	22.	लक्ष्मीनारायण
5.	कुलदीप	23.	मोहन
6.	मोहनलाल	24.	रतनलाल
7.	रामकिशन	25.	प्रभुलाल बैरवा
8.	अब्दुल वहाब	26.	सूरजमल बलाई
9,	मो. अयुब	27.	शिवजीराम खटीक
10.	महावीर प्रसाद	28.	जगदीश बैरवा
11,	पुरुषोत्तम	29.	रामदेव धोबी
12.	रमेश चन्द	30.	कन्हैयालाल मीना
13	खुशनसीब	31.	रमेशचन्द शर्मा
14.	इन्द्रा भाटी	32.	ताराचन्द विजय
15.	हनुमान प्रसाद	33.	श्रीप्रकाश चन्द जैन
16.	मुमताज हुसेन	34.	रामफूल
17.	सत्यनारायण	35.	घीसालाल मीना
18.	अब्दुल सत्तार	36.	भरतलाल

वर्ष 1984-85

सेवाचयन आयोग से चयनित अध्यापकों की सूची

क.सं.	नाम अध्यापक	क.सं.	नाम अध्यापक
1.	हरिनारायण जाट	5.	रामजस शर्मा
2.	राजेन्द्रप्रसाद यादव	6.	ज्ञान प्रकाश शर्मा
3.	भंवरलाल	7.	रामावतार शर्मा
4.	गोपाल लाल शर्मा	8.	उषा कुमारी पारीक

(1)	(2)	(1)	(2)
9.	गोपाल लाल शर्मा	43.	पुरूषोत्तम दास नामा
10.	कवरीलाल वर्मा	44.	रामप्रसाद जांगिड
11.	राधेश्याम शर्मा	45.	रमेशचन्द शर्मा
12.	रामावतार शर्मा	46.	इशाक अहमद
13.	सेयद जहीर अहमद	47.	महराम जाट
14.	इसमाईल अली	48.	सुरेश कुमार शर्मा
15.	गोपाल लाल शर्मा	49.	सइदा बेगम
16.	मोहम्मद इसलाम	50.	रमाकान्त गोतम
17.	रामफूल मीना	51.	सोभा त्रिपाठी
18.	उम्मेदसिह	52.	शरीफ अली
19.	नन्दलाल वर्मा	53.	श्री किशनलाल जाट
20.	रामकिशन शर्मा	54.	मदन लाल शर्मा
21.	घासीलाल	55.	पूरण मल स्वामी
22.	लक्ष्मीनारायण जाट	56.	जफरउल्ला
23.	अब्दुल अली	57.	सआदत अली
24.	रामावतार विजय	58.	रामनिवास शर्मा
25.	कैलाशचन्द लक्षकार	59.	रामगोपाल टेलर
26.	गोपाल लाल जाट	60.	सेयद माकूल अहमद
27.	गोपाल लाल शर्मा	61.	पुष्पालता भारद्वाज
28.	ओमप्रकाश शर्मा	62.	सीता देवी
29.	कृष्णगोपाल शर्मा	63.	रामावतार शर्मा
30.	माया देवी	64.	रामदेव शर्मा
31.	रामेश्वर प्रसाद जांगिड़	65.	इन्द्रादेवी कुर्मी
32.	सत्यनारायण विजय	66.	भागचन्द विजय
33.	श्री हरिनारायण यादव	67.	मोहम्मद अजीज
34.	रामदेव	68.	राधेश्याम शर्मा
35.	शिवकुमार राजन	69.	मोहम्मद अतीक
36.	शरीफ अहमद	70.	मोहम्मद मोमीन
37.	कृष्णचन्द शर्मा	71.	सुश्री स्वराज सारस्वत
38.	अनीस अहमद	72.	श्री मोहनसिह
39.	सीताराम टेलर	73.	श्रीमती अख्तुरूनीसा
40.	दुर्गादत्त शर्मा	74.	श्री इशाक मोहम्मद
41.	शिवप्रसाद पंवार	75.	रमेशचन्द शर्मा
42.	रामावतार	76.	वलीबुल्ला

(1)	(2)	(1)	(2)
77.	कमरूनीसा	80.	रामावतार शर्मा
78.	कैलाश चन्द शर्मा	81.	श्रीमती सरोज
79.	फूलनारायण रेगर	82.	रामावतार शर्मा

वर्ष 1985

क्र.सं.	नाम अध्यापक	नियोजन कार्यालय के सूची के आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आयसा नसरीन	नियोजन कार्यालय के आदेश क्रमांक 1975 दिनांक 27-3-85
2.	महफूज अली	"
3.	अब्दुल वहाब	"
4.	रामेश्वरी शर्मा	"
5.	गोपाल कुम्हार	"
6.	विमला शर्मा	"
7.	अब्दुल रसीद	"
8.	सीताराम जाट	"
9.	छीतर लाल	"
10.	ज्ञानसिंह	"
11.	कन्हैयालाल बैरवा	"
12.	आरिफुन्निसा	"
13.	मरजाना	"
14.	एजाजुनिसा	"
15.	नन्दु देवी	"
16.	प्रवेश कुरेशी	"
17.	राजाराम जाट	"
18.	साईस्ता बानू	"
19.	इन्द्रा देवी शर्मा	"
20.	रामभज शर्मा	"
21.	प्रेमचन्द बैरवा	"
22.	मोहनलाल मीना	"

राज्य कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पेन्शन लाभ

136. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान पेंशनर्स एसोसियेशन द्वारा सरकार को एक ज्ञापन दो वर्ष पहले 1-4-1974 से पूर्व व 1-4-1974 के बाद वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था ? यदी हा, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17-11-1982 में यह अंकित किया है कि कर्मचारियों की पेंशन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो उसका पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, 1-4-74 से पूर्व व 1-4-74 के पश्चात सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन के सम्बन्ध में राजस्थान पेंशनर्स एसोसियेशन की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। 31-3-79 से पूर्व व 31-3-79 एव उसके पश्चात् सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुए है और 31-3-79 से पूर्व में सेवा निवृत हुए कर्मचारियों को भी उदारीकृत फार्मूले के अनुसार पेंशन देने का प्रस्ताव मुख्य (वित्त) मन्त्री ने अपने बजट भाषण में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(2) उच्चतम न्यायालय का निर्णय यद्यपि केवल केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत कर्मचारियों से सम्बन्धित है फिर भी राज्य सरकार ने उस पर विचार कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर में दिया हुआ है।

जोधपुर जिले में टोल टैक्स की वसूली

137. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के आस-पास तीन सड़क पुलों पर सरकार ने टोल टैक्स वसूल करना प्रारम्भ किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले की इन सड़कों पर आन्दोलन के कारण टोल टैक्स की वसूली बन्द हो गई थी ?

(3) टोल टैक्स कानून व नियम कब बने थे, तथा 1 अप्रेल, 1985 से वसूली किस आदेश से प्रारम्भ की गई ? कृपया आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) यह टैक्स वसूली किसके आदेश से रोकी गई ? जिन लोगों से टैक्स वसूल हो गया उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। कुछ परिवहन संघों एवं जन प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने अन्तरिम अवधि में वसूली स्थगित की।

(3) टोल टैक्स नियम का नोटिफिकेशन 9-9-81 को निकाला गया था जिसकी प्रति संलग्न है। इसी अधिसूचना के तहत वसूली प्रारम्भ की गई है।

(4) टैक्स वसूली राज्यादेशानुसार रोकी गई थी और कुछ दिन वसूल हुआ टैक्स की राशि राजकोष में जमा है।

Government of Rajasthan

Public Works Department

No. F. 8 (58) PW/77 Dated 9.9.81.

NOTIFICATION

In exercise of the powers under Section-2, of the Indian Tolls Act, 1851 (Central Act, VIII of 1851) as extended to the whole of State of Rajasthan vide notification No. F. 8 (58) PW/78 dated 29th December, 78 the State Government here by orders that with effect from the date of publication of this Notification in the Rajasthan Gazette, toll at the rates specified in schedule given below, shall subject to the conditions given here under, belevied and chargeable from all persons, incharge of vehicles using all such permanent bridges lying on roads under the control and management of the State Public Works Deptt.

I. All permanent bridges constructed and opened to traffice on or before January Ist, 1980 shall be exempted from levy of toll.

II. All permanent bridges the cost of construction where of does not exceed twenty five lacs rupees shall also be exempted from levy of toll.

EXPLANATION : If a bridge is constructed on an existing road the actual cost incurred on the construction of approach roads of the bridge will be included in the cost of the bridge. If any bridge is constructed on a new road the cost of construction of approach roads upto 200 meters on each side of the bridge shall be included in the cost of bridges.

III. (a) The toll on any particular bridge shall be levied only for so long as the total cost of its construction including interest on the total expenditure in realisation of toll and on maintenance has not been realised in full or for a period of 50 years from the date of first levy of toll on the bridge whichever is earlier.

EXPLANATION : An amount equal to 1.5 percent per annum shall be added to the cost of the bridge on account of expenditure on maintenance.

(b) The rate of interest shall be 14 percent per annum on an amount invested or to be invested in future by the government for construction of a bridge and the amount of interest shall be calculated on the balance after repayment of the instalment of the loan. if any, taken for the construction of the bridge.

IV. Toll shall be payable on each bridge for outward and return journey as usual and no concession shsll be granted for the return journey.

V. If on any bridge the receipt from toll collection is less than the amount spent on its collection the State Government may postpone realisation of toll and subsequently if conditions changes the realisation of toll may be restarted on such bridges.

VI. If within a distance of 30 Kms. on a road there are two or more bridges no toll shall be payable upto the midnight of the same day after the payment of toll on the first bridge on such other bridges which are situated within a distance of 30 Kms.

VII. No passenger tax shall be leviable on the amount of toll realised from the Passenger of a bus.

SCHEDULE

Rate for Toll Tax

S. No.	Categories of vehicles.	Rate.
1.	Tempo, Car, Taxies, Private Cars, Jeeps, Land-rovers, Tractors Laden or unladen.	Rs. 3.00
2.	Motor Lorries, buses and other heavy machinary e. g. earthmoving machinary and Mini Bus.	Rs. 10 00
3.	Trucks.	Rs. 15.00

By order
Sd/-
(K. K. Sarin)
Secretary to the Govt

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

2. All Heads of departments.

Sd/-

Kewal Ram
Dy. Secy. to Govt.

(240)

बूंदी जिले में पर्यटन विकास योजनायें

138. **श्री हरिमोहन शर्मा** (बूंदी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी में पर्यटन विकास की क्या संभावनाएँ हैं ? सरकार की जानकारी के अनुसार सन् 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में कितने पर्यटकों ने बूंदी का भ्रमण किया ?

(2) क्या उक्त वर्षों में पर्यटन विकास के लिए कोई राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई है ? यदि हां, तो कितनी एवं किस कार्य में खर्च की गई ?

(3) क्या बूंदी में पर्यटन विकास हेतु 1985-86 में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(4) क्या विभाग बूंदी के तारागढ़ किले एवं फूलसागर पैलेस को अवाप्त करना चाहता है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) बूंदी में पर्यटन विकास की पर्याप्त सम्भावनाऐं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1982 से 1984 तक बूंदी में आने वाले पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
1982	1536	178
1983	1728	185
1984	2213	253

(2) जी नहीं। वर्ष 1984-85 में बूंदी किले की रोशनी सजावट हेतु 2.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। यह कार्य बूंदी भूतपूर्व महाराजा की सहमति प्राप्त होने पर ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) वर्ष 1985-86 मे उक्त कार्य को पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

(4) जी हां। यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सोम कमला आबा परियोजना बांध

140. **श्री धान सिंह** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोम कमला आबा परियोजना बांध की ऊंचाई कितनी होगी ? क्या पूर्व में निर्धारित ऊंचाई से बांध को और ऊंचा किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो ऊंचाई बढ़ाने की क्या पृष्ठभूमि है, और इससे क्या अतिरिक्त लाभ होगा ? लागत में कितनी वृद्धि होगी ?

(3) उक्त बांध से तहसील सलूम्बर के कौन कौन से गांव डूब में आते हैं ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोम कमला आबा बांध की ऊंचाई औसत नदी तल से 23.00 मीटर होगी। पूर्व निर्धारित ऊंचाई से इसको 2.5 मीटर और ऊंचा किया जाने का प्रस्ताव है।

(सिंचाई मन्त्री)

(2) बांध की ऊंचाई बढ़ाने से जल की आवक का पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा जिससे सिंचाई में वृद्धि होगी ; ऊंचाई बढ़ाने के लिए रु. 6.28 करोड़ का प्रतिरिक्त व्यय होगा।

(3) इसके अन्तर्गत तहसील सलूम्बर के तीन गांव, कुण्डली, सालोवता का गुडा और एमनिया पाडला पूर्ण रूप से डूब में आवेंगे, जबकि छः गांव सलावता, इटाली खेड़ा, खेरोली, सण्डोरा और उगाद आंशिक रूप से डूब में आवेंगे।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में वरिष्ठ लिपिकों के नवसृजित पद

141. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जिलों में 1983-84 में कितने वरिष्ठ लिपिकों के पद सृजित किये गये ?

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने किन किन जिलों में कितने पद सृजित करने की सिफारिश की ? कितने स्टाफ पर वरिष्ठ लिपिक पद सृजन का मापदण्ड है ?

(3) क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिशों के प्रतिकूल अन्य जिलों में पदों को भरा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) कितने जिलों के वरिष्ठ लिपिकों को निदेशालय मुख्यालय पर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जिलों में वर्ष 1983-84 में वरिष्ठ लिपिकों के कोई पद सृजित नहीं किये गये।

(2) कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर व गंगानगर में एक एक पद वरिष्ठ लिपिक के पद सृजन की सिफारिश की थी। यह पद वर्ष 1984-85 में सृजित किये गये कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसार जिला सांख्यिकी कार्यालयों में कुल 14 अधिकारी/कर्मचारी के स्टाफ पर एक वरिष्ठ लिपिक का पद सृजित किये जाने का मापदण्ड है।

(3) प्रशासनिक दृष्टिकोण से सांख्यिकी कार्यालय गंगानगर व नागौर के स्थान पर सवाई माधोपुर एवं टोंक के लिए वरिष्ठ लिपिकों के पद हेतु स्वीकृति दी गई।

(4) एक वरिष्ठ लिपिक को जिले के पद के विरुद्ध निदेशालय में लगा रखा है। यह वरिष्ठ लिपिक पदोन्नति से पूर्व कोर्ट केसेज का कार्य करते थे। अतः पूर्व संदर्भ आदि हेतु कुछ समय के लिए इन्हें निदेशालय पर लगा रखा है।

राजस्थान वित्त निगम के शाखा प्रबन्धक

142. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम की 14 विभिन्न शाखाओं के प्रबन्धकों की योग्यता के नये सिरे से जांच के आदेश हुए है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त निगम में नियुक्ति के समय शाखा प्रबन्धकों की भर्ती या तो सीधी अथवा पदोन्नति के आधार पर की जाती है ? यदि हां, तो कितनी भर्ती सीधी तथा कितनी पदोन्नति के आधार पर की जाती है ?

(3) वित्त निगम में इस समय विभिन्न शाखाओं में कितने प्रबन्धक हैं ? कृपया उनकी नियुक्ति तिथी व योग्यता सूची, नियुक्ति तथा पदोन्नति के आधार मय शिक्षा स्तर के विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन प्रबन्धकों ने न्यायालय की शरण ली है यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) निगम की शाखाओं में प्रबन्धक के पद पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं। पदोन्नति की नीति की प्रति सूची "अ" संलग्न है।

(3) निगम की 31 शाखाओं में इस समय 14 प्रबन्धक स्तर के अधिकारी पदस्थापित है। इनके नाम शैक्षणिक योग्यता प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति की तिथी एवं वर्तमान कार्य स्थल के विवरण की सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है। पदोन्नति के आधार का विवरण सूची "अ" में दिया गया है।

(4) प्रबन्धक स्तर के एडहोक ओफिसिएटिंग आधार पर पदोन्नत प्रबन्धकों में से एक अधिकारी ने वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति नीति के विरोध में न्यायालय की शरण ली हुई है।

243

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION, JAIPUR

No. RFC/F. GAS-(1). 563 29-10-1982

CIRCULAR-ORDER

Re : Promotion policy

Promotion policy laid down for promotion to the posts of Assistant Managers, Dy. Managers and Managers from the year 1982-83 is as under :—

IN RESPECT OF CLASS 'A' POSTS

(1) Method of recruitment showing promotion quota, posts from which promotion is to be made and criteria of eligibility for promotion on different functional groups of officers (Managers, Dy. Managers and Asstt. Managers) are given in annexure-I.

(2) The crucial date for determining the qualifying service shall be first april of the year for which vacancies are filled up.

(3) The zone of consideration of persons eligible for promotion will be as under :

No. of vacancies	No. of eligible persons to be considered
1 to 5	4 times the number of vacancies.
6 to 10	3 times but atleast 20 eligible persons to be considered.
Above 10	2 times but atleast 30 eligible persons to be considered.

2४५

(4) The promotion shall be made on the recomendations of the Departmental Promotion Committee (DPC) comprising of the following :

1. Managing Director – Chairman of the Committee
2. One Director (nominated by the Chairman of the Corporation) – Member
3. General Manager – Member Secretary

IN RESPECT OF CLASS 'B' POSTS

(5) Method of recruitment showing promotion quota posts from which promotion is to be made and criteria of eligibility for class 'B' posts (including posts of Senior Assistants and Stenographer) are given in annexure – II.

POST FOR PA TO MD

(6) This may be filled up either (a) by a person on deputation or (b) by a Stenographer/Sr. Assistant/Steno typist of the Corporation who may get a special pay of Rs. 100/- P. M.

GENERAL MATTERS (FOR BOTH CLASS 'A' & 'B' POSTS)

(7) **Reservation**

Reservation and roster system for SC/ST will be as per State Government policy.

(8) **Year for determination of vacancies**

The year for determination of vacancies shall be the financial year with effect from 1-4-1982. However, the vacancies for 1981 shall be treated as for the period from 1-1-81 to 31-3-82.

(9) **Filling up 1981 vacancies** :

Vacancies for the year 1981 shall be filled in as per existing promotion policy.

This is in supersession of all earlier orders.

Sd/-

(Anil Kumar)

MANAGING DIRECTOR

C. C.

(1) All Branches.

(2) Standard circulation in Head Office.

(3) Notice Board.

ANNEXURE-I

RFC

SCHEDULE SHOWING METHOD OF RECRUITMENT, CHANNEL & CRITERIA OF ELIGIBILITY FOR PROMOTION (CLASS 'A' POSTS)

S. No.	Name of Post	Method of recruitment	Post from which promotion is to be made	Criteria of eligibility for promotion
Cadre : Manager : Pay scale Rs 950-50-1250-60-1610-75-1685				
1.	Manager (Finance group) (Finence, Loans, accounts)	100% by promotion	Dy. Manager (Finance group)	Graduate with 5 years experience on the post mentioned in column No. 4.
2.	Manager (Technical group) (Discipline, Chemical, Mechanical, Electronics, Textiles, etc.)	100% by promotion	Dy. Manager (Technical group)	Graduate (or equivalent) in engineering in the concerned discipline with 5 years experience on the post mentioned in column No. 4.
3.	Manager (Law)	100% by promotion	Dy. Manager(Law)	Graduate in Law with 5 years experience on the post mentioned in column No. 4.
4.	Manager (Common group) (Branch Personnel etc.)	100% by promotion	Dy. Manager (of any group)	Graduate (or equivalent) with 5 years experience on the post mentioned in column No. 4.

1	2	3	4	5
1.	Dy. Manager (Finance Group)	50% by promotion 50% by Direct recruitment.	Asstt. Manager (Finance group)	Graduate with 3 years experience on the post mentioned in column No. 4.
2.	Dy. Manager(Technicai group)	50% by promotionn 50% by direct recruitment	Asstt. Manager (Technical group)	Graduate (or equivalent) in engineering in the concerned discipline with 3 years experience on the post mentioned in column No. 4.
3.	Dy. Manager (Law)	50% by promotion 50% by direct recruitment	Asstt. Manager (Law)	Graduate in Law with 3 years experience on the post mentioned in column No. 4.

1	2	3	4	5
	Cadre : Asstt Manager Pay scale Rs. 450-25-550-30-700-40-860			
1.	Asstt. Manager (Finance group)	50% by promotion 50% by Direct recrutiment	Senior Asstt. (Pay seale 390-780)	Graduate/CAIIB with 3 years experience on the post mentioned in column No. 4.
2.	Asstt Manager (Technical group)	—do—	Senior Asstt. (Pay scale 390–780)	Diploma in Engineering with 3 years experience on the post mentioned in column No. 4.
3.	Asstt. Manager (Law)	—do—	Senior Asstt. (Pay scale 390–780)	Gradute in Law with 3 years experience on the post mentiond in column No. 4.

Note :—

1. In case sufficient persons with prescribed experience for promotion on the posts of Manager/Dy. Manager are not available than Dy. Manager/Asstt. Managers of the concerned group with 3 years/2 years experience respectively may be considered.
2. If suitable candidates for promotion for any catogory of posts are not available in a Particular year, direct recruitment may be made on the posts as per qualifications for direct recruitment.
3. In case sufficient persons with prescribed experience for promotion on the posts of Asstt. Managers are not available, then Senior Assistants with 6 years experience on a post in class 'B' may be considered.
4. Half of the promotioh quota will be filled in on seniority subject to suitability and remaining half on merit basis.

ANNEXURE II

RFC

SCHEDULE SHOWING METHOD OF RECRUITMENT, CHANNEL AND CRITERIA OF ELIGIBILITY FOR PROMOTION (CLASS 'B' POSTS)

S. No.	Name of post	Method of recruit-ment	Post from which promotion is to be made	Criteria of eligibility for promotion
1	2	3	4	5
Category 1 : Pay Scale : Rs. 390-20-530-25-780				
1.	Senior Assistants (Finance/Technical/Legal)	100% by promotion	Assistant	Graduate/Diploma in engineering with 3 years experience on the post mentioned in column No. 4.
2.	Stenographer	100% by	Steno-Typist	Three years experience on the post mentioned in column No. 4 and having a speed of 100/80 w.p.m. in English/Hindi shorthand and 40/30 w.p.m. in English/Hindi typing.

Note : 1. If candidates with prescribed experience for promotion on the posts of Senior Assistants (Financial/Technical/legal) are not available than Assistant/Junior assistants with Diploma in Engineering and having 5 years in class 'B' may be considered.

2. Existing (i.e. in the service of the Corporation as on 29-10-1982) non graduate Assistants will be eligibile for promotion to the post of Senior Assistants.

3. Existing Steno-typists (i.e. in the service of the Corporation as on 29-10-1982) will also be eligible for promotion to the post of Sr. Assistants subject to their giving of option.

249

250

1	2	3	4	5
Category : II Pay scale : 350-15-440-20-640				
1.	Assistant	100% by promotion	Jr. Assistant/ Typist	Graduate with 3 years experie ce on the post mantio ed in column No. 4.
2.	Steno-typist	75% by promotion 25% by direct recruitment	Typist/Jr. Asstt.	Secondary or equivalent with one year experie ce on the post me tio ed in column No. 4 and having a speed of 80/60 w.p m. in English/Hindi shorthand and 40/30 w.p.m. in English/Hindi typing.
Category . III Pay scale : 270-10-380-20-440				
1.	Jr. Assistant/Typist	5% by promotion 95% by Direct recruitme t	'C' class employees	Secondary or equivalent with 3 years experience on the post mentio ed in colum No. 4 and (a) knowing typing at a speed of 40/30 w p m. in English/ Hindi or (b) must have shown potentialities to work as a Junior Asstt.

Note : Existing (i.e. in the service of the Corporation as on 29-10-1982) non-graduate Jr. Asstt /Typing will be eligible for promotion to the post of Assistant.

तालिका

राजस्थान वित्त निगम

क्र. सं.	नाम	प्रबन्धक पद पर कार्य ग्रहण की तिथि	वर्तमान शाखा में बतौर प्रबन्धक के कार्य ग्रहण की तिथि	योग्यता	शाखा का नाम जहां वर्तमान में कार्यरत है
1	2	3	4	5	6
1.	श्री के. वी. मिथाथा	03.04.84	27 10.84	बी.काम /एल.एल.बी.	अजमेर
2.	श्री आर. पी. व्यास	30.10.82	04.06.83	एम.काम./एल.एल.बी.	अलवर
3.	श्री बी. एल. छाबड़ा	18 07.80	05.11.84	बी.काम.	भीलवाड़ा
4.	श्री एस. भगत	02.07 83	06.04.85	एम.काम /सी.ए.	बीकानेर
5.	श्री पी. सी. कासलीवाल	18.07.80	22.10.84	बी काम./एम.ए /एम बी ए./ डी.सी.डब्ल्यू ए.	जयपुर-प्रथम
6.	श्री एल. एल. जैन.	03 04.84	19 10.84	बी काम /एम.एल.बी	जयपुर-तृतीय
7.	श्री जी. आर. गोयल	01.03.84	07.07.84	सी.ए.	जोधपुर-प्रथम
8.	श्री के. एम. भण्डारी	09.04.84	02.06 84	डिप्लोमा एन मैकेनिकल/ए एम.आई.ई.	जोधपुर-द्वितीय
9	श्री अ र. गुप्ता	05 04.84	29.10.84	बी.ई.(सिविल)/पी जी.डी.बी.एम. (फाईनेन्स)	कोटा

251

1	2	3	4	5	6
10.	श्री ग्रो. एम. चोहला	07.04.84	27.10.84	एम.काम.	मकराना
11.	श्री एम. बी. एल माथुर	08.11.82	08.11.82	बी.ए./एल.एल.बी.	पाली
12.	श्री जे. जे. ग्रार. दुबे	04.10.83	01.06.84	बी.ए /डिप्लोमा इन सिविल इन्जिनियरिंग एवं रूरल इन्जिनियरिंग	श्री गंगानगर
13.	श्री डी. सी. जैन	18.07.80	27.05.85	बी.काम.	उदयपुर
14.	श्री मनमोहन सिंह	23.11.79	23.05.85	एम.ए.	जयपुर-द्वितीय

पाली जिले में अपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही

143. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में पाली जिले में कौन-कौन से थानों में छुआछूत, हत्या व डकैती के मामले दर्ज हुये ?

(2) इन मामलों में क्या नतीजा दिया गया, व किन किन मुकदमों में चाचान कर दिया गया, व कितने मुकदमें पेंडिंग हैं और क्यों ?

(3) कितने मुकदमों में मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसके क्या कारण हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विवरण परिशिष्ट "अ" "ब" "स" में अंकित कर सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

परिशिष्ट "अ"

नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम (पी.सी.आर.) एक्ट के मुकदमात :—

क्र सं. 1	नाम थाना 2	वर्ष 3	रिपोर्ट हुये 4	गिरफ्तारी 5	चालान 6	एफ.आर. अदमवकू 7	एफ.आर. अदमपता 8	सजा 9	रिहाबरी 10	जेर तजवीज 11	जेर तफ. 12	कारण अदम गिरफ्तारी 13
1.	पाली	1982	2	2	2	–	–	–	1	1	–	–
		1983	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–
		1984	2	10	1	1	–	–	–	1	–	–
2.	गुढ़ा अवला	1982	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–
3.	सुमेरपुर	1982	1	3	1	–	–	–	–	1	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	अंकेरला	1982	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	बगड़ी	1982	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	रानी	1982	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	सादड़ी	1982	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		1983	2	2	2	–	–	–	–	2	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	सेंदडा	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	तखतगढ़	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	बाली	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	खारची	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	मारवाड़	1983	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	जंक्शन	1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	नाणा	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–
13.	सिरोवारी	1982	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–
		1983	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	शिवपुरा	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट "ब" (हत्या)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	पाली	1982	6	28	4	1	1	–	–	4	–	–
		1983	6	3	2	–	4	–	–	2	–	–
		1984	3	3	2	1	–	–	–	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	सुमेरपुर	1982	2	2	2	—	—	—	1	1	—	—
		1983	2	6	2	—	—	—	—	2	—	—
		1984	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—
3.	रानी	1982	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—
		1983	2	3	2	—	—	—	—	2	—	—
		1984	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4.	सोजत	1982	2	5	2	—	—	—	—	2	—	—
		1983	4	15	3	—	1	—	—	3	—	—
		1984	2	4	2	—	—	—	—	2	—	—
5.	नाणा	1982	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—
		1983	4	7	3	—	1	—	—	3	—	—
		1984	4	9	4	—	—	—	—	4	—	—
6.	सैदड़ा	1982	1	3	1	—	—	—	—	1	—	मु. नं. 13/84 में मुलजिम किशने पुत्र गांजी मेरात धारा श्रो किताड़ घटना के तुरन्त बाद फरार हो गया जो काफी प्रयत्नों के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका जिससे भगोडा घोषित कर दिया गया है, चालान धारा 299 cr p.c. में पेश किया जा चुका है।
		1983	1	5	1	—	—	—	—	1	—	
		1984	2	2	2	—	—	—	—	2	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	जैतारण	1982	1	4	1	–	–	–	–	1	–	मुलजिम फरार होने के कारण 299 सी.आर.पी.सी. के तहत चालान पेश किया गया। मुलजिम भोमाराम जाट है जो घटना के बाद से फरार है। जो काफी प्रयत्नों के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका है।
		1983	1	1	1	–	–	–	–	1	–	
		1984	1	12	1	–	–	–	–	1	–	
8.	बाली	1982	3	7	3	–	–	–	1	2	–	–
		1983	2	3	2	–	–	–	–	2	–	–
		1984	1	3	1	–	–	–	–	1	–	–
9.	रायपुर	1982	1	5	1	–	–	–	–	1	–	वर्ष 1983 में 6 मुलजिम घटना तिथि से फरार होने के कारण गिरफ्तार नहीं हो सके जिनको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। जिनका चालान सी.आर.पी.सी की धारा 299 के तहत पेश हो चुका है। मीठानाथ, लड्डूनाथ सोमनाथ, लक्ष्मणनाथ, मुरानाथ, रूपनाथ।
		1983	2	11	2	–	–	–	–	2	–	
		1984	1	1	1	–	–	–	–	1	–	
10.	सिरयारी –	1982	2	16	2	–	–	–	–	2	–	–
		1983	2	2	2	–	–	–	–	2	–	–
		1984	1	6	1	–	–	–	–	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	गुवार्दला	1982	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
		1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1984	2	8	2	-	-	-	-	2	-	-	
12.	तखतगढ़	1982	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	मु. नं. 75/84 में मुलजिम लछियो रायीका सा. माड़ल प्रकरण के तुरन्त बाद फरार हो गया जो काफी प्रयत्नों के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका, जिसमें मफरूर घोषित किया जा चुका तलाश जारी है।
		1983	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
		1984	3	1	1	1	-	-	-	1	1		
13.	कालू	1982	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1984	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
14.	मारवाड़ जंक्शन	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1983	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	
		1984	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
15.	देसूरी	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1983	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
		1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	बलड़ा	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1983	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	
		1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	मगरतलाव	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	1	3	1	–	–	–	–	–	1	–
		1984	2	18	2	–	–	–	–	2	–	–
18.	सादड़ी	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	2	3	1	–	1	–	–	1	–	–

परिशिष्ट "स" (डकैती)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	पाली	1982	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	देसूरी	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	1	3	1	–	–	–	–	1	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	जैतारण	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बाली	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1983	1	7	1	–	–	–	–	1	–	–
		1984	1	10	1	–	–	–	–	1	–	–

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

श्री रामसिंह (लूणी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में गत पांच वर्षों में कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं, तथा कितने प्रकरणों में स्वीकृति पाने हेतु विभागाध्यक्ष व कार्मिक विभाग को भेजे गये ? भेजे गये कितने प्रकरणों में स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा कितनों का चालान पेश किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कार्य कलापों व प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को नहीं होने के कारण विभाग ज्यादा प्रभावी नहीं है ? सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रभावशील बनाये रखने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में गत 5 वर्षों में दर्ज 1-1-80 से 31-1-84 तक के प्रकरणों की स्थिति :-

कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या —	436
अभियोजन स्वीकृति की प्राप्ति हेतु विभागाध्यक्ष एवं कार्मिक विभाग को भेजे गये प्रकरणों की संख्या —	243
प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई —	183
प्रकरणों की संख्या — जिनमें चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया —	158

पाक विस्थापितों को उपनिवेशन क्षेत्र में सुविधायें

147. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाक विस्थापितों को उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित भूमि आवंटन व मुफ्त आवासीय भू-खण्ड, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, शिक्षा, मुफ्त राशन तथा सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के केन्द्रीय सरकार ने योजनानुसार राज्य सरकार को निदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां क्या, क्या सुविधा व सहायता उपलब्ध करा दी गई है ? कृपया चक व मदवार की गई उक्त व्यवस्थाओं का विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) पाक विस्थापितों को स्थाई रूप से बसाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अब तक किस किस मद में कितनी कितनी सहायता राशि राज्य सरकार को कब कब प्राप्त हुई है ? कृपया मदवार प्राप्त सहायता राशि का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की विभिन्न उपनिवेशन तहसील क्षेत्रों के आवंटियों को पेय जल सुविधा उपलब्ध नहीं करा कर मात्र डिग्गियां बना कर छोड़ रखी हैं ? यदि हां, तो किस किस चक में डिग्गियां निर्मित हो गई हैं ? जल सम्बन्ध दिलाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है व कब तक कहां कहां पेयजल सुविधा उपलब्ध करा देगा ? कृपया चक व तहसीलवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीकानेर ने उक्त क्षेत्र में निर्मित डिग्गियों में पानी भर कर परीक्षण किये बगैर पुनर्वास विभाग ने जलदाय विभाग को पूर्ण भुगतान भी कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसी डिग्गियां किस किस चक में स्थित हैं।

उत्तर

(1) जी, हां। केन्द्रीय सुविधाओं में मुफ्त आवासीय भू-खण्ड, मुफ्त राशन एवं सड़क इत्यादि स्वीकृत योजना के अन्तर्गत नहीं है। भूमि आवंटन का चकवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया है।

(2) विस्थापितों को स्थाई रूप से बसाने हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता राशि का विवरण सदन की पटल पर रख दिया है।

(3) जी, नहीं। पेयजल की डिग्गियों में नहर से पानी प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाता है। (डिग्गियों की सूची सलग्न है)

(4) जी नहीं।

इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में पाक–बिस्थापितों को आवंटित भूमि का चकवार विवरण ।

उपनिवेशन तहसील, कोलायत सं. 1 (क्षेत्रफल बीघों में)

क. स.	नाम चक	तादाद अलॉटी	क्षेत्रफल कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	5 एम. के. डो.	34	48.00	52.00	100.00	
2.	7 ,,	31	626.06	132.00	758.06	
3.	8 ,,	4	62.18	32.14	95.12	
4.	1 टी. एम.	9	139.00	67.00	206.00	
5.	2 ,,	18	297.00	144.00	441.00	
6.	3 ,,	28	620.00	50.00	670.00	
7.	1 जी. एम.	55	1139.00	222.06	1361.06	
8.	2 ,,	34	641.00	187.00	828.00	
9.	3 ,,	40	827.00	157.00	983.00	
10.	4 ,,	13	242.00	62.00	304.00	
11.	4 ,,	10	172.00	68.00	240.00	
12.	5 ,,	47	1078.00	94.00	1172.00	
13.	7 ,,	15	298.00	74.00	372.00	
14.	5 ए. एम.	13	281.00	25.00	306.00	
15.	6 ,,	18	415.00	13.00	428.00	
16.	7 जी.एम.	19	427.00	34.00	461.00	
17.	8 ए.एम	25	547.00	70.00	617.00	
18.	10 ,,	12	257.00	28.00	285.00	
19.	1 बी. एल. एम.	21	487.00	38.00	525.00	
20.	1 ,,	15	230.00	141.00	371.00	
21.	2 ,,	35	696.00	169.00	865.00	
22.	3 ,,	24	405.00	188.00	593.00	
23.	14 डी.ओ.बी.बी.	9	181.00	320.00	213.00	
24.	1 जी. एस. एम.	44	1061.00	10.00	1071.00	
25.	2 ,,	63	1337.00	237.00	1574.00	
26.	3 ,,	28	686.00	11.00	697.00	
27.	3 ,,	49	947.00	266.00	1216.00	

1	2	3	4	5	6
28.	9 सी. डी. वाई.	14	308.00	6.00	314.00
29.	10 ,,	1	18.00	–	18.00
30.	5 ,,	15	277.00	62.00	339.00
31.	8 ,,	2	45.00	–	45.00
32.	1 के. डब्ल्यू. एम.	17	308.00	96.00	404.00
33.	2 ,,	48	1044.00	132.00	1176.00
34.	3 ,,	26	541.00	93.00	634.00
35.	4 ,,	17	330.00	88.00	418.00
36.	25 के. एल. डी.	12	248.00	52.00	300.00
37.	26 ,,	14	329.00	13.00	342.00
38.	1 ग्रार. एम.	13	184.00	141.00	325.00
39.	2 ,,	31	640.00	135.00	775.00
40.	3 ,, (रावत माईनर)	24	810.00	39.00	849.00
41.	3 ,, (रूपसिंह माईनर)	16	199.00	178.00	377.00
42.	4 ,,	18	395.00	28.00	423.00
43.	4 ,, (रावत माईनर)	18	356.00	74.00	430.00
44.	5 ग्रार. एम.	19	420.00	30.00	450.00
45.	6 ,,	12	256.00	42.00	298.00
46.	1 के. एम.	5	113.00	6.02	119-02
47.	2 ,,	19	345.00	125.00	470.00
48.	3 ,,	18	324.00	126.00	450.00
49.	1 वी. एम.	15	362.13	8.00	370.13
50.	4 ,,	4	91.00	4.00	95.00
51.	10 ,,	16	286.00	72.00	358.00
52.	6 सी. डी. वाई.	22	518.00	27.00	545.00
53.	8 ,,	29	633.00	85.00	698.00
54.	2 बी. डी.	7	122.10	50.02	172.12
55.	3 ,,	12	231.00	55.00	286.00

1	2	3	4	5	6
56.	4 बी. डी.	17	318.00	99.00	417.00
57.	8 ,,	11	227.00	43.00	270.00
58.	3 एम. के. डी.	6	125.00	16.00	141.00
59.	1 ,,	15	298.00	64.00	362.00
60.	4 ,,	17	324.00	87.00	411.00
61.	5 ,,	20	473.00	24.00	497.00
62.	1 बी. डी.	27	564.00	111.00	675.00
63.	7 ,,	6	130.00	20.00	150.00
64.	6 जी. एम.	14	350.00	-	350.00
65.	6 ,,	16	358.00	42.00	400.00
66.	8 ,,	6	81.00	69.00	150.00
67.	10 एम. के. डी.	29	620.00	105.00	725.00
68.	6 ,,	20	468.00	32.00	500.00
69.	4 बी. एम. एम.	15	274.00	101.00	375.00
70.	8 सी. डी. वाई.	4	67.00	33.00	100.00
71.	3 ग्रार. एम.	5	123.00	-	123.00
उपनिवेशन तहसील, कोलायत संख्या 2					
1.	27 के. एल. डी.	38	819.00	119.00	938.00
2.	28 ,,	38	742.03	108.00	940.00
3.	1 जी. एम.	14	292.00	32.00	324.00
4.	5 ,,	11	210.00	38.00	248.00
5.	6 ,,	2	38.00	11.00	49.00
6.	7 ,,	10	168.00	62.00	230.00
7.	23 डी. ओ. बी. बी.	18	410.00	16.00	426.00
8.	1 सी. डी.	29	648.00	63.00	711.00
9.	3 ,,	16	355.00	34.00	389.00
10.	4 ,,	15	329.00	37.00	366.00
11.	7 ,,	49	1112.00	98.00	1210.00
12.	8 सी. डी.	40	839.00	139.00	978.00

1	2	3	4	5	6
	उपनिवेशन तहसील कोलायत स. 4				
1.	16 सी. डब्ल्यू. डी.	17	408.00	3.00	411.00
2.	17 सी. डब्ल्यू. डी.	19	452.00	9.00	461.00
3.	18 सी. डब्ल्यू. डी.	34	792.00	21.00	813.00
4.	19 सी. डब्ल्यू. डी.	8	163.00	27.00	190.00
5.	20 सी. डब्ल्यू. डी.	22	526.00	1.00	527.00
6.	21 सी. डब्ल्यू. डी.	43	1018.00	28.00	1046.00
7.	22 सी. डब्ल्यू. डी.	14	324.00	17.00	341.00
8.	23 सी. डब्ल्यू. डी.	8	189.00	10.00	199.00
	उपनिवेशन तहसील, पूगल				
1.	1 ए. डी.	20	360	140	500
2.	2 ए. डी.	38	682	265	947
3.	4 ए. डी.	10	188	56	244
4.	6 ए. डी.	19	307	168	475
5.	7 ए. डी.	26	550	83	633
6.	8 ए. डी.	27	525	148	673
7.	9 ए. डी.	24	508	88	596
8.	10 ए. डी.	13	251	68	319
9.	11 ए. डी.	7	130	41	171
10.	12 ए. डी.	33	625	198	823
11.	13 ए. डी.	17	330	92	422
12.	14 ए. डी.	11	212	63	275
13.	18 डी. डब्ल्यू. डी.	41	937	106	1043
14.	19 डी. डब्ल्यू. डी.	41	844	142	986
15.	1 डी. श्रो.	46	998	187	1185
16.	2 डी. श्रो.	104	1990	456	2436
17.	2 एम. एम.	11	182	74	256
18.	3 एम. एम.	8	182	–	182
19.	4 एम. एम.	7	100	67	167
20.	6 एम. एम.	10	144	103	241
21.	7 एम. एम.	58	1086	364	1450
22.	के. डब्ल्यू. एम. I	22	381	169	550
23.	के. डब्ल्यू. एम. II	14	262	77	339
24.	2 के. डब्ल्यू. एम.	22	400	125	525
25.	6 के. डब्ल्यू. एम.	25	470	140	610

(268)

1	2	3	4	5	6
26.	7 डब्ल्यू. एम.	39	780	158	965
27.	4 के. डब्ल्यू. एम.	14	359	78	437
28.	8 के. डब्ल्यू. एम.	26	547	77	724
29.	3 एस. एल. एम.	30	675	74	749
30.	1 डी. एम.	33	402	160	562
31.	2 डी. एम.	77	1803	337	2240
32.	3 डी. एम.	31	600	171	771
33.	2 बी. एम.	39	881	94	975
34.	3 बी. एम.	18	359	79	438
35.	4 बी. एम.	25	426	75	501
36.	5 बी. एम.	13	222	110	332
37.	6 बी. एम.	30	614	136	750
38.	7 बी. एम.	8	146	54	200
39.	8 बी एम.	18	278	164	442
40.	2 एम. के. एम.	8	129	71	200
41.	2 एम. के. एम.	14	242	101	343
42.	4 एम. के. एम.	2	45	–	45
43.	6 एम. के. एम.	10	185	64	249
44.	5 एम. के एम.	16	286	114	400
45.	7 एम. के. एम.	15	302	67	369
46.	8 एम. के एम.	9	163	62	225
47.	3 आर. एम.	1	24	1	25
48.	4 आर एम.	17	355	68	423
49.	5 आर. एम.	18	344	102	446
50.	6 आर. एम.	24	479	121	550
51.	7 आर एम.	19	313	62	375
52.	5 बी. डी.	21	431	80	551
53.	6 बी. डी.	26	493	157	600
54.	1 एस. एम. डी,	15	284	85	369
55.	2 एस. एम. डी.	24	543	153	696
56.	3 एस. एम. डी,	1	22	–	22
57.	4 एस एम. डी.	10	185	59	244
58.	एस. एम. डी.	18	286	148	434
59.	8 एस. एम. डी.	13	199	125	324
60.	0 एस. एम. डी.	9	174	44	218

सहायता राशि का विवरण

वर्ष	मद	राशि (लाखों में)
1978-79	(I) कृषि एवं पशुपालन योजना बाड़मेर	
	(I) विद्युत सुविधा	29.03
	(II) पशु चिकित्सालय	4.77
1979-80 व	झोंपा निर्माण	76.65
1980-81	यात्रा व परिवहन तथा जीवन निर्वाह भत्ता	65.00
	योग :-	175.45
	(2) कृषि योजना राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र	
1980-81	आधार भूत सुविधाऐं	
	(I) पीने को पानी हेतु डिग्गियों का निर्माण	50.00
	(II) शिक्षा, चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा सुविधा हेतु भवन व आवासीय भवन निर्माण	30.00
	(III) मैन डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर चैनल निर्माण हेतु	10.00
	( ) स्थायी पुनर्वास हेतु झोंपा निर्माण, यात्रा एवं परिवहन तथा जीवन निर्वाह भत्ता	50.00
	योग :-	140.00
	महायोग :-	315.45

TEHSIL WISE LOCATION OF DIGGIES CONSTRUCTED FOR PAK REFUGEESS TO PROVIDE DRINKING WATER SUPPLY FACILITIES UNDER JURISDICTION OF THIS DIVISION.

S. NO.	Name of Diggi.	Name of colanisation Tehsil	Murabba No.	Kills No.	Remarks
1.	8 B.D.	Kolayat	208/52	14,15,16,17	Diggi completed and under use by Pak Refugees.
2.	1 B.M./3 B.D.	—do—	190/30	9,10,11,12	—do—
3.	3 K.M.	—do—	231/64	1,2,9,10	—do—
4.	8 C.D.Y.	—do—	130	19,20,21,22	—do—
5.	6/8 A.M.	—do—	53/45	19,20,21,22	—do—
6.	11 D.O.B.D	—do—	238/16	16,17,24,25	—do—
7.	1 T.M./1MKD	—do—	236/34	1,2,9,10	—do—
8.	4 G.M.	—do—	139/11	1,2,9,10	—do—
9.	3 T.M./3 R.M	—do—	197	1,2,9,10,	Work completed but pipeline from Mankasar diggi to 3 T.M diggi site is yet to be laid for which action is being taken.
10.	2 A.D.	Pugal	58/6	1,2,9,10	Diggi completed under use by Pak Refugee.
11.	7 A.D.	—do—	56/10	16,17,24,25	—do—
12.	3 M.K.M.	—do—	158/9	19,20,21,22	=do—

	2	3	4	5	6
13.	2 D.O.	—do—	143/56	1,2,9,10	—do—
14.	5 K.W.M.	—do—	215/56	16,17,24,25	—do—
15.	8 A.D.	—do—	35	16,17,24,25	—do—
16.	1 D.O.	—do—	98/25	4,5,6,7	—do—
17.	14 A.D.	—do—	33/7	—	—do—
18.	8 K.W.M.	—do—	234/7	—	—do—
19.	4 M.M.	—do—	—	—	Work is under progress water supply facility has been provided partially.
20.	5 M.K.M	—do—	—	—	Work under progress.

272

उर्दू भाषा के स्कूलों हेतु उप-शिक्षा अधिकारी

148 **श्रीमती हमीदा बेगम** (चूरू): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कितने विद्यालयों के ऊपर एक उप शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है ?

(2) उर्दू माध्यम की कितनी स्कूलें हैं, तृतीय भाषा उर्दू कितने विद्यालयों में चल रही है, तथा उर्दू के लिए क्या कोई उप शिक्षा अधिकारी नियुक्त है ? अगर नहीं, तो कब तक नियुक्ति हो जायेगी ?

उत्तर

(1) 40 उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर एक उप जिला शिक्षा अधिकारी के रखे जाने का मानदण्ड निर्धारित है।

(2) उर्दू माध्यम के कुल विद्यालय 76 हैं। तृतीय भाषा ऐच्छिक 406 विद्यालयों में चल रही है। भाषा के आधार पर उप जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

धौलपुर के समीप चम्बल नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना

149. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर के पास चम्बल नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रारूप तैयार किया गया था, तथा इसका सर्वे कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब तथा उसका क्या परिणाम निकला ? क्या इस लिफ्ट योजना में धौलपुर शहर के लिये पेयजल का प्रावधान भी किया गया था ?

(3) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसका प्रावधान है, यदि हां, तो कितना तथा कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ? इस पर कितनी लागत अनुमानित है, कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी, तथा कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना का सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा आंकलन तैयार किया जा रहा है।

(2) परिणाम का पता आंकलन बनने पर लगेगा। इस योजना में धौलपुर शहर के पेयजल का प्रावधान नहीं है।

(3) इस योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। अनुमानित लागत व सिंचित होने वाले क्षेत्र के बारे में आंकलन बनने पर बताया जा सकेगा। गांवों के पेयजल का प्रावधान इसमें नहीं किया जा रहा है।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 142 की सूची

सूची-"अ"

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष-1982 में सिचाई विभाग के लिए सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	श्री गोविन्द नारायण गोयल	26.	,, विजय सिंह चारण
2.	,, सुजान राम ठोलिया	27.	,, राजेन्द्रसिंह यादव
3.	,, प्रदीप कुमार सांघी	28.	,, गोपी कृष्ण शर्मा
4.	,, महेश कुमार गुप्ता	29.	,, रमेश भोजवानी
5.	,, राजीव सांघी	30.	,, हरनेकसिंह सिंधु
6.	,, मोहनलाल गुप्ता	31.	,, अजय माथुर
7.	,, भगवान मंगवानी	32.	,, अशोक कुमार सिन्हा
8.	,, सुरेश माथुर	33.	,, विमल कुमार चौरड़िया
9.	,, ललित कुमार गुप्ता	34.	,, युवराज कुमार खमेसरा
10.	,, छोटाराम चौधरी	35.	,, अजीत कुमार वर्मा
11.	,, निसार अहमद चौहान	36.	,, सीता राम शर्मा
12.	,, करनी दान चारण	37.	श्री नवीन चन्द्र शारदा
13.	,, लक्ष्मण सिंह शेखावत	38.	,, मुरलीधर छंगाणी
14.	,, महेश प्रकाश (अ.जा.)	39.	,, ताराचन्द जाटोल (अ.जा.)
15.	,, रविन्द्रकुमार माथुर	40.	,, मिश्रीलाल फुलवारिया (अ.जा.)
16.	,, राजीव गर्ग (प्रोवीजनल)	41.	,, माधोलाल मीणा (ज. जा.)
17.	,, जगदीश प्रसाद सैनी	42.	,, श्री माखनलाल मीणा (अ.ज.जा.)
18.	,, अनिल कुमार जैन	43.	,, शिवचरणलाल मीणा (अ.ज.जा.)
19.	,, राकेश कुमार कौशल	44.	,, घेवरचन्द पंवार (अ.जा.)
20.	,, चौथमल चौधरी	45.	,, मांगीलाल वर्मा (अ.जा.)
21.	,, जय प्रकाश भादू	46.	,, रायसिंह पारगी (अ.ज.जा.)
22.	,, कृष्ण कुमार खण्डेलवाल	47.	,, दीपक पवांर (अ.जा.)
23.	,, राजेश चन्द्र पुरोहित	48.	,, धर्मपाल जाटव (अ.जा.)
24.	,, मंगल विहारी	49.	,, संतोषराम तुनगरिया (अ.जा.)
25.	,, प्रदीप मित्तल		

सूची "ब"

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष–1982 में चयनित अभ्यार्थियों में से सिंचाई विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सूची :–

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री गोविन्द नारायण गोयल	1-12-1983
2.	,, सुजान राम ठोलिया	,,
3.	,, प्रदीप कुमार सांघी	,,
4.	,, महेश कुमार गुप्ता	,,
5.	,, राजीव सांघी	,,
6.	,, मोहन लाल गुप्ता	,,
7.	,, भगवान मंगवानी	,,
8.	,, सुरेश माथुर	,,
9.	,, ललित कुमार गुप्ता	,,
10.	,, छोटा राम चौधरी	,,
11.	,, निसार अहमद चौहान	,,
12.	,, करणी दान चारण	,,
13.	,, लक्ष्मण सिंह शेखावत	22-10-84
14.	,, रविन्द्र कुमार माथुर	,,
15.	,, राजीव गर्ग	,,
16.	,, जगदीश प्रसाद सैनी	,,
17.	,, महेश प्रकाश (एस. सी.)	,,
18.	,, तारा चन्द जाटोल (एस. सी.)	,,
19.	,, माधो लाल मीणा (एस. टी.)	,,
20.	,, मक्खन लाल मीणा (एस. टी.)	,,
21.	,, अनिल कुमार जैन	4-1-85
23.	,, चौथमल चौधरी	,,
22.	,, राकेश कुमार कौशल	,,
24.	,, मिश्रीमल फुलवारिया (एस. सी.)	,,
25.	,, शिव चरण लाल मीणा (एस. टी.)	,,
26.	,, जय प्रकाश भादू	14-5-85
27.	,, कृष्ण कुमार खण्डेलवाल	,,
28.	,, भंवर चन्द पवांर (एस. सी.)	,,
29.	,, रायसिंह पारगी (एस. टी.)	,,

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची

सूची "क"

चौमू तहसील की निर्माणाधीन सड़कें

क्र. स.	सड़क
	एम. एन. पी. (नई)
1.	हस्तेड़ा से रींगस वाया किशनमानपुरा नांगल गोविन्द सड़क
	एन आर. ई. पी. सड़क
2.	ने. हा. नं. 11 ढोढसर से खेजरोली वाया सिगोद खुर्द सड़क
3.	अप्रोच सड़क नांगल
4.	ने. हा. वे. नं. 11 लाहरवाड़ा रेल्वे स्टेशन से मलिकपुर मोड़ सड़क
	राहत कार्य (ओलावृष्टि)
5.	खादी बांग से सिरसली अनुपपुरा खपरिया जालसू सड़क

सूची 'ख'

व्यय की गई राशि लाखों में

क्र. सं.	सड़क नाम	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86 मई, 85 तक	अब तक कुल योग	शेष कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित अनुराशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	खेजरोली सड़क से नांगल कोजू	—	—	—	—	—	0.21	0.09	0.30	4.20	यह कार्य एन.आर.ई.पी. योजना में स्वीकृत है।
2.	सामोद से चीथवाड़ी मोड़ वाया बांसा	—	0.13	0.71	0.72	0.35	0.78	—	2.69	4.50	सड़क की कुल लंबाई 6 कि. मी. है बांसा से सामोद की ओर लगभग 3 कि.मी. सड़क विशेष मरम्मत (एस. आर.) योजना के अन्तर्गत निर्मित है। सामोद की ओर लगभग एक कि.मी. व बांस से चीथवाड़ी मोड़ की ओर 2 कि.मी. कुल 3 कि.मी. सड़क का कार्य स्वीकृति के अभाव में शेष है।
3.	कालाडेरा से बधाल सड़क	3.21	0.22	1.07	0.40	0.42	0.40	—	5.72	—	इस रोड पर हस्तेड़ा नदी के भाग को छोड़कर शेष सड़क पूर्ण है वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है।

सूची "ग"

क्र.सं.	सड़क का नाम	मरम्मत डामर आदि पर खर्च की गई कुल राशि वर्ष 79-80 से 85-86 (लाखों में)	मरम्मत डामर आदि कार्य करने हेतु वांछित अनुमानित धनराशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	कालाडेरा से गोविन्दगढ़ सड़क	5.16	1.00	सड़क की लम्बाई 7 कि.मी. है जिसमें कि.मी. 3 व 4 की हालत खराब है तथा मरम्मत डामर आदि कार्य हेतु लगभग 1 लाख रुपये की धनराशि वांछित है।
2.	खेजरोली सड़क से निवाणा धानोती सड़क	12.73	2.00	तिगरिया नदी पोरशन के अलावा सड़क कार्य पूर्ण है। नदी में काजवे हेतु 2.00 लाख रु. की आवश्यकता है।
3.	जैतपुरा से अनन्तपुरा सड़क	0.11	1.00	सड़क के कुछ भाग को रेजिंग करने हेतु 1 लाख रुपये की आवश्यकता है।
4.	गोविन्दगढ़ से खेजरोली वाया सिगोद सड़क	8.45	10.00	सड़क कुल 10.5 कि.मी. लम्बी है 3.5 कि.मी. डामर सहित निर्मित है तथा आगे 7 कि.मी. मिट्टी का कार्य पूर्ण है। एन.आर.ई.पी. योजना में यह सड़क 5 कि.मी. निर्माण हेतु स्वीकृत है।

277

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न सं 146 की सूची

अजमेर तहसील के तालाबों की सूची

क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1.	रोड़ावास सिंचाई परियोजना	33.	पालुण्डिया तालाब बिड-सचियावास
2.	बिजोलाव तालाब नरवर	34.	पिछोला तालाब
3.	ऊटड़ा सिंचाई परियोजना	35.	राजगढ़ परियोजना
4.	फुलसागर कायड़	36.	फूलसागर भवानीखेडा
5.	माकडवाली तालाब	37.	राजोशी तालाब
6.	घोरासिया वास तालाब	38.	बलवन्ता तालाब
7.	तिलोरा सिंचाई परियोजना	39.	रातखेडा तालाब
8.	घूणरा तालाब	40.	सनोद बांध
9.	पुल सागर गवारड़ी	41.	बडातालाब रामसर
10.	ममामी तालाब	42.	खीसमन्द रामसर
11.	रामसागर नारेली	43.	डण्ड तालाब रामसर
12.	बडलिया तालाब	44.	रामसाखी तालाब रामसर
13.	श्रीनगर तालाब	45.	डण्डोलोद तालाब साम्बूदा
14.	बरखाला तालाब फारकिया	46.	सूरजपुरा तालाब
15.	बालासागर फारकीया	47.	गवालिया तालाब
16.	हाथी पट्टा फारकीया	48.	लक्ष्मीपुरा तालाब
17.	भीमसागर तिहारी	49.	कल्याणीपुरा तालाब
18.	कानपुरा तालाब	50.	केसरपुरा तालाब
19.	रानी सागर जिलावाड़ा	51.	परमानन्द सागर जसवन्तपुरा II
20.	नया तालाब जिलावाड़ा	52.	लाखोलाव बनबिया
21.	फुलसागर पोर	53.	शिवसागर लोहरवाडा
22.	शानपुरा तालाब	54.	जगपुरा तालाब
23.	आम्बा परियोजना	55.	वाट तालाब
24.	शेष सागर सेठन	56.	छोटासाव वाला
25.	शिवसागर रिछमालिया	57.	बड़ा तालाब
26.	गोन्धर्व सागर पगारा	58.	रसुनपुरा तालाब
27.	जांघासागर केसरपुरा	59.	पक्का तालाब बुवानिवा
28.	कारनाल तालाब	60.	बरवाली तालाब बाधुलरी
29.	मोडा सागर	61.	गोव तालाब बाघपुरी
30.	फुलसागर नागेलाव	62.	बांध सागर बांधपुरी
31.	खाण्डोलाव तालाब नागेलाव	63.	शिव सागर
32.	अनुमान सागर कलेसरा		

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न सं. 149 की सूची

खारची क्षेत्र की सड़कों की स्वीकृति एवं व्यय का विवरण "अ"

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति की राशि	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	योग	पूर्ण अथवा अपूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	खिवाड़ा से पाचेरिया अहुवा आपदोष राणावास	80-81 81-82	74.25 74.25	0.07	12.14	0.62	–	–	–	12.83	अपूर्ण	
2.	निम्बेडा क्रॉसिंग से पाचेटिया	80-81	24.00	–	0.61	–	–	–	–	0.61	अपूर्ण	
3.	नाडोल से सोमेसर वाया खिवाड़ा	80-81 81-82	40.00 40.00	– –	0.35	1.78	–	–	–	2.13	अपूर्ण	
4.	बागोल से घनला वाया खिवाड़ा	81-82 82-83 83-84	25.00 4.00 3.50	–	4.96	6.78	0.59	–	–	12.33	पूर्ण	
5.	खिवाड़ा से गगना वाया पाचेटिया	82-83	9.00	–	–	1.73	–	–	–	1.73	अपूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	बागोल से जोजावर	82-83	10.00	–	–	4.00	–	2.01	1.91	7.82	अपूर्ण	
		84-85	33.00									
		85-86	5.00	–								
7.	नारलाई से केसूली	83-84	1.25	–	–	–	–	1.24	–	1.24	,,	
8.	भिभालिया से खिवाड़ा वाया सगडी रायपुरिया	84-85	2.50	–	–	–	–	0.73	0.15	0.89	,,	
9,	नाडोल से घेनडी	84-85	15.00	–	–	–	–	0:52	0.11	0.63	,,	
10.	मांडा से बागोल वाया सिरियारी	83-84	5.00	–	23.44	–	0.48	–	–	23.92	,,	
11.	खेरया से कामली घाट	82-83	8.00	–	11.15	6.05	4.99	–	–	22.19	,,	
		83-84	40.00									
12.	आहुवा से दांता वाया काकराडा	83-84	1.00	–	0.01	1.11	0.75	–	–	0.87	,,	
13.	खैरवा से खारची	82-83	5.00	–	20.30	1.21	–	–	–	21.51	,,	
14.	मारवाड़ जंक्शन से राणावास	82-83	21.00	–	–	–	–	–	–	–	,,	
15.	सम्पर्क सड़क राणावास	82-83	16.00	–	0.01	1.93	–	–	–	1.94	,,	
		83-84	80.00									
16.	चोपटी से चिरपाटिया	82-83	6.00	–	0.78	0.54	–	–	–	1.32	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मारवाड़ जंक्शन से वायाबास	82-83	8.00	–	–	0.61	–	–	–	1.61	पूर्ण
		83-84	1.50								
18.	गुढा मोखमसिह से जोजावर	82-83	4.00	–	–	1.48	0.28	–	–	1.76	अपूर्ण
		83-84	2.50								
19.	सारण से झामुण्डा	82-83	5.00	–	–	1.37	–	–	–	1.37	,,
20.	मारवाड़ जंक्शन से दुदोड़	82-83	15.00	–	–	–	–	–	–	–	,,
21.	गुडा मोखमसिह से गुडा केसरसिह	82.83	6.00	–	–	–	–	–	–	–	,,
22.	माण्डा से राणावास	83-84	4.00	–	–	–	–	–	–	–	,,
23.	जाडन से मारवाड़ जक्शन	83-84	2.50	–	–	–	0.46	–	–	0.46	,,
24.	इसाली से राजावास	83-84	4.00	–	–	–	–	0.34	–	0.34	पूर्ण
25.	मारवाड़ जंक्शन से वोपरी	83.84	4.00	–	–	–	–	–	0.30	0.30	,,
		85-86	38.00								
26.	मारवाड़ जंक्शन से भगवानपुरा	83-84	1.50	–	–	–	–	0.41	–	0.41	अपूर्ण
27.	इसाली से झामुण्डा	83.84	1.00	–	–	–	–	–	–	–	पूर्ण
28.	मारवाड़ जक्शन से हेमालियावास	82-83	1.50	–	–	–	–	–	–	–	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	बांता से बांता रेल्वे स्टेशन	83-84	3.00	–	–	–	–	–	–	–	पूर्ण
30.	घामली से भिमालिया	83-84	2.50	–	–	–	–	–	–	–	अपूर्ण
31.	मारवाड़ जंक्शन से डिमोर की प्याऊ	85-86	2.50	–	–	–	–	–	0.34	0.34	"
32.	बोपारी से कंडालिया वाया मेलाप	85-86	4.00	–	–	–	–	–	0.51	0.51	"
33.	खारची से राजावास	85-86	2.50	–	–	–	–	–	0.38	0.38	"
34.	फुलाद से जोजावर	85-86	3.50	–	–	–	–	–	0.59	0.59	"

"ब"

पुलिया एवं रपट के कार्य सोजत क्षेत्र

क्र.सं.	सड़क का नाम	पुलिया-रपट की सं. वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4
संवत × 2037			
1—	खैरवा से खारची	7 अपूर्ण	पुलों एवं रपटों के लिये अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। इन पर किया जाने वाला व्यय सड़क पर किये जाने वाले व्यय में सम्मिलित होता है।
2—	खैरवा से कामली घाट	3 अपूर्ण	
3—	मांडा से बागोल	9 अपूर्ण	
4—	खिंवाडा से डिगोर की प्याऊ वाया पांचटिया माहुवा राणावास	7 अपूर्ण	
संवत 2038			
1—	धनला से बागोल	2 अपूर्ण	—वही—
संवत × 2038			
1—	खैरवा से कामली घाट	6 अपूर्ण	—वही—
2—	मांडा से बागोल	2 अपूर्ण	
3—	धनला से बागोल	2 अपूर्ण	
4—	मारवाड़ जं. चिरपटिया बोपरी	1 अपूर्ण	

(284)

परिशिष्ट-8

अता: प्रश्न सं. 154 की सूची

सूची "अ"

वर्ष 1983-84 में सिगरोली में राजस्थान के
हिस्से व प्राप्त बिजली का मासिक विवरण

(यूनिट लाखों में)

मास	राजस्थान का हिस्सा कुल वास्तविक उत्पादन में	10% हानि के बाद	राजस्थान द्वारा वास्तविक प्राप्ति	कम प्राप्ति/अधिक प्राप्ति (—)/(+)
अप्रैल, 83	128.48	115.63	374.84	(+) 159.21
मई, 83	198.65	178.79	365.37	(+) 186.58
जून, 83	146.38	131.74	377.85	(+) 246.11
जुलाई, 83	134.93	121.44	294.72	(+) 173.28
अगस्त, 83	197.49	177.74	228.21	(—) 50.47
सितम्बर, 83	188.10	169.29	304.28	(+) 134.99
अक्टूबर, 83	172.19	154.97	194.64	(+) 39.67
नवम्बर, 83	299.96	188.15	280.44	(—) 92.29
दिसम्बर, 83	226.85	204.17	315.84	(+) 111.67
जनवरी, 84	277.47	339.72	407.74	(+) 68.02
फरवरी, 84	362.24	326.02	391.52	(+) 65.50
मार्च, 84	352.89	317.60	352.07	(+) 34.47
	2694.73	2425.26	3887.52	(+) 1462.26

285

सूची "ब"

वर्ष 1984-85 में सिंगरोली में राजस्थान के
हिस्से व प्राप्त बिजली का मासिक विवरण

(यूनिट लाखों में)

मास	राजस्थान का हिस्सा कुल वास्तविक उत्पादन में	10% हानि के बाद	राजस्थान द्वारा वास्तविक प्राप्ति	कम प्राप्ति/अधिक प्राप्ति (–)/(+)
अप्रैल, 84	454.96	409.47	503.43	(+) 93.96
मई, 84	441.07	396.96	397.83	(+) 0.87
जून, 84	552.94	496.65	462.45	(–) 35.20
जुलाई, 84	380.05	342.05	305.77	(–) 36.28
अगस्त, 84	378.17	340.35	303.62	(–) 36.73
सितम्बर, 84	392.86	353.57	442.48	(+) 88.91
अक्टूबर, 84	389.12	350.27	382.75	(+) 32.48
नवम्बर, 84	498.23	448.41	369.58	(–) 78.83
दिसम्बर, 84	611.45	550.31	492.86	(–) 57.45
जनवरी, 85	651.79	586.61	512.50	(–) 74.11
फरवरी, 85	543.33	498.03	46[illegible].27	(–) 21.76
मार्च, 85	475.13	427.63	374.15	(–) 53.88
	5769.17	519[illegible].31	5014.69	(–) 177.62

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 158 की सूची

"अ"

पिछले तीन वर्षों में जिलेवार विदेशी मदिरा से हुई आय का मानचित्र
(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	नाम आबकारी जिला	वर्ष 82–83	वर्ष 83–84	वर्ष 84–85
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1.74	1.50	2.00
2.	भरतपुर	0.74	0.49	1.00
3.	बीकानेर	0.56	0.83	1.00
4.	जयपुर नगर	8.18	9.14	9.50
5.	जयपुर ग्रामिण	0.24	0.14	0.50
6.	जोधपुर	1.43	1.71	1.75
7.	कोटा	1.14	2.26	2.85
8.	श्री गंगानगर	1.48	1.73	2.30
9.	उदयपुर	2.62	3.20	3.10
10.	उदयपुर मुख्यालय	0.92	0.19	1.00
	योग :	19.16	21.19	25.00

2870

"ब"

पिछले तीन वर्षों में जिलेवार भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अनाधिकृत रूप से बेचने वालों के विरुद्ध पंजिकृत किये गये केसेज की सूची.

क्र. सं.	नाम राजस्व जिला	वर्ष 82-83	वर्ष 82-84	वर्ष 84-85
1.	अजमेर	1	2	2
2.	अलवर	1	–	–
3.	जयपुर	8	7	4
4.	झुन्झुनू	1	–	–
5.	जोधपुर	2	–	3
6.	श्री गंगानगर	2	2	2
7.	कोटा	2	5	7
8.	झालावाड़	1	–	–
9.	चित्तोडगढ़	1	1	–
10.	भरतपुर	–	3	1
11.	भीलवाड़ा	–	1	2
12.	सिरोही	–	3	3
13.	बीकानेर	–	1	–
14.	बांसवाडा	–	1	–
15.	बून्दी	–	2	–
16.	उदयपुर	–	5	2
17.	पाली	–	–	5
	योग :	19	33	33

288

परिशिष्ट-10

अ. ता. प्रश्न सं. 164 की सूची

राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम 1954 के अन्तर्गत 50 हजार से ऊपर की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	पार्टी का नाम	बकाया के दिनांक	रकम रु. (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	अ, जयपुर	चुन्नी लाल श्याम लाल	24.9.66 से 24.4.80	1.6
2.	,,	धोलपुर ग्लास वर्क्स	1.12.76 से 28.9.81	10.16
3.	,,	एस. जोरास्टर एण्ड कं.	9.2.82 से 26.3.84	15.13
4.	,,	श्री बल्लभ ग्लास वर्क्स	19.9.82	3.69
5.	,,	राजस्थान पर्यटन विकास का.	14.12.84	0.56
6.	,,	सज्जन उद्योग	20.3.84	1.78
7.	,,	फतह लाल राजेन्द्र कुमार	14.9.82 से 30.9.83	0.72
8.	,,	शिवशंकर लाईम वर्क्स	25.1.85	1.19
9.	,,	गोपाल ट्रेडिंग कं.	28.8.82 से 19.9.83	1.27
10.	,,	पिंक सिटी केमिकल्स	27.11.80	0.52
11.	,,	राज फैल्ट मैन्युफैक्चरिंग कं.	10.9.8.	0.96
12.	,,	जैन इण्डस्ट्रीज	31.10.84	0.75
13.	,,	मार्डन इन्जिनियरिंग	14.9.78 से 2.3.81	0.81
14.	ई., जयपुर	जवाहर मल श्री निवास	30.11.81	0.97
15.	,,	बी. बी. ऑयल मिल कं.	20.1.82	7.15
16.	,,	युनिडोर केबल्स	15.6.82	2.17
16-अ.	,,	सन साईन ड्रिंक्स	—	0.70
17.	,,	प्रिमियर वेजिटेबिल प्रोडक्ट लि.	28.7.82 से 19.7.84	37.64
18.	,,	डागा प्रतिष्ठान	1.4.82 से 22.3.84	5.66
19.	,,	कन्हैया लाल कमलेश कुमार	19.8.82	1.24
20.	,,	मोहता ट्रेडिंग क.	11.3.87	1.15

289

1	2	3	4	5
21.	ई, सर्किल	बी. के. इण्डस्ट्रिज	28.7.83	0.64
22.	"	विजय हरी एजेन्सीज	30.1.84	0.79
23.	"	जोगिन्द्र स्टील ट्यूब	31.1.84	0.70
24.	"	दिन दयाल नरेन्द्र कुमार	9 3.84	0.58
25.	"	जी.ई.सी. टिन प्रोडक्ट	1.11.80 से 24.2.84	3.16
26.	"	जयपुर एन्टरप्राइजेज	1.10.82	0.80
27.	"	राजेन्द्र प्लास्टिक इण्ड.	20.3.83	1.38
28.	"	कुमार रोलिंग मिल	10.7.84	0.61
29.	"	लौंग संस फार्मा	16.7.84	1.05
30.	"	केसर इण्डस्ट्रीज	24.7.84	0.56
31.	"	विष्णु ट्रेडर्स	31.12.84	1.19
32.	"	एडमस फार्मा	29.5.84	5.78
33.	"	आर. एस. ई. बी.	30.11.84	1.37
34.	"	राज. स्टेट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी	18.11.83	2.04
35.	"	आनन्द टूल्स	30.11.84	0.78
36.	"	एस. लाल एसोसियेटेड	15.6.81 से 1.9.83	2.85
37.	"	सुरेन्द्रा इण्ड.	14.7.82	0.70
38.	"	लार्ले इण्ड.	26.3.83	0.64
39.	"	इण्डियन माईको	14.4.84	0.53
40.	"	टेक्सीमिटर इक्यूपमेंट	1.3.82 से 28.5.82	2.95
41.	"	राज. एग्रीकल्चर इण्ड.	20.11.82	0.88
42.	"	मेलोकेम्स	30.11.82	0.53
43.	"	इलैक्ट्रिकल्स एण्ड इन्जि.	1.6.84	1.14
44.	"	राज. प्लास्टिक इण्ड.	16.2.85	1.20
45.	"	समकोण इण्ड.	4.12.84	2.05
46.	"	गीता इण्ड.	—	0.95
47.	"	अम्बिका ऑयल मिल	4.12.82 से 4.1.85	8.56

(290)

1	2	3	4	5
48.	एफ, जयपुर	माली राम नेमी चन्द	30.7.82	0.52
49.	,,	भैरो लाल एण्ड क.	28.6.83	2.92
50.	,,	जयपुर आॅयल प्रोडक्ट	6.2.84	7.68
51.	,,	राज. आयरन इण्ड.	18.2.85	2.02
52.	,,	अतुल ट्रेडिंग क.	20.11.82	1.09
53.	,,	इलेक्टो हार्ड वेयर	27.2.82	0.51
54.	,,	विजयवर्गीय जनरल स्टोर	—	1.06
55.	,,	यूनाईटेड इन्जिनियरिंग	29.3.85	0.53
56.	,	राज वनस्पति प्राईवेट लिमि.	29.4.84	0.54
57.	एई, जयपुर	बी. बी. आयल मिल	30.10.77	0.91
58.	,,	प्रेम चन्द विनोद कुमार	23.9.82	3.85
59.	,,	राजेन्द्र दाल मिल	21.1.81	1.06
60.	,,	पुरुषोत्तम एण्ड क.	27.1.81	1.92
61.	,,	कथनिया ट्रेडिंग कं.	25.7.80	0.77
62.	,,	सालग राम रमेश चन्द	4.3.82	0.93
63.	,,	लक्ष्मी स्टील ट्यूब	30.6.82	0.83
64.	,,	सज्जन कुमार एण्ड क.	15.9.84	0.65
65.	स्पे. II, जयपुर	सुन्दर लाल एण्ड सस	10.1.82	10.07
66.	,,	एस. जोरास्टर एण्ड कं.	—	5.27
67.	,,	दौलत राम वास देव	7.1.81	2.58
68.	,,	जयपुर मैटल एण्ड इले.	1.2.80 से 31.12.84	307.78
69.	,,	राज. राज्य सहकारी संघ	1..2.84	1.13
70.	,,	आसाम रोलिंग एण्ड फ्लोर मिल	31.12.80	5.61
71.	,,	जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल	3.12.83	40.61
72.	,,	आदित्य मिल	3.1.82	1.38
73.	,,	मार्डन सिनटेक्स	—	3.50

(291)

1	2	3	4	5
74.	स्पे. II, जयपुर	ए. एस. एस. पी.	3.12 82	5.17
75.	,,	पोदार स्पिनिंग मिल्स	—	3.30
76.	,,	रोहतास इण्ड.	3.3.83	22.09
77.	,,	भारत मिनरल्स	—	0.51
78.	,,	जयपुर बोटलिंग	31.12.83	2.02
79.	,,	लक्ष्मी स्टील रोलिंग मिल	—	3.02
80.	,,	अमृत वनस्पति	2.12.82	3.56
81.	,,	इण्डराल डूपलीकेटर	2.12.82	1.76
82.	स्पेशल III	राज इन्जिनियरिंग इण्ड.	24.5.81	1.55
83.	,,	गैंदी लाल कपूरचन्द	30.5.81 से 7.6.83	3.58
84.	,,	कमानी इन्जिनियरिंग	30.5.81 से 6.6.81	2.25
85.	,,	श्रीराम इण्ड.	30.9.81	0.99
86.	,,	मान स्टेक्चर्स	17.10.81	2.95
87.	,,	नेशनल इन्जि. कं.	1.3.81	4.99
88.	,,	मान इण्डस्ट्रीयल	1.1.83	5.03
89.	,,	राज. कैमिकल्स	21.1.83	0.50
90.	,,	लक्ष्मी आइल एण्ड टेक्स मिल्स	28.2.83	53.16
91.	,,	लक्ष्मी इण्ड. कार्पो.	20.10.83	2.20
92.	,,	मान इण्ड. कार्पो.	2.11.83	0.71
93.	,,	टाटा आयरन एण्ड स्टील	22.3.84	2.12
94.	,,	सैन्ट्रल इण्डिया मशीनरी	31.3.84	5.00
95.	,,	भारत स्टील ट्यूब	30.1.84	4.87
96.	,,	डनलप इण्डिया लिमि.	3.4.84	1.98
97.	,,	श्रीराम इण्ड.	25.8.81	2. 8
98.	,,	बंशीधर राम विलास	7.12.84	0.77
99.	,,	मोदी रबर	19.2.85	16.06
100.	,,	कालू राम गोविन्द नारायण	24.11.79	1.52
101.	,,	खण्डेलवाल कृषि सेन्टर	12.12.84	4.02

1	2	3	4	5
102.	बी, जयपुर	सी. एल. गुप्ता	7.12.82	1.57
103.	,,	बायटन केबल	24.12.81	1.26
104.	,,	इण्डिया इलेक्ट्रिक	1.1.82	2.52
105.	,,	हिन्दुस्तान स्माल इण्ड	30.9.82	0.65
106.	,,	उमा एन्टरप्राइजेज	28.2.83	7.62
107.	,,	जाजू एन्टरप्राइजेज	4.1.83	3.94
108.	,,	रैलिस इण्डिया	11.3 83	1.05
109.	,,	बजरंग लाला अनिल कुमार	21 6.83 से 31.1 85	'08.58
110.	,,	एस. डी. कारपेट	3.12.82 से 21.7.84	2.37
111.	,,	राज. ग्लास प्रोडक्ट	21.7.84 से 28 2 85	17.32
112.	,,	चीफ सुपरीडेन्ट मोटर गैरेज	11 बी	0.54
113.	,,	आफिसइन्ट इन्जि. सी.टी एस डी.	22 5.84	7.78
114.	,,	कमल एण्ड कं.	4 6 84	0.67
115.	,,	राजपूताना ट्रैक्टर्स	6.7 84	3.16
116.	,,	विष्णु ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट	27.7.84	1.01
117.	,,	टोनी कन्डेक्टर्स	30.1 84	1.43
118.	,,	राज. स्टेट रोडवेज कार्पो.	—	1.18
120.	,,	रैलिस इण्डिया	26.11.84	0.79
121.	,,	हैदराबाद एलविन एण्ड मेटल	1.12.84	0.73
122.	,,	पारले बिस्कुट	17.1.84	0.84
123.	,,	ओरियन्टल कामर्शियल ट्रेडर्स	3.1.85	0.00
124.	,,	श्री एन्टरप्राइजेज	28.2.85	1.58
125.	,,	प्रिमियर मेटल्स	—	1.30
126.	,,	आटो केयर	15.3.85	0.51
127.	,,	बीकानेर इन्जिनियरिंग	25.3.85	1.72
128.	,,	रेडियो फ्रिज	22.9.62 से 5.1.82	1.93
129.	,,	निरज एण्ड मनोज	21.1.82	0.87

1	2	3	4	5
130.	बी, जयपुर	तोषनीवाल पाटोदिया	24.4.81	0.89
131.	"	यरोपेटिक फ़ार्मा	30.11.81	0.91
132.	"	हुकम चन्द भंवरलाल	2.8.83	1.74
133.	"	कर्नाटिक स्कूटर्स	14.6.83	2.21
134.	"	राज. इण्डस्ट्रीज	25.1.82	1.25
135.	"	इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट	31.12.81	0.72
136.	"	इण्डिया मैन्युफैक्चरिंग कं.	15.11.83	0.58
137.	"	न्यू इण्डिया-एस.टी.एस.म्रो.	31.8.82	1.82
138.	"	राज मिनरल्स	—	0.99
139.	"	सिंह स्टील	—	0.51
140.	सी, जयपुर	ओम प्रकाश मुरारी लाल	10.8.82	1.04
141.	"	पुष्कर लाल चौधरी	—	11.10
142.	"	नेशनल लाइम	10.10.83	1.12
143.	डी, जयपुर	हिन्दुस्तान पिलिकंग स्टोन	6.1.84	1.48
144.	"	प्रेसियस स्टोन कं.	2.2.82	0.90
145.	"	स्माल इण्ड. कोप. सोसाइटी	18.3.83	0.87
146.	"	गेंदा राम रामस्वरूप	20.2.84	0.83
147.	"	बद्री नारायण राधे श्याम	27.5.81	0.91
148.	"	सी. एस. मोहता	26.9.83	1.54
149.	"	एम. आर. ट्रेडिंग कं.	22.6.83	0.70
150.	"	निमको टाईल्स	—	0.63
151.	"	यूनाइटेड फेल्ट मैन्यु.	27.8.83	1.83
152.	"	एस. अब्दुल रहमान	—	1.45
153.	"	बाला बक्स ओम प्रकाश	—	0.62
154.	"	प्रेम रतन सोहता	30.1.82	1.63
155.	स्पेशल 1, जयपुर	निदेशक प्रिन्टिंग प्रेस	12.3.82	3.49
156.	"	गंगा मेडिकल हाल	24.4.82 से 15.7.83	16.49
157.	"	सौभाग एजेन्सीज	2.6.82	11.32
158.	"	गंगानगर शूगर मिल	26.3.83	3.53

294

1	2	3	4	5
159.	स्पेशल 1, जयपुर	नाफेड	24.3 84	5.34
160.		जयपुर इलैक्ट्रिक	14.6.84	22.17
161.		राज सेंट्रल उद्योग	14.6.84	1.28
162.		हिन्दुस्तान पैट्रोलियम	27.10.84	7.99
163.		सियट टायर	15 1.85	4.40
164.		राज. राज्य सह. संघ	8.2.85	9.74
165.		लक्ष्मण प्राइवेट लि.	1.2 85	4.18
166.		भारतीय खाद निगम	19.3.85	5-65
167.		डी सी एम	13.2.82	10.15
168.		इण्डियन ड्रग्स	25.10 83	1.91
169.		राज. स्माल इण्ड.	22.3.85	11.89
170.	स्पेशल 4	इन्डो कश्मीर	8.3 84	0.73
171.		जयपुर सह. क्रय. विक्रय संघ	,,	5.16
172.		न्यू एज केबल	28.9.84	0.99
173.		हिन्दुस्तान कोपर	,,	317.93
174.		आटो इण्डिया	,,	0.70
175.		जिला आबकारी अधि.	1.9.82 से 30. 9.84	4.15
176.		कृष्णा कपूर	28.3 84	.74
177.	एई 1	भारत लिकर्स	29.9.84	220.34
178.		भवानी राम सहस मल	3.5.84	1.63
179.		गोपी मल जगन नाथ	30.4.84	0.77
180.	एई 11	रामचन्द भंवरलाल	21.11.84	3.76
181.		जयपुर आइल प्रोडक्ट	28.9.84	68 03
182.		बांन्यिा एण्ड क.	27.7.84	2.88
183.	झुंझुनूं	भगवान सहाय रती राम	18.8.81	0 50
184.		केडिया ब्रादर्स	20.11.78	3.95
185.		ओम एण्ड कं.	25.3.84	0.95
186.		ए सी सी केन्टीन	28 12.84	1.01
187.		ओम प्रकाश एण्ड कं.	3.1 85	0.82
188.		चौधरी एण्ड क.	29.3.85	1 42
189.		घीस राम सुभाष चन्द	,,	0 94
190.		गांधी मशीनरी एण्ड स्पेयर्स	8.2.83	0.51
		सेघाना		
191.		मित्तल दाल मिल	75 से 78	1.04
			योग	

1	2	3	4	5
	सीकर	कुछ नहीं		
192.	अलवर	अलवर ट्रेडर्स	16.3.81 से 27.8.81	0.56
193.		जी जी भार्गव एण्ड संस	27.11.74 से 2.2.82	0.58
194.		बालाबक्स गणपतराम	14.4.80 से 26.2. 82	0.94
195.		जय भारत ग्रायल मिल	21.1.80 से 21.4.84	2.41
196.		मुन्शी लाल राजेन्द्र कुमार	8 7.81 से 11.1.85	0.73
197.		हरिश शंकर हितेष कुमार	24.7.8	4.27
198.		नेशनल एयर प्रोडक्ट	24.7.78 से 28.1.79	1.38
199.		बद्री प्रसाद भगवान सहाय	27.8.80	.81
			योग	11.64
200.	भरतपुर	राम दयाल हरी चरण	9.12.70 से 2.3.66	0.51
201.		नन्द वनस्पति	8.11.71 से 1.9. 72	19.26
202.		के ग्रो इण्ड	18.9.75	0.65
203.		गोपालदास गोविंद शरण	19.1.76 से 25.11.81	0.71
204.		मंगतू राम गोपाल दास	1.12.81	2.82
205.		भगवानस्वरूप गोपालदास	5.4.80	0 58
206.		नालन्दा इन्ड.	1.1.82	1.01
207.		न्यू कामर्शियल	6.3.82	0.77
208.		फल ग्रायल एण्ड वूडन इण्ड.	8 3.84	7.85
209.		चिरंजीलाल गयाप्रसाद	5.9.74	1 57
210.		गुरुनानक रोलिंग मिल	28.1.82	3.72
211.		चिरजीलाल किरोड़ीलाल	22.1.82	2.73
212.		मुरारीलाल दामोदरलाल	24.4.77 से 25.1.85	3.28
			योग	42.46
213.	धौलपुर	ग्रधिशाषी ग्रभियन्ता पी. डब्ल्यू डी	21.5.84 से 19.12.84	12.59
214.		जमना ग्रायल ट्रेडर्स	14.6.83	1.78
215.		जैन एण्ड कं.	1.4.83	1.53
216.		रामजी लाल एण्ड संस	31.5.82	0.50
			योग	16.40

1	2	3	4	5
217.	अजमेर	महाराज किशनगढ़ मिल	15.10.58	1.24
218.		राज. ट्रेडिंग कं.	31.12.71	4.84
219.		लालचन्द तीर्थमल	15.3.73	0.73
220.		केमीकल्स एण्ड एलाईड	7.4.81	2 12
221.		गणेश साईजिंग कं.	28.1.83	2.22
222.		भारत फर्नीचर हाउस	27.9.84	2.00
223.		विनय जनरल ट्रेडर्स	31.5.83	0.64
224.		कुमार ब्रादर्स	16.6.83	1.54
225.		चौधरी मिनरल्स	5.11.74	0.82
226.	स्पेशल अजमेर	डिप्टी कंट्रोलर आफ स्टोर्स	13.10.81	2.06
227.		डिप्टी चीफ कार्मशियल सुप.	14.12.82	0.85
228,		माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	5.1.83	1.53
229.		स्वदेशी आयल मिल	20.3.85	5.80
230.		पुखराज एण्ड कं.	20.3.85	16.5
231.		हिन्दुस्तान मशीनरी टूल	20.9.83	12.00
232.	ब्यावर	मांगेलाल नन्द किशोर	17.2.73	0.92
233.		विजय कॉटन मिल्स	12.3.83	3.79
234.		बी पी मिश्री एण्ड कं.	28.9.81	0.95
235.		टार्क वाईन स्टोर	5.11.84	0.95
			योग	55.00

50,000 रुपये से अधिक की सूची

1.	2.	3.	4.
		बीकानेर जोन	(रु. लाखों में)
वाणिज्यिक कर अधिकारी, बीकानेर			
1.	मै विश्वनाथ शर्मा, बीकानेर	12.10.78	2.07
2.	मै. राजस्थान वूल प्रोसेसर्स	26 6.81	1.23

1	2	3	4
3.	मै. सुभाष चन्द सुरेश कुमार भादरा	22.2.83	1.18
4.	मै. राजस्थान वूल सिंडीकेट	19.10.81	0.70
5.	मै. दिवान चन्द एण्ड संस	25.10.83	4.22
6.	मै. गिरधर वूल ट्रेडर्स	5.1.81	1.40
7.	मै. मोडर्न इलेक्ट्रोनिक्स	26.11.81	1.51
8.	मै. भीकम चन्द भंवर लाल	25.8.81	1.33

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-बीकानेर

1.	मै. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	24.12.81 व 4.2.81	2.11
2.	मै. खादी मन्दिर, बीकानेर	26.12.81 व 4.2.83	1.90
3.	मै. श्रोम दाल मील, चूरू	28.11.83 व 10.6.84	0.64
4.	मै. रिजनल बोर्ड डवलपमेंट खादी एवं विलेज इण्ड. कमीशन, बीकानेर	27.11.81	0.52

वाणिज्यिक कर अधिकारी, गंगानगर

1.	मै. जगदीश अग्रवाल एण्ड ब्रादर्स	5.10.83	0.60
2.	मै. त्रिलोक सिंह जसवीर सिंह, गंगानगर	16.8.78	1.30
3.	मै. नरेश कुमार एण्ड कं., गंगानगर	1.4.82	1.19

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-गंगानगर

1.	मै. भीमजी विश्राम एण्ड संस	7.2.85	0.98
2.	मै. रोशन लाल तरसेम चन्द, केसरीसिंहपुरा	30.3.83	1.50

वाणिज्यिक कर अधिकारी, हनुमानगढ़

1.	मै. मनोज कुमार अनिल कुमार	8.11.82	2.22
2.	मै. लक्ष्मी ट्रेडिंग कं.	21.1.83	0.52
3.	मै. पवन कुमार प्रहलाद राय	28.4.83	5.42
4.	मै. दुर्गा ट्रेडिंग कं.	11.1.84	2.09
5.	मै. सुरेश चन्द सुभाष चन्द	17.1.84	4.22
6.	मै. दीनानाथ चिरंजी लाल	17.1.84	3.77
8.	मै. राजकुमार एण्ड कं., हनुमानगढ़	1.8.84	1.06
8.	मै. सुभाष ट्रेडिंग कं.	11.1.85	3.82
9.	मै. राजस्थान ट्रेडर्स	15.12.84	0.74

1	2	3	4
10.	मै. हनुमान आदर्श ईंट भट्टा सह. समिति	16.12.84	0.57
11.	मै. अधिशाषी अभियंता-बी, हनुमानगढ़	20.9.82 व 19.9.83	0.53
12.	मै. नवीन कुमार एण्ड कं.	9.3.83	0.87
13.	मै. सिंघल ब्रादर्स, गोलामण्डी	28.10.83	1.15
14.	मै. अमृत राज रमेश कृष्णन	31.3.83	0.55
15.	मै. सुलतान सिंह राजपूत, नोहर	21.3.83	0.55
16.	मै. मनीश कुमार एण्ड क.	31.12.82	1.85
17.	मै. राम कुमार गोरीशंकर	11.2.85	1.09
वाणिज्यिक कर अधिकारी, चूरू			
1.	मै. सन्तोष स्टोन	25.8.82	0.58
2.	मै. पवन ट्रेडिंग कं	17.8.82	2.69
3.	मै. शिव दत्त लखमीचन्द	24.6.83	1.12
4.	मै. रामचन्द्र जीवन मल	5.8.83	1.33
5.	मै. राजस्थान सिलवर वर्क्स	15.3.85	0.58
वाणिज्यिक कर अधिकारी, सूरतगढ़			
1.	मै. जीयाराम हनुमानदास	6.3.82	0.52
2.	मै. रामचन्द्र बजरंग लाल	29.1.85	0.55
3.	मै. राजस्थान श्रमिक ठेका सह. समिति, पीलीबंगा	16.2.82	0.80
4.	मै. केसरी चन्द कन्हैया लाल	11.6.74	0.84
5.	मै. अशोक कुमार अग्रवाल एण्ड कं.	26.12.83	0.78
6.	मै. सुहरात इन्टरनेशनल ट्रेडिंग कं	14.9.82	1.15
7.	मै. हेमराज पूरजमल	14.9.82	1.49
8.	मै. श्रमिक निकेतन ठेका सह. समिति, पीलीबंगा	24.9.82	2.18
9.	मै. संतलाल एण्ड कम्पनी	7.2.85	0.82
10.	मै. हनुमानदास छगनलाल कन्ट्रैक्टर	8.2.85	0.78

50 हजार रुपया से अधिक बकाया की सूची

क्र. सं.	जिले नाम	व्यवसायी का नाम	कर निर्धारण दि.	राशि
1	2	3	4	5
1.	ए जोधपुर	आशा आटोमोबाईल	26.6.73	0.80
2.		राजपुरोहित टी कारपो.	19.10.83	2.44

299

1		2	3	4
3		ईश्वर ब्रादर्स	31.8.84	0.65
4.		संजय एण्ड कं.	1.9.84	1.45
5.		मूमल वाइन एजेन्सी	1.9.84	1.49
				6.83
6.	बी जोधपुर	अग्रवाल ट्रेडर्स	7.4.84	1.02
7.		कोपरेटिव स्टोर 13 बी एस एफ	5.9.83	0.53
8.		नवा भारत एजेन्सी	7.8.84	0.65
				2.20
9.	सी जोधपुर	सकलेचा ब्रादर्स	28.8.75 से 3.5.82	0.66
10.		पूत ब्रादर्स	,, ,,	0.91
11.		भंवरलाल एण्ड कं.	1.4.82	2.04
12.		अधिशाषी अभि. पी डब्ल्यू डी	,, ,,	0.71
				4.32
13.	डी जोधपुर	देवीचन्द अचल चन्द	17.9.81	1.08
14.		लक्ष्मण दास एण्ड कं.	,,	8.42
15.		संवत राज किशोर मल	2.12.81	0.55
16.		राणी दान तावड़ी	14.9.81	0.55
17.		संपत इण्ड.	24.9.82	0.56
18.		एच एस इलाहीबख्स	24.9.84	0.64
				11.80
19.	ऐई जोधपुर	विश्म्भर लाल एण्ड कं.	24.9.85	0.70
20.		चन्दन मल फतह राज	28.9.85	1.36
				2.06

1		2	3	4
21.	स्पेशल जोधपुर	हीरा केनिंग प्रा लि.	8.6.81 से 29.10.84	0.74
22.		जोधपुर ग्रायल प्रोडक्ट	22.10 81 से 31.10.81	25.64
23.		जोधपुर वूलन मिल	31.12.81 से 18 3.83	8.66
24.		चतुर्भुज भंवरलाल	25.1.83	1.53
25.		कांकरिया कोटन जिनिग एण्ड प्रोसिग कं.	11.9 84	1.48
26.		शारदा गम एण्ड केमि.	28.11.84	1.29
27.		श्रोम प्रकास जेठमल	18.8.84	8.64
28.		महाराजा उम्मेद मिल	29 9.84	8.79
				44.77
29.	पाली	अरूण इण्ड.	15.2.77	1.15
30.		केशो राम रेयन	22.10 81	1.45
31.		लिबर्टी वाईन एजेन्सी	5.9.84	0.79
32.		जगदीश प्रसाद अग्रवाल	7.11.84	3.14
33.		ललित कुमार केसरी मल	14.2.85	0.62
34.		आदित्य केमिकल इण्ड.	24.11 84	0.66
35.		गम्भीर मल मोहन लाल	30.12.81	0.95
36.		मांगीलाल ग्रमरा राम	7.8 86	0.85
				9.81
37.	नागौर	चन्दाराम ग्रोवरसीज मार्बल	14.5.84	0.52
38.		दामोदरलाल बजरंगलाल	27.1.82	0.56
39.		हीरा चन्द जीवन चन्द	5.12.81	0.76
40.		हिन्दुस्तान कैमिकल्स	1.1 82	2.60
41.		नाज सिनेमा	30.4 84	0.50
				5.50
42.	सिरोही	नेमीचन्द सम्पतराज	16.5.84	1.82
43.		हरजीमल कोलचन्द	4 6.84	6.30
44.		ग्रमृत लाल चुन्नी लाल	27.8 81	1.88
45.		किशनारी चेलानी	27.1.77	0.74
				9.94

301

पचास हजार रुपये से अधिक की बकाया की सूची

क्र. सं.	वृत का नाम	व्यवसायी का नाम	कर निर्धारण दिनांक	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	अ उदयपुर	किशोर चन्द रूपलाल	16.4.84	1.06
2.	,,	इण्डस्ट्रीयल सप्लायर्स	78-79	1.30
3.	,,	एसोसिएट इन्ज.	20.9.84	0.58
4.	,,	प्रदीप कुमार एण्ड कम्प.	30.7.84	5.10
5.	,,	दी क्योरियस हाउस प्रा.लि.	26.11.84	2.50
6.	,,	किशनलाल रामलाला	20.5.76	0.58
7.	,,	शिवा केमिकल	14.3.82	1.06
8.	,,	विवेक एण्टरप्राइजेज	1.4.81	1.02
9.	,,	युनाइटेट मोटर्स	29.2.82	0.55
10.	,,	वाठेडा डिष्ट्रीब्युटर्स	1.9.83	2.38
11.	ब उदयपुर	आदीनाथ आयल मिल	16.1.84	3.67
12.	,,	महाराजा भोपाल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स	3.6.83	16.07
13.	,,	लेक पेलेस होटल एण्ड मोटल	12.8.83	0.61
14.	,,	रामबक्श केसुराम	10.7.84	1.06
15.	,,	फाइन केमिकल्स	5.1.85	0.62
16.	,,	सेठी स्टोन इण्ड.	31.12.81	0.73
17.	,,	दिनेश री मिनरल	28.2.85	0.78
18.	,,	श्री जी इण्ड.	1.8.80	0.60
19.	,,	एडवान्स पेपर मिल्स	23.2.83	0.96
20.	,,	दी गन एलेविक प्रोसेस	3.7.85	1.55
21.	,,	शकरलाल लादूराम	12.10.81	0.81
22	,,	इण्डिया मार्बल्स	20.10.83	0.55
23.	,,	रायल वाईन स्टोर्स	83-84	2.41
24.	,,	इण्डियन एमवस	82-83	0.85
25.	बांसवाड़ा	हमीरचन्द मोतीलाल	26.10.79	0.92
26.	,,	एक्सीयन केन्द्रिय भण्डार	21.8.81	2.43
27.	,,	बनोहोमि सहकारी समिति	21.12.84	1.33

(302)

1	2	3	4	5
28.	भीलवाड़ा	विजय ग्रायल मिल्स	13.4.76	2.04
29	,,	भारतीय उद्योग संघ	28.10.78	0.60
30.	,,	लक्ष्मी ग्रायल मिल्स	10.2.81	0.64
31.	,,	फकरूद्दीन ब्रादर्स	2.2.83	1.35
32.	,,	राज लक्ष्मीलाल एण्ड	24.1.84	0.60
33.	,,	शांतीलाल तेजमल	30.1.84	0 63
34.	,,	माधव मेडिकल ऐजेन्सी	3.4.84	0.60
35.	,,	शोभागसिंह सतीष कुमार	27.4.84	0.64
36.	,,	महालक्ष्मी ग्रायल मिल	1.12.81	0.65
37.	,,	श्री पाइप्स लि.	21.1.85	0.71

50,000 रुपये से अधिक की बकाया की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	कर निर्धारण वर्ष व दिनांक	बकाया राशि
1	2	3	4
	कोटा जोन		
	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-अ, कोटा		
1.	मै. क्षेत्रिय वन अधिकारी, कोटा	74–78	1,56,667.43
2.	मै. डिस्ट्रीक्ट कन्ट्रोलर ग्राफ स्टोर्स, कोटा	73-79	1,23,606.52
3.	,, लुधा राम रेलूमल, कोटा	64–71	5,43,798.45
4.	,, जगदीश प्रसाद बन्शीधर, कोटा	71–73	1,10,504.13
5.	,, गुजरात स्टोन कम्पनी, कोटा	—	57,745.00
	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–बी. कोटा		
1.	मै. बच्चनलाल एण्ड कम्पनी, कोटा	73-77	1,37,232.11
2.	,, सुवालाल ग्रजीत कुमार, कोटा	75–79	1,53,628.00
3.	,, ऋषभचन्द जैन, कस्बा थाना	71–75	93,000.00
4.	,, प्रकाश चन्द कैलाशचन्द	74–79	83,562.31
5.	,, चन्द्रकुमार जैन	77–79	74,688.24

1	2	3	4
6.	मै. प्रेमचन्द राधेश्याम, सांगोद	—	58,221.92
7.	,, कुन्दनलाल मुकन्दमल, पाटन	—	4,18,448.68
8.	,, केसरीमल रतनलाल, छबड़ा	—	96,149.23
9.	,, भोला शंकर एण्ड ब्रादर्स, बून्दी	—	66,138.05
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, कोटा			
1.	मै. शाह एण्ड कम्पनी	70-72 (15.6.76)	1,48,478.40
वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत कोटा			
1.	मै. एल्विन मार्केटिंग, सवाई माधोपुर	70-71(7.9.81)	2,95,794.76
2.	,, जयपुर उद्योग लि., सवाईमाधोपुर	75-79(17.12.79)	2,26,57,143.52
3.	,, एसोसियेटस स्टोन इण्ड. रामगंज मण्डी	72-74(12.12 79)	50,378.00
4.	मै. जे के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा	73-81 (4.3.81)	2 63,73,941.1
5.	,, इण्डियन आयल कार्पोरेशन	71-81 (21.2.83)	10,62,958.61
6.	,, हंसमुख भाई पुरुषोतम दास	73-77 (24.7.80)	60,094.23
7.	,, कोटा बोक्स मेन्युफेक्चरिंग, कोटा	75-82 (3.1.83)	1,79,795.50
वाणिज्यिक कर अधिकारी करापवंचन, कोटा			
1.	मै. प्रेस वेल इन्जीनियरिंग, कोटा	14.3.85	73,421.69
वाणिज्यिक कर अधिकारी, गंगापुर सिटी			
1.	,, मोतीलाल छाजूलाल	11.2.69	2,54,849.30
2.	मै. बिरधीचन्द जगन्नाथ	8.6.71	2,79,944.76
3.	,, नाथूलाल मुरारीलाल	27.1.82	71.320.02
4.	,, जैन आयल एण्ड कम्पनी, गंगापुर सिटी	1.10.80	1,10,691.15
5.	,, नारायणलाल गिरीज प्रशाद	60-65	76.700.00
वाणिज्यिक कर अधिकारी, टोंक			
1.	मै. भारत ग्रोवरसिज, सवाईमाधोपुर	7.7.81	3,10,85,760.03
2.	,, राजीव ट्रेडिंग कम्पनी, सवाई माधो.	30.6.75 से 12.9.83	1,44,34,953 56
3.	मुकट बिहारी राधेश्याम सवाई माधो.	—	64,957.47

304

1	2	3	4
वाणिज्यिक कर अधिकारी, झालावाड़			
1.	मै. गुलाब चन्द गिरधारीलाल	73–75 (25.11.80)	1,23,901.28
2.	,, शिव नारायण सत्यनारायण एण्ड कं.	73–76 ,,	80,690.43
3.	,, कमल एण्ड कं., रामगंज मण्डी	75–76 (18.12.80)	67,630.47
4.	,, चतर एण्ड कं., रामगज मण्डी	75–77 (1.1.81)	1,06,028.71
5.	,, सुखलाल चोथमल रामगज, मंडी	74-77	74,302.00
6.	,, आर. सी. पालीवाल एण्ड कं.	73-78(1.9.81)	4,77,279.06
7.	,, अनिल बिड़ी फैक्ट्री, झालावाड़	75-77(2.12.81)	78,258.00
8.	,, सन्तोष कुमार जुगलकिशोर	66-79	1,18,772.93
9.	,, मनहरलाल आशा भाई	73-77	1,16,959.21
10.	,, इस्ट सुकेत लेबर स्टोन की.सो.	78-84	69,830.23
11.	,, लक्ष्मी नारायण हरीशंकर	24.1.81	1,09,034.59
12.	,, अम्बा लाल चुन्नीलाल	3.9.82	3,43,935.41
13.	,, भवानी मण्डी वन श्रमिक सह. समिति	15.1.83	73,235.08
14.	,, नेमी चन्द नरपतसिंह, भवानीमण्डी	3.3.83	86,317 50
15.	,, नूतन स्टोर मार्ट, रामगंजमण्डी	75-79	84,235.53

303

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 171 की सूची

पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

क्र. स.	नाम पंचायत	सत्र	जारी किये राशन कार्डों की संख्या	राशन कार्ड की कीमत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	टोठोड़ा	1982-83	–	–	0.45 पैसे
		83-84	604	271.80	प्रति राशन कार्ड
		84-85	–	–	–
2	बांकरा	82-83	–	–	0.45 पैसे
		83-84	504	226.80	प्रति राशन कार्ड
		84-85	–	–	–
3	पीपलुन्द	82-83	696	313.20	0.45 पैसे
		83-84	–	–	प्रति राशन कार्ड
		84-85	–	–	–
4	घोड़	82-83	568	255.60	0.45 पैसे
		83-84	79	35.55	प्रति राशन कार्ड
		84-85	–	–	–
5	रीवां	82-83	–	–	0.45 पैसे
		83-84	980	441.00	प्रति राशन कार्ड
		84-83	33	14.85	"
6	बावड़ी	82-83	–	–	0.45 पैसे
		83-84	643	285.35	प्रति राशन कार्ड
		84-85	–	–	–
7	पाडोली	82-83	433	217.50	0.45 पैसे
		83-84	–	–	प्रति राशन कार्ड
		84-85	2	–	–
8	लुहारकलां	82-83	–	–	0.45 पैसे
		84-85	–	–	राशन कार्ड वितरण नहीं किये गये

1	2	3	4	5	6
9	खजरी	82–83	618	280.10	0.45 पैसे
		83–84	23	16.35	प्रति राशन कार्ड
		84–85	2	00.90	–
10.	भगुनगर	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	557	250.65	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
11	कुराड़िया	82–83	543	271.50	0.45 पैसे
		83–84	–	–	प्रति राशन कार्ड
		84–85	17	8.50	–
12.	रावतखेड़ा	82–83	634	285.30	0.45 पैसे
		83–84	16	7.20	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
13	इटून्दा	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	748	374.00	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
14	टोकड	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	625	281.25	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
15	आमल्दा	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	631	283.35	प्रति राशन कार्ड
		84–83	–	–	–
16.	मनोहरपुर	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	613	275.85	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
17.	उलेखा	82–83	100	45.00	0.45 पैसे
		83–84	403	181.20	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
18	मुढा	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	510	229.50	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
19	बिहाढ़ा	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	410	184.50	प्रति राशन कार्ड
		84–85	1	.45	"

1	2	3	4	5	6
20.	अमरगढ़	82–83	612	275.40	0.45 पैसे
		83–84	28	12.60	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
21	बेई	82–83	599	265.55	0.45 पैसे
		83–85	–	–	प्रति राशन कार्ड
22	अमरगढसी	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	597	273.50	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–		–
23	उँवा	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	259	129.50	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–		–
24	धुंवाली	82–83	–		0.45 पैसे
		83–84	430	193.50	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–		–
25.	गागोथेली	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	618	278.10	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
26	टोटोडी	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	635	285.30	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
27.	गन्धेर	82–83	–	–	0.45 पैसे
		83–84	546	245.70	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	–	–
28.	बिलेहा	82–83	616	277.20	0.45 पैसे
		83–84	–	–	प्रति राशक कार्ड
		84–85	–	–	–
29.	सरसीया	82–83	174	78.30	0.45 पैसे
		83–84	519	233.55	प्रति राशन कार्ड
		84–85	–	5	"

1	2	3	4	5	6
30.	शंकरगढ़	82-83	–	–	0.45 पैसे
		83-84	–	–	प्रति राशन कार्ड
		84-85	653	293.85	–
31.	बरोदा	82-83	–	–	0.45 पैसे
		83-84	83	–	प्रति राशन कार्ड
		84-85	539	242.55	–
32.	भरसी कलां	82-83	637	286.65	0·45 पैसे
		83-84	29	13.85	प्रति राशन कार्ड
		84-85	–	–	–
33.	जामोली	82-83	621	275.45	0.45 पैसे
		83-84	–	–	प्रति राशन कार्ड
		84-85	–	–	–
34.	पण्डेर	82-83	584	262.86	0.45 पैसे
		83-84	135	87.75	प्रति राशन कार्ड
		84-85	76	34.20	–

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न सं. 176 की सूची

जिला बीकानेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1980 से अप्रैल, 1985 तक चलाये गये कार्यक्रमों का विवरण—

क्र.सं.	छात्रावास	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या				
			1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1985-86
1.	राजकीय बालक छात्रावास	70	60	57	60	65	58
2.	राजकीय कन्या छात्रावास	65	29	30	25	4	—
3.	अनुसूचित जाति छात्रावास कोलायत (पंचायत समिति द्वारा)	35	—	35	पंचायत समिति के अन्तर्गत चलाया जाता है।		
4.	राजकीय हरिजन छात्रावास गोगागेट	25	25	25	25	25	25
5.	राजकीय हरिजन छात्रावास नत्थूसर	25	25	25	25	25	25
6.	त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास नोखा	49	35	35	35	46	46

309

2—उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

वर्ष	अनुसूचित जाति छात्र		अनुसूचित जन जाति छात्र	
	लाभान्वित	राशि	लाभान्वित	राशि
1980-81	256	3,47,531	67	74,330
1981-82	281	3,08,542	93	1,17,578
1982-83	286	3,05,814	71	95,968
1983-84	299	3,27,002	67	1,15,988
1984-85	303	25,079	60	94,250

3—विकलांग छात्रवृत्ति

वर्ष	केन्द्रीय योजना		राज्य योजना	
	लाभान्वित	राशि	लाभान्वित	राशि
81-82	28	10,675	79	24,240
82-83	18	9,030	45	16,280
83-84	16	15,000	51	30,800
84-85	23	18,030	51	23,240

4—पूर्व मैट्रिक छात्रवृति

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
	लाभान्वित	राशि	लाभान्वित	राशि
80-81	981	1,23,650	15	2,780
81-82	229	49,020	2	420
82-83	1185	1,33,300	22	3,380
83-84	1438	2,57,150	14	2,925
84-85	1666	[illegible]85,000	33	[illegible],000

5—बाल गृह (अनाथालय)

स्वीकृत संख्या	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
50	36	35	47	45	45

6—अनुसूचित जाति के उत्पीड़ित परिवारों की सहायता

वर्ष	लाभान्वित	राशि
80-81	15	8,000-00
81-82	14	3,280-00
82-83	5	14,420-00
83-84	4	6,080-00
84-85	6	7,000-00

311

7—नियोजन

वर्ष	पंजियन	नियुक्ति
80-81	284	8
81-82	498	25
82-83	400	16
83-84	280	1
84-85	659	32
85-86	319	39

8—अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु अनुदान

80-81		81-82		82-83		83-84		84-85	
लाभान्वित	राशि	लाभान्वित	राशि	लाभान्वित	राशि	लाभान्वित	राशि	लाभान्वित	राशि
—	—	—	—	79	52,500	—	—	30	18,000

———